पंचम माला, खंड 47, अंक 23 | सोमवार, 16 दिसम्बर 1974/25 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVII, No. 23 | Monday, December 16, 1974/Agrahayan 25, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये | Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23—सोमवार, 16 दिसम्बर 1974/25 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 23—Monday, December 16, 1974/Agrahayana 25, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
474	कृष्णा नदी काठी में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Krishna River Valley . . .	1–2
476	खरीफ के मौसम में तमिलनाडू द्वारा वसूल किया गया धान	Paddy procured by Tamil Nadu during Kharif Season.	3–4
479	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project . .	4–5
482	दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं पर छापे ।	Raids on Dealers in Essential Commodities in Delhi .	6–8
483	1972-73 के लिए संकटकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Emergency Agricultural Production Programme for 1972—73	8–13
486	दालों की फसलों	Pulse Cropping . . .	13–15
488	ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Housing Schemes in Rural Areas	16–19
489	भारत में सिंचाई संबंधी सम्मेलन	Seminar on Irrigation in India	19–21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
475	मध्य प्रदेश के अम्लाई तथा अन्य आदिवासी क्षेत्री में युक्लिप्टस के वृक्ष लगाये जाने के विरोध में अभ्यावेदन	Representation against planting of Eucalyptus Trees in Amlai and other Tribal areas of Madhya Pradesh .	21
477	मध्य प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को अविकसित प्लाटों का आबंटन	Allotment of Undeveloped Plots to Landless Labours in Madhya Pradesh . .	21–22
478	पंजाब में भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण	Working of Food Corporation of India in Punjab .	22

*किसी नाम पर अंकित यह (+) इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—44 LSS(ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
480	उत्तर प्रदेश में पांचवी योजना के दौरान चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills in U.P. during Fifth Plan	22
481	विभिन्न फसलों की भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of land under Cultivation	22–23
484	तम्बाकू के उत्पादन में गिरावट	Fall in Tobacco Production	23
485	शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के विचार	Prime Ministers Views about change in the System of Education	23
487	पशु बीमा	Cattle Insurance . . .	24
490	स्कूल जाने की आयु में पढाई छोड जाने वाले बच्चे	Drop outs at School Stage	24–25
491	साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की जाने वाली भाषायें	Languages Proposed to be Recognised by Sahitya Akademi	25
492	नदी घाटी योजनायें	Rivers Vally Schemes . .	25–26
493	दादरा तथा नगर हवेली को वनस्पति की सपलाई के लिए एजेंसी	Agency for Supply of Vanaspati to Dadra and Nagar Haveli	26
494	"यूथ पार्लियामेंट" कार्यक्रम	'Youth Parliament' Programme	27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4530	जन्तर मन्तर रोड तथा अशोक रोड के बीच छोटे से चबूतरे पर धार्मिक मूर्ति रखना	Placing of Idol on a Platform on Jantar Mantar Road and Ashoka Road . .	27
4531	राष्ट्रीय जल प्रदाय और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर योजनाए	Schemes approved under the National Water Supply and Sanitation Programme .	27–28
4532	मध्य प्रदेश में सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में आदिवासी किसानों के जमा खाते	Deposit Accounts of Adivasi Farmers in Central Co-operative Bank Limited, Madhya Pradesh . . .	28
4533	भारतीय भाषाओं में प्रोबेशनरी रिसर्च स्कालरों के रूप में रजिस्टर किये गये छात्र	Students registered as Probationary Research Scholars in Indian Languages .	28
4534	चम्पाकारा नहर योजना में सुधार	Improvements to Champakkara Canal Scheme . . .	28–29
4535	मध्य प्रदेश द्वारा चीनी की मांग	Demand of Sugar from Madhya Pradesh	29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4536	कावेरी जल के बंटवारे के बारे में कर्नाटक और तामिलनाडु के बीच 50 वर्षीय करार	50 Years Agreement between Karnataka and Tamilnadu on Sharing of Cauvery Waters.	29–30
4537	उद्योगों का स्थानान्तर	Shifting of Industries . .	30
4538	ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त इंजीनियरों को प्रोत्साहन	Incentive to Engineers posted in Rural Areas . . .	30
4539	गेहूं की पिसाई दर	Rate for Milling wheat . .	30
4540	डेरा इस्माइल खान सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के कार्यों के बारे में जांच रिपोर्ट	Enquiry Reports into the Affairs of Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society, Delhi . . .	31
4541	विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेनेटों, सिंडिकेटों और शिक्षा परिषदों के गठन में समानता	Uniformity in Composition of Senate, Syndicate and Academic Councils of Various Universities . .	31
4542	उत्तर प्रदेश में रबी की फसल के लिए सिंचाई कार्यक्रम का लक्ष्य	Target of Irrigation Programme for Rabi Crop in U.P. .	31–32
4543	भवानी परमानन्द पुस्तकालय को अधिकार में लेना	Taking over of Bhavani Permanand Library . .	32
4544	वनस्पति बनाने वाली मिलें	Vanaspati Manufacturing Mills.	32
4545	पंजाब में धान के मूल्यों का समर्थन मूल्यों से नीचे गिरना	Fall in Price of Paddy below Support Price in Punjab	33
4546	गोवा में खाद्यान्न वसूली की पद्धति	Method of Procurement of foodgrains in Goa . .	33
4547	अन्दमान में तैनात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by C.P.W.D. Engineers posted in Andamans	33–34
4548	जूनियर ड्राफ्टसमैन के पद के लिए पदोन्नति	Promotion to the Post of Junior Draftsman . .	34
4549	सालन्दी परियोजना	Salandi Project	34
4550	राजस्थान में सिंचित भूमि की प्रतिशतता	Percentage of Irrigation land in Rajasthan . . .	34–35
4551	और अधिक चीनी कारखाने	More Sugar Units . .	35–36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4552	खाद्यान्नों को पत्तनों से गन्तव्य स्थलों तक पहुंचाने में लगने वाला समय	Time taken in handling and Clearing of Foodgrains from Ports to Destination .	36
4554	नेवल स्कूल, चाणक्यपुरी नई दिल्ली को मान्यता	Recognition to Naval School, Chanakyapuri, New Delhi .	36–37
4555	केरल के समुद्र तट में मछली पकड़ने की संभावनाओं का विकास	Development of Fishing in Kerala Coasts . . .	37
4556	दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बनने वाले मकानों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के नमूनों की जांच	Examination of Samples of the Material used for Construction of Houses under D.D.A.	37–38
4557	कोठारी आयोग की सिफारिशें	Kothari Commissions Recommendations . . .	38
4558	मोती नगर, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water in Moti Nagar, New Delhi.	39
4559	तामिलनाडु में संयुक्त स्टाक कम्पनियों द्वारा संचालित चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industries in Tamil Nadu run by Joint Stock Companies	39
4560	सी० पी० डब्ल्यू० डी० में कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Junior Engineers in C.P.W.D. . .	39–40
4561	फूड प्रॉडक्ट आर्डर लायसेंस धारियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमें चलाना	Prosecution of F.P.O. Licence holders under P.F.A. Act .	40
4562	रोजगारोन्मुख शिक्षा पद्धति के बारे में शिक्षा मंत्री के विचार	Views of Education Minister on Job-Oriented Education .	41
4563	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की भर्ती के नियम	Recruitment Rules for C.P. W.D. Engineers . . .	42
4564	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों को स्थायी बनाना	Confirmation of Civil and Electrical Engineers in C.P.W.D.	42
4565	इंस्टीटयूट आफ कमर्शियल प्रैक्टिस के प्रिंसिपल के पद के लिए साक्षात्कार रद्द करना	Cancellation of Interview for Post of Principal of Institute of Commercial Practice	43
4566	कावेरी प्राधिकरण के समान गोदावरी तथा नर्मदा जल विवादों पर समझौता	Accords in the Matter of Godavari and Narmada on the lines of Cauvery Authority	43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4567	भारतीय क्रिकेट टीम के इंगलैन्ड के दौरे तथा तेहरान में ऐशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों पर और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की यात्रा पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on visit of Indian Cricket Team to England and Indian Contingent to Asian Games and visit of West Indies Cricket Team to India	43–44
4568	गांव राढी झरिया-मारिया लाजपत नगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खुले नाले के कारण अस्वास्थ्यकर स्थिति	Insanitary Conditions due to construction of open Nallah by DDA in Village Rarhi Jharia-Maria, Lajpat Nagar, New Delhi . . .	44
4569	भूमि के अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के उल्लंघन के बारे में उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार समिति के निष्कर्ष	Findings of U.P. land Reforms Committee on Violation of land Ceiling Laws . .	44–45
4570	भारतीय खाद्य निगम में आरक्षण कोटे का भरा जाना	Filling up of Reserve quota in Food Corporation of India.	45
4571	पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मलेरकोटला के मुसलमानों के आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना	Rejection of application of Muslims of Malerkotla by Punjab Wakf Board .	45
4572	दिल्ली में सरकारी आवास प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Government Servants in Delhi in possession of Government Accommodation . . .	46
4573	मध्य प्रदेश में वर्ष 74–75 के पूर्व ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम को लागु करना	Extension of Crash Programme for Rural Employment beyond 1974-75 in Madhya Pradesh	46
4574	मछली पकडने के स्थान बनाने के लिए समुद्री उत्पादन संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of marine resources for location of fishing grounds	46–47
4575	मार्गरीन का उत्पादन	Production of Margarine .	47
4576	अध्यापकों के वेतनमानों के मामले में कोठारी आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करना	Implmentation of Kothari Commission recommendation in respect of Pay scales of Teachers	47
4577	कानपुर कृषि संस्थान को कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना	Conversion of Kanpur Agriculture Institute into an Agrcultural University .	47–48
4578	नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की बैठक	Meeting of International Dairy Congress in New Delhi.	48–49

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4579	चीनी का उत्पादन और मूल्य	Production and Price of Sugar.	49–50
4580	सरकार द्वारा भारतीय समाज कल्याण परिषद को अपना प्रतिवेदन छापने के लिए अनुदान न देना	Refusal of Grant to I.C.S.W. for Printing its report . .	50–51
4581	कावेरी नदी जल विवाद	Cavery Dispute . . .	51
4582	सिंचाई परियोजनाओं के लिये नियतन का आधार	Criteria for Allocation for Irrigation Projects . . .	51–52
4583	क्रियान्वित न किए गए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	Unexecuted Irrigation and Flood control Projects	52
4584	वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक उडीसा में चावल की वसूली	Procurement of Rice in Orissa from 1971-72 to 1974-75 .	52–53
4585	बीजों की आवश्यकता का सर्वेक्षण	Survey of Seeds Requirement.	53–54
4586	गुजरात में उच्च शिक्षा के संबंध में जौन समिति का प्रतिवेदन	John Committee Report on Higher Education in Gujarat	54
4587	अन्तर्राष्ट्रीय नारी वर्ष	International Womens Year.	54–55
4588	उर्वरकों की बिक्री के लिए परमिट व्यवस्था समाप्त करना	Withdrawal of Permit System for Sale of Fertilizer	55
4589	निरक्षरता का उन्मुलन	Eradication of illiteracy	55
4590	बिहार में चीनी कारखानों द्वारा कर्मचारियों को सप्लाई की गई चीनी	Sugar supplied to employees by Sugar Factories in Bihar.	55–56
4591	श्री बिशन सिंह बेदी के विरुद्ध लगाए गए आरोप	Charges levelled against Shri Brishan Singh Bedi . .	56
4592	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए निर्धारित धन का दुर्विनियोग	Alleaged Misappropriation of Funds of operation Flood Schemes	56–57
4593	आखाद्य फसलों में उर्वरको का उपयोग न करके अन्यत्र करने के बारे में राज्य सरकारों की नीति	State Governments Policy regarding Diversion of Fertilisers from Non food Crop	57
4594	मंत्रालय में लेखकों को मान देय राशि दिया जाना	Honorarium to writers in the Ministry	57–58
4595	लघु किसान विकास एजेंसीं परियोजना के लिए कसौटी	Criteria for Small Farmers Development Agency Project.	58–59
4596	शिक्षा मंत्रालय में की गई बचत	Economy effected in Education Ministry . . .	59–60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4597	पंजाब के गन्ना उत्पादकों द्वारा अपना उत्पाद चीनी मिलों को न बेचने का निर्णय	Decision of Sugar cane Growers in Panjab not to sell their Produce to Sugar Mills	60
4598	राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों की राष्ट्रपति की अनुमति मिलने में विलम्ब	Delay in President's Assent to land Ceiling laws of States.	61
4599	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि उत्पादन में सहायता का प्रभाव	Effect of Aid by Agricultural Refinance Corporation on Agricultural Production .	61–62
4600	पंजाब में किसानों को धान-बोनस दिया जाना	Paddy Bonus to Farmers in Punjab	62
4601	गृह निर्माण के लिए ऋण मंजूर करने पर प्रतिबंध का हटाया जाना	Lifting of Ban on Sanctioning of House Building Loans.	62–63
4602	आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत ऋण	Loans sanctioned by the HUDCO	63
4603	भावनगर के ट्रांजिट गोदाम में रासायनिक उर्वरक की क्षति	Laws of Chemical Fertilizer in Transit Godown at Bhavnagar	64
4604	राष्ट्रीय अनुशासन योजना पर केन्द्रीय व्यय	Central Expenditure on National Discipline Scheme . .	64–65
4605	महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों का विकास	Development of Drought Prone Areas in Maharashtra .	65
4606	कोसी नहर के लिए अदा की गई क्षतिपूर्ति	Compensation Paid for Kosi Canal	65
4607	लद्दाख में सिंचाई परियोजनाओं का विकास	Development of Irrigation Project in Ladakh . .	65–66
4608	दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उपक्रम के बारे में समाचार	News report regarding Delhi Water Supply and Sewage Disposal	66
4609	दामोदर नदी में जल दूषण	Water Pollution in Damodar River	66–67
4610	गंगा बेसिन जल संस्थान संगठन के बनारस डिवीजन के कार्यालय के उपकरणों को जब्त करना	Seizure of office Equipment of Benarus Division of the Ganga Basin Water Resources Organisation .	67
4611	डी० पी० ए० कालोनी जनकपुरी के सी० एस० पी० रिहायशी फ्लैटों में दुकानें खोलना	Running of Shops in C.S.P. Residential flats in Janakpuri D.D.A. Colony . . .	67

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4612	संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्न गोदामों पर छापे	Foodgrains Premises raided in Union Territories . .	68
4613	'नेशनल बुक ट्रस्ट' में भर्ती तथा पदोन्नति नियम	Recruitement and Prmotion Rules in National Book Trust	68
4614	छोटा नागपुर और पालामऊ में अकाल	Famine in Chhota nagpur and Palamau (Bihar)	68
4615	केन्द्रीय फार्म तथा उनसे किसानों को लाभ	Central Farms and benefit to Farmers therefrom . .	68–69
4616	दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का हटाया जाना	Removal of Jhuggi Jhonpri in Delhi . . .	69–70
4617	वर्ष 1974–75 के लिए उड़ीसा में रबी की फसल का उत्पादन लक्ष्य	Rabi Production Target in Orissa for 1974-75 . .	70
4618	आसाम में बैलों को रहस्यमयी बीमारी	Mysterious Bullocks Disease in Assam	71
4619	पांचवी योजना में वैस्टर्न कोसी गंडक और राजस्थान नहर परियोजनाओं को पूरा किया जाना	Completion of Western Kosi Gandak and Rajsthan Canal Project in Fifth Plan .	71–72
4620	बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय राहत समिति को प्राप्त दान	Donation received by Central Relief Committee to help Flood and Drought affected areas	72
4621	इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट, बंगलोर दवारा बैल गाड़ियों में सुधार के लिये प्रयोग किया जाना	Experiments by Indian Institute of Management, Bangalore for improving Working of Bullock Carts . . .	72
4622	डा० भगवान दास स्मारक न्यास के महासचिव द्वारा श्री डी० आर० निम से किराया लिया जाना	Rent Charged from Shri D. R. Nim by the General Secretary of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust . .	73
4623	पश्चिम बंगाल में बाढ के कारण क्षति और सूखे के प्रभाव का अनुमान	Assessment of damage due to floods and effect of drought in West Bengal .	73
4624	अनाथ बच्चे	Orphan Children . . .	73–74
4625	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण	Nermada Water Dispute Tribunal	74
4626	सेकेण्डरी टीचर्स फेडरेशन द्वारा बारी बारी (रिले) भूख हड़ताल	Relay fast by Secodary Teachers Federation	74–75
4627	महिलाओं के दर्जे के बारे में समिति	Committee on Status of Women	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4628	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनूसूचित जाति के कर्मचारी	Scheduled Casts employees in Education Department in Delhi Administration . .	75
4629	खाद्यान्न घी, सरसों का तेल, चीनी और 'बेबी फूड' का स्टाक करने की अधिकतम सीमा	Ceiling limit for Stocking Foodgrains, Ghee, Mustard Oil, Sugar and Baby Food.	76
4630	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा आरम्भ की गई परियोजना	Project taken up by Indian Council of Historical Research	76-77
4631	छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों की संख्या से उत्पन्न स्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on situation arising out of increase in number of students and Colleges of University of Delhi . .	77
4632	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खण्ड का आबंटन करने का आधार	Criteria for allotment of C.D. Blocks in States and Union Territories . . .	78
4633	विदेशों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित स्थान पर पट्टिकाए लगाना	Setting up of Plagnes in places connected with Netaji Subhash Chandra Bose in Foreign Countries . .	78
4634	कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत सरकारी मुद्रणालय	Government Presses registered under Factories Act . .	79
4635	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य का हस्तांतरण	Transfer of C.P.W.D. works	79
4636	गोवा को समाज कल्याण अनुदान	Social Welfare Grant to Goa	79-80
4637	गोआ में खाद्यान्नों पर 'लेवी' में वृद्धि किया जाना	Enhancement of levy of Foodgrains in Goa . .	80
4638	गोआ में अप्रयुक्त पडे ट्रैक्टर	Tractors lying idle in Goa .	80
4639	उडीसा में खाद्यान्न पर 'लेवी' में वृद्धि किया जाना	Enhancement of levy of Foodgrains in Orissa . . .	80
4640	उडीसा में अप्रयुक्त पडे ट्रैक्टर	Tractors lying idle in Orissa.	81
4641	उडीसा में खाद्यान्न की वसूली का तरीका	Method of Procurement of Foodgrains in Orissa	81-82
4642	पंजाब वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आरोप	Allegations against Punjab Wakf Board . . .	82
4643	देश में डबल रोटी की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Bread in the Country . . .	82-83

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4644	शिक्षा निदेशालय दिल्ली में अपने मकान वाले अधिकारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान	Payment of H..R.A. to Officers of Directorate of Education, Delhi owning Houses	83
4645	विदेशों से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस संबंधित दस्तावेज तथा अन्य सामग्री प्राप्त किया जाना	Acquisition of Documents and other Material Connected with Netaji Subhash Chandra Bose in Foreign Countries	84
4646	महानिर्माण समारोह के लिए दान-स्वरुप दी गई राशि	Money Donated for Mahanivaauar Celebration	84
4647	विदेशी शराब की खपत में वृद्धि	Increase in Consumption of Foreign liquor . . .	85
4648	वनस्पति तेल का निर्यात	Export of Vegetable Oil .	85
4649	रीजनल इंजीनियरिंग कालिजो के कर्मचारियों के वेतनमानो में असंगतियां	Anomalies in Pay Scales of Employees of Regional Engineering Colleges. .	85–86
4650	मध्य प्रदेश राज्य की निजी भूमि अधिग्रहण की कीमत तथा पूर्ण सहायता अनुदान मंजूर करना	Release of Full Grant in Aid to the State of Madhya Pradesh	86
4651	खाद्यानों की प्रति व्यक्ति उप-लब्धता में कमी	Decline in Per Capita availability of Foodgrains . .	87
4652	उर्वरकों के मूल्यों तथा सिंचाई की दरों के बारे में समान नीति अपनी के लिए राज्यों को केन्द्रीय निदेश	Central Directive to States for Uniform Policy Regarding Fertiliser Prices and Irrigation Rates	87–88
4653	शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यो की संयुक्त वरीयता सूची	Common Seniority lists of Education Officer/Principales	88
4654	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा अधि-कारियों/प्रधानाचार्यों का अभ्यावेदन	Representation by Education Officer /Principales of Delhi Administration . . .	88–89
4655	प्रत्येक जिले में पब्लिक स्कूल खोलना	Opening of Public Schools in each Districts . . .	89
4656	टोकियो में खाद्य तथा कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत का भाग लेना	Indian's participation in the Regional Conference of F.A.O. at Tokyo	89–90
4657	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन	Press Conference held by Indian Council o Agricultural Research	91
4658	दिल्ली दुग्ध योजना में प्रति लिटर दूध की लागत	Cost of Handling Milk in Delhi Milk Scheme . . .	91
4659	नेहरू संग्रहालय	Nehru Museum . . .	91–92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4660	शिक्षा निदेशालय दिल्ली में संयुक्त निदेशक के पद के लिए पदोन्नति	Promotion to Post of Joint Director in Directorate of Education, Delhi . .	92
4661	दादरा और नागर हवेली के लिए वनस्पति घी	Vanaspati Ghee for Dadra and Nagar Haveli . .	93
4662	उर्वरकों का आयात कार्यक्रम	Import Programme of Fertiliser	93
4663	महिला समिति	Women's Committee . .	93
4664	गेहूं का आयात तथा उत्पादन	Production and Import of Wheat	94
4665	निर्माण कार्य में सीमेंट के स्थान पर अन्य सामग्री का प्रयोग	Alternative to Cement being used in Construction . . .	94–95
4666	नई दिल्ली में सरकारी कार्यालयों और रिहायशी मकानों पर व्यय	Expenditure on Government Offices and Residential Houses in New Delhi . .	95
4667	"मोरल एंड सोशल हाईजिन एसोसिएशन" की राज्य शाखाओंका कार्यकरण	Functioning of State Branches of Moral and Social Hygine Association . . .	95
4668	पांचवी योजना के दौरान राज्य सहकारी समितियाँ	Village Cooperative Societies during Fifth Plan . .	95–96
4669	पश्चिम बंगाल में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय खादय तथा टैक्नालौजिकल अनुसंधान संस्थान का तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन	Techno-economic Report of Central Food and Technological Research Institute for setting up of Fruit Processing Unit in West Bengal	96
4670	राजस्थान और गुजरात के लिए अतिरिक्त गेहूं	Additional Wheat for Rajasthan and Gujarat . . .	96–97
4671	सोवियत संघ से गेहूं का आयात	Import of Wheat from U.S.S.R.	97
4672	रबी की फसल के लिए सिचाई परियोजनाओं के लक्ष्य में वृद्धि करने के लिए राज्यों का केन्द्रीय निदेश	Central Directive to States for increasing Irrigational Target Projects for Rabi Crops	98
4673	पी० सी० एस० अधिकारियों का शिक्षा अधिकारियों के रूप में तैनात किया जाना	Posting of P.C.S. officers as Education Officers	98
4674	तम्बुओं में चल रहे स्कूल	Schools running in Tests .	98–99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4675	राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उन पर व्यय	Execution and Expediture on Minor Irrigation Schemes in States	99–100
4676	आवास हेतु राज्यों द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय राशि	Central Fund Utilized by States for Housing . .	100
4677	स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन	Mid-day Meals for Children.	101
4678	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में न भरे गए पद	Unfilled Post in I.I.T., Kanpur	101
4679	केरल में आदर्श अग्नि रक्षा सेवा (माडल फायर प्रोटेक्शन)	Model Fire Protection in Kerala	102
4680	बंसुधारा नदी (कोरापुट) के बारे में उडीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बातचीत	Discussion between Orissa and Andhra Pradesh about river Bansadhara (Koraput) .	102–103
4681	विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में नियुक्त किये गए प्रोफेसर	Professors appointed in various Departments of Universities	103
4682	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और वितरण	Per Capita Distribution and availability of Food .	103
4683	खाद्यान्नों का राज्यों में समान रूप से वितरण	Equitable Distribution of Food-grains among states . .	104
4684	राज्यों की गेहुं और चावल की सप्लाई	Supply of wheat and Rice to States	104
4685	दिल्ली में राशन कार्डधारियों को सप्लाइ किये जा रहे गेहुं की घटिया किस्म	Poor Quality Wheat being supplied to Ration card holders in Delhi . . .	104–105
4686	दाल, ज्वार, मटर और चने की उत्पादन लागत और उनका उत्पादन बढाने के लिए कार्यवाही	Cost of Production of Pulses, Millet, Peas, and Gram and steps to increase their production . . .	105–106
4687	गुजरात में राशनकार्ड धारियो को दी जाने वाली चीनी के कोटे में कटौती	Reduction in Sugar Quota supplied to ration Card holders in Gujarat	106–107
4688	गुजरात में आवासीय एककों के निर्माण के लिए सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Government Employees for construction of residential units in Gujarat	107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4689	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपूर के छात्रों द्वारा हड़ताल	Strike by Students of I.I.T. Kanpur . . .	107–108
4690	हरियाणा में बिजली की सप्लाई बन्द करने का रबी की फसलें पर प्रभाव	Effect of Power shedding on Rabi Crop in Haryana .	108
4691	उर्वरक समन्वय समिति में उर्वरक एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व	Representation of Fertilizer Association on Fertilizer Coordination Committee .	108
4692	उर्वरक व्यापार में क्रय कर को फिर से लागू करना	Reintroduction of purchase tax in Fertilizer Trade .	108–109
4693	मृत सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government accommodation to son or daughter of deceased Government employee . . .	109
4694	पंजाब वक्फ बोर्ड की कार का दुर्घटनाग्रस्त होना	Car of Punjab Wakf Board involved in accident . .	109–110
4695	केन्द्रीय वक्फ परिषद के तत्वाधान के मुस्लिम उलेमाओं की बैठक	Meeting of Muslim Ulemas under Auspices of Central Wakf Council . . .	110
4696	मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज द्वारा कथित कदाचार	Reported malpractices by M/s Vishnu Sugar Mills Ltd., Gopalgary	110
4697	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन विष्णु शुगर मिल्स गोपालगंज के विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने के लिए बिहार सरकार को अनुदेश	Instructions to Bihar Government to file a case against Vishnu Sugar Mills, Gopalganj under The Essential Commodities Act . .	111
4698	हरखुआ, बिहार की वी० एस० मिल्स लिमिटेड के "प्रैस-मड" की बिक्री	Sale of press mud of V.S. Mills Ltd., Harkhua, Bihar .	111
4969	गुजरात में पशु शिबिर	Cattle Camps in Gujarat .	111–112
4700	भारतीय खाद्य निगम के एजेंटों के न होने से धनी किसानों द्वारा घोषित मूल्य से कम मूल्य पर धान की वसूली	Procurement of paddy by rich farmers below declared price in absence of Food Corporation of India Agents	112
4701	इन्डिया आफिस लाइब्रेरी का अधिग्रहण	Acquisition of India Office library	112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4702	विश्व टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप	World Table Tennis Championship	113
4703	राज्यो मे धान के बाजार मूल्यों में वृद्धि करने वालों के संबंध में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम लागू करना	MISA for paddy market offenders in States	113
4704	"घोस्ट आनर्स बाई डी० डी० ए० फ्लैटस" नामक शीर्षक से समाचार	News item with the caption "Ghost owners buy D.D.A. flats"	114
4705	आयातित उर्वरक में जहरीला पदार्थ और उसका फसल पर प्रभाव	Poisonous matter in imported fertilizer and its effect on Crop	114
4706	पांचवी योजना के दौरान मत्स्य पालन के लिए आबंटन	Allocatings for pisciculture during Fifth Plan	114–115
4707	ढोर नस्ल सुधार	Expenditure on improvement of Cattle Breed	115
4708	1971–74 के दौरान कृषि सेवा केन्द्र	Agro Service Centres during 1971-74	115–116
4709	1973/74 के मौसम के लिए तामिलनाडु द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य की क्रियान्विति	Implementation of Sugarcane Price for 1973-74 season announced by Tamil Nadu Government	116–117
4710	तामिलनाडु में गन्ने के निर्धारित मूल्य अदा करने में संयुक्त क्षेत्र को चीनी कारखानो की असफलता	Failure of Sugar Factories in Joint Sector in Tamilnadu to Pay fixed Price of Sugar cane	118
4711	विश्वविद्यालय सनेटों, कार्यकारी परिषदो और शिक्षा परिषदों का गठन	Composition of University Senete, Executive Councils and Academic Councils.	118–119
4712	राज्यों में खरीफ के धान के उत्पादन में कमी	Short fall in Khariff Paddy output in States	119
4713	आदिवासियों की मांगे	Demands of Tribals	119–120
4714	दिल्ली में कुछ कालेजो को अल्पसंख्यक संस्थाओं में बदला जाना	Conversion of certain Colleges into Minority Institutions in Delhi	120–121

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4715	आयातित उर्वरक की ऊंचे मूल्य पर बिक्री	Sale of Imported Fertiliser at High Price	121
4716	विदेशों से आयात किए गए पशुओं के वंशावली इतिहास	Pedigree Histories of Cattle imported from Foreign Countries . . .	121
4717	बीजों की कम सप्लाई का खाद्य उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Short supply of seeds on food Productions.	121–122
4718	भारतीय खाद्य निगम द्वारा कूच बिहार सहकारी चावल मिल पश्चिमी बंगाल को सप्लाई किया गया धान	Paddy supplied to Cooch Bihar Cooperatives Rice Mill, West Bengal by Food Corporation of India . .	122
4719	भारतीय खाद्य निगम द्वारा कूच बिहार सहकारी चावल मिल पश्चिम बंगाल के विरुद्ध दावा	Suit against Cooch Bihar Cooperative Rice Mills, West Bengal by Food Corporation of India	122
4720	चिड़िया-घरों के प्रबंध संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Management of Zoos . . .	123
4721	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	Delhi Schools Teachers' Co-operative House Building Society	123
4722	कुपोषण की समस्या	Problem of Malnutrition .	123
4724	शिक्षा व्यय और रोजगार की संभावनाएं	Cost of Education and Employment prospects . . .	124
4725	लाखों के लिए दूध-परियोजना	Milk for Millions Project .	124
4726	उडीसा में 1972-73 के लिए आयात कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Emergency Agricultural Production Programme for 1972-73 in Orissa	125
4727	पश्चिम बंगाल में हास्किंग मिलों पर लेवी	Levy on Husking Mills in West Bengal . . .	125
4728	बाढों की सीमा और उनकी अवधि तथा बिहार में हुई क्षति	Extent and Duration of floods and Damaged caused in Bihar	126–127
4729	भूमि का वितरण के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम	Time bound programme for distribution of land .	127

विषय	SUBJECT	PAGES
स्थगन प्रस्तावो के बारे में प्रश्न	Re Adjournment Motion (Query)	128–129
आयात लाइसेंस के मामले के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shri L. N. Mishra Re. Import Licence Case . . .	129–132
श्री आर० एन० गोयन्का के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shri R. N. Goenka .	132–134
सभा पटल पर रखें गये पत्र	Paper laid on the Table .	134
सभा का कार्य	Business of the House .	135–140
रेल अभिसमय समिति	Railway Convention Committee	
छठा प्रतिवेदन	Sixed Report . . .	140
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प अस्विकृत	Statutory Resolution Re. Disapproval of Representation of the People (Amendment) Ordinance—(Negatived)	
तथा	and	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	Representation of the people (Amendent) Bill—	
विचार करने का स्ताव—	Motion to consider—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	152–153, 157, 159–161
श्री भोगन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	161–162
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	162
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	162–164
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	164–165
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	165
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	166–167
श्री मधू लिमये	Sri Madhu Limaye	167–168
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	168–173
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	173–174
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3, and 1	175–176
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	176
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	176

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 16 दिसम्बर, 1974/25 अग्रहायण, 1896 (शक)
Monday, December 16, 1974/Agrahayana 25, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृष्णा नदी घाटी में सिंचाई परियोजनायें

***474. श्री पी० आर० शिनाय : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृष्णा नदी घाटी में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को बिना और विलम्ब के पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की सहायता देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्विति के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत की जाती है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रिय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ट सैक्टर अथवा परियोजना से जुड़ी हुई नहीं होती ।

श्री पी० आर० शिनाय : हालांकि घटप्रभा तथा मालाप्रभा नदियों पर बांध बना दिये गये हैं, परन्तु घटप्रभा के दायें किनारे की नहर तथा मालाप्रभा के बायें किनारे की नहर के लिये निर्माण कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है । शाखा नदियों भी या तो घाटप्रभा के बायें किनारे की नहर के लिए कार्य

2—44 LSS(ND)/74

करतो हैं अथवा मालप्रभा के दायें किनारे को नहर के लिये। अपर कृष्णा नदो पर बांध बनाये तो जा रहे हैं परन्तु उनके निर्माण कार्य को गति बहुत ही धोमी है। फलस्वरूप राज्य सरकार गत 5 से 10 वर्षों में 10-15 करोड़ रुपये खच कर चुको है परन्तु उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हैं। इस दृष्टि से, क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन कर्नाटक राज्य के लिये कम से कम अनुदान तथा ब्लॉक सहायता में तो वृद्धि करेगी ?

श्री केदार नाथ सिंह : जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंचाई राज्य का विषय है, तथा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करतो है। राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां नियत करनी होती हैं; और इसलिए राज्य सरकारों को हो यह सब कुछ देखना है।

श्री पी० आर० शिनाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक राज्य में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये समूचे रूप में कोई अनुदान देगी क्योंकि धन की कमी के कारण सभी नदी घाटो कार्य अधूरे पड़े है।

श्री केदार नाथ सिंह : इस समय केन्द्र सरकार इस पहलू पर विचार करने को स्थिति में नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपनो प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां आवंटित करें मेरे विचार से, यदि इस संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये तो वे इसकी व्यवस्था करेंगो।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या सरकार का विचार कावेरी घाटो प्राधिकरण के समान ही कृष्णा घाटो प्राधिकरण का गठन करने का है ?

श्री केदारनाथ सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है। परन्तु यह तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर निर्भर है कि हालांकि वह कावेरो घाटो प्राधिकरण के समान ही कृष्णा घाटी प्राधिकरण का गठन चाहती है।

श्री एस० पो० पाटिल : अपर कृष्णा परियोजना के संबंध में यह जानना चाहूंगा कि यह परियोजना कब स्वोकृत तथा आरंभ हुई और इस पर कुल कितनो राशि खर्च हुई है।

श्री केदार नाथ सिंह : अपर कृष्णा परियोजना, चरण-I का कुल प्राक्कलन 11,667 लाख रुपय था और चौथो योजना में उसपर 1744.16 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री जे० मातागौडा : क्या कर्नाटक सरकार को इन सिंचाई परियोजनाओं की भी अनुमति नहीं लेनी पड़तो जिनका प्रभाव पड़ौसी राज्यों पर पड़ता है ?

श्री केदार नाथ सिंह : सामान्यतः उन्हें पड़ौसो राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होती है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : कुछ समय पूर्व, सिंचाई मंत्री ने कहा था कि खाद्यान्नों का अधिकतम उत्पादन केवल सिंचाई व्यवस्था द्वारा हो हो सकता है, इस विचार से कि हमारी प्रमुख नदियों संबंधी बहुत सी परियोजनायें अन्तर्राज्य-विवादों के कारण रुको पड़ी हैं, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कृष्णा जल विवाद को हल करने के लिये शीघ्र हो कार्यवाहीकी जायेगो क्यों कि कर्नाटक सरकार ने अपने सिद्धांत में कुछ संशोधन कर दिया है और वह न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने को सहमत है ?

श्री केदार नाथ सिंह : जैसा कि हम सब जानते हैं कृष्णा जल विवाद समाप्त हो गया है और न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है। कुछ राज्यों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

खरीप के मौसम में तमिलनाडु द्वारा वसूल किया गया धान

476. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु राज्य सरकार ने खरीफ के मौसम में कितना धान वसूल किया; और

(ख) तमिल नाडु सरकार कितना फालतू धान केन्द्र को दे सकती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) तमिलनाडु सरकार ने चालू खरीफ मौसम के दौरान 9 दिसम्बर, 1974 तक लगभग 2.16 लाख मी० टन धान की अधिप्राप्ति की है ।

(ख) तमिल नाडु सरकार ने अब तक केन्द्रीय पूल के लिए धान देने की कोई पेशकश नहीं की है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या पूर्वोत्तर मानसून न होने पर, तमिल नाडू में अनुमानित फसल सामान्यतः होने वाली फसल से कहीं कम हुई है, क्या वहां अभाव की स्थिति होने के अनुमान हैं तथा इसके फलस्वरूप सरकार का विचार तमिल नाडु को कोई सहायता देने का है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा तमिल नाडु में सामान्य नहीं हुई है । हमें इसका ध्यान है और हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं । मेरे विचार से हमें इस स्थिति को बड़ी ही चिन्ताजनक या संकटपूर्ण स्थिति नहीं मानना चाहिये । यदि ऐसा हुआ तो तमिल नाडु को आवश्यक सहायता देने का प्रयत्न करेंगे ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मुख्य मंत्री विधान सभा में पहले ही कह चुके है कि मानसून वर्षा न होने से तमिल नाडु में भयंकर सूखे की स्थिति है और फसलें अनुमान से बहुत ही कम हुई है । मैंने इसी संदर्भ में यह प्रश्न पूछा है । मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तत्संबंधी जानकारी सरकार को मिली है, क्या तामिल नाडु सरकार ने राहत के लिये अपील की है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : माननीय सदस्या मुझसे ज्यादा जानती हैं कि तमिल नाडु में बड़े बड़े क्षेत्र सिंचित क्षेत्र हैं । इसलिये, यदि वहां वर्षा कम भी हुई तो भी उसका प्रभाव भी इतना अधिक नहीं होगा और शायद तमिल सरकार तथा भारत सरकार परस्पर सहयोग करके उक्त स्थिति का भलो प्रकार मुकाबला कर सकेंगी ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं जानती हूँ कि कुछ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र हैं परन्तु बड़े बड़े क्षेत्र ऐसे है जो सिंचित क्षेत्र नहीं हैं । समाचार पत्रों में समाचार आ रहे है कि तमिल नाडु विधान सभा को इस स्थिति से अवगत कर दिया गया है । मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से अपील की है । वह इसका क्या उत्तर दे रहे हैं ? म वहां की स्थिति से भलो प्रकार परिचित हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है, चर्चा का समय नहीं है । श्री किरुतिनन ।

श्री या किरुतिनन : पिछले वर्ष तथा उससे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, तमिल नाडु में अतिरिक्त उत्पादन हुआ था, वह केन्द्रीय भण्डार के लिये इतना चावल दे सका था जितना कि कोई भी अन्य राज्य सरकार दे सकती थी या जितना केन्द्र सरकार ने चाहा था । अब वहां चावल, धान तथा अन्य खाद्यान्नों की भारी कमी है । क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की इन समस्याओं से अवगत कराया है तथा सहायता मांगी है; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकार इस मामले में हम से पूरा सम्पर्क बनाये हुए है । पूर्वोत्तर मानसून के अनिश्चित व्यवहार से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी हमें बराबर दी जा रही है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : तमिल नाडु सरकार ने राज्य में 8 लाख टन चावल की कमी का अनुमान लगाया है। जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने विधान सभा में कहा है तथा समाचार पत्रों को बताया है, तमिल नाडु में सिंचाई सुविधायें होते हुए भी वहां सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। क्या राज्य सरकारने राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 5 करोड रुपये की सहायता मांगी हैं, और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हुँ क्योंकि मुख्य प्रश्न तो तमिल नाडु में धान की वसूली के बारे में हैं और मुझसे सूखा-राहत के बारे में पूछा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

राजस्थान नहर परियोजना

+
***479 श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री एम० गोपाल रड्डी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण के कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रेगिस्तान-विकास पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में रेतीले क्षेत्र को उन्मुक्त करने तथा बार-बार सूखा स्थितियों के उत्पन्न होने से विनाश के प्रति अधिकतम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुपयुक्त क्षेत्रों को निकालने, और अधिक क्षेत्रों को लिफ्ट सिंचाई के अंतर्गत लाने तथा अधिक चारा फसलों के लिए फसल-पद्धति में परिवर्तन करने के वास्ते राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो को पुनः तैयार करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार इन प्रस्तावों के तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन करने पर विचार कर रही है।

श्री राम सहाय पाण्डे : मंत्री महोदय के विवरण में लिखा है कि :

> "राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रेगिस्तान-विकास पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में रेतीले क्षेत्र को उन्मुक्त करने तथा बारबार सूखा स्थितियों के उत्पन्न होने से विनाश के प्रति अधिकतम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुपयुक्त क्षेत्रों को निकालने और . . . राजस्थान नहर परियोजना के चरण–II को पुनः तैयार करने का प्रस्ताव किया है।"

मैं चाहता था कि विवरण चरण–II में शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता तथा यह बताया जाता कि अंतरिम रिपोर्ट आदि में क्या कहा गया है। ऐसे विस्तृत ब्यौरे के बिना हमारे लिये प्रश्न पूछना बड़ा कठिन है . . .

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने कहा हैं वह उन्होंने नोट कर लिया है . . .

श्री केदार नाथ सिंह : . . . और अधिकतम उपलब्ध जानकारी दे दी है। इस परियोजना के दो चरण हैं। मेरे विचार से पहले चरण में 22 किलो मीटर लंबी सहायक (फीडर) नहर का निर्माण शामिल है तथा राजस्तान मुख्य नहर 195 किलोमीटर लंबी है क्या दूसरे चरण में 272 किलोमीटर तक होगी।

अब राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस परियोजना का चरण–II के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पेश किया है केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है और एक बैठक जयपुर में हुई थी तथा उन्होंने कुछ और अधिक आकड़े एकत्रित करके तथा जांच करके चरण–II का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया था। इसलिए राजस्थान सरकार एक समिति गठित कर रही है जो सारी बातों को जांच करेगी तथा यह देखेगी कि पुनरीक्षण करना संभव है या नहीं।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में दूसरे चरण के पुनरीक्षण का सुझाव दिया है और उसके लिये वह जयपुर में एक बैठक कर रहे हैं। समिति गठित की जायेगी तथा बाद में रिपोर्ट दी जायेगी। क्या इन कार्यों के लिये कोई अवधि नियत की गई है ?

श्री केदारनाथ सिंह : सामान्यतः कोई समयावधि नियत नहीं की जाती है। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूँ इन बातों में एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा आप दुःखी होकर कर रहे हैं या सन्तुष्ट होकर ?

Shri Ram Kanwar: May I know whether you have not allocated funds for th Stage-II in the Five Year Plan.

Shri KedarNath Singh : We have included it in the Five Year Plan.

श्री एस० ए० कादर : राजस्थान नहर परियोजना को अनेक वर्ष पहले हो पूरा ही जाना चाहिये था और हम इसके बारे में बहुत वर्षों से सुनते आ रहे है। हमें यह भी विश्वास दिलाया गया था कि इसके पूरा होते ही राजस्थान भारत का अन्न भण्डार बन जायेगा। अब, देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए क्या यह सही नही होगा कि इस कार्य को युद्ध-स्तर पर करने तथा इस नहर को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने? के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये ?

श्री केदार नाथ सिंह : हमें कठिनाईयों का पता है और इस लिये हमने इस वर्ष अगामी योजना के लिये इस नहर हेतु अधिक धनराशि नियत की है।

श्री महीपतराय मेहता : मूल योजना के अनुसार इस नहर को राजस्थान तथा पंजाब को समुद्र से जोडने के लिये क्या सुरक्षा उद्दश्यो के लिये भी कांडला पत्तन तक बढ़ाया जाना था। अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता था कि वह मूल योजना पर कार्य करेंगे अथवा उसे पुनरीक्षित करेंगे?

श्री केदार नाथ सिंह : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि पुनरीक्षण का काम तो पहले ही आरंभ हो चूका है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम नहर के लिये कितना जल उपलब्ध है। इस लिये इस समय तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसे समुद्र से जोड़ा जा सकेगा... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। कृपया बैठे रहिये। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं पर छापे

*482. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन कर्मचारियों ने दिल्ली में उचित दर की दुकानों के मालिकों, गेहूं के लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों तथा डबल रोटी विक्रेताओं जैसे आवश्यक वस्तुओं के लगभग 184 लाइसेंसधारी विक्रेताओं के स्थानों पर हाल में छापे मारे थे ।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार 1-11-1974 से 15-11-1974 की अवधि के दौरान जमाखोरी, काला बाजारी आदि का पता लगाने के लिए 184 लाइसेंसधारियों/व्यापारियों की जांच की गई थी । इनमें से, 150 मामलों में अनियमितताएं पायी गई। 138 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है और 9 मामलों को भारत सुरक्षा नियमों के अधीन और 9 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन रजिस्टर किया गया है।

Shrimati Savitri Shyam : The hon. Minister has given only that much of information as I have asked in my Question. In the statement the hon. Minister has mentioned, as I have asked in my Question, about the enquiry in regard to 184 licences and dealers. No more information has been supplied by the hon. Minister, the way, these licence holders and dealers are playing navoc with the lives of the common men clearly speaks of thier collusion with the enforcement department. The goods rereleased from the octroi posts after accepting money as bribe. Thus the guilty people are not brought to the book, they are released after accepting money. Is he not aware of this all? Is he also not aware of the fact that a dealer in Paharganj was arrested and action was taken against him only when some members of the Youth Congress observed fast and asked for the raid ? May I know the action proposed to be taken against the employees of Enforcement Department and also that the employees of octri posts who are found in collusion with these dealers ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस वर्ष 9000 से अधिक छापे मारे गये हैं। जांच अधिकारियों पर सामान्य रुप से दोष लगाना ठीक नहीं है । यदि कोई व्यक्तिगत मामला ध्यान में लाया जाता है तो हम उस पर दिल्ली प्रशासन से बात कर सकते हैं। परन्तु अधिकांशतः बहुत से मामलों में कार्यवाही की गई है। 694 मामले दर्ज किये गये हैं। 53 लाइसेंस रद्द किये गये हैं। 32 मामलों में दंड दिया गया है। एक मामला छोड़ा गया है। 487 मामले विचाराधीन हैं, 106 की जांच चल रही है अतः अधिकांश मामलों में कार्यवाही की गई है।

Shrimati Saviti Shyam : It is right that action is being taken against the dealers and the licence holders, but I would like to know the action taken so far against the employees of enforcement department who are found in collusion with these dealers and licence holders ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। यदि विशिष्ट मामले हमारे ध्यान में लाये जायें तो हम उन पर दिल्ली प्रशासन के साथ बात-चीत कर सकते हैं।

श्रीमति सावित्री श्याम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : एन्फोर्समेंट विभाग दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कार्य करता है। मैंने बताया है कि हम दिल्ली प्रशासन से बात कर लेंगे।

Shri Ishaque Sambhli : May I know whether the Government is aware of the fact that prices of essential commodities came down because of the raids conducted in Delhi and arrests made of the smugglers in recent past.

The hon. Minister has given the figures of about the individuals arrested and the cases under investigation. But after that raids have been stopped. This has resulted again in price increase. If the prices are again on the increase because of stopping the raids on hoarders and black marketeers then I would like to know as to when the Government propose to start such raids again.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार से दिल्ली प्रशासन कार्यवाही करने में विफल नहीं रहा है। क्या कार्यवाही की जानी चाहिये इस बारे में भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न निर्णय हो सकते हैं। यह एक अलग बात है। परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट सुझाव देना चाहे तो उनका स्वागत है।

Shri Ishaque Sambhli : Has he got any assessment of people's condition here ? Action taken in cases in Delhi are having their impacts on the entire country. Now, the Government have stopped conducting raids. As it has been rightly asked by Shrimati Savitri Shyam, may I know the reasons as to why the Enforcement Department have cooled down their activities. Why the raids are not being conducted again ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही चालु रखने के लिये मैं दिल्ली प्रशासन से बात करूंगा।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में आयी है कि बहुत समय से दिल्ली में रह रहे बहुत से लोगों, विशेषयता श्रमिकों को उनको राशन कार्ड नहीं मिले हैं। इसकी प्रक्रिया, बड़ी दुरुह है। क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में आयी है? यदि नहीं तो क्या वह इस मामले पर ध्यान देंगे कि उन तजाएं लोगों को राशन कार्ड शीघ्र प्राप्त हो जायें जिन्हें वे अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जिन लोगों के बारे में माननीय सदस्य कह रहे है उन निर्धन लोगों से मुझे पूर्ण सहानुभूति है। परन्तु कठिनाई यह है कि दिल्ली में 5 से 10 लाख यूनिट जाली बने हुए हैं। यह एक समस्या बनी हुई है। यदि समाज के दुर्बल वर्ग की वास्तविक समस्यायें हमारे ध्यान में लाई जायें तो मैं उनपर दिल्ली प्रशासन से बात कर लूंगा।

श्री एच० के० एल० भगत : यहाँ बहुत अधिक समय से रह रहे लोगों को राशन कार्ड नहीं दिये गये हैं। सैंकड़ों लोग मुझसे मिले हैं। वे यहां रहते है परन्तु उन्हें अभी तक उनके राशनकार्ड नहीं मिले हैं।

श्री मोहनराज कलिंगाराम : अत्यावश्यक वस्तुओं की जांच के सम्बन्ध में दिल्ली प्रवर्त्तन अधिकारियों (एनफोर्समेंट आथोर्टीज) ने 184 लाइसेंसधारियों पर छापे मारे हैं। छापे मारने के बाद कुछ लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं परन्तु कुछ लाइसेंसों की अवधि फिर बढ़ा दी गई है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय की मूल निति क्या है-- बड़े जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों तथा छोटे जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के बीच कोई भेद किया जाता हैं अथवा क्या उन्हें एकसमान समझा जाता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बड़े तथा छोटे मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों के बीच निश्चित रुप से भेद करना होता है। परन्तु, किसी को भी यहाँ तक कि छोटी उचितकर दुकान को भी किसी प्रकार की अनियमितता अथवा कदाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

Shri Jagannath Mishra : In reply to the question the hon. Minister has said that 184 cases were checked from 1-11-74 to 15-11-74 and irregularities were found in 150 Cases. Two questions arise out of this. One is, that irregularities are going on unabated and the other is that the Government machinery is not capable to control them. May I know the action being taken to control these two things ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : दिल्ली के पिछले कुछ महीनों में की गयी कार्यवाहियों के परिणामस्वरुप, कदाचारों में कमी हुई और दिल्ली प्रशासन कदाचार कम करने में सफल हुआ। मेरा मत यह नहीं है कि कदाचार समाप्त कर दिये गये। यह संभव नहीं है। इसका मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा और दिल्ली में वस्तुओं की उपलब्धता पर भी। इससे व्यापार में अनुशासन लाया गया।

Shri T. Sohanlal: The hon. Minister is of the view that the staff is working well. Is it the result of the good working of the staff that there have been 11 lakh bogus cards in Delhi during the last two yeras ? May I know whether these bogus cards will be detected and if so, by what time and the measure the Government has adopted in this regard ? Raids are conducted on the shops where nothing irregular is found. May I know whether any action against those inspectors has also been taken in whose area raids have been conducted by the enforcement authorities ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें इसमें माननीय सदस्य तथा जनता का सहयोग चाहिये। यह दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। यह सभी महानगरों की देश व्यापी समस्या है। दिल्ली प्रशासन कदम उठा रहा है। व्यवहार में, जब तक जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता तो बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

Emergency Agricultural Production Programme for 1972-73

***483. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise break-up of expenditure incurred by the Centre and State Governments on Emergency Agricultural Production Programme for 1972-73; and

(b) the value and quantum of production achieved as a result thereof, State-wise ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम, 1972-73 के अन्तर्गत लघु सिंचाई के लिए अल्पकालीन ऋण और कृषि आदानों के लिए मध्यमकालीन ऋण के तौर पर दी गई केन्द्रीय सहायता में से राज्य सरकारों द्वारा वस्तुतः व्यय की गई धनराशि नीचे दी गई है। यह

एक विशेष कार्यक्रम था जिसे भारत सरकार ने सूखे द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए प्रायोजित किया था। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा कोई वित्तीय अंशदान दिए जाने की शर्त नहीं थी।

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	लघु सिंचाई योजना के लिए स्वीकृत धनराशि	लघु सिंचाई कार्यक्रम पर वस्तुतः व्यय की गई धनराशि	आदानों के लिए निर्मुक्त किया गया अल्प-कालीन ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	9.865	8.397	13.50
2. असम	2.029	2.020@	2.50
3. बिहार	17.728	17.728	7.00
4. गुजरात	5.000	5.000	2.00
5 हरियाणा	12.000	12.000	0.10
6. हिमाचल प्रदेश	0.500	0.325	0.35
7. केरल	2.500	2.500	1.25
8. मध्य प्रदेश	5.810	5.810	6.00
9. महाराष्ट्र	24.963	24.963	16.00
10. मणिपुर	0.577	0.383	0.40
11. मैसूर	6.389	5.299	2.00
12. नागालैण्ड	0.200	0.200	0.02
13. उड़ीसा	6.600	6.600	2.00
14. पंजाब	14.720	14.720*	
15. राजस्थान	3.892	3.892	4.00
16. तमिल नाडु	3.820	2.990**	3.50
17. त्रिपुरा	0.229	0.229	0.20
18. उत्तर प्रदेश	20.750	20.750	15.50
19. पश्चिम बंगाल	14.330	14.330	6.00
योग	151.862	148.136	99.92£

टिप्पणी :—@इसमें ट्रैक्टरों और थ्रेशरों की खरीद के लिए 32 लाख रु० भी शामील है।

*इसमें सीमा क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण के लिए 197 लाख रु० का अनुदान भी शामील है।

**ट्रैक्टरों और थ्रेशरों की खरीद के लिए 20 लाख रु० की राशि भी शामिल है।

£सभी राज्यों के लिए सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 17.60 करोड़ रु० की राशि भी शामिल है।

(ख) 1972-73 में अभूतपूर्व सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए देश में शुरू किए गए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के उद्देश्य ये थे—(i) खरीफ मौसम के दौरान सूखे के कारण खाद्यान्नों की 150 लाख मीटरी टन की हुई सम्भावित क्षति को यथा सम्भव पूरा करना और (ii) विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिये रबी तथा ग्रीष्म कालीन फसलों का उत्पादन बढ़ाना तथा कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए बढ़े हुए अल्पकलीन ऋण की व्यवस्था करना। गत वर्ष अर्थात 1971-72 की तुलना में 1972-73 में खरीफ उत्पादन में केवल 44 लाख मीटरी टन की कमी हुई थी जबकि शु में आशंका थी कि यह कमी 150 लाख मीटरी टन होगी। रबी मौसम में मौसम प्रतिकूल रहा। फरवरी-मार्च, 1973 में उत्तरी भारत के कुछ भागों में गर्म हवायें चलने और रत्तुवा रोग के कारण गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा था उर्वरकों की कमी थी और जलाशय तथा तालाब सूख गए थे। अभूतपूर्व निरन्तर सूखे के कारण खुदे कुओं और नलकूपों में भौम-जलस्तर निम्न रहा। बिजली की भी कमी थी क्योंकि बिजली पैदा करने वाले केन्द्रों को पानी पहुंचाने वाले जलाशय सूख गए थे। रबी में ज्वार पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में लगातार सूखे से यह फसल लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। इन सभी कारणों से गत वर्ष से 1972-73 में रबी का उत्पादन लगभग 38 लाख मीटरी टन कम रहा। चूंकि वस्तुत: उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी, अत: आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन का मूल्यांकन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई शीघ्र तैयार होने वाली लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए सृजित की गई सिंचाई सुविधायें बाद के वर्षों में फसलों की सिंचाई करने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है।

Shri Jagannathrao Joshi : In the statement placed on the table, details of the expenditure incurred on emrgency agricultural production programme statewise has been given but in reply to the other part of my question is the value and the quantum of production increase as a result thereof, the hon. Minister has agreed that in spite of such a huge expenditure production has not increased in any of the State. Public Accounts Committee has also said in its report that "in no State was the EAPP target for increased production achieved". It is correct that there was shortage of fertilizers and at certain places reservoirs were dry. But, was this the position everywnere in the country right from Jammu and Kasnmir to Kerala and Tamilnadu ? Production could not be increased even after the huge expenditure incurred for the purpose. What are the reasons ? This vague reply will not do. I have asked about each State.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहाँ तक पूंजीनिवेश का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात को समझने के लिए काफी बुद्धिमान हैं कि सामान्य रूप से योजना के अन्तर्गत हम काफी बड़ी राशि व्यय करते हैं। उदाहरण के लिये, हम छोटी सिंचाई योजनाओं तथा अन्य बातों पर 250-300 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उत्पादन बढ़े क्योंकि देश में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सिंचाई सुविधायें नहीं हैं और भूमि की सिंचाई नहीं हो पाती हैं। यदि वर्षा नहीं होती है, यदि बिजली की कमी हो जाती है तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु माननीय सदस्य को इस बात की सराहना करनी चाहिये, कि 1966 के सूखा के वर्ष में उत्पादन में 150-170 लाख टन की कमी हुई। परन्तु इस समय, उत्पादन में केवल 81.20 लाख टन की कमी हुई है। उत्पादन क्षमता बनाई जा रही है। जहाँ तक राज्यवार उत्पादन आंकड़ों का सम्बन्ध है, कुछ राज्यों में उत्पादन बढ़ा है। कुछ राज्यों में उत्पादन घटा है। मैं माननीय सदस्य को राज्यवार जानकारी दे सकता हूं। परन्तु इसमें सभा का समय लगेगा। मैं माननीय सदस्य को विवरण देने के लिये तैयार हूँ।

Shri Jagannathrao Joshi : It has been mentioned in the statement that irrigation facilities which had been created through implementation of the quick maturing minor irrigation schemes taken up under the EAPP have proved very useful in providing irrigation in subsequent years. The target of irrigation for the amount invested on minor irrigation schemes in Andhra Pradesh was the irrigation of 61000 Acre land. But the land actually irrigated is 5093 acres and the reason stated for not achieving the fixed target is that there were disturbances and strikes in Andhra at that time. But I would like to know whether there will be any increase in production when minor irrigation facilities will be available in the year 1973-74. There was no increase in the year of disturbances and strikes but what about thereafter ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : राजनैतकि अस्थिरता का विकासशील गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है और मेरे विचार से माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे। वर्ष 1973-74 में आंध्रप्रदेश में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। यह मुख्यतया केवल इस कायक्रम से ही नहीं हुई। प्राकृतकि परिस्थितियां अनुकूल रही तथा इस कार्यक्रम का भी कुछ योगदान मिला

Shri Jagannathrao Joshi : What about irrigation target of 61,000 Acres of land ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। राजनैतिक अस्थिरता का इस पर प्रभाव पड़ा है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मंत्रीमहोदय ने स्वीकार किया है कि क्योंकि उत्पादन प्रत्यक्षत: नहीं बढ़ा है, तब आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने के परिणाम-स्वरुप अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य बताने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें आशा है कि भविष्य में इसके परिणाम प्राप्त होंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि आसाम में 2,20,000 रुपये की राशि लघु सिंचाई योजना पर व्यय की गई है, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आसाम में कितने नलकूप खोदे गये हैं।

गैर-उत्पादन के लिए मंजूर की गई 151 करोड़ रुपये की धनराशि के परिणाम-स्वरुप क्या देश में मुद्रास्फीति के फैलने की सम्भावना नहीं है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस समय वह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितने नलकूप खोदे गये। परन्तु यदि उपयुक्त सूचना दी जाये, तो यह जानकारी उपलब्ध करवाना सम्भव है। जहां तक व्यय की गई धनराशि का प्रश्न है, इससे आसाम में उपयुक्त सिंचाई क्षमता बनाई गई है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : गैर-उत्पातन के लिए मंजूर की गई 151 करोड़ रुपये की धनराशि के बारे में आपने कुछ नहीं बताया?

श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे: मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यह बहुत ही लाभप्रद तथा उत्पादन पूर्ण पूंजोनिवेश है। यद्यपि इसमें कुछ विलम्ब हुआ तथा कुछ कठिनाइयां रहीं परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि ऐसा करना ठीक नहीं था।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री महोदय ने विवरण में महाराष्ट्र तथा मैसूर के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। संयोगवश मैं यहां उन्हें यह बता दूं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसका नाम "मैसूर" है। इसका नाम कर्नाटक है—मैं नियम 115 के अधीन मलतबयानी का मामला नहीं उठा रहा हूं। लिखित विवरण में यह बात कही गई है कि महाराष्ट्र के लिए 24.963 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी, जोकि सारी की सारी खर्च कर दी

गई और कर्नाटक के लिए 6.389 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी जिसमें से केवल 5.299 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये। क्या यह सच है कि कर्नाटक के लिए मंजूर की गई सम्पूर्ण धनराशि को इसलिए खर्च नहीं किया गया है क्योंकि कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ सीमांत क्षेत्र विवादग्रस्त है और राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई धनराशि को खर्च करने में संकोच करती रही है? यदि ऐसा हो रहा है तो क्या केन्द्र इसमें हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि मंजूर की गई धनराशि के सीमांत क्षेत्रों पर ही खर्च किया जाये क्योंकि अभीतक सीमांत क्षेत्र के लोगों की यह शिकायत रही है कि उनकी अवहेलना की जाती रही है?

विचाराधीन सीमांत विवाद के आर्थिक परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज इन लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आया हुआ है। इसे दृष्टिगत रखते हुये क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी की जो भी धनराशि मंजूर की जाती है, वह वास्तव में खर्च भी की जाए?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कर्नाटक द्वारा सम्पूर्ण धनराशि खर्च नहीं की गई है, परन्तु क्या यह धनराशि सीमांत क्षेत्रों से ही सम्बद्ध है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कोई नहीं कह सकता कि यह धनराशि पूर्णतया सीमांत क्षेत्रों में ही लगाई जानी थी, परन्तु मैं यह पता लगाने का प्रयत्न करुगा कि यह पुंजीनिवेश कहां किया जाना था?

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो मैंने पता लगा लिया है; और तभी तो मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं इस जानकारी के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं परन्तु कम से कम मुझे तो इस की जानकारी नहीं है।

Shri Narsingh Narain Pandey : A few days back, it was stated by the hon. Minister that 40 lakhs acres of land is such which needs utilisation, so in view of the increased production drive in the country, I want to know whether this land has been included in the scheme and if not, whether there is any proposal to include it?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मूल प्रश्न आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम से सम्बद्ध है परन्तु यह तो एक अलग प्रश्न है। इसे सुझाव कहा जा सकता है।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी धनराशि खर्च किये जाने के बावजूद भी, उस वर्ष विशेष में खरीफ की सफल का उत्पादन 44 लाख टन कम हुआ, जैसा कि विवरण में बताया गया है और जहां तक रबी की फसल का सवाल है, यह 38 लाख टन कम हुई। माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह भी बताया गया है कि अगामी कुछ वर्षों में इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देशभर में 250 करोड़ रुपये की धनराशि लगाये जाने के बाद भी, क्या वर्ष 1973-74 में कृषि उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह बात तो सभी जानते हैं कि उन वर्षों में खराब मौसम के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई।

श्री बी० के० दासचौधरी : योजना के बारे में क्या हुआ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : योजना विशेष के सन्दर्भ में अनुमान लगा पाना तो बहुत कठिन है परन्तु यदि हम समूचे देश को दृष्टिगत रखते हुये, राज्यवार आंकड़ों को देखें, तो हमें मालूम होगा कि जहां जहां मौसम खराब रहा, वहां उत्पादन में गिरावट आई और जहां मौसम

खराब नहीं रहा, वहां उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः यह पूर्णतया इसी कार्यक्रम पर ही निर्भर नहीं रहा। ऐसा अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है क्योंकि आंकड़े इस आधार पर तैयार नहीं किये जाते हैं।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में महालेखा परीक्षक द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में, मेघालय सहित अन्य राज्यों द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है ? महालेखा परीक्षक के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : महालेखा परीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ, उन्होंने कहा है कि 10 अगस्त, 1972 को कार्यक्रम के लागू किये जाने से पूर्व ही आरम्भ की गई लघु सिंचाई योजनाओं पर हुये खर्चे को भी आपात-कृषि उत्पादन कार्यक्रम में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार के सात मामलों का उल्लेख किया गया है।

श्री समर गुह : कुछ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतों का उल्लेख भी किया गया है और उन्हें इसके बारे में सदन को सूचित करना चाहिये।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं इसके बारे में विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

Shri Bhagatram Rajaram Mankar : Last time Shri Shinde when he was on tour of Raipur had declared in a meeting of workers that sum of rupees 100 crores will be given to Chatisgrah under tne Emergency Agricultural Production Programme. Chhatisgrah has suffered the worst drought of the century I want to know from hon. Minister when this amount. of Rs 100 crores in being made available of Madhya Pradesh Government so that this amount could be utilized for relief works under emegency Agricultural Production Programme ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : एक समय ऐसा था जब कि भारत सरकार ऊंची क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही थी। बाद में हमें मालूम हुआ कि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था और वित्तीय संसाधन हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते और मैं समझता हूं कि अब इस प्रकार का कार्यक्रम बनाना हमारे लिए संभव नहीं होगा।

दालों की फसलें

486 श्री पी० गंगा देव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों की फसलों के बारे में विचार विमर्श करने हेतु विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कृषि वैज्ञानिकों की 30 सितम्बर, 1974 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या चर्चाओं के दौरान पौधा-बनावट-क्रियाविज्ञान तथा नाइट्रोजन निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या दालों की बहुत सी फसलों के कम उत्पादन के कारणों पर भी विचार किया गया; और

(घ) क्या इन फसलों के बारे में अनुसंधान के प्रति नये दृष्टिकोण अपनाने हेतु किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों पर भी विचार किया गया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी सलाहकार दल की तकनी की सलाहकार समिति ने दलहनी फसलों की पैदावार की जविकी पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल की बठक बलाई थी। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के 24 वैज्ञानिकों के भाग लिया था। यह बठक नयी दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, में 30 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1974 तक चली।

(ख) जी, हां। पौध संरचना और उपज क्षमता पर इसके प्रभाव, पुष्पण, फल और बीज विकास के शरीर क्रिया विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण की कुशलता और इस तरह के प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के वितरण एवं दलहनी फसलों द्वारा छोड़े गये नाइट्रोजन के विभिन्न पहलूओं आदि विषयों पर विचार किया गया।

(ग) परीक्षणात्मक और आम कृषि स्थितियों में विश्व के विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में दलहनी फसलों की उत्पादकता में अन्तर, इस क्षेत्रीय भिन्नता के कारण और अनुसंधान प्लाटों और खतों की पैदावबार मे भिन्नता तथा दलहनी फसलों एवं खाद्यान्न फसलों की आपेक्षिक उपज क्षमता जैसे विषयों पर विचार किया गया।

(घ) जी, हां। कार्यकारी दल ने इस क्षेत्र में व्यावहारिक और बुनियादी अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और अल्प अवधि वाली तथा उन अनेक स्थानों में दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जहां इनकी उपज को सीमित करने वाले कारणों या कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिक अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है, आवश्यकता कार्रवाई का भी संकेत दिया है।

कार्यकारी दल के प्रमुख निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(1) कुशल कृषि व्यवस्था पद्धतियों वाले विकसित देशों में भारत व अन्य विकासशील देशों की तुलना में जहां कम उपज वाले वातावरण तथा घटिया व्यवस्था के अंतर्गत दलहनी फसलें उगायी जाती हैं, दलनी फसलों की काफी अधिक उपज प्राप्त की गयी है। जिन दलहनी फसलों पर अधिक अनुसंधान किय गये हैं, उनसे औसत उपज अधिक मिली, जबकि कम अनुसंधान वाली फसलों की औसत उपज कम थी।

(2) कार्यकारी दल ने पाया कि अनुसंधान केन्द्रों और किसानों के खेतो में प्राप्त उपज में बहुत अंतर था। उपज के इस अंतर के मुख्य कारण साधनों को उपलब्धता, कृषि कार्य सम्बन्धो पर्याप्तप्रबन्ध व्यवस्था और बीज की क्वालिटी, विशेषत: बीज द्वारा फैलने वाले रोगो की दृष्टि से बतलाये गये। कार्यकारी दलने अनुभव किया कि अबतक उपलब्ध जानकारी और किस्मों से ही दहलनी फसलों की उपज और उत्पादकता में सुधार करने की विकासशील देशों में बड़ी गुंजाइश है।

जितना प्राप्त किया जा रहा है और जो उपलब्ध किया जा सकता है, इसके बीच की खाई को दूर करने के लिए कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय सरकारों की सेवाओं और उन नीतियों के तालमेल से एक ऐसा एक मुश्त कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिससे वैज्ञानिक पकेज की जरूरतें दूरी की जा सकें। खेतों तक जाने वाले विस्तार कार्यकर्ताओं को

प्रशिक्षण देने के लिए उपज मूलतः प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन भी तैयार किया जाना चाहिए। प्राप्त जानकारी को किसानो के खेतों तक किस हद तक पहुचाया गया है, इस पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका भी प्रकाशित की जारी चाहिए।

(3) अनुसंधान और व्यवहार के बीच के अन्तर को मिटाने के लिए ओर इस प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार में सामाजिक आर्थिक कोई बाधा होतो, उसका पता लगाने के लिए, कार्यकारी दल ने सलाहकार दल के द्वारा परिचालनात्मक अनुसधान प्रायोजनाए चलाये जाने की सिफारिश की है। इन प्रायोजनाओं में तमाम गांवो या विकासशील देशों के उन बड़े इलाको को शामिल किया जाना चाहिए, जहां मानव-पोषण में दालों का महत्वपूर्ण स्थान है।

(4) ऐसे इलाकों का पता लगाया गया, जहां निवेशों और प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जाने के बाद दलहनी फसलों की अद्यतन अधिकतम उपज की सीमा से अधिक उपज लेने के लिए मौलिक उद्देश्य पर अनुसधान की जरुरत है। इस दिशा में राष्ट्रिय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमो तथा विकासशील और विकसित देशो की संस्थाओं के परस्पर सहयोग से प्रयास करने की सभावना और आवश्यकता को भी इंगित किया गया है।

(5) कार्यकारी दल ने इस बात की भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सरकारें ऐसी स्वतन्त्र प्रबोधक एजेन्सियां स्थापित करें जो इसबात का ध्यान रखें कि किसानो को दिये जाने वाले जीवाणु कल्चर निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी के हो।

(6) यह सिफारिश की गयी कि जनन द्रव्य को एकत्र करने और इससे संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी विश्वभर के देश सम्मिलित रूप से वहन करें और इस कार्य को अन्तर्राष्ट्रीय अनसधान संस्थानों के सहयोग से विकासशील और विकसित देशो की उपयुक्त प्रयोगशालाओं में किया जाय। ऐसे संस्थानो में से भारतीयकृषि अनुसंधान संस्थान एक है जो इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

श्री पी० गंगादेव : क्या दालों के लिए संकर बीजों का विकास भी किया गया है और यदि हां तो ऐसी दालां कौन कौन सी हैं, जिनमें इसका विकास किया गया है तथा आम फसल की तुलना में उनकी उपज क्या रही है ?

श्री अण्णसाहेब पी० शिन्दे : फसलों के बारे में मुख्य रूप से दो मुख्य विकास हुये है : अल्पकालीन फसल और अधिक उपज वाली किस्म। जहां तक मूंग का प्रश्न है, अल्पकालिन बेकालीन मूंग का उत्पादन संतोषजनक रहा है। इसका समूचे देश पर समग्र रूप से प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इसके अन्तर्गत बहुत थोड़े भूमि लाई गई।

श्री पी० गंगादेव : क्योंकि सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने वाले बीजों से अक्सर अंकुर नही फूटते हैं और फसलों पर छिड़की जाने वाली कीटाकुनाशक दवाईयां कीटो का नाश करने में असफल रहती हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्हीं दो कारणो के फलस्वरूप देश में दालों को उपज कम होती है और यदि हां, तो इन त्रुटियो को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किन उपायों पर विचार विमर्श किया गया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस समस्या पर विचार किया जा रहा था। ऐसा पता चला है कि हमारे देश में केवल नाममात्र तथा गैर सिंचाई वाली भूमि पर ही डालों की फसल बोई जाती है और यहि कारण है कि उपज कम होती है। अच्छी किस्म के बीजो का उपलब्ध न होना तथा फासफेटस का उपयोग न करने को भी कम फसल के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है।

ग्रामीण क्षत्रों में आवास योजनाओं पर किया गया व्यय

*488. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या के बारे मे 29 अप्रैल, 1974 के आतारांकित प्रश्न संख्या 8629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगें कि ग्रामोण क्षेत्रों में आवास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्य वार कितना व्यय किया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : ग्रामीण आवास परि-योजना स्कीम राज्य क्षेत्र में है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किये गये अद्यतन व्यय सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना 31 मार्च, 1974 तक केन्द्रीय क्षेत्र में थी। इस योजना को 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान दी गई धनराशियों का एक विवरण पत्र सभा पट पर रखा है। राज्य सरकारों को 1971-72 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि नहीं दी गई थी। राज्य सरकारो ने, इस योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय के बारे में अद्यतन सूचना नहीं भेजी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारो को 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.78
2.	बिहार	15.71
3.	गुजरात	76.65
4	हरियाणा	0.06
5.	हिमाचल प्रदेश	0.38
6.	कर्नाटक	59.84
7.	केरल	358.44
8.	मध्य प्रदेश	49.91
9.	महाराष्ट्र	41.14
10.	उड़ीसा	2.10
11.	पंजाब	16.56
12.	राजस्थान	7.19
13.	तमिलनाडु	56.64
14.	उत्तर प्रदेश	7.71
15.	पश्चिम बंगाल	4.85
	कुल	729.96

श्री समर गुह : यद्यपि हरिजनों, गरीब अल्पसंख्यको और आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और अभी कलही लखनऊ में भाषण देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय व्यय का अधिकांश भाग ग्रामोण लोगो पर खर्च करने जा रहे हैं। गत शुक्रवार को मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि जीवन बीमा निगम द्वारा आवास निर्माण के लिए वर्ष 1971-72 में 82 करोड़, वर्ष 1972-73 में 94 करोड़ तथा वर्ष 1973-74 में 115 करोड़ रुपया खर्च किया गया परन्तु यह सारा रुपया केवल नगरीय लोगों पर ही खर्च किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और क्या यह भी सच है कि ग्रामीण लोगो के लिए हमने बहुत बार मगरमच्छ के आंसू तो बहाये हैं। परन्तु जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण लोगो के लिए कुछ भी नहीं किया गया है?

श्री मोहन धारिया : यह ठीक है कि अभी तक ग्रामोण आवास कार्य को अपेक्षित प्राथमिकता नही दी गई है और अभी तक केवल 55,000 ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार तो 1.96 लाख आवास भूखंडो का विकास कर, पहले ही उन्हें दिया जा चुका है। सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजीनिवेश करने की नीति पर पुर्नविचार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के लोगो के कल्याण के लिए पूंजोनिवेश किया जा सके।

श्री समर गुह : वितरण में बताया गया है कि वर्ष 1971-72 के दौरान राज्य सरकारों से धनराशिका वितरण नहीं किया गया था। वर्ष 1972-73 में भी उन्हें जो कुछ दिया गया है वह संचित समेकित धनराशि के रुप में है। आपने यह भी कहा है कि, "राज्य सरकारों ने, इस योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय के बारे में अद्यतन सूचना नहीं भेजी है।" केन्द्र सरकार अनेक अवसरो पर यह कह चुकी है कि वह ग्रामीण आवास योजनाओ विशेषतया भूम्हिीन लोगो के बारे में चिंतित है। यदि यह ठीक है तो सरकार कबतक सदन को यह जानकारी दे देगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के भूम्हिीन लोगो के लिए मंजूर की गई धनराशि में से कितनी खर्च कर दी गई है?

श्री मोहन धारिया : हम यह जानकरी मंगवायेंगे इसके साथ ही हमने योजना आयोग के साथ पहले ही सके बारे में विचार विमर्श कर लिया है कि जबभी वार्षिक योजनायें बनाई जा रही हों, ऐसी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : सभा को दी गई जानकारी अपर्याप्त है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 48 करोंड़ जनता के लिये केवल 55,000 मकान बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अकार्यकुशलता अपर्याप्तता और हरिजनों, गरीब भूमिहीन व्यक्तियों जिनको संख्या इस देश में 20 करोड़ है, के हितों की रक्षा करने के लिये संविधान में निदेशक सिद्धान्तो का उल्लंघन किये जाने के बावजूद, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1974 को इस योजना को राज्य सरकारों को क्यो सौंप दिया? क्या इसका कारण अकार्यकुशलता है या कोई और असफलता?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : आवास मंत्रालय के इस बात पर जोर दिये जाने के बावजूद कि यह परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में रहनी चाहिये राष्ट्रीय विकास परिषद ने उसे राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करनेका निर्णय किया था। अब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि इस परियोजना को राज्य सरकारों ने क्रियान्वित करना है तो इस काम के लिये विशेष रुप से अलग धनराशि नियत की जाये और इसी क्षेत्र में खर्च की जाये। हम सम्बन्धित मंत्रियों को इसपर ध्यान देने के लिए पुनः कहेंगे।

3—44 LSS(ND)/74

डा0 महिपतराय मेहता : मंत्री महोदय ने बताया है कि योजना को क्रियान्वित करने की जुम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। गुजरात राज्य में, जहां राष्ट्रपति का शासन है वर्षों से ग्राम आवास बोर्ड काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद उसको कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है और उस राशि का किसी प्रकार उपयोग किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछे रहे हैं जिसके लिये अलग नोटिस दिया जानी चाहिये।

डा० महिपतराय मेहता : गुजरात में इस समय राष्ट्रपति का शासन है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

श्री नुरुल हुडा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण से पता चलता है कि मेरा राज्य आसाम और त्रिपुरा भी इस सूची में सम्मिलित नहीं है केवल पश्चिम बंगाल में लगभग 4 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा की वर्ष 1972-73 और 1973-74 में त्रिपुरा और आसाम में ग्राम्य आवास पर एक पैसा भी खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं और पश्चिम बंगाल में केवल 4 लाख रुपये ही खर्च किये जाने के क्या कारण है और वह राशि किन योजनाओं पर खर्च की गई है?

अध्यक्ष महोदय : यही बात डा० महिपतराय ने गुजरात के बारे में पूछी थी। आप सामान्य रुपसे पूछ सकते हैं।

मंत्री महोदय सामान्य रूमसे उत्तर दे दें। वह गुजरात के सम्बन्ध में भी सामान्य रूप से बता दें।

श्री मोहन धारिया : उस योजना के अधीन राज्य सरकारो से कहा गया था कि वह भूमिहीन कृषि श्रमिकों को वास भूमि-अधिकार दें। जिन राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कानून पास किये थे उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सकता था। अब यह योजना राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दी गई है। इसीलिये इनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया।

डा० महिपतराय मेहता : मेरा प्रश्न यह नहीं था। गुजरात अब राष्ट्रपति का शासन है। केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिये।

श्री मोहन धारिया : माननीय सस्दय के प्रश्न के बारे में अलग नोटिस अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय आप इसका पता लगा कर जानकारी इन को भेज दें।

Shri Ram Bhagat Paswan : I know personally that no landless person has been benefited in Binar not any assistance has been given. I had written letters personally that landless persons should be given some benefit under this scheme. Will the hon. Minister be pleased to state the number of landless persons of Bihar who have been given assistance under this scheme and the number of persons for whom housing facilities are being provided ?

श्री मोहन धारिया : इसके लिये अलग नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री प्रीय रंजन दास मुन्शी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यो को वित्तीय सहायता देने के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय तथा भारत सरकार की युक्तियुक्त नीति क्या है क्योंकि विवरण में उत्तर प्रदेश का नाम है जोकि देश का सब से बड़ा राज्य है, आसाम का बिल्कुल उल्लेख नहीं है, पश्चिम बंगाल भी केरल

जैसा समस्यापूर्ण राज्य है, उड़ीसा भी पिछड़ा हुआ राज्य है जिसके लिये बहुत कम राशि दी गई है। इस लिये मैं सहायता के नियतन का युक्तिसंगत आधार अथवा सिद्धान्त जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारें गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट धनराशि नियत करने के लिये कहती रही हैं ताकि वे भूमिहीन किसानों को मांगे पूरी कर सके क्योंकि उनके द्वारा मंजूर की गई 4.85 लाख रुपये की राशि एक जिले की आवास योजना के लिये भी पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय दो वर्ष तक योजना मंत्रालय में रहे हैं। आप कृपया बतायें कि क्या एक जिले या तालुके के स्तर की भूमिहीन श्रम आवास योजना 4.85 लाख रुपये की राशि से पूरी हो सकती है ?

श्री मोहन धारिया : केन्द्रीय सरकार ने एक ही दिन सभी राज्य सरकारों को यह योजना भेजी थी। उन्होंने एक ही दिन राज्य सरकारों से कहा था कि कृषि श्रमिकों को वास-भूमि-अधिकार दिये जायें। जो राज्य सरकारें सक्षम और दक्ष है उन्होंने इसका लाभ उठा लिया है और अन्य राज्यों ने उसका लाभ नहीं उठाया। राज्य सरकार को अधिक दक्ष होना चाहिये।

भारत में सिंचाई संबंधी सम्मेलन

*489. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सम्मेलन में प्रशासकों इंजीनियरों तथा समाजकि वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों में बताया गया है की भारत में सिंचाई के मामले में बहुत अव्यवस्था है;

(ख) क्या सार्वजनिक सिंचाई में हमेशा घाटा होता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने घाटा दुर करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) इस सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए कुछ लेखों में सिंचाई विकास से संबंधित निम्नलिखित मुख्य विषयों पर प्रकाश डाला गया :—

(1) यथार्थ जल दरों तथा उनके समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता।

(2) नहरों और वितरण नालियों के कारण जक-जमाव, जल-निस्यंदन और लवणता।

(3) जल-निकास और उपयुक्त भूसुधार तकनिको के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता।

(4) कुशल जल प्रबंध को आवश्यकता।

(5) नदी घाटो वाह क्षेत्रों में भू-जल तथा भू-संरक्षण कार्यों के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण।

(6) सिंचाई प्रणालियों में जल सप्लाई की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए अधिक सही आंकड़ों को एकत्र करना।

(7) अधिकतम उत्पादन करने के लिए कमानमत क्षेत्र का विकास।

यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान कृषि-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में अनेक पुरानो नह प्रणालिया कुशलतापूर्वक पर्याप्त जल सप्लाई की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। उनके आधुनिकीकरण और अधिक कुशल बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वियन राज्य सरकारो द्वारा उनके समग्र विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। पिछले कुछ समय से सिंचाई परियोजना को आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन लाभ लागत के अनुपात के आधार पर दिया जाता है जिसमें बढ़े हुए कृषि उत्पादन के मूल्य तथा इसके साथ-साथ परियोजना को वार्षिक वित्तीय जिम्मेदारियो पर विचार किया जाता है। बहरहाल, सिंचाई परियोजनाओं से राजस्व को प्राप्ति न्यून होती है, जिसका मूख्य कारण बहुत कम जल दरें लागू करना है। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारो से जलदरे बढ़ाने और जहां पर अनुज्ञेय हो विकास कर एकत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम वित्तीय प्राप्तियों के अन्य कारण ये हैं :—

(क) सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होंने की लम्बी अवधियां।

(ख) निर्मित सिंचाई शक्यता का न्यून समुपयोजन।

(ग) परियोजना के निर्माण और प्रचालन की लागत में वृद्धि।

राज्य सरकारें समय-समय पर जल दरें बढ़ाती रहती हैं। बहरहाल, यह बड़ोत्तरी पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकारों पर यह भो जोर दिया गया है कि इस समय चल रही स्कीमों को यथा संभव न्यूनतम समय में पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें। निर्मित शक्यता का तीव्र गति से समुपयोजन करने के उद्देश्य से आवश्यक उपाय हाथ में लेने हेतु वृहत् परियोजनाओं पर कमानगत क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का भी गठन किया जा रहा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह विवरण सामान्य सरकारी विवरण लगता है। ऊक्त गोष्ठी से एक दुखःद तथ्य सामने आया है। चर्चाओ से पता चला है कि सिंचाई योजना ओ के संचालन में सरकार अपनी अकुशलता के कारण 50 प्रतिशत से अधिक पानो व्यर्थ जाने देती है। मैंने सचमुच सोचा था कि इस पर सरकार में प्रतिक्रिया होगी। मैं इस पर सरकार को प्रति क्रिया जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं समझता हूं कि 'व्यर्थ' शब्द का उपयोग समुचित नहीं है। वास्तव में हुवा यह है कि जलाशय का बहुत सा पानी सूख कर कम हो जाता है। उसे हम कैसे रोक सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : कितना ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : 10 से 15 प्रतिशत। फिर जिस नहर में पानी बहता है उसमें पानी रिसने से भो कम होता है। नहरो को पक्का बनाना प्रभावी उपाय है परन्तु उस पर भारी व्यय होता है। सदस्यों को स्त्रोतो की स्थिति ज्ञात है। बेशक सरकार ने सिध्दान्त के रुप में स्वीकार कर लिया है परन्तु इससे अन्य विकास कार्यों, सिंचाई कार्यों को क्षति पहुंचेगी। हमें सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना होता है। यह हानियाँ क्षति नहीं हैं, यह नहरों की संरचना के कारण घटते हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में जहां कि नहरो की खुदाई होती है तथा जहां सैलाबी सतह है जल की अधिक क्षति होती है। नहरी वितरण पद्धति में हानिया होती हैं। परन्तु सरकार इससे अवगत है और इस नहरों के लिए धन उपलब्ध होने पर उन्हें पक्का करना चाहते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण के पृष्ठ 2 पर सरकार ने बताया है : "तैयार की गई सिंचाई क्षमता के उपयोग में अंतर है।"

मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि "तैयार सिंचाई क्षमता के पूरी तरह उपयोग में न लाये जाने का क्या अभिप्राय है ? और यदि वास्तव में ऐसा है तो पानी के पूरे स्रोतों को उपयोग में लाने के लिये सरकार का क्या सुझाव है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह वास्तव में महत्वपूर्ण समस्या है। यह अंतर इस प्रकार है कि जब क्षमता निर्मित हो गई है तब उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अखिल भारतीय स्तर पर पानी का उपयोग किये जाने का प्रतिशत 84 प्रतिशत है परन्तु कुछ विशेष स्थानों पर पानी का उपयोग बहुत कम है। इसलिए सरकार ने 50 नहरी कमांड प्राधिकरणों की व्यवस्था की है ताकि पानी का पूरा उपयोग हो सके और कई और उपाय भी किये जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Representation against Planning of Eucalyptus Trees in Amlai and other Tribal areas of Madhya Pradesh

*475. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the authority on whose orders the Manager, Paper Mills, Amlai is planting eucalyptus trees in Amlai and the other tribal areas in district Shahdol, M.P. on the land of the tribals, which is the only means of their subsistence;

(b) whether the adivasis of the area have in protest submitted a memorandum to the Prime Minister and the Chief Minister; and

(c) whether a decision has been taken to stop the above plantation keeping in view the position stated above ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) State Government have reported that eucalyptus has been planted in leased or reserved forest areas and no tribal or private land is involved.

(b) It has not been possible yet to trace any Memorandum or representation filed by or on behalf of Adivasis in this matter, to the Prime Minister or to the Chief Minister, Madhya Pradesh.

(c) The State Government have reported that the Mills have not in fact raised plantations for the last two years for want of land.

मध्य प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों को अविकसित प्लाटों का आबंटन

* 477. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को अविकसित प्लाटों के आबंटन का कार्य लगभग पूरा हो गया है और उनके मन्त्रालय से सहायता अनुदान की पूरी राशि मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल की योजना 1 अप्रैल 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार को 1974-75 में निधियां देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

*478. **श्री भानसिंह भौरा :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या पंजाब सरकार राज्य में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस खरीफ मौसम के अनाजों की अधिप्राप्ति शुरू करने में कुछ देरी करने और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में अपना रोष भारत सरकार से हाल ही में अभिव्यक्त किया है। भारतीय खाद्य निगम से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई है और यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में पांचवी योजना के दौरान चीनी मिलों की स्थापना

*480. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पांचवीं योजना में 26 चीनी मिलों की स्थापना की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मिलें सहकारी क्षेत्र में, कितनी सरकारी क्षेत्र में और कितनी गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगी और विभिन्न जिलों में इन्हें कहां कहां पर स्थापित किया जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश में 26 नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने के लिए पांचवीं योजना और इस पूर्व अवधि के दौरान आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन फैक्ट्रियों ने अभी उत्पादन प्रारम्भ करना है।

(ख) इन जारी किए गए 26 आशय पत्रों/लाइसेंसों में से 21 सहकारी सेक्टर, 4 सरकारी सेक्टर और एक निजी सेक्टर में है। एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें प्रस्तावित फैक्ट्रियों का स्थान तथा जिले दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8760/74]**

विभिन्न फसलों की भूमि का क्षेत्रफल

*481. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) सारे देश में, राज्य-वार, कितने एकड़ भूमि पर खेती हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न फसलों की काश्त के लिए-योग्य भूमि का वर्गीकरण करके वर्ष 1974-75 के लिए फसल-वार काश्त की एक योजना तैयार की है; और यदि हां, तो खेती वाली भूमि का फसल-वार क्षेत्रफल क्या है;

(ग) उक्त योजना को रूप-रेखा क्या है ; और

(घ) इस योजना की क्रियान्विति के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8761/74]**

Fall in Tobacco Production

***484. Shri Mahadipak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agrioulture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the production of tobacco has declined during 1973-74 compared to 1972-73;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to provide any facility to farmers to increase its production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture amu Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir. The estimated production of tobacco in 1973-74 was 441.4 million Kg. as compared to 372.2 million Kg. in 1972-73

(b) Does not arise.

(c) Under the Centrally Sponsored Scheme for the Development of Virginia Flue Cured Tobacco to be implemented in the Fifth Plan, it is proposed to provide, besides technical guidance, subsidies on seedlings, construction of barns etc. to the farmers to increase its production.

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के विचार

***485. श्री आर० के सिन्हा :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 7 नवम्बर, 1974 को फरीदाबाद में भारत स्काउटस एण्ड गाईड्स की सातवीं अखिल भारतीय जम्बूरी का उद्घाटन करते हुए तेजी से बदलते हुए समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बिलकुल ही नयी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया था ; और

(ख) उनके मंत्रालय ने इस बारे में क्या प्रस्ताव तैयार किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) प्रधान मंत्री ने कहा था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में बहुत सी कमियां हैं और इसमें और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में बहुत से कदम उठाये गये हैं और बहुत से कदम और उठाये जा रहे हैं । इसके माइने यह नहीं है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में कोई गुण नहीं है । इसी शिक्षा पद्धति से बहुत से योग्य इंजीनियर, कलाकार, आदि निकले हैं ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8762/74]**

Cattle Insurance

*487. **Shri R. V. Bade:** Will the Minister of **Agricultural and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a decision in regard to the cattle insurance was taken in March, 1973; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) No decision regarding introduction of cattle insurance scheme on a national scale was taken in March, 1973. However, a 4 subsidiaries of General Insurance Corporation have been transacting the business of cattle insurance on selective basis. Proposals are considered by them for insurance in respect of milch cattle/buffaloes belonging to organised dairies as well as individual farmers who are financed by credit institutions provided animals are located in areas where adequate veterinary services and milk marketing facilities are available.

स्कूल जाने की आयु में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चे

*490. **श्री वी० मायावन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा की प्रस्तावित नई योजना में क्या इस समस्या के समाधान हेतु कोई व्यवस्था की जायेगी कि बच्चे स्कूल जाने की आयु में पढ़ाई न छोड़ें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों, विशेषरूप से लड़कियों द्वारा पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा जारी रखने में असमर्थता उन बच्चों के लिए, जो अंशकालिक आधार पर पढ़ाई छोड़ कर चले जाते हैं, अपना अध्ययन फिर से शुरू करने के लिए अथवा उन छात्रों के लिए जो एक अथवा दो विषयों में रुचि न होने के कारण अन्य विषयों का अध्ययन जारी रखने में असमर्थ हों, व्यवस्था करने के लिए स्कूल पद्धति की असमर्थता भी उल्लेखनीय है ।

2. प्राथमिक शिक्षा को परम्परागत प्रणाली को निम्नलिखित आधार पर संशोधित किया जाना है :

(1) एक-बार प्रवेश प्रणाली के स्थान पर बहुस्तरीय प्रवेश प्रणाली लागू की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में 9, 11 अथवा 14 वर्ष के पुराने बच्चे अलग-अलग कक्षाओ में, विशेषरुप से उनकी आवश्यकताओं के लिए आयोजित कक्षाओ में दाखिला ले सकेंगे ।

(2) आनुक्रमिक पद्धति समाप्त होनी चाहिए और पुराने बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में किसी भी समय दाखिला लेना तथा उन्हें अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन अवधि में पूरा करना सम्भव होना चाहिए ।

(3) पूर्णकालिक संस्थागत शिक्षण पर ही बल दिए जाने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर अंशकालिक शिक्षा का एक ऐसा वृहत कार्यक्रम होना चाहिए जो ऐसे बच्चो के लिए उपयुक्त हो जिन्हें काम करना पड़ता है ।

(4) पूर्णकालिक व्यावसायिक शिक्षकों के उपयोग पर एकमात्र बल समाप्त किया जाना चाहिए। स्थानीय समाज में उपलब्ध सभी शिक्षण संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा अंशकालिक स्थानीय शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों की सेवाओं का भी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णत: उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) प्राथमिक स्कूलों और पूर्व-स्कूलों के बीच कोई कड़ी सीमा नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को जिन्हें नव-शिशुओं को देख रेख करनी पड़ती है, उन्हें स्कूल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उनकी देख रेख पूर्वस्कूल अथवा प्राथमिक स्कूलों से सम्बद्ध तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन के अधीन बारी-बारी से स्वयं लड़कियों द्वारा व्यवस्थित शिशु सदनों में की जा सकती है। इससे अत्यन्त कम अतिरिक्त लागत पर एक महत्वपूर्ण सेवा प्राप्त हो सकेगी और निर्धन परिवारों से आने वाली लड़कियों में शिक्षा के प्रसार में पर्याप्त रूप से सहायता मिलेगी।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की जाने वाली भाषायें

***491. श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिन्हें निकट भविष्य में साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी जायेगी ; और

(ख) भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए अकादमी द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :(क) अकादमी ने, नेपाली भाषा को एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने का हाल ही में निर्णय किया है। कोंकणी को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न अकादमी के विचाराधीन है।

(ख) अकादमी द्वारा भाषाओं की मान्यता के लिए साहित्य अकादमी की महापरिषद् ने निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए हैं :

1. क्या संरचना की दृष्टि से स्वतन्त्र भाषा है अथवा दी गई भाषा की पद्धति का ही एक भाग है ?

2. क्या इसकी सतत साहित्यिक परम्परा तथा इतिहास है ?

3. क्या काफी बड़ी संख्या में लोग आज भी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यंजना के माध्यम के रूप में इसका उपयोग करते हैं ?

4. क्या इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में और/अथवा अध्ययन के एक पृथक विषय के रूप में संबंधित राज्य द्वारा और/अथवा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

5. उसे बोलने वालों की संख्या और उस भाषा में रचित वर्तमान साहित्य (कथा साहित्य, निबन्ध, अन्य साहित्य, पत्रिकाएं इत्यादि) को भी ध्यान में रखना चाहिए।

River Valley Schemes

***492.. Shri Chhatrapati Ambesh :**
Shri Annasaheb Ghotkhinde :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names and locations of the river valley schemes in which work has been completed; and

(b) acres of land being irrigated under each river valley scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shrı Kedar Nath Singh) : (a) & (b) So far, 25 major river valley projects have been completed. Their location and benefits are given in the attached list. [*Placed in Library. See*. No. L. T. 8763/74]

Besides these, 367 medium schemes have also been completed as per details given below :—

	State	Number of schemes completed
1.	Andhra Pradesh	35
2.	Bihar	37
3.	Gujarat	44
4.	Haryana	2
5.	Jammu & Kashmir	4
6.	Karnataka	3
7.	Kerala	11
8.	Madhya Pradesh	39
9.	Maharashtra	63
10.	Orissa	5
11.	Punjab	8
12.	Rajasthan	44
13.	Tamil Nadu	13
14.	Uttar Pradesh	56
15.	West Bengal	3
	TOTAL	367

In addition 8 major projects are substantially completed, requiring small outlay for the balance of works.

दादरा तथा नगर हवेली को वनस्पति की सप्लाई के लिए एजेंसी

*493. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दादरा तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को वनस्पति घी की सप्लाई करने के लिए कोई एजेंसी नियुक्त करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : इस मामले पर संघ शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा निर्णय करना है ।

"यूथ पार्लियामेंट" कार्यक्रम

***494. श्री वनमाली बाबू :**

श्री मूलचन्द डागा :

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "यूथ पार्लियामेंट" कार्यक्रम को देश के और अधिक स्कूलों और कालेजों में लागू कर के इसे विस्तार करने और इसके व्यापक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रुप रेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां, मान्यता प्राप्त उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में "युवा संसद प्रतियोगिता" को लागू करने का विचार है।

(ख) केन्द्रीय सरकार समय समय पर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए युवा संसद प्रतियोगिता योजना के नमूने पर राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता करने की सलाह देती रही है। इस उद्देश्य के लिए संसदीय कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य द्वारा हर एक वार्षिक प्रतियोगिता पर किए खर्च की रु० 1,000 की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

जन्तर मन्तर रोड तथा अशोक रोड के बीच छोटे से चबूतरे पर धार्मिक मूर्ति रखना

4530. श्री भोला माझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 4, जन्तर मन्तर रोड तथा 16, अशोक रोड के बीच लोगों ने पैदल पथ को साफ करके एक छोटे से चबूतरे पर धार्मिक मूर्ति रख दी है ताकि इस भूभाग पर बाद में मन्दिर के लिये दावा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल प्रदाय और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर योजनाएं

4531. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल प्रदाय और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973 वर्ष में कितनी योजनाएं मंजूर की गई थीं ;

(ख) मंजूर की गई योजनाओं की लागत क्या है; और

(ग) सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को कितने वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शहरी क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की लागत की जलपूर्ति की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार का केवल तकनीकी अनुमोदन ही

अपेक्षीत है। मूल निर्यात योजनाओं के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है। 1973 के दौरान 1143.57 लाख रुपये को 27 योजनाएं केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा तकनीकी तौर पर मंजूर की गयी थी।

(ग) समस्या की गम्भीर व्यापकता तथा बडी मात्रा में अपेक्षित वित्तीय परिव्यय को देखते हुए इस योजना को समस्त देश भर में लागू करने के लिए उचित समय का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

Deposit Accounts of Adivasi Farmers in Central Cooperative Bank Limited, Madhya Pradesh

4532. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether he is aware of the fact that the deposit amounts of several poor Adivasi farmers have not been shown in the deposit accounts by the employees of Central Cooperative Bank Limited in Adivasi area of Madhya Pradesh especially in district Shahdol and that demand cards for excess amount have been sent in their names;

(b) the action taken so far to check these bunglings and to save the innocent Adivasis; and

(c) the action proposed to be taken now ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information is being collected and will e laid on the Table of the Sabha.

भारतीय भाषाओं में प्रोबेशनरी रिसर्च स्कालरों के रूप में रजिस्टर किये गये छात्र

4533. डा० गोविंद दास रिछारिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 1974 में हिन्दी समेत विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रोबेशनरी रिसर्च स्कालरों तथा रिसर्च स्कालरों के रूप में कितने छात्रों ने अपने नाम रजिस्टर कराये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1.1.1974 से 30.11.1974 तक की अवधि के दौरान हिन्दी सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में पी० एच० डी० पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या 47 है, इनमें से अभी तक केवल 39 छात्रों ने अपना पंजीकरण शुल्क दिया है।

विश्वविद्यालय में परिविक्षा रुप से छात्रों को पंजीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

चम्पाकारा नहर योजना में सुधार

4534. श्री ए० के० गोपालन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "चम्पाकारा नहर में सुधार की योजना" को स्वीकृति देने तथा अनुदान के रूप में उसके लिये सहायता देने संबंधी भारत सरकार के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त आदेश कब तक जारी हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) चम्पककारा स्कीम पूर्ण ऋण सहायता के साथ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 1971 में स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Demand of Sugar from Madhya Pradesh

4535. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar asked for by Madhya Pradesh from Central Government during the last five months;

(b) whether Government had given to the State Government full quota of Sugar asked for by them; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) No request for increase in the monthly quota of levy sugar has been received from the Government of Madhya Pradesh during tne last five months. However, the State Government is being allotted a monthly quota of 11,224 tonnes since July 1974.

कावेरी जल के बंटवारे के बारे में कर्नाटक और तामिलनाडु के बीच 50 वर्षीय करार

4536. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल के बंटवारे से संबंधित कर्नाटक तथा तामिलनाडु के बीच हुआ 50 वर्षीय करार कुछ सप्ताह में समाप्त होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और अन्तर्राज्य विवाद को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) फरवरी 1892 में मैसूर सरकार तथा मद्रास सरकार के बीच कुछ ऐसी सीमाओं का निरुपण करने के लिए नियमों तथा अनुसूचियों के संबंध में समझौता हुआ था जिनके अंतर्गत को मैसूर सरकार द्वारा नए सिंचाई कार्यों का निर्माण किया जा सकता था।

दोनों राज्य सरकारों के बीच 18 फरवरी 1924 को दोनों राज्यों के संबंधित क्षेत्रों में कावेरी बेसिन में सिंचाई का विस्तार करने तथा कृष्णराज सागर जलाशय के नियमन के कुछ नियमों से सम्बद्ध एक प्रतिपूरक समझौता हुआ था। इस समझौते की कुछ धाराओं पर, समझौता के तिथि से 50 वर्षीय की अवधि की समाप्ति पर प्राप्त अनुभवों और सिंचाई का ओर विस्तार करने की संभावनाओं के प्रकाश में विचार किया जाना है।

कावेरी जल से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री की तामिलनाडु कर्नाटक और केरल के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक नई दिल्ली में 28 तथा 29 नवम्बर, 1974 को हुई थी। बात चीत के दौरान किफायत किए जाने वाले जल की मांग तथा इसे संविभाजित करने के ढंग के बारे में एक सामान्य मतैक्य हुआ था। जल के सर्वाधिक न्यायोचित विभाजन

को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कावेरी जल को जल सप्लाई का नियमन करने के लिए कावरी घाटी प्राधिकरण के गठन पर भी मतैक्य हो गया था। यह प्राधिकरण जल के किफायत करने की स्कीमों का निर्देशन तथा इस प्रकार बचाए जल का सहमति प्राप्त आधारों पर, विभिन्न राज्यों में आबंटन भी करेगा। मुख्य मंत्रियों के साथ अगली बैठक शीघ्र करने का प्रस्ताव है।

उद्योगों का स्थानान्तरण

4537. **श्री बेकारिया : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों को दिल्ली के नान कन्फर्मिंग क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर पुन : विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या बृहत योजना के अन्तर्गत उद्योगों के स्थानान्तरण में कुछ और परिवर्तन किये जाने है ?

नर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Incentive to Engineers posted in Rural areas

4538. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to give some special incentive/assistance to those engineers who, after completing their studies, are posted in rural areas; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Education, Social Weilfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) : Under the programme of Apprenticeship Training operated by the Central Government to condition fresh graduates and diploma holders in engineering and technology for gainful employment, they are posted to both urban and rural areas wherever training facilities are avialable. During the period of training, which is normally one year, the trainees are paid stipends of the value of Rs. 250/— per month each in case of degree holders and **Rs.** 150 per month each for diploma holders.

गेहूं की पिसाई की दर

4539. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष (1974-75) में गेहूं तथा गेहुं उत्पादों की पिसाई की कोई दर निश्चित कर रखी है,

(ख) यदि हो तो इसकि प्रति टन दर क्या है और

(ग) क्या राज्य सरकार को इस दर में संशोधत करने का अधिकार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्द) : (क) से (ग) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मैदा, सूजी, परिणामी आटा जैसे बढिया पदार्थ निकालने की प्रतिशतता प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गेहुं के इन पदार्थों के लिए मौजूदा मिलिंग मार्जीन 99.2 रु ये प्रति मी० टन से 107.8 रुपये प्रती मी० टन के बीच है। होलमिल आटे के लिए मिलिंग मार्जीन सभी राज्यों के लिए 54.9 रुपये प्रति मीटरी टन है। राज्य सरकारों को इस तरह निर्धारित मिलिंग मार्जन के अन्दर रहने का अनुदेश दिया गया है।

डेरा इस्माइल खान सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के कार्यों के बारे में जांच रिपोर्ट

4540. **श्री रामधन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 19 अगस्त 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरा इस्माइल खान सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद उस पर अब तक क्या अग्रेतर कार्यवाही हुई है;

(ख) समूची प्रक्रिया को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है अथवा करने का विचार है जिस के अन्दर प्लाट इसके सदस्यों को दे दिए जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) समिति से मांगी गई परिशोधन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली सहकारी समिति नियमावली 1973 के नियम 16(2) के अधीन जारी किये गये नोटिस का उत्तर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह देखते हुए कि समिति की निर्वाचित प्रबन्ध समिति ने कार्यभार 3.11.1974 को ग्रहण किया है, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 25.12.1974 तक की और अवधि की अनुमति दी गई है इस तारीख के बाद कानून के अनुसार आगे कार्यवाई की जायेगी।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेनेटों, सिंडिकेटों और शिक्षा परिषदों के गठन में समानता

4541. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेनेटों, सिंडिकेटों और शिक्षा परिषदों के गठन के बारे में कोई समानता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन निकायों के गठन के लिए समानता और लोकतंत्रीय आधार सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में उपयुक्त विधान प्रस्तुत करने का विचार कर रही है और राज्यों के विश्वविद्यालयों के संबंध में इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सहमत करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) (क) और (ख) : विश्वविद्यालय के बोर्ड/सेनट, कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट तथा शैक्षिक परिषद का गठन उसके विकास के स्तर पर निर्भर होता है और इस लिए उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श अधिनियम संबंधी समिति ने इन निकायों के गठन के संबंध में अपनी रिपोर्ट (1964) में कुछ सुझाव दिये थे। विश्वविद्यालय के अभिशासन संबंधी गजेंद्र गडकर समिति (1971) ने भी इन समितियों के गठन के संबंध में कुछ मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनसे पर्याप्त सीमा तक समानता लाई जा सकती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को संशोधित करते समय इन्हें ध्यान में रखा जा रहा है। समितियों की सिफारिशों के संबंध में सभी राज्य सरकारों को भी सूचना दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश में रबी की फसल के लिए सिंचाई कार्यक्रम का लक्ष्य

4542. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 134.50 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु रबी फसल के लिए 74.38 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने का एक बृहत लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है, तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान 134.50 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से 71.75 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने शारदा सहायक परियोजना के लिए 30 करोड रुपए की धनराशि और 600 अतिरिक्त राजकीय नलकूपों 1,000 किलोमीटर की पक्की गूलों/पाईप लाइन और 750 राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए लगभग 14 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। संसाधन की स्थिति कठिन होने के कारण राज्य सरकार को इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का नियतन करना अभी संभव नहीं हो सका हैं परन्तु चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अभी भी संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भवानी परमानन्द पुस्तकालय को अधिकार में लेना

4543. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झालावाडा (राजस्थान) स्थित भवानी परमानन्द पुस्तकालय को अपने अधिकार में लेने तथा इसे हदौती संस्कृति केन्द्र में परिणत करने का है;

(ख) क्या ऊपरोक्त पुस्तकालय राजस्थान के सर्वोत्तम पुस्तकालयो में से एक है और वहां बहुत से सुप्रतिष्ठित ग्रन्थों का इस समय उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) इस लायब्ररी में स्कालरों को आकर्षित करने के लिये और इसमें पुस्तको का संग्रह बनाए रखने और इसको बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस संबंध में, राजस्थान सरकार से न तो कोई सुचना अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

वनस्पति बनाने वाली मिलें

4544. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वनस्पति बनाने वाली मिलों की संख्या कितनी है तथा उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है तथा जहां ये मिलें स्थापित है वहां वनस्पति की कितनी आवश्यकता है; और

(ख) इन मिलों में वर्ष 1973–74 के दौरान वनस्पति का वास्तविक उत्पादन कितना किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8764/74]

पंजाब में धान के मूल्यों का समर्थन मूल्यों से नीचे गिरना

4545. सरदार महेंद्र सिंह गिल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के धान की खरीद के लिये मंडियों में न पहुंचने और इस प्रकार धान के मूल्यों का समर्थन मूल्यों से भी नीचे आने देने सम्बधी विमुखता के बारे में उनको पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्र पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है तथा भारतीय खाद्य निगम को क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) जी, हां। पंजाब सरकार ने पंजाब में कार्य कर रहे भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मौसम में खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति देरी से शुरू करने से संबंधित कुछ विलंब संबंधी मामले हाल ही में भारत सरकार के ध्यान में लाए हैं जिसके फलस्वरूप पंजाब में धान का मूल्य सहाय्य मूल्य से नीचे गिर गया। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम से एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई है और वह सरकार क विचाराधीन है।

गोआ में खाद्यान्न वसूली की पद्धति

4546. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में खाद्यान्न वसूली की कौन कौनसी पद्धतियां प्रचलित है; और

(ख) वसूली करने वाली सरकारी एजेन्सियों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अन्दमान में तैनात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा अभ्यावेदन

4547. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्दमान में तैनात इंजीनियरों ने कार्यभार में काफी कमी किये जाने और भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी गोपनीय रिपोर्टों के लिखे/पुनरीक्षित किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) कार्यभार की कमी के बारे में अन्दमान प्रशासन या निर्माण और आवास मंत्रालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, अन्दमान में नियुक्त किये गये इंजीनियरों के कार्य सम्बधी रिपोर्टों के लिखने, पुनरीक्षण करने तथा प्रति हस्ताक्षर करने के स्थानीय प्रशासन द्वारा इस अपनाई गई पद्धति पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इंजीनियर्ज ऐसोसियेशन के अन्दमान लोक निर्माण विभाग एकक द्वारा चिन्ता व्यक्त करने के बारे में 19 अक्तूबर, 1974 को एक संकल्प पारित किया गया था तथा इस संकल्प की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। इसके अनुसार, ऐसोसियेशन की मांग यह है कि अन्दमान में नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण

4—44 LSS(ND)/74

विभाग के इंजीनियरों की रिपोर्ट का पुनरीक्षण तथा उस पर प्रति हस्ताक्षर मुख्य सचिव अन्दमान प्रशासन द्वारा इस कारण नहीं किया जाना चाहिये कि वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर से निचलो स्तर अधिकारी है जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की पद्धति के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों का प्रति हस्ताक्षर अधिकारी है, अथवा उसी पद्धति के अनुसार, कार्यपालक इंजीनियरों का प्रति हस्ताक्षर अधिकारी प्रमुख इंजीनियर है। यद्यपि, प्रशासन द्वारा इस संकल्प पर विचार किया जा रहा है, किन्तु स्थिति यह है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की यह पद्धति केवल उन अधिकारियों के लिये है जो सीधे ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं, अन्दमान में नियुक्त किये गये इंजीनियर वस्तुतः अन्दमान शासन में प्रति नियुक्ति पर है तथा उन के कार्य की रिपोर्ट और उस का पुनरीक्षण एवं उस पर प्रति हस्ताक्षर उन की अपनी पद्धति के अनुसार अनिवार्यतः स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद के लिये पदोन्नति

4548. **श्री रामदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय के (सिंचाई विभाग) के गंगा बेसिन (अब जे० आर० सी०) ड्राइंग सैक्शन के कुछ ऐसे ट्रेसरों को पदोन्नत किया गया है तथा वह जूनियर ड्राफ्टसमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं जिनके पास अपेक्षित आर्हतायें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) दो ट्रेसर, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा पास नहीं की है, इस समय सिंचाई विभाग के गंगा बेसिन संगठन (अब संयुक्त नदी आयोग) के ड्राइंग अनुभाग में जूनियर ड्राफ्टमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये ट्रेसर इस ग्रेड में सबसे वरिष्ठ है और जूनियर ड्राफ्टमैन के रूप में तदर्थ आधार पर इनकी नियुक्ति, इन पदों को नियमित रूप से भरे जाने तक के लिए की गई है।

सालान्दी परियोजना

4549. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर जिले को सालान्दी परियोजना में बालासौर तक नहर योजना भी शामिल है; और

(ख) क्या ऐसी कोई परियोजना भी नगर में है जो बालासौर तथा मयूरभंज जिलों में पूरे वर्ष सिंचाई के लिये स्वर्णरेखा से जोड़ी जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) सालंदी परियोजना का उद्देश्य सालंदी और कांसबांस नदियों के बीच के क्षेत्र की सिंचाई करना है तथा इसमें बालासौर के निकट किसी क्षेत्र को सिंचाई करना परिकल्पित नहीं है।

(ख) बालासौर और मयूरभंज जिलो में सिंचाई करने के उद्देश्य से सुवर्णरेखा के जल का समुपयोजन करने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट उडीसा सरकार से अभ. तक प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान में सिंचित भूमि की प्रतिशतता

4550. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने प्रतिशत ऐसी काश्त-योग्य भूमि है जिसे इस समय सिंचाई सुविधायें उपलब्ध है और गत तीन वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं तथा तत्संबंधी अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में व कितने न्यूनाधिक हैं;

(ख) राजस्थान में तथा समूचे भारत में मध्यम तथा छोटी सिचाई योजनाओं से लाभान्वित हुई सिंचित भूमि की क्रमशः प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) राजस्थान तथा देश भर के लिये वर्ष 1974—75 तथा 1975—76 के अन्त तक तथा पांचवीं पंच वर्षीय योजन. के अन्त तक सिंचित भूमि से संबंधित क्रमशः क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं?

कृषि ओर सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1973-74 तथा इससे पहले के तीन वर्षों के दौरान राजस्थान तथा अखिल-भारत के कुल बुवाई के क्षेत्र की तुलना में कुल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के अनुमान नीचे दिये गये हैं :—

	1973–74	1972–73	1971–72	1970–71
राजस्थान . . .	17.1	16.6	14.5	14.7
अखिल भारत . .	25.4	उपलब्ध नहीं	23.7	23.3

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान मुख्य मध्यम तथा लघु सिंचाई के संबंध में प्रतिशतता नीचे दी गई है।

मध्यम सिंचाई के विषय में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

	मुख्य मध्यम	लघु सिंचाई
राजस्थान	6.4	10.7
अखिल भारत	11.5	13.9

(ग) वर्ष 1974–75 तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राजस्थान तथा सारे देश सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने वाले क्षेत्र के संबंधित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

	1974-75	(लाख हैक्टार) पांचवीं योजना (1978-79) के अंत तक
राजस्थान . . .	29.18	32.43
अखिल भारत . .	451.15	540.67

वर्ष 1975–76 के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

और अधिक चीनी कारखाने

4551. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ और चीनी कारखानों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां कहां के लिये मंजूरी दी गई है; और

(ग) क्या उनमें उत्पादन शुरु हो गया है ?

कृषि ओर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) विभिन्न राज्यों में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के प्रति अब तक 54 लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) इन लाइसेंसशुदा चीनी फैक्ट्रियों के स्थान को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8765/74]**

(ग) इन सभी फैक्ट्रियों ने अभी उत्पादन शुरू करना है।

खाद्यानों को पत्तनों से गन्तव्य स्थलों तक पहुंचाने में लगने वाला समय

4552. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों पर जहाजों से खाद्यान्नों को उतारने और उन्हें उनके गन्तव्य स्थलों तक पहुंचाने में सामान्यत: कितना समय लगता है;

(ख) क्या खाद्यान्नों को तीव्र गति से उतरवाने तथा पहुंचाने के लिए कोई नये तरीके अपनाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है और इन उपायों से कितने समय की बचत होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जहाज से खाद्यान्नों को उतारने में जो समय लगता है वह कई तथ्यों पर निर्भर करता है जोकि इस प्रकार है––जलपोत का प्रकार (सुपर-टैंकर, टैंकर, ढेर-वहाक आदि), माल का स्वरूप (खुला अथवा बोरों में), माल की निकासी के लिए घाटों पर उपलब्ध सुविधाएं (अर्थात् वायवीय उपकरण, तट-क्रेन आदि), बोरियों में भरना, सिलाई, तौलना, मौसम की स्थिति, श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य, रेलवे और/अथवा सड़क के रास्ते निकासी आदि। अत: घाट पर जहाज से खाद्यान्नों की प्रतिदिन औसत निकासी प्रत्येक बन्दरगाह पर और विभिन्न जहाजों के लिए चार्टर पार्टी की शर्तों में भी भिन्न-भिन्न होती है। इसी प्रकार, गंतव्य स्थानों को खाद्यान्नों को भेजने के लिए जो समय लगता है वह इन पर निर्भर करता है––प्रयुक्त परिवहन की रफ्तार तथा किस्म, रास्ते में पड़ने वाले भिन्न सैक्शनों की क्षमता, क्या यातायात सीधे होता है अथवा बड़ी लाइन से माल छोटी लाइन पर लाया जाता है अथवा रेल से उतार कर सड़क के रास्ते और सड़क से लाकर रेल से लाया जाता है। रेल से ढोए गये खाद्यान्नों की औसत रफ्तार लगभग 1100 किलोमीटर और एक दिन में बड़ी लाइन के वैगनों द्वारा तय की गई औसत दूरी लगभग 75 किलो मीटर है। तथापि, कुल मिलाकर, ऐसे खाद्यान्नों को स्पेशल गाड़ियों से भेजा जाता है; इसलिए गंतव्य स्थानों तक इन्हें भेजने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों को तीव्रगति से उतरवाने तथा पहुंचाने के लिए मशीनों से सम्भालने में वृद्धि करना जब जहाज से घाट पर माल उतारा जाता है तब साथ-साथ पार्श्व में माल उतारना, घाट लगने से पूर्व जो देरी होती है उसे कम करने के लिए नौकाओं में माल उतारना, काम की अतिरिक्त पारियां, यथा सम्भव अधिक से अधिक माल की निकासी स्पेशल गाड़ियों से करना, रेल तथा सड़क परिवहन द्वारा अधिक निकासी, करने के तरीके अपनाए जाते हैं। समय में बचत उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप है।

नैवल स्कूल चाणक्य पूरी नई दिल्ली को मान्यता

4554. श्री पी० वेंकटसुब्बया : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवल स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एक मान्यताप्राप्त स्कूल है;

(ख) क्या इसको मान्यता वार्षिक आधार पर दी जाती है और यदि हां, तो इसको नियमित आधार पर मान्यता न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वार्षिक आधार पर मान्यता देने से विद्यार्थियों में बड़ी अनिश्चितता व्याप्त हो जाती है तथा अभिभावकों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है; और

(घ) सरकार इस संस्था के प्रबंधकों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखती है तथा क्या सरकार का विचार इस स्कूल का प्रबंध अपने हाथ में लेने का है अथवा सुदृढ़ रूप से इसको केन्द्रीय विद्यालय के रूप में चलाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है जो कि इस मामले से संबंधित है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के समुद्र तट में मछली पकड़ने की संभावनाओं का विकास

4555. **श्री वयालार रवी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के समुद्र तट में मछली पकड़ने की संभावनाओं के विकास की भारी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ईस राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मत्स्य ग्रहण बंदरगाहों का विकास आदि करने, नौका निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने तथा मछुओं आदि को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने कोचीन में एक बड़े मात्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण के लिए 270.40 लाख रुपये की रकम मंजूर की है। वर्ष 1976 में इस बन्दहगाह के पूर्ण होने पर इसमें 50 ट्रालर और लगभग 500 यंत्रीकृत नावें ठहर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, विझिनजाम, कन्नानोर, बालीपतनम, पोन्नानी और बेपोर में छोटे मात्स्यकी बन्दरगाहों के लिये भी 218.11 लाख रु० की राशि मंजूर की गई है। इन बन्दरगाहों के पूर्ण होने पर इनमें लगभग 600 छोटी यंत्रीकृत नावें ठहर सकेंगी। नींदकारा में 160 लाख रु० की लागत से बन्दरगाह निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य सरकार का 992 लाख रु० की लागत से राजकीय क्षेत्र में 540 छोटी यंत्रीकृत नौकाओं और 20 मछली पकड़ने के बड़े जलयानों तथा प्राइवेट क्षेत्र में मछली पकड़ने के 8 बड़े जलयानों का प्रयोग शुरु करने का प्रस्ताव किया है। यंत्रीकृत नावों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य में नावों का विनिर्माण करने के लिये नौका-निर्माण यार्डों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना में केरल के तटपर यंत्रीकृत मात्स्यकी कार्यों के विषय में फिटिंग, मरम्मत और रेडियो टेलोफोन केन्द्रों के लिये 81 लाख रु० की रकम की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बनने वाले मकानों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के नमूनों की जांच

4556. **श्री सरजू पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में एक आवास सेल है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बनने वाले मकानों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के नमूनों की यह देखने के लिए जांच करता है कि प्रयुक्त सामग्री घटिया है या नहीं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को 1973 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या जनता क्वार्टर्स एजेन्सी (रजिस्टर्ड) डी० डी० ए०, पश्चिमपुरी (मादीपुर) दिल्ली-26 ने जनता कालोनी मकानों के नमूने लेने का अनुरोध किया था ;

(घ) क्या उक्त शिकायत के परिणामस्वरूप नमूने के लिये गये थे तथा शिकायतकर्ताओं को इसके परिणाम नहीं भेजें गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) तथा (ख) इस कार्य के लिये पृथक से कोई कक्ष नहीं है, अत. शिकायतों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) शिकायतकर्ता को सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय परीक्षण शाला, अलीपुर, कलकत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, प्लस्तर कार्य से लिये गये सम्मिश्रण का अनुपात 1 : 7·1 पाया गया था। परिणाम को तकनीकी रूप से सन्तोषजनक पाया गया था।

कोठारी आयोग की सिफारिशें

4557. श्री आर० एन० बर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरम्भिक वेतनमानों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग की सिफारिशों संदर्भ में प्राइमरी, हाई स्कूल तथा कालेजों के शिक्षकों के मासिक वेतनों का हिसाब लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्राइमरी स्कूल शिक्षक, हाई स्कूल शिक्षक और कालेज शिक्षकों के वेतनों का जो हिसाब लगाया है, वह कितना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को अपना निर्णय सूचित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक इस निर्णय को किया है/नहीं किया है; और

(ङ) इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी अतिरिक्त धन की मांग की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ङ) शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) में निर्दिष्ट अनुपातों सहित कई सामान्य नियमों की सिफारिश की थी जिनके अनुसार शिक्षकोंकी परिलब्धियां नियत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के लिए नए ग्रेडों की सिफारिश की थी और उसे भारत सरकार ने भी स्वीकार किया था और वह मोटे रुप से उन नियमों के अनुकुल है। केन्द्रीय सरकार, के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान भी लगभग शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों पर आधारित है। जहां तक राज्यों के स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों की बात है, सम्बन्धित सरकारें वेतनमानों को समय समय पर संशोधित करती रही है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा करते समय सरकारों ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा होगा।

2. केन्द्रीय सरकार ने कालेज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के परिशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। तथापि, राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अभी तक, अपनी वित्तीय आवश्यकताएँ प्रस्तुत नहीं की हैं। जहाँ तक स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों के परिशोधन की बात हैं, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने की कोई योजना नहीं हैं। इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अपनी वित्तीय आवश्यकताएँ भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

मोती नगर, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

4558. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली के बी ब्लाक की प्रथम मंजिल पर, उस क्षेत्र में बूस्टर पम्प लगाने के बावजूद, पानी की सप्लाई की स्थिति पिछले वर्षों की अपेक्षा बदतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कालोनियों के निवासियों को अप्रैल, 1974 से एक बुंद पानी भी नहीं मिल रहा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कालोनियों के निवासियों को पिछले कई वर्षों से हो रही इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) यह सत्य है कि जल सप्लाई में सुधार करने के लिए बूस्टर स्टेशन की व्यवस्था करने के बावजूद भी पहली मंजिल की जल की मांग केवल आंशिक रूप से पूरी हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान का योजना कक्ष एक उपरि टंकी, भूमिगत जलाशय तथा अधिक क्षमता वाले पम्पों की व्यवस्था करने की एक योजना तैयार कर रहा है।

तामिलनाडु में संयुक्त स्टाक कम्पनियों द्वारा संचालित चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

4559. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से तमिलनाडु में संयुक्त स्टाक कंपनियों द्वारा संचालित चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कोई अनुरोध अथवा सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी, हां। चीनी उद्योग जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के संदर्भ में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की सरकार अभी जांच कर रही है और तमिल नाडु के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० में कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती

4560. श्री हुकुम चन्द कछवाय क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० में कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होती है ;

(ख) यदि हां, तो 1972 में कनिष्ठ इंजीनियरों के कितने पद रिक्त पड़े थे तथा 1972 में हुई परीक्षा के द्वारा कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, कितने पद भरे गए ;

(ग) क्या सितम्बर, 1973 में भी ऐसी ही परीक्षा हुई थी यदि हां, तो सिविल तथा इलैक्ट्रिकल दोनों के कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की तथा उक्त परीक्षा के द्वारा सिविल तथा इलैक्ट्रिकल कनिष्ठ इंजीनियरों के कितने पद भरे गए तथा अब तक अभ्यर्थियों को कितने नियुक्ति पत्र भेजे गए; और

(घ) सितम्बर, 1973 में जिन्होंने परीक्षा पास की उन में से सिविल इलैक्ट्रिकल कनिष्ठ इंजीनियरों के कितने और पद भरे जाने हैं तथा ये पद कब तक भर जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) 1972 में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के 172 पद तथा कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) के 102 पद रिक्त पड़े थे तथा कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के लिये 172 उम्मीदवार और कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) के लिये 102 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। तथापि, इस परीक्षा द्वारा कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के 86 पद तथा कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) के केवल 53 पद ही भरे जा सके क्योंकि शेष व्यक्तियों ने पद भार ग्रहण नहीं किया था।

(ग) जी हां। सिविल के 267 उम्मीदवार तथा बिजली के 322 उम्मीदवार ने कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में नियुक्ति के लिये उत्तीर्ण हुए। इन सफल उम्मीदवारों की सूची में से, सिविल के 137 को तथा बिजली इंजीनियरिंग के 120 को नियुक्ति-पत्र भेजे गये थे। सिविल में केवल 51 तथा बिजली में केवल 55 व्यक्तियों ने पद भार ग्रहण किया, और तदनुसार केवल इतनी ही, संख्या में पदों को भरा गया है।

(घ) इस समय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभार में कमी आने के कारण, सितम्बर, 1973 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी कनिष्ठ इंजीनियरों को नियुक्त करना संभव नहीं हो सकेगा। अगले वर्ष के लिये निर्माण कार्य के कार्यक्रम को देखते हुए इस स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा।

फूड प्राडक्टस् आर्डर लाइसेंस धारियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मुकद्दमें चलाना

4561. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूड प्राडक्ट आर्डर लायसेंस धारियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमें चलाय जाते हैं;

(ख) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमें चलाने से पूर्व फूड प्राडक्ट आर्डर अधिकारियों से परामर्श किया जाता है; और

(ग) क्या इस आशय का कोई समझौता है कि फूड प्राडक्ट आर्डर अधिकारिणें की सलाह लिये बिना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिकारियों द्वारा फूड प्राडक्ट आर्डर लाइसेंस धारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अधिनियम और और आदेश दोनों के ही उपबंध अनुपूरक हैं और वे अपने परिचालन में एक समान हैं। अतः यदि कोई निर्माता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के किसी उपबंध का उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमे चलाने की कोई मनाओ नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जिस समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था, उसमें यह सुझाव दिया था कि फल उत्पाद आदेश के अधीन आने वाली जिन्सों के नमूनों के नमूनों और जोकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों के बारे में जब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का उल्लंघन होता है, तब ऐसे मामले को केन्द्रीय प्राधिकारियों की जांच के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछेक राज्यों ने सूचित किया है कि इससे मुकदमों में विलम्ब होगा और वह वांछनीय नहीं है।

रोजगारोन्मुख शिक्षा-पद्धति के बारे में शिक्षा मंत्री के विचार

4562. सरदार स्वर्णसिंह सोखी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री ने 30 नवम्बर, 1974 को दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (सूरत) में दीक्षान्त भाषण देते समय रोजगारोन्मुख शिक्षा-पद्धति के विचार की आलोचना की थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी आलोचना के क्या कारण थे तथा देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों को नौकरियां दिलाने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) दीक्षान्त भाषण में यह कहा गया था कि रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम अनिवार्यतः प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं और तेजी से बदलते हुए आधुनिक समाज के सम्बन्ध में उसकी सीमाएँ हैं। कुछ वर्षों में रोजगारों की कुछ श्रेणियां पूर्ण रूप से लुप्त हो सकती है और उन रोजगारों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर अपनी आजीविका के लिए नए रोजगार सीखने पड़ेंगे। शिक्षण की व्यापक प्रक्रिया का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशिष्ट को विशिष्ट रोजगार के लिए उपयुक्त बनाना ही नहीं है अपितु व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता को पूर्णतः प्राप्त कराने और उसका बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक रुप से विकास करने में मदद देना है। अतः रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की समस्या का उपयुक्त और सीमित तरीके से हल किया जाना चाहिए और ऐसा न हो कि वह विश्वविद्यालय शिक्षण की पूर्ण प्रणाली पर छा जाए। ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्यतया, विश्वविद्यालय स्तर की अपेक्षा माध्यमिक स्तर पर सफल रहते हैं। तथापि, इस धारणा के लिए कोई आधार नहीं है कि रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हैं और शिक्षा प्रणाली को केवल उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

सारे देश में शिक्षा की नई प्रणाली जिसमें 10 वर्ष की सामान्य स्कूल शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शामिल है, पांचवीं योजना के अन्त तक, लागू होने की आशा है। बहुत सी राज्य सरकारों की योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने भी, नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए देश में लगभग 7000 स्कूलों को सहायता देने हेतु एक केन्द्रीय योजना का प्रस्ताव किया है। ये स्कूल संबंधित जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आरंभ किए जाएंगे। ऐसी धारणा है कि जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पोलिटेक्निकों, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों और सह चिकित्सक कार्मिकों और कृषि सम्बन्धी तकनीशियनों के स्कूलों के जरिए इंजीनियरी तथा कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है, ऐसे और भी पाठ्यक्रम है जिन्हें लाभदायक ढंग से चलाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त रोजगारोन्मुख शिक्षा की अपेक्षा कार्य और उत्पादनोन्मुख शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए, इसका उद्देश यह है कि छात्रों को इतनी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वे स्वतः रोजगार सहित अपनी आजीविका स्वयं कमा सकें और साथ ही वे व्यक्तिगत रुप से परिपक्व हो सकें और आधुनिक जनतांत्रिक समाज में नागरिकों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर सकें।

बेरोजगारी की समस्या का हल अनिवार्य रुप से तीव्र आर्थिक विकास और परिणामस्वरुप रोजगार सुविधाओं में वृद्धि से ही हो सकता है। शैक्षिक प्रणाली केवल अप्रत्यक्ष रुप से ही आर्थिक विकास और रोजगार में योगदान कर सकती है। पांचवीं योजना में परिकल्पित कार्यक्रमों का अभिप्राय शैक्षिक प्रणाली के यथासम्भव योगदान को सुनिश्चित करना है। किन्तु यह शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी नहीं है कि वह रोजगार को निर्माण करे अथवा बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की भर्ती के नियम

4563. श्री राम रतन शर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता श्रेणी II, अधिशासी अभियन्ता श्रेणी I और अधीक्षक अभियंता श्रेणी I के पद पर नियुक्ति के लिए नवीनतम संशोधित भर्ती नियमों की प्रति; और

(ख) ये नियम किन तिथियों को अधिसूचित किए गए थे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) वर्तमान भर्ती नियम जो 21 मई, 1954 को अधिसूचित किए गए थे, तृतीय वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण तथा कुछ न्यायालयों के निर्णयों से भर्ती नियमों पर प्रभाव पड़ने के कारण भी ये पुराने हो गये हैं। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय तथा न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रख कर विस्तृत भर्ती नियम जारी किए जाएंगे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों को स्थायी बनाना

4564. श्री लालजी भाई : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में (सिविल और इलैक्ट्रिकल दोना विभागों में) स्थायी सहायक अभियन्ताओं / अधिशासी अभियन्ताओं और अधीक्षक अभियन्ताओं के क्या नाम हैं और उन्हें किस तिथि से स्थायी किया गया है;

(ख) 1 जुलाई, 1974 के दिन कितने स्थायी पद रिक्त पड़े थे; और

(ग) ये पद किन तिथियों से रिक्त है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० 8766/74]**

(ख) तथा (ग) स्थायी आधार पर नहीं भरे गये स्थायी पदों की संख्या तथा जो 1-7-74 को रिक्त थे, निम्नलिखित हैं :—

अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	10
अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत)	1
कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	95
कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत)	25
सहायक इंजीनियर (सिविल)	507
सहायक इंजीनियर) (विद्युत)	137

ये पद विभिन्न तिथियों से खाली पड़े हैं।

इंस्टीटयूट आफ कर्मशियल प्रॅक्टिस के प्रिंसिपल के पद के लिए साक्षात्कार रद्द करना

4565. श्री हरि सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्टीट्यूट आफ कमर्शियल प्रैक्टिस (तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन) के प्रिंसिपाल के पद के लिए संघ लोक सेवा संघ आयोग द्वारा 21 नवम्बर, 1974 को जो साक्षात्कार किया जाना था, उसे दिल्ली प्रशासन द्वारा किन परिस्थितियों में रद्द किया गया ;

(ख) क्या इंस्टीट्यूट आफ कर्मशियल प्रैक्टिस के स्थानापन्न प्रिंसिपल की सेवाएं 58 वर्ष की आयु से आगे बढ़ाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) यह सूचना के प्राप्त होने पर कि दिल्ली प्रशासन ने उस अधिकारी की सेवा में वृद्धि कर दी है जो संस्थान के प्रिंसिपल का पद धारण किए हुए थे, संघ लोक सेवा आयोग ने भर्ती नहीं करने का निर्णय किया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे भूतपूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति है और दिल्ली प्रशासन में अध्यापको के रूप में कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों को वृद्धि का लाभ दिया गया है, सम्बन्धित अधिकारी की सेवाओं में 58 वर्ष की आयु के बाद लोक हित में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी।

कावेरी प्राधिकरण के समान गोदावरी तथा नर्मदा जल विवादों पर समझोता

4566. श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी घाटी प्राधिकरण के समान गोदावरी घाटी प्राधिकरण और नर्मदा घाटी प्राधिकरण को स्थापना के मामले में समझौते करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) नर्मदा और गोदावरी जल-विवादो पर न्यायाधिकरणों द्वारा विचार किया जा रहा है जिनके निर्णयो को प्रतीक्षा का जा रही है।

भारतीय क्रिकेट टीम के इंगलैण्ड के दौरे तथा तेहरान में एशियाई खेलो में भारतीय खिलाडियों पर और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की यात्रा पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

4567. श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैण्ड के दौरे पर और तेहरान में एशियाई खेलोंमें भारतीय खिलाड़ियों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ख) वेस्ट इन्डीज क्रिकेट टीम के भारत के चालू दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैण्ड के दौरे के लिए कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई थी। इसके विपरीत टीम को एम० सी० सी० से, गारन्टी राशि के रूप में, 39,280 पौण्ड की राशि प्राप्त हुई थी और उस राशि में से भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड को 'इंग्लैण्ड में टीम के ठहरने के दौरान, भोजन और आवास तथा अन्य विविध खर्चों के लिए 25,000 पौण्ड व्यय करने की अनुमति दी गई थी। शेष 14,280 पौण्ड टीम द्वारा भारत वापस लाने थे।

सितम्बर, 1974 में तेहरान में हुए 7 वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम को, भोजन तथा आवास तथा अन्य आनुसंगिक उपकरण आदि की खरीद संबंधी खर्च वहन करने के लिए 39,560 डालर की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोड को, भारत का दौरा करने वाली वैस्टइंडीज क्रिकेट टीम को, 55,000 पौण्ड के समतुल्य गारन्टी राशि अदा करनी है। इसमें से, 10,000 पौण्ड के बराबर की राशि बोर्ड द्वारा दौरा करने वाली टीम को, टीम के सदस्यों के विविध खर्चों को वहन करने के लिए रुपये की मुद्रा में दी जायगी। शेष 45,000 पौण्ड की राशि भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड को इस शर्त पर दी गई है कि वेस्ट इंडीज टीम के भोजन, आवास और आंतरिक यात्रा आदि पर होने वाले खर्चों का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना चाहिए तथा भारत के बाहर टीम द्वारा ले जाने वाली शुद्ध राशि 30,000 पौण्ड से अधिक नहीं होगी।

गांव राढो झरिया भारिया लाजपत नगर नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली निर्मित खुले नाले के कारण अस्वास्थ्यकर स्थिति

4568. श्री डी० के० पण्डा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खुला नाला जो कि गांव राढ़ी झारिया-मारिया, लजपत नगर, नई दिल्ली से होकर कहता है तथा गांव वालों द्वारा मलमूत्र डालने के उपयोग में लाया जाता है, अपने निर्माण के समय से अब तक कभी साफ नहीं किया गया है तथा गांव वालों के लिये गंभीर रूप से अस्वास्थ्यकारी सिद्ध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको साफ करने तथा गांव से होकर बहने वाले इसके भाग को ढांपने के लिया तुरन्त प्रबन्ध किये जायेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र का स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है तथा वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि को अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के उल्लंघन के बारे मे उत्तर प्रदेश में की भूमि सुधार समिति के निश्कर्ष

4569. श्री मधु दण्डवते : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सुधारों का अध्ययन करने के के लिये नियुक्त समिति ने आरोप लगाया है कि कुछ केन्द्रीय मंत्रियों तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित मंत्रियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या है; और

(ग) इन उल्लंघनों के बारे में कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की हुई भूमि व्यवस्था जांच समिति ने अपनी रिपोट में उल्लेख किया है कि कालाकांकर, जिला प्रतापगढ़ के राजा दिनेश सिंह के पास 760 एकड़ भूमि थी जिसमें से 561 एकड़ भूमि को जौत की अधिकतम सीमा से छूट दी गई थी, क्योंकि अधिकांश भूमि में उद्यान थे। 125 एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया था। उसके बाद, जौत की अधिकतम सीमा के कानून की धारा 14(3) के अंतर्गत कई आपत्तियों का निपटारा करने के पश्चात केवल 92 एकड़ भूमि फालतू पाई गई। समिति को सूचना मिली थी कि इसमें से 50 एकड़ भूमि को जांच के समय बांट दिया गया था।

भारतीय खाद्य निगम में आरक्षण कोटे का भरा जाना

4570. श्री पी० एंथनी रेड्डी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के पदों का आरक्षित कोटा भरा नहीं गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षण के आधार पर आबंटित रिक्त पदों को भरने के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में चतुर्थ और तृतीय श्रणियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए कोटों को पूर्णतया प्रमुखतया इसलिए नहीं भरा जा सका था क्योंकि इन रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। भारतीय खाद्य निगम ने समय समय पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों से आवेदन पत्र मंगाने के लिए समाचार पत्रों में अलग अलग विज्ञापन देने, और इन उम्मीदवारों का अलग साक्षात्कार लेने ताकि अन्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए मानक उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए न लागू किए जाएं, जैसे उपाय किए हैं। निगम अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए यथासम्भव अधिकतम पद उन्हीं से भरने के लिए पग उठा रहा है।

पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मलेरकोटला के मुसलमानों के आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना

4571. श्री झारखण्डे राय : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब वक्फ बोर्ड में 20 अप्रैल 1974 को संकल्प संख्या 9 तथा 11 के अनुसार मलेरकोटला के मुसलमानों द्वारा मस्जिद की मरम्मत के लिये 1000 रुपये का अनुदान हेतु दिये गये आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या उक्त संकल्पों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पंजाब वक्फ बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल, 1974 को बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी। अतः अनुदान सम्बन्धी किसी आवेदन-पत्र के अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव का पास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी आवास प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता

4572. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के तथा दिल्ली के गांवों के क्रमश: कितने प्रतिशत सिविल कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों में रहने का स्थान प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि इन दोनों के बीच कोई असमानता हो तो उस असमानता को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) किसी टाईप विशेष के आवास के सम्बन्ध में किसी अधिकारी/कर्मचारी की अग्रता तिथि को ध्यान में रखते हुए उसे सामान्य पूल से मकान दिया जाता है। दिल्ली के तथा दिल्ली के गांवों के कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। अत: दिल्ली के सिविल कर्मचारियों तथा दिल्ली के गांवों के सिविल कर्मचारियों को किए गये आबंटन के बारे में कोई पृथक सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में 1974-75 के पूर्व ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम को लागू करना

4573. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :**
श्री नरेंद्र सिंह :
श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1974-75 के बाद भी वहां द्रुत रोजगार कायक्रम को लागू करने का है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना केवल तीन वर्षों अर्थात 1971-72 से 1973-74 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई थी। पांचवीं योजना में समन्वित क्षेत्र विकास की पहुंच अपनाने के कारण आयोजना आयोग ने राज्यों (जिनमें मध्य प्रदेश) भी शामिल हैं) में रोजगार की त्वरित योजना को पांचवीं योजना अवधि में जारी रखना आवश्यक नहीं समझा।

मछली पकड़ने के स्थान बनाने के लिए समुद्री उत्पादन संसाधनों का सर्वेक्षण

4574. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट-दूर एवं गहरे समुद्र क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्थान बनाने के उद्देश्य से समुद्री उत्पादन संसाधनों के सर्वेक्षण के बारे में सर्वेक्षण अभी चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कार्य कहां पर किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हाँ।

(ख) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना, बम्बई कांडला, बम्बई पणजी (गोवा), मंगलौर, कोचीन, तुतिकोरीन, मद्रास, विशाखापतनम् पारादीप, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान) से सर्वेक्षण कर रही है। समेकित मात्स्यकी परियोजना और समुद्री मात्स्यकी परियोजना भी कोचीन से सर्वेक्षण कर रही है।

मार्गरीन का उत्पादन

4575. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति घी और मार्गरीन बनाने के रासायनिक तरीके लगभग एक समान हैं और अन्तर केवल मात्र यह है कि डालडा एक अन्तिम उत्पाद है और मार्गरीन माध्यमिक उत्पाद है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मार्गरीन एक नियंत्रित वस्तु न होने के कारण डालडा बनाने वाली कम्पनियों द्वारा उपभोग में लाये जा रहे तेलों की अधिकांश मात्रा का उपभोग वास्तव में मार्गरीन बनाने के लिए किया जा रहा है जिसे अधिक लाभ पर बेचा जा सकता है जबकि वनस्पति घी को नहीं;

(ग) क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है अथवा की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच के आदेश न दिये जाने के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। कच्चे पदार्थों में खाने योग्य हाईड्रोजनेटेड तेल एक कच्चा पदार्थ है जिसका मार्गरीन के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न 4 के दौरान (अक्तूबर तक) मार्गरीन के निर्माण के कच्चे तेलों की खपत वनस्पति फैक्ट्रियों द्वारा ऐसे तेलों की कुल खपत के 7.5 प्रतिशत से कम थी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अध्यापकों के वेतनमानों के मामले में कोठारी आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करना

4576. **श्री क० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के लिए जिन वेतनमानों की सिफारिश की गई थी, वे वेतनमान कितने राज्यों ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित कर दिये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री० डी० पी० यादव) प्राथमिक स्कूल अध्यापकों से संबंधित कोठारी आयोग की सिफारिशों को चार राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया गया समझा जाता है। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में, ऐसा समझा जा सकता है कि छः राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में उन सिफारिशों को कार्यान्वित कर लिया है।

Conversion of Kanpur Agricultural Institute into An Agricultural University

4577. **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Kanpur Agricultural Institute into an Agricultural University; and

(b) if so, the time by which a final decision in this regard is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation : (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The State Government has proposed to develop a new Agricultural University using the U. P. Institute of Agricultural Research at Kanpur and the College of Veterinary Science at Mathura as constituent units.

(b) The Uttar Pradesh Government was requested to furnish clarifications on the implementation of the recommendations of State Government High level Committee to re-organise Agricultural Research, Education and Extension in State in connection with the establishment of an Agricultural University at Kanpur. On receipt of clarifications, the University Grants Commission in consultation with the Indian Council of Agricultural Research will take final decision in this regard.

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की बैठक

4578. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की एक बैठक दिसम्बर, 1974 में राजधानी में होनी है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन देशों से आ रहे हैं ; और

(ग) इस बैठक में भारत में डेरी विकास को बढ़ावा देने के लिये क्या निर्णय किए गए हैं तथा इसमें भाग लेने वाले देशों को इससे कितना लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 19 वीं अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की बैठक 2 से 6 दिसम्बर, 1974 तक राजधानी में हुई थी।

(ख) कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या 1317 थी। इसके अतिरिक्त प्रति दिन औसतन 300 व्यक्तियों ने पर्यवेक्षकों के रुप में सम्मेलन में भाग लिया था।

प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित देशों का प्रतिनिधित्व किया था :—

अर्जेन्टाइन	इथोपिया	जमीका	श्रीलंका
आस्ट्रेलिया	फिनलैण्ड	जापान	स्वीडन
आस्ट्रिया	फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी	रिपब्लिक आफ कोरिया	स्विटजरलैण्ड
बंगला देश	कुवैत	त्रिनिदाद	भूटान
फिजी	लीबीया	तन्जानिया	ब्राजिल
जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक	मलेशिया	इंगलैण्ड	बुलगारिया
मैक्सिको	रूस	कनाडा	न्यूजीलैण्ड
अमरीका	चिल्ली	हांगकांग	नार्वे
पश्चिमी समोया	साइप्रस	भारत	न्यू जिनिया
यूगोस्लाविया	क्यूबा	ईरान	फिलिपाइन
झैकोस्लोवाकिया	आयरलैण्ड	पोलैण्ड	डेनमार्क
इराक	स्पेन	मिश्र	इटली

(ग) 19 वीं अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस द्वारा की गई सिफारिशें अनुबंध में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एम० टी० 8767/74**]

इस सम्मेलन में डेरी विकास के संबंध में हाल ही में हुई प्रगति के बारे में विचार विनिमय हुआ। इससे भारत तथा अन्य भाग लेने देशों को भी लाभ होगा।

चीनी का उत्पादन और मूल्य

4579. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1974 तक चीनी का वर्ष-वार, कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1972 से 1974 तक (1) राशन की दुकानों से बिक्री, (2) खुली बिक्री और (3) निर्यात के लिए वर्ष-वार, क्या मात्रा निर्धारित की गई;

(ग) वर्ष 1972 से 1974 तक (1) लेवी चीनी और (2) खुली बिक्री की चीनी का, वर्ष-वार प्रति किलोग्राम खुदरा भाव क्या था;

(घ) वर्ष 1972 से 1974 तक निर्यात से वर्ष-वार, प्रति किलोग्राम कितनी विदेशी मुद्रा वसूल हुई;

(ङ) मार्च से अक्तूबर, 1974 के बीच प्रत्येक मास कितनी (1) लेवी चीनी और (2) खुली बिक्री की चीनी रिलीज की गई; और

(च) मार्च से अक्तूबर, 1974 के बीच प्रत्येक मास खुली बिक्री की चीनी के प्रति किलोग्राम खुदरा भाव क्या थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात 1971-72 से 1973-74 (अक्तूबर, से सितम्बर) में हुए चीनी के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

चीनी वर्ष	उत्पादन (लाख मि0 टन में)
1971–72	31.13
1972–73	38.73
1973–74	39.49

(ख) (आंकड़े लाख मी० टन में)

	1972	1973	1974 (31 अक्तूबर, तक)
1. राशन/उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए लेवी चीनी	22.95	23.20	19.10
2. खुली बिक्री की चीनी . .	13.53	12.20	9.60
3. निर्यात के लिए . . .	0.98,827	2.48,864	5.00*

(* — अनुमानित)

(ग) और (च) पहली अक्तूबर, 1972 से देश भर में एक से मूल्य पर लेवी चीनी बेची जा रही है। उपभोक्ताओं को शुरू-शुरू में 2 रु० प्रति कि० के समान निर्गम मूल्य पर यह चीनी बेची जाती थी लेकिन पहली दिसम्बर, 1972 से या दिसम्बर की ऐसी तारीख से, जबकि विभिन्न राज्यों में उचित मूल्य की

दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी की निर्गम अवधि शुरू हुई थी, इसका मूल्य 2.15 रु० प्रति किलो० कर दिया गया। इससे पहले, प्रत्येक में खुदरा मूल्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग निर्धारित किया जाता था। ऐसा करते समय चीनी के निकाशी मूल्य में उत्पादन शुल्क, परिवहन, सम्भालने सम्बन्धी खर्चों, थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों को कमीशन आदि को भी शामिल किया जाता था। विभिन्न राज्यों में पहली अक्तूबर, 1972 के पहले उचित/लेवी चीनी के प्रति किलो खुदरा मूल्य का रेंज 1.67 से 2.50 रु० प्रति किलो था। एक विवरण संलग्न है जिसमें 1972-1974 वर्ष के दौरान चुनींदा प्रमुख केन्द्रों पर खुली बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्यों का मासवार ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8768/74**]

(घ)

वर्ष	प्रति किलो कमाई गई औसत विदेशी मुद्रा (रु० में)
1972	1.27
1973	1.70
1974 (अनुमानित)	4.60

(ङ) जनवरी, 1972 से अक्तूबर, 1974 तक लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की निमक्तियों का मासवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8768/74।**]

(च) इस प्रश्न का उत्तर भाग (ग) में दिए गए उत्तर में दिया गया है।

सरकार द्वारा भारतीय समाज कल्याण परिषद को अपना प्रतिवेदन छापने के लिए अनुदान न देना

4580. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष भारतीय समाज कल्याण परिषद को अपना प्रतिवेदन छापने के लिए अनुदान देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) : जनवरी, 1974 में अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 14 से 20 जुलाई, 1974 तक नैरोबी में होने वाले 17 वें बाल कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किए जाने के लिए अपनी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का मुद्रण कराने हेतु सहायक अनुदान के लिए आवेदन पत्र किया या इस प्रार्थना की जांच करने के लिए परिषद से रिपोर्ट के मूल-पाठ की एक प्रति मांगी गई थी। सरकार को रिपोर्ट का मूलपाठ 30 मई, 1974 को प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट की जांच करने से पता चला है इस में काफी सामग्री ऐसी थी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाना सुसंगत नहीं था। परिषद के कार्यकारी सचिव को यह बात जबानी बता दी गई थी। परिषद की कार्यकारी समिति ने 8 जून, 1974 को मद्रास में हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और परिषद की अध्यक्ष को प्राधिकृत किया कि रिपोर्ट में जो संशोधन आवश्यक हों, उन्हें करने के बाद वह रिपोर्ट का अनुमोदन कर दे परिषद के कार्यकारी सचिव ने अपने तारीख 10 जून, 1974 के पत्र में यह जानना चाहा था कि रिपोर्ट के ऐसे कौन से

भाग हैं जिन में संशोधन आवश्यक है। 15 जून, 1974 को उन्हें सूचित किया गया था कि रिपोर्ट को पेश किए जाने योग्य बनाने के लिए रिपोर्ट का सम्पादन ऐसा काम था, जिसे परिषद ही सब से अच्छी तरह कर सकती है। परिषद के कार्यकारी सचिव से रिपोर्ट का संशोधित रूप 17 जून, 1974 को प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट के संशोधित रूप के संदर्भ में अनुदान सम्बंधी प्रार्थना पर अभी विचार किया ही जा रहा था कि परिषद की अध्यक्षा ने तारीख 30 जून, 1974 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया की उन्होंने संस्था के हित को देखते हुए रिपोर्ट को वापिस लेने का निर्णय किया है। इससे रिपोर्ट को प्रतियां मुद्रित कराने के लिए अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना पर और विचार करना सुसंगत न रहा।

कावेरी नदी जल विवाद

4581. श्री एम० एम० जोजफ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने कावेरी नदी जल विवाद के संबंध में 31 अगस्त, 1974 को उनके पास एक अदर्ध सरकारी पत्र भेजा था ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार नेलो थुराई योजना के लिए निर्माण कार्य आरंभ करने पर विचार कर रही है जिसके लिए केरल सरकार ने तीन संबंधित राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद का समझौता न होने तक योजना को क्रियान्विति के विरुदध तमिलनाडु सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को विरोध-पत्र भेजा है; और

(ग) क्या सरकार कावेरी नदी जल योजना के समझौते के हल होने तक पहले ही जारी कर दी गई मंजूरी को रोकेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु दवारा यथा प्रस्तापित नेल्लोथोराई जल विदयुत परियोजना में विदयुत उत्पादन के लिए भवानी नदी (कावेरी को एक सहायक नदी) पर पिल्लूर बांध के नीचे टेलरेस जल-अयुक्ति का सदपयोजन करना परिकल्पित है। केरल का दावा है कि चूंकि यह परियोजना कावेरी बेसिन में स्थित है, इसे उनको सहमति लिए बिना स्वीकृति नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने अभी इसे अनुमोदित नहीं किया है। केरल के दावे को जांच की जा रही है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए नियतन का आधार

4582. श्री गिरिधर गोमांगी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के लिए केन्द्र तथा राज्यों दवारा सिंचाई परियोजना के लिए राज्यवार क्या नियतन किया गया है;

(ख) नियतन के लिये क्या आधार अपनाया गया है ; और

(ग) वार्षिक योजना तथा पांचवीं योजना में आदिवासी उपयोजना के लिये केन्द्र तथा राज्य द्वारा कितना नियतन निर्धारित किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा उनको विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। सिंचाई सैक्टर के लिये 1974-75 वर्ष हेतु राज्य वार आबंटन संलग्न विवरण में दिये गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8769/74]** 1975-76 वष के लिए आबंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 1974-75 वर्ष को वार्षिक योजना तैयार करते हुए निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था :—

(1) उन स्कोमों को प्राथमिकता दो गई जिनके संबंध में पहले से हो काफो प्रगति हो चुकी है और जो किए जाने वाले निवेशों के साथ-साथ उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त करने में सक्षम हैं।

(2) बहुदेश्योय और अन्तर्राज्योय परियोजनाओं के लिए सम्बद्ध राज्य योजनाओं में आवश्यक उपयुक्त प्रावधान रखे गए हैं।

(3) कुछ ऐसो महत्वपूर्ण संरचनाओं के आधुनिकोकरण के लिए आवश्यक सावधान रखे गए हैं जिनमें प्रतिस्थापना अपेक्षित थो।

(4) उन स्कोमों को प्राथमिकता दो गई है जिनसे चिरकाल से सूखा-प्रभावित, आदिमजाति और पिछडे क्षेत्रों को लाभ पहुंचेंगे।

(ग) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, आदिमजाति उप-योजनाओं के लिए अनुपूरक सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपये का परिव्यय रखने का विचार है। 1974-75 वर्ष के लिए राज्यों को आदिमजाति उप-योजनाओं को तैयार करने एवं अग्रिम कार्यवाहो के लिए 5 करोड़ रुपये को धनराशि दी गई हैं।

क्रियान्वित न किए गए सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण परियोजनाए

4583. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि और सिंचाइ मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा मंजूर को गई कितनो सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं राज्यों के पास बिना क्रियान्वित को गई पड़ो हैं ;

(ख) यदि ऐसे कोई राज्य हैं, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसे राज्यों ने शोघ्र हो इन परियोजनाओं को आरंभ न करने के लिए क्या विशिष्ट कारण बताएं हैं ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में वर्ना तथा उड़ोसा में आनंदपुर बराज ऐसो सिंचाई स्कोमें हैं जिनपर कार्यों को अभो तक अच्छो प्रगति नहीं है। वर्ना के मामले में, राज्य सरकार एक ऐसे वैकल्पिक स्थल की संभावना पर विचार कर रहो है, जिसमें जलमग्नता कम हो। आनंदपुर बराज के मामले में, उड़ोसा सरकार द्वारा स्थल के संबंध में अभो अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

जिन बाढ़ नियंत्रण स्कोमों का कार्यान्वयन नहीं किया गया है, वे ये हैं : (1) असम में पगलादिया बाढ़ अवरोधन बांध और (2) पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा तटबंध। पहलो स्कोम को धन के अभाव के कारण तथा दूसरी को सुवर्णरेखा तकनोकी समिति को सिफारिशों के आधार पर आवश्यक संशोधन करने के कारण क्रियान्विति नहीं हुई है।

वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक उडीसा में चावल की वसूली

4584. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या कृषि और सिचाई मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1973-74 के दौरान चावल को वसूलो का क्या लक्ष्य था तथा अब तक कितना चावल वसूल किया गया है,

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में उड़ोसा में चावल को कितनी वसूली हुई, और

(ग) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में उड़ोसा से कितना चावल निर्यात किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान उड़ीसा में चावल को अधिप्राप्ति के लक्ष्यों और वास्तव में की गई अधिप्राप्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अधिप्राप्ति के लक्ष्य	वास्तविक अधिप्राप्ति
1971–72 . .	350	169
1972–73 . . .	300	210
1973–74	400	214

(ग) 1971-72 और 1972-73 में उड़ोसा से निर्यात की गई चावल की मात्रा इस प्रकार थी :—

(आंकड़े हजार मो०टनमें)

1971–72	6.3
1972–73	50.0

बीजों की आवश्यकता का सर्वेक्षण

4585. **श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीजों को आवश्यकता का सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम में कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 में बोये जाने वाले गेहूं तथा अन्य रबी फसल के बीजों की आवश्यकताओं के बारे में लगाया गया अनुमान क्या है तथा बीजों का कितना उत्पादन किया गया और बिहार को कितना बीज सप्लाई किया गया ; और

(ग) बिहार में किन स्थानों पर बीज का उत्पादन करने को अनुमति दी गई है तथा उनकी जोत कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) राज्य के किसानों की आवश्यकतानुसार, विभिन्न फसलों के बीजों की विभिन्न किस्मों को जरूरतों का अनुमान लगाना और मांग को पूरा करने के लिये बीजों की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने वितरकों के माध्यम से बीजों की सप्लाई करके तथा राज्य सरकारों और अन्यों द्वारा भेजे गये मांग पत्रों के लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धि की व्यवस्था करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देता है।

(ख) बिहार सरकार ने रबी के चालू मौसम के लिये लगभग 30,000 मीटरी टन गेहूं के बीज की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय बीज निगम ने अपने 1973-74 के 14,523 मीटरी टन के उत्पादन में से बिहार को 7,000 मीटरी टन की सप्लाई की थी। राज्य सरकार ने बीज के लिए भारतीय खाद्य निगम के अच्छी किस्म के सोनालिका गेहूं का भी उपयोग किया था। राज्य सरकार न

सूचना भेजी है कि रबी के मौजूदा मौसम के लिये गेहूं के बीज की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। राष्ट्रीय बीज निगम ने वितरण के लिये राज्य सरकार को लगभग 300 मीटरी टन संकर मक्का की सप्लाई की है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने बिहार के अनेक जिलों में 379 एकड़ क्षेत्र में 1973-74 के रबी के मौसम के दौरान गेहूं के लिए केवल एक मामूली स्तर के बीज उत्पादन कार्यक्रम की व्यवस्था की थी।

गुजरात में उच्च शिक्षा के संबंध में जोन समिति का प्रतिवेदन

4586. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में उच्च शिक्षा के संबंध में वी० वी० जोन समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ग) क्या गुजरात सरकार ने उक्त प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय नारी वर्ष

4587. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय नारी वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक समिति स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) जी, हां। उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

(ख) समिति की पहली बैठक 10 दिसम्बर, 1974 को हुई और उसमें संकल्प किया गया कि कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिएं जिनसे स्त्रियों के दर्जे को सुधारने के संबंध में ठोस परिणाम प्राप्त हों और स्त्रियां राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अब से अधिक कार्य कर सकें। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उन में इस समय लागू विभिन्न कानूनों के संदर्भ में अपने अधिकारों और उत्तर दायित्वों के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न करने पर बल दिया गया था। परिवार नियोजन पर तथा समाज में स्त्रियों के कार्य के सम्बन्ध में पुरुषों और स्त्रियों में कुछ व्यवहारात्मक परिवर्तन लाए जाने पर भी जोर दिया गया। इस बात को भी बल दिया गया कि आदिवासी, गंदे और ग्रामीण क्षेत्रों पर मुख्यतया ध्यान दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय समिति के साधारण निष्कर्षों को देखते हुए कार्यक्रम का ब्यौरा निश्चित करने के लिए एक उप समिति पर भी विचार किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रमों का सामन्जस्य इस क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों से मिलने के लिए हर प्रकार की चेष्टा की जाएगी।

उर्वरकों की बिक्री के लिए परमिट व्यवस्था समाप्त करना

4588. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी थोक विक्रेताओं को उर्वरकों का अपना स्टाक खुले रूप से बेचने में सहायता देने हेतु परमिट व्यवस्था को समाप्त करने की वाछंनियता पर विचार किया गया;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में केवल कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कार्ड/परमिट की व्यवस्था चालू की है। भारत सरकारकी इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वितरण की व्यवस्था से कुछ राज्यो में सुगमता तथा शीघ्रता से होने वाली उर्वरकों की खरीद पर प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार ने इन शिकायतों की और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे कार्ड/परमिट की वितरण की व्यवस्था का पुनरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि चाहे यह व्यवस्था आवश्यक क्यों न हो, परन्तु इसे सुगमता तथा शीघ्रता से होने वाली उर्वरकों की खरीद के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

निरक्षरता का उन्मूलन

4589. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान देश में राज्यवार निरक्षरता के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी ;

(ख) देश में राज्यवार निरक्षरता का उन्मूलन करने में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) देश में, राज्यवार पुरुषों तथा महिलाओं में पृथक-पृथक निरक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकार को उन सभी स्वेच्छिक संगठनों के बारे में जानकारी नहीं है जो देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे है।

बिहार में चीनी कारखानों द्वारा कर्मचारियों को सप्लाई को गयी चीनी

4590. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कारखानों को अपने-अपने कारखानों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सरकार से कोटा मिलता है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक चीनी कारखाने ने बिहार में 1973-74 के सीजन में तथा गैर-सीजन के दौरान अपने-अपने कर्मचारियों की संख्या कितनी दिखायी है तथा प्रत्येक कर्मचारी को कितनी मात्रा में चीनी सप्लाई की गई थी, और

(ग) इस उद्देश के लिए प्रत्येक चीनी कारखाने को कितना कोटा दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) जी हां

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मौसम के और गैर मौसम के दौरान कर्मचारियों की संख्या और 1973-74 मौसम के लिए बिहार की चीनी फैक्ट्रियों के फैक्ट्री कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेट पर बिक्री के कोटे हेतु आबंटित मात्रा का ब्यौरा दिया गया है । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8770/74)** प्रत्येक फैक्ट्री को गेट पर बिक्री के कोटे का आबंटन प्रत्येक मास प्रति कर्मचारी को 3 कि० देने के हिसाब से किया जाता है ।

श्री बिशन सिंह बेदी के विरुद्ध लगाए गए आरोप

4591. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुखदेव प्रसाद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्री बिशन सिंह बेदी के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाए हैं और उसने इसका क्या उत्तर दिया है ;

(ख) क्या श्री बेदी ने यह शिकायत की थी की वर्ष 1974 में इंलैंड गई भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों को उनके व्यय के लिए दिये गये विदेशी मुद्रा के पूरे कोटे से वंचित रखा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस शिकायत में कोई सार है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग) : भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने, श्री बिशन सिंह बेदी के किसी कार्य को शिष्टता का उलंघन समझा । श्री बिशन सिंह बेदी ने इसके लिए खेद प्रकट किया जिसें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और मामले को उन्होंने अब समाप्त समझ लिया है ।

बाढ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए निर्धारित धन का दुर्विनियोग

4592. श्री वसन्त साठे :
श्री धामनकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1974 के समाचार पत्र में 'टेन करोड़ आपरेशन फ्लड स्विंडल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (आपरेशन फ्लड) की क्रियान्विति के लिए भारत सरकार द्वारा लिए हुए निर्णय के अनुसार भारतीय डेरी निगम (सरकारी क्षेत्रीय निगम) जिसे परियोजना की क्रियान्विति का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, को विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार रूप में प्राप्त वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सरकार के पास जमा करना था। भारतीय डेरी निगम अपेक्षित राशि सरकार के पास जमा नहीं करा रही है। उसने अनुरोध किया है कि इस व्यवस्था पर पुनः विचार किया जाय अतः उसपर विचार किया जा रहा है।

अखाद्य फसलों में उर्वरकों का उपयोग न करके अन्यत्र करने के बारे में राज्य सरकारों की नीति

4593. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में उर्वरकों के उपलब्ध न होने तथा उर्वरकों का उपयोग अन्य फसलो में असंगता पूर्ण करने की कुछ राज्य सरकारों की नीतियों के बारे में जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि करने के लिए ऐसी नीति की जांच करने हेतु कोई समिति नियुक्त की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) आवश्यकताओं की तुलना में देश में उर्वरकों की कुछ कमी है। परन्तु उर्वरकों का उपयोग अन्य फसलों में असंगता पूर्व करने की राज्य-सरकारों की नीतियों के बारे में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Honorarium to Writers in the Ministry

4594. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the basis and the rates at which honorarium is paid to the writers who contribute articles for English and Hindi journals published by his Ministry.

(b) whether non of the writers who contributed articles for the Hindi edition of the "Bhagirath" has so far been paid honoraium for the articles published in any of the issue of the journal so far;

(c) if so, the reasons for ignoring contribution to "Bhaigirath" from payment of honorarium; and

(d) whether the arrangements are being made to pay honorarium for all the articles included in issues of "Bhagirath" published so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) In the Departments of Agriculture, Food, Agricultural Research and Education and Irrigation, honorarium is paid to the writers who contribute articles for English, and Hindi journals on the basis of the quality and contents of articles, at the rates indicated in the Statement.

(b) to (d) Hindi edition of "Bhagirath" started its publication in April, 1974. The question of payment of honorarium to the non-Government official contributors is under active consideration.

Statement

Name of Department	Rate of	Honorarium paid to contributors of articles
Department of Agriculture (Dte of Extension)	Rs. 10 to 25/-	For both Government Servants and others.
Department of Research and Education (Indian Council of Agricultural Research)	Rs. 30 to 100/-	
Department of Rural Development	Upto Rs. 250/-	For contribution from other than Government Servants.
Deptt. of Food (Food Corporation of India)	Rs. 50 to 100/- Rs. 25/-	For eminent contributor for own employees.
Department of Irrigation	Upto Rs. 250/-	For contributors other than Government servants in respect of English Edition of Bhagirath.

लघु किसान विकास एजेंसी परियोजना के लिए कसोटी

4595. **श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु किसान विकास एजेन्सी परियोजना के लिये अपेक्षित कसौटी क्या है ;

(ख) पांचवीं योजना में 1974-75 वर्ष के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रारम्भ की जानी है ; और

(ग) क्या इस योजना को सारे देश में लागू किया जायेगा ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्यों को छोटा किसान विकास एजेन्सी परियोजनाओं का आबंटन और उन जिलों जिनमें ऐसी परियोजनायें स्थापित की जानी हैं, का चयन मुख्य रुप से छोटे/सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जिलों का चयन करने में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि जिला सहायक धन्धों के लिए उपयुक्त है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वर्तमान परियोजनाओं को मिलाकर कुल 160 छोटा किसान विकास एजेंन्सी परियोजनायें स्थापित की जानी हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने छोटा किसान विकास एजेन्सियों को नया रूप देने के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं उनके आधार पर पांचवीं योजना में इनके अन्तर्गत 160 जिलों को लाने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय में डी० पी० ए० पी०, सी० ए० डी० पी०, टी० डी० ए० आदि जैसे दूसरे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को उपलब्ध सुविधाओं और ऐसे विशेष और गहन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली आवश्यक सहायता को भी ध्यान में रखा गया है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल एजेंसी यूनिटें
आन्ध्र प्रदेश	15
असम	4
बिहार	16
गुजरात	6
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू तथा काश्मीर	4
केरल	4
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	12
मणिपुर	1
मेघालय	2
मैसूर (कर्नाटक)	7
नागालैण्ड	1
उड़ीसा	7
पंजाब	4
राजस्थान	5
तमिलनाडु	12
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	26
पश्चिम बंगाल	9
केन्द्रशासित क्षेत्र तथा रिजर्व	7
योग	160

शिक्षा मंत्रालय में की गई बचत

4596. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में " 400 करोड़ रुपये के केन्द्रीय बचत पूल के अन्तर्गत योजना एवं गैर-योजना मदों के विषय में क्या कटौती अथवा बचत की जाती है ; और

(ख) इस कटौती के परिणामस्वरूप जो योजनाएं/परियोजनाएं आस्थगित की जानी हैं वे कौनसी हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) तथा (ख) संस्कृति विभाग सहित, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के चालू वर्ष के बजट में, किफायत अभियान के एक भाग के रूप में 11.97 करोड़ रुपये की कटौती का प्रस्ताव है। यह कटौती अधिकतर अनेक योजनाओं के कार्यकलापों को धीमा करके लागू की गई है। तथापि, निम्नलिखित कुछेक योजनाएं आस्थगित कर दी गई है :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर युवक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान ;

(2) ग्रामीण विद्यापीठ की स्थापना ;

(3) शिबिर स्थलों का विकास ;

(4) नव-साक्षरों के लिए ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना ;

(5) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा ;

(6) साक्षरता को रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ना ;

(7) अन्तर्राष्ट्रीय छात्र हाऊस, कलकत्ता ;

(8) विशेष खेल-कूद स्कूलों की स्थापना ;

(9) तकनीकी शिक्षा में उन्नत अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र ;

(10) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ की स्थापना ;

(11) हिन्दी भाषी राज्यों में, आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति ;

(12) राज्य तथा जिला गज़ेटियरों के लिए अनुदान ;

(13) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय।

पंजाब के गन्ना उत्पादकों द्वारा अपना उत्पाद चीनी मिलों को न बेचने का निर्णय

4597. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गन्ना उत्पादकों ने निर्णय किया है कि यदि उन्हें उनके उत्पाद का उच्चतर मूल्य न दिया गया तो वे अपना उत्पाद चीनी मिलों को नहीं बेचेंगे ;

(ख) क्या इस निर्णय का देश में चीनी के उत्पादन और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में मध्यस्थता करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकाशित समाचार को ही केवल देखा है। तथापि, पंजाब में 6 फैक्ट्रियों में से पांच फैक्ट्रियों ने इस मौसम में पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ख) मौसम के शुरू में ही यह कहना कठिन है कि उत्पादन में कोई कमी होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की राष्ट्रपति की अनुमति मिलने में विलम्ब

4598. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, आसाम, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के मामले में केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये जाने अथवा उनकी सिफारिश किये जाने में क्या विशिष्ट कठिनाइयां हैं ; और

(ख) इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) असम का जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानून, 1972 में राज्यपाल की स्वीकृति से बनाया गया था। चूंकि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत थी, अतः राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह या तो राज्य विधान मण्डल से इसे पुनः पारित कराने के लिए उपाय करे या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त अधिनियम को मंसूख करवा के अध्यादेश द्वारा एक नया कानून लागू करे।

राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित महाराष्ट्र के विधेयक को अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है क्योंकि भारत सरकार का विचार है कि यह जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकतायें पूरी नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम का राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यापक संशोधन किया गया है। इस विधेयक में आगे कुछ मामूली संशोधन हो रहा है।

तमिलनाडु में अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून का हाल के वर्षों में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कई बार व्यापक संशोधन किया गया था और समुचित स्तर पर इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी।

कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा कृषि उत्पादन में सहायता का प्रभाव

4599. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री परियोजनाओं के लिए पुर्नवित्त आयोग द्वारा सहायता के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस पूंजी निवेश का कृषि उत्पादन पर कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ा ;

(ख) क्या उन्होंने कमजोरियों और कमियों का पता लगाया है ; और

(ग) क्या उन्होंने निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कोई उपाय किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) से (ग) विभिन्न परियोजनाओं में वित्तदायी संस्थाओं, जिन्हें कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा पुर्नवित्त जाता है, द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग अलग-अलग लाभभोगियों द्वारा महत्वपूर्ण लघु सिंचाई तथा अन्य फार्म निवेशों में किया गया है जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक कृषि उपज बढ़ी है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत धन प्राप्त निवेशों से होने वाली बचत और किसानों के लाभों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, कृषि पुर्नवित्त निगम में हाल ही में एक मूल्यांकन सेल गठित किया गया है, जिससे इस बारे में उपयुक्त अध्ययन करने की आशा की जाती है।

2. वित्तदायी संस्थाओं ने लघु सिंचाई कार्यक्रमों, जिनमें निवेशों का अधिकांश भाग लगा में तकनीकी व्यवस्थाओं को अपनाने कुछ में कठिनाइयां अनुभव की थीं और यह सुनिश्चत करने के लिए उपयुक्त निवारक कार्यवाही को गई है कि भूगत जल संसाधनों का आयोजित उपयोग किया जाए। अन्य मामले, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के ऋणों के अन्तर्गत रियायती उधार देने के प्रयोजन के लिए छोटे किसानों को परिभाषा तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों के अतिदेयों के स्तर से सम्बन्धित मानदंड की पुष्टि करने के बारे में हैं। उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की गई है ताकी कृषि पुनवित्त निगम द्वारा की गई पुनर्वित्त व्यवस्था को क्षति न पहुंच। अन्य उपायों में बैंकिंग योजनाओं का गठन शामिल है, ताकि निवेश कार्यक्रमों में वाणिज्यिक बैंकों को आयोजित भागीदारी की सुनिश्चित किया जा सके।

3. निगम द्वारा अपनाई गई नीतियों और पद्धतियों तथा संगठनात्मक ढांचे की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और निगम द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के शीघ्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाते हैं।

पंजाब में किसानों को धान-बोनस दिया जाना

4600. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को धान-बोनस देने संबंधी पंजाब सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रिय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) और (ख) किसानों को धान पर बोनस देने के बारे में पंजाब सरकार से हाल में प्राप्त अनुरोध पर भारत सरकार विचार कर रही है।

गृह निर्माण के लिए ऋण मंजूर करने पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना

4601. **श्री शशि भूषण :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण देने पर प्रतिबन्ध को हटा दिया है;

(ख) क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई है या प्रतिबन्ध पूर्ण रूप से हटा दिया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और क्या सरकारी कर्मचारी इससे सन्तुष्ट है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):(क) तथा (ख) यह प्रतिबन्ध कुछ पाबंदियों लगा कर आंशिक रूप से हटा दिया गया है।

(ग) लगाई गई पाबंदियां इस प्रकार है :—

(i) गृह निर्माण अग्रिम के लिए नये आवेदन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कतिपय निर्दिष्ट वर्गों से ही मांगे गये हैं;

(ii) गृह निर्माण के लिए, गृह निर्माण अग्रिम को राशि को 25,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है ।

(iii) बने बनाए फ्लैट/मकानों को खरोदने के लिए अग्रिम को राशि इस प्रकार आबंटित मकान को लागत के 20 प्र० श० तक सोमित कर दी गयी है जिसमें वे अदयगियां अथवा धरोहर राशियां यदि कोई हों, कम कर दो जायेंगो जिन्हें सम्बन्धित केन्द्रोय सरकारी कर्मचारो ने प्राधिकरण को पहले दे दिया है ;

(iv) भूमि खरोदने के लिए अग्रिम को राशि को सम्बन्धित केन्द्रोय सरकारो कर्मचारी जिस राशि का पात्र होगा उसके 20 प्र० श० /15 प्र० श० तक अथवा 5000 रु० तक इनमें से जो भी कम होगा, तक सोमित रखा गया है ।

आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत ऋण

4602. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और नगरोय विकास निगम लिमिटेड ने विभिन्न राज्यों अथवा सरकारी उपक्रमों को कितने राशि के ऋण मंजूर किए हैं ;

(ख) ये ऋण किन शर्तो पर दिए गए हैं और कितनी राशियां वास्तव में रिलीज की गई ; और

(ग) भवन परियोजनाएं पूरी करने में उक्त ऋणों का कितना उपयोग किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) आवास तथा नगर विकास निगम सीमित द्वारा राज्य सरकारों अथवा राज्य उपक्रमों (आवास बोर्डों, नगर सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों, आदि) को 30 नवम्बर, 1974 तक स्वोकृति किये गये और दिये गये ऋणों को राशि तथा इन अभिकरणों द्वारा किये गये व्यय का एक विवरण-पत्र संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8771/74]**

जिन शर्तो पर ऋण दिया जाता है, वे निम्नलिखित है :—

(i) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों पर इस समय लिये जाने वाले ब्याज की सामान्य दर 8 प्रतिशत है जिस पर शोघ्र अदायगो को हालत में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत को छूट दो जाती है । आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लाभहेतु बनो योजनाएं अथवा जिन संयुक्त योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो को बेचने के लिये प्रस्तावित मकानों/प्लाटों पर व्यय समस्त योजना के कुल व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत होता है, वें ब्याज को $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत की घटी (अर्थसहाय) दर के लिय पात्र होतो है, जिसमें शोघ्र अदायगी पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत को छट मिलती है । ऋण या ब्याज को किश्त देय तिथि को भर न देने से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत को दर पर दण्डात्मक अतिरिक्त ब्याज अदा करना होता है ।

(ii) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लिये योजनाओं से संबंधित मामलों में ब्याज को अदायगो छः मासिक हैं और मूल 20 वर्ष के भोतर अदा करना होता है, निम्न आय वर्ग के मामले में 15 वर्षो में और अन्य वर्गो के मामले में 12 वर्षो में ।

(iii) एक स्वतन्त्र अनुमोदित मूल्यांकन कर्ता द्वारा मूल्यांकित ऋणो को भार रहित सम्पत्तियों के रेहन द्वारा किसो समय में ऋण को शेष राशि के $133\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक ऋण सुरक्षित किया जाना होता है । उस मामले में, जहां सामाजिक आवास परियोजनाओं के मामले में ऋण देने को ब्याज को दर $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत तथा गैर सामाजिक आवास परियोजनाओं के मामले में $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत से नहीं बढ़तो, ऋणकर्ता, सम्पत्तियों को रहन रखने के स्थान पर ऋण को सुरक्षा के लिये राज्य सरकार को गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

ऋणों की सुरक्षा के लिये बैंक गारंटियां भी मान्य हैं ।

भावनगर के ट्रांजिट गोदाम में रासायनिक उर्वरक की क्षति

4603. श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री नवल किशोर सिंह :
श्री नवल किशोर शर्मा :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का 68 लाख रुपये मूल्य का रासायनिक उर्वरक 23 नवम्बर 1974 को भावनगर बन्दरगाह के ट्रांजिट गोदाम में नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) 22 नवम्बर, 1974 को लगभग 1400 बजे भावनगर बन्दरगाह के ट्रांजिट शेड नं० 1 में (जहां कैलशियम एमोनियम नाईट्रेट का भण्डार जमा था) आग लगने का पता लगा था। फायर ब्रिगेड और बन्दरगाह पर आग बुझाने वाले दमकलों की सहायता से लगभग 1700 बजे आग बुझा दी गई थी। इस आग से 2863 मीटरी टन कैलशियम एमोनियम नाईट्रेट जोकि इस ट्रांजिट शेड के अन्दर और कुछ बाहर, था, का नुकसान हुआ था। तथापि, अनुमान लगाया गया है छंटाई करने के पश्चात् इस मालके एक बहुत बड़े भाग को उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है और आंशिक रूप से नुकसान पहुंचे हुए उर्वरक को गोबर की खाद में मिलाने के लिये घटिया उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। जो शेष बचेगा उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होंगे। इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मात्रा और आग से हानि पहुंचे उर्वरक का सही सही अनुमान छंटाई के पश्चात लगाया जा सकेगा।

यह सारा भण्डार भारत सरकार का है और भारतीय खाद्य निगम इसके लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है। आग लगने के समय यह सारा भण्डार भावनगर बन्दरगाह के अधिकारियों के कब्जे में था जो बन्दरगाह के ट्रांजिट शेडों में बोरियों में भरे हुये माल के लिये रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भावनगर बन्दरगाह गुजरात सरकार के नियंत्रण में है।

आग की सूचना मिलते ही भारतीय खाद्य निगम ने एक सर्वेक्षण की नियुक्ति कर दी थी। राज्य सरकार ने पुलिस को तहकीकात करने के आदेश दे दिये हैं और इस मामले की छानबीन करने के लिये एक जांच समिति की भी नियुक्ति की गई है। नुकसान पहुंचने के समय यह माल भावनगर बन्दरगाह के अधिकारियों की निगरानी में था। इसलिये भारतीय खाद्य निगम ने बन्दरगाह के विरूद्ध दावा दायर कर दिया है। बचे हुये माल को छांटने का कार्य जारी है और अच्छे माल को बोरों में भर कर विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा है।

Central Expenditure on National Discipline Scheme

4604. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the extent to which Central Government is bearing financial burden every year on N.D.S. after the passing of administrative control of the Instructors of National Discipline Scheme to the States; and

(b) the financial burden thereof prior to this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) The administrative control of the Instructors of the erstwhile National Discipline Scheme, except for those in Kerala, has been transferred to the various State Governments on different dates starting from 1-8-1972. The expenditure incurred on the Instructors by way of grants to the State Governments and directly by the Central Government prior to, and after the process of transfer had started has been as follows :—

(i) 1971—72 Rs. 2,26,87,000

(ii) 1972—73 Rs. 2,34,41,000

(iii) 1973—74 Rs. 2,61,24,000.

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों का विकास

4605. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक परियोजनाओं हेतु महाराष्ट्र के किन-किन जिलों को चुना गया है ;

(ख) उन जिलों में कितना व्यय किया जाना है ; और

(ग) यह व्यय किस प्रकार और किस अवधि में किया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक विकास परियोजना हेतु महाराष्ट्र के अहमदनगर और शोलापुर जिले चुने गए हैं। प्रत्येक जिले को 4 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता मिलेगी और इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी । संस्थागत ऋणों को मिलाकर परियोजना राशि की अहमदनगर में कुल 15.18 करोड़ रुपये और शोलापुर में 15.48 करोड़ रुपये होने की संभावना है । इस परियोजनामें लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण, चरागाह विकास, वन व्यवस्था, बागनी खेती, मेड़ विकास तथा डेरी विकास जैसे कार्य शामिल हैं । इस परियोजना के 30 जून, 1980 को पूरा होने की संभावना है ।

कोसी नहर के लिये अदा की गई क्षतिपूर्ति

4606. श्री राम कंवर बेरवा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नहर के लिए अभिगृहीत क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को कुल कितनी क्षतिपूर्ति अदा की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : नेपाल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के मुआवजे के रूप में नेपाल सरकार को 36,25,256 रुपये दे दिए गए हैं ।

लद्दाख में सिंचाई परियोजनाओं का विकास

4607. श्री कुशोक बाकुला : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में अगले दो वर्षों में विकसित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर कितना व्यय किया जाना है और उससे कितना लाभ होगा ?

6—44 LSS(ND)/74

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) जुलाई, 1974 में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में चौथी योजना में शामिल की गई निम्नलिखित चार सिंचाई स्कीमें पांचवीं योजना में भी जारी रहेंगी :—

स्कीम का नाम	शक्यता (एकड़)
1. खुम्बाथांग नहर	970
2. उपशी नहर	550
3. गारगारथांग नहर	250
4. अविचनमोथांग नहर	1261

गारगारथांग नहर तथा अविचनमोथांग नहर पूर्ण होने वाली ही है। अन्य दो नहरों पर कार्य प्रगति पर है। अगले दो वर्षों में इन पर व्यय की जाने वाली राशि का अभी पता नहीं है क्योंकि 1975-76 तथा 1976-77 की वार्षिक योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि लद्दाख क्षेत्र में इन स्कीमों के अतिरिक्त अनेक स्कीमें सर्वेक्षण और अन्वेषण स्तर पर हैं।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उपक्रम के बारे में समाचार

4608. श्री० एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में "पोस्ट एबोलिश्ड, आफिशियल स्टिल ड्राज सैलरी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा इस वर्ष एक अप्रैल, 1974 से पद को समाप्त कर देने के उपरान्त भी दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उपक्रम का एक अधिकारी अपने पद पर बना हुआ है और वेतन ले रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

F (ख) कानूनी सलाह के अनुसार, सहायक आयुक्त (जल) के पद को समाप्त करना विधि सम्मत नहीं था। इस प्रकार, पद को बनाये रखा गया।

दामोदर नद में जल दूषण

4609. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री रोबिन सैन :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर नदी के आसनसोल-दुर्गापुर कलकत्ता क्षेत्र को भारत का अत्यधिक दूषित क्षेत्र कहा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई दूषण समस्या को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दामोदर नदी का आसनसोल कलकत्ता क्षेत्र काफी दूषित है।

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने एक राज्य बोर्ड गठित किया है। आशा है कि राज्य बोर्ड पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत दामोदर नदी के प्रदूषण पर नियन्त्रण करने तथा निवारण के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

गंगा बेसिन जल संस्थान संगठन के बनारस डिवीजन के कार्यालय के उपकरणों को जब्त करना

4610. श्री रेणुपद दास : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के बनारस डिवीजन के कार्यालय के उपकरण तथा एक जीप को न्यायालय की डिग्री के अन्तर्गत, एक भूतपूर्व कर्मचारी के पक्ष में जब्त कर लिया गया है ;

(ख) क्या उक्त कार्यालय के अधिकारियों को फरनीचर न होने के कारण बाध्य हो कर फर्श पर बैठ कर कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा चूंकि दूसरी बार समान जब्त किये जाने का भय था ;

(ग) क्या इस संगठन के अन्य डिवीजनों में भी अधिकारियों की अकुशलता तथा कुशासन के कारण सरकार के विरुद्ध इस प्रकार के अन्य मामले दर्ज किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जब तक भूतपूर्व कर्मचारी की कार्यालय के उपकरणों तथा जीप की अब मुक्त करने के सबंध में अतिरिक्त मुन्सिफ, बाराणसी, द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रति की गई अपील पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया जाता, तब तक के लिए उपलब्ध कार्यालय उपकरणों तथा फर्नीचर से ही काम चलाया जा रहा है।

(ग) गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के किसी अन्य मंडल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Running of Shops in C.S.P. Residential Flats in Janakpui D.D.A. Colony

4611. Shri Hira Lal Doda : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) wehter some allottees of the C.S.P. colony constructed by the D.D.A in Janakpuri are running shops in their residential flats against D.D.A. rules; and

(b) if so, whether D.D.A. propose to take some action in this regard and when such an action is likely to be initiated ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) (a) Yes, Sir.

(b) Notices have already been issued to such allottees by Delhi Development Authority.

संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्न गोदामों पर छापे

4612. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की जमाखोरी के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1974 में संघ राज्य क्षेत्रों में जिन फर्मों/व्यक्तियों के गोदामों पर छापे मारे गए उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न बरामद किए गए ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेशनल बुक ट्रस्ट में बर्ती तथा पदोन्नति नियम

4613. श्री अनादि चरण दास : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों के लिये भर्ती तथा पदोन्नति के कोई नियम हैं;

(ख) अगस्त, 1973 से ट्रस्ट में कितनी नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां हुई ; और

(ग) क्या इन नियुक्तियों/पदोन्नतियों के सम्बन्ध में किसी एक नीति का अनुसरण किया गया है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भर्ती के लिए उसी पद्धति को अपनाता रहा है जो ऐसे ही सरकारी तथा स्वायत्त संगठनों में समतुल्य पदों के लिये लागू हैं। तथापि, न्यास के विभिन्न पदों के लिये भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा इस समय उनको अन्तिम रूप देने के लिये कार्रवाई की जा रही है। एक अगस्त 1973 से की गई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों की कुल संख्या 69 है।

छोटा नागपूर और पालामाऊ में अकाल

4614. कुमारी कमला कुमारी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सामान्य रूप से छोटा नागपुर में तथा विशेषकर पालामाऊ जिले में पड़े भीषण अकाल के बारे में जानकारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Central Farms and Benefit to farmers therefrom

4615. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Central agricultural farms throughout the country;

(b) whether farmers get some benefit from these farms;

(c) if so, the type of benefit accruing to them; and

(d) whether some economic benefits have also accrued from these farms during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Fourteen Central Farms are being managed by the State Farms Corporation of India.

(b) Yes Sir.

(c) Quality seeds for high yielding varietes are produced and supplied to the State agencies for distribution to the farmers.

Heavy machinery at the farms is available to farmers around the farms on custom service basis.

(d) During the agricultural year 1972-73, these farms have given total production of 2.30 lacs quintals of foodgrains, pulses, oil seeds and fibre crops Qunatity of seeds sold was 71,000 quintals. During the agricultural year 1973-74, the aggregate production was about 2.36 lacs quintals, of which the quantity of seeds produced was 1,19,000 quintals. The estimated value of sales during 1973-74 is Rs. 3 crores compared to Rs. 2.07 crores in the previous year. During the year 1972-73, the farms registered a gross pofit of Rs. 102 lacs.

दिल्ली में झुग्गी झोंपडियों का हटाया जाना

4616. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों में कितनी झुग्गी झोंपड़ियां हटाई गई हैं ;

(ख) इन झुग्गी झोपडियों के रहने वालों को किन स्थानों पर बसाया गया ; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को झुग्गी झोपड़ियों के स्थान पर फ्लैट दिये गये तथा किस दर पर किस आकार के ?

निर्माण ओर आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि से जनवरी, 1972 से आज तक, लगभग 2130 झुग्गियां हटाई गई हैं।

(ख) संलग्न विवरण पत्र के अनुसार।

(ग) 568 लोगों को टेनमेंटस आबंटित किये गये हैं जिसमें प्रत्येक का फर्शी क्षेत्रफल 232 वर्ग फुट है। 250 रुपये प्रतिमास अथवा इससे अधिक आय वाले व्यक्तियों से टेनमेंट का किराया 40 रुपये प्रतिमास लिया जाता है। 250 रुपये प्रतिमास से कम आय वाले लोगों से किराया 27 रुपये प्रतिमास लिया जाता है जिसको 6 वर्ष की अवधि में क्रमश: 40 रुपये प्रतिमास तक बढ़ाया जाता है।

विवरण

1. श्रीनिवासपुरी
2. सीमापुरी
3. सीलमपुरी
4. मदनगीर
5. मादीपुर

6. नांगलोई
7. एन० जी० रोड
8. पाण्डु नगर
9. वज़ीरपुर
10. सनलाईट कालोनी
11. तिगड़ी
12. हस्तसाल
13. रिंग रोड
14. नारायणा
15. कालकाजी
16. गढ़ी

वर्ष 1974-75 के लिए उडीसा में रबी की फसल का उत्पादन लक्ष्य

4617. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में उड़ीसा के लिए रबी की फसल में कितने अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ; और

(ख) उड़ीसा में रबी उत्पादन कार्यक्रम का जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) फसल उत्पादन के मौसम-वार लक्ष्य केन्द्र द्वारा निश्चित नहीं किये जाते । कृषि और तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में उड़ीसा राज्य के लिए 1974-75 की वार्षिक योजना में प्रस्तावों के बारे में विचार करने के लिये योजना आयोग द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप द्वारा निश्चित किये गये कृषि उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

मद	यूनिटें	माना गया आधारस्तर (1973-74) उत्पादन	1974-75 के लिये लक्ष्य	1974-75 के दौरान अतिरिक्त लक्षित उत्पादन
1. खाद्यान्न . .	लाख मिटरी टन	54.01	57.00	2.99
2. गन्ना . .	,,	20.00	21.00	1.00
2. तिलहन . .	,,	2.00	2.50	0.50
4. मेस्ता . .	लाख गांठें	5.50	5.63	0.13

(ख) उत्पादन कार्यक्रमों के विषय में जिलेवार आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं अपितु राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

आसाम में बैलों की रहस्यमयी बीमारी

4618. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कारुप जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र में केवल गत अक्तूबर माह के दौरान ही किसी रहस्यमयी बीमारी ने सैकड़ों बैलों की जान ले ली है;

(ख) क्या पशुओं के डाक्टर इस बीमारी के कारणों का पता लगाने तथा उस का इलाज करने में असमर्थ हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाने तथा इसे अन्य राज्यों में फैलने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) असम के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अपोषण, भूख तथा 'लिवर फ्ल्यूक' पैरासाइट के रोग से 222 पशुओं के मरने की सूचना मिली हैं।

(ख) जी नहीं। राज्य सरकार के पशु-पालन विभाग के कर्मचारियों ने इस रोग का निदान कर लिया है।

10,168 पशुओं को टीके लगाये गये हैं और 6,554 पशुओं का उपचार किया गया है। विभाग ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं के चारे के लिये 400 क्विंटल हरी घास तथा 40 थैले सरकृत दाना भी भेजा है।

(ग) यह स्थिति बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई थी, अतः इन बीमारियों का समीपवर्ती राज्यों में फैलने का कोई डर नहीं है।

पांचवी योजना में वैस्टर्न कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परि-योजनाओं को पूरा किया जाना

4619. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वैस्टर्न कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था के बारे में 28 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि में राजस्थान, गंडक और वैस्टर्न कोसी नहर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वर्ष-वार और चरण-वार वित्तीय आवश्यकताओं और कार्य-अनुसूची के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) अभी तक पांचवीं पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः राजस्थान, गंडक और पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं के संबंध में पांचवीं योजनावधि के लिए वार्षिक वित्तीय परिव्यय बताना संभव नहीं है। 1974-75 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत परिव्यय निम्न प्रकार से है :

	करोड़ रुपयों में
राजस्थान नहर परियोजना चरण-एक	8.00
राजस्थान नहर परियोजना चरण-दो	1.50
गंडक परियोजना (बिहार)	13.00
गंडक परियोजना (उत्तर प्रदेश)	2.00
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	4.00

राजस्थान सरकार ने लगभग एक लाख अकाल पीड़ित श्रमिकों को रोजगार जुटाने के लिए तथा परियोजना पर कार्य गति में तेजी लाने के लिए राजस्थान नहर परियोजना के लिए 9.50 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के अतिरिक्त 5.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की है। निश्चित वार्षिक वित्तीय परिव्ययों के न होने पर इन परियोजनाओं के लिए हर वर्ष उपलब्ध धन राशि के आधार पर हर वर्ष विस्तृत निर्माण कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं।

बाढ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय राहत समिति को प्राप्त दान

4620. श्री आर० एन० बर्मन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की राहत तथा पुनर्वास कार्य के लिये केन्द्रीय राहत समिति (भारत) को नकद राशि तथा वस्तु के रूप में दान के रूप में कुल कितनी नकद राशि तथा वस्तुयें प्राप्त हुई ;

(ख) बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को इस चंदे में से सहायता प्रदान करने के मानदण्ड क्या हैं ; और

(ग) इस चन्दे का कोई दुरुपयोग न होने देने के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी (इण्डिया) नामक कोई संगठन नहीं है। परन्तु 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 के अन्तर्गत रजिस्टर हुई एक संस्था मौजूद है जो तिब्बत के शरणार्थियों के राहत मुहैय्या करने और उनके पुनर्वास का काम करती है।

इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट बंगलोर द्वारा बैलगाडियां में सुधार के लिए प्रयोग किया जाना

4621. श्री अर्जुन सेठी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट, बंगलोर नए यन्त्र लगा कर बैलगाड़ियों में सुधार के लिए कोई प्रयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या सफलता मिली है ; और

(ग) इस नए यंत्र पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलोर ने भारत में बैलगाड़ी परिवहन के सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में एक प्रायोगिक अध्ययन किया है। संस्थान बैलगाड़ी के उन्नत डिजाइनों पर इंजीनियरी कालेज के सहयोग से परीक्षण भी कर रहा है।

(ग) संस्थान के प्रारम्भिक अनुमानों से पता चलता है कि दो वर्ष की अवधि के दौरान बैलगाड़ी के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं तथा उसका ढांचा फिर से तैयार करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य पर लगभग 8-10 लाख रुपए का व्यय होगा।

डा० भगवानदास स्मारक न्यास के महासचिव द्वारा श्री डी० आर० निम से किराया लिया जाना

4622. श्री अम्बेश : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मकान संख्या 10 के निवासी श्री डी० आर० निम, माडल आई हास्पिटल, 2 एफ, लाजपतनगर, नई दिल्ली (डाक पता श्री डी० आर० निम, बी-145, अमर कालोनी, नई दिल्ली) से डा० भगवान दास स्मारक, न्यास, लाजपतनगर, नई दिल्ली के महासचिव श्री कुमार पाल के द्वारा धोखा धड़ी अथवा ठगी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या शिकायत में कहा गया है कि उक्त श्री कुमार पाल ने 55 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगस्त 1964 में श्री डी० आर० निम को एक मकान किराये पर दिया और उन्होंने 26 अप्रैल, 1969 को उक्त मकान सरकार को (निर्माण और आवास मंत्रालय के भूमि तथा विकास कार्यालय) अभ्यर्पण कर दिया और श्री डी० आर० निम को इस मकान के सरकार को अभ्यर्पण करने की बात बताये बिना आज तक उन से किराया वसूल करते रहें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जून, 1974 में श्री निम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद की एक शिकायत में उसने डा० भगवान दास स्मारक न्यास के आन्तरिक मामलों में अनियमितताओं तथा अनधिकृत पार्टियों द्वारा सम्पत्ति के दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्यवाही की गई है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण क्षति और सूखे के प्रभाव का अनुमान

4623. श्री भान सिंह भौरा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण क्षति और सूखे के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग का एक सर्वेक्षण दल कलकत्ता गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल के निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिये एक केन्द्रीय दल ने नवम्बर, 1974 में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था ।

(ख) दल की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

अनाथ बच्चे

4624. श्री वसन्त साठे : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक अनाथ बच्चों को विदेश ले जाया जा रहा है ;

(ख) क्या इन संस्थाओं तथा अनाथ बच्चों की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संस्था-वार देशवार विदेशों को भेजे गये अनाथ बच्चों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) दत्तकग्रहण और कानूनी संरक्षण के वर्तमान भारतीय कानून किसी सामाजिक संस्था को अनाथ बच्चों को विदेशों में ले जाने की इजाजत नहीं देते हैं। तो भी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत की अनुमति से संरक्षक और आश्रित अधीनियम, 1890 की धारा 26 के अधीन विदेशी नागरिक भारतीय बच्चों को आश्रितों के रूप में विदेशों में ले जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Narmada Water Dispute Tribunal

4625. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the time by which the Narmada Water Disputes Tribunal will give its decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : The adjudication proceedings of the Narmada Water Disputes Tribunal are in progress. It is not practicable to prescribe any specific period for the completion of the work of adjudication by the Tribunal which has been set up under the provisions of the Inter State Water Disputes Act, and which lays down its own procedures.

सेकेण्डरी टीचर्स फेडरेशन द्वारा बारी बारी (रिले) भूख हड़ताल

4626 **श्री सी० जनार्दनन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेकेण्डरी टीचर्स फेडरेशन द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए 21 नवम्बर, 1974 को नई दिल्ली में बोट क्लब पर बारी बारी भूख हड़ताल किए जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) संघ की निम्नलिखित मांगें हैं :—

(1) एक और प्रधानाचार्यों तथा अन्य वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों तथा दूसरी ओर विश्व-विद्यालयीन अध्यापकों और स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के बीच असमानताओं को दूर किया जाएं ;

(2) प्राथमिक अध्यापकों तथा अन्य सम्बद्ध वर्गों के न्यूनतम भोगी कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार ;

(3) सभी वर्गों के अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी तथा वेतनमानों में 12 वर्ष की समय-अवधि में कटौती ;

(4) छः वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर सभी अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करना ; और

(5) 'प्वाइंट-प्वाइंट' आधार पर वेतन का निर्धारण, अर्थात तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों की अधिकतम सीमा सहित प्रत्येक तीन वर्षों की सेवा के लिये एक वार्षिक वेतन वृद्धि।

सरकार ने इन मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है किन्तु तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग जाना सरकार के लिए संभव नहीं है।

महिलाओं के दर्जे के बारे में समिति

4627. श्री बेकारिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं के दर्जे के बारे में समिति कब नियुक्त की गयी थी ;

(ख) इसके कार्यालय सम्बन्धी काम पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) समिति के कर्मचारियों तथा सदस्यों की यात्रा, दैनिक भत्ते आदि पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) महिलाओं के दर्जे के बारे में समिति 22 सितम्बर, 1971 को नियुक्ति की गई थी।

(ख) और (ग) समिति द्वारा 30 सितम्बर तक निम्नलिखित खर्च किया गया :—

	रुपये लाख की राशियों में
(1) सचिवालय कार्य	3.90
(2) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य खर्च . . .	4.66

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

4628. श्री अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बारे में 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली प्रशासन के अनुसूचित जातियों के केवल 125 अध्यापकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की अवधि में पृथक वरिष्ठता सूची न तैयार किए जाने और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अध्यापकों को अब तक उप-प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत न किए जाने के अन्य क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) अनुसूचित जाति के अध्यापकों की अन्तिम वरीयता सूची जारी की जा चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न, घी सरसों का तेल, चीनी और 'बेबी फूड' का स्टाक करने की अधिकतम सीमा

4629. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 'स्टाकिस्टस' विक्रेताओं तथा व्यापारियों के लिए गेहूं, घी, सरसों का तेल, चीनी, बेबी फूड तथा अन्य किस्मों के खाद्यान्न का स्टाक करने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित सीमा कितनी है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारें स्टाक आदि की अधिकतम सीमा में संशोधन कर सकती हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) स्टाक सीमाओं की सीमा सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है। तथापि, चीनी के बारे में भारत सरकार ने सीमा निर्धारित की है। ये सीमाएं जोकि चीनी के अधिकृत व्यापारियों को लागू होती हैं, इस प्रकार है :

	सीमा
	क्विन्टल
(1) कलकत्ता और उसके बाहर के क्षेत्र—	
(क) अधिकृत व्यापारी, जोकि पश्चिमी बंगाल के बाहर से चीनी आयात करते हैं :	7500
(ख) अन्य अधिकृत व्यापारी	1000
(2) पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में .	1000
(3) एक लाख और उससे अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में	500
(4) एक लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगरों में . . .	250

उपर्युक्त सीमाओं की सीमा में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम नहीं हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद द्वारा आरंभ की गई परियोजना

4630. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1973-74 के दौरान कोई राष्ट्रीय महत्व की परियोजना आरम्भ की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय परियोजनाएं तथा 1973-74 के दौरान उन पर किया गया खर्च इस प्रकार है :—

		रुपये
(i)	भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में स्रोत पुस्तक का निर्माण . . .	98,500
(ii)	10 खण्डों में 'स्वतन्त्रता की ओर' का प्रकाशन, जिसमें 1937 से 1947 तक की अवधि की सभी मुख्य घटनाएं व प्रलेख सम्मिलित हैं।	8,930
(iii)	विदेशों में स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में सचित्र संग्रहपुस्तक का निर्माण .	6,358
(iv)	विजयानगर साम्राज्य के शिलालेख	7,000
(v)	भारतीय धर्म सम्बन्धी मूल लेखों का संकलन . . .	1,000
(vi)	'भारतीय दर्शन' पर लेखों का संग्रह	1,000
(vii)	भारतीय मूर्तिकला तथा चित्रकला तथा मूर्तिविकल्प सम्बन्धी लेखों का संकलन	500
(viii)	भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर डी० डी० कोसाम्बी के लेख . .	2,050
(ix)	केरल तथा तमिलनाडु के 16,000 की स्थलाकृतिक सूची का सम्पादन तथा प्रकाशन ।	3,000
(x)	पूर्वी भारत के मन्दिर	6,000
(xi)	भारतीय पुरावशेषों को सूचिबद्ध करना तथा कला इतिहास की ग्रन्थ सूची का निर्माण	4,600
(xii)	प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति तथा सामाजिक क्रान्ति . . .	15,200
(xiii)	सातवाहन साम्राज्य के सिक्के	1,500

उपरोक्त के अतिरिक्त, पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजनाओं को भी जारी रखा गया था।

छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों की संख्या से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

4631. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिजों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खण्ड का आबंटन करने का आधार

4632. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नए सामुदायिक विकास खण्डों का आबंटन किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या पहाड़ो राज्यों तथा क्षेत्रों में नए सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने के लिए केवल जनसंख्या को अपेक्षा क्षेत्र एवं जनसंख्या हो मुख्य आधार है ; और

(ग) पांचवों पंचवर्षीय योजना में पहाड़ो राज्यों को कितने नए खण्ड आबंटित करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सामुदायिक विकास खंडों में आम तौर पर लगभग 66,000 को औसत आबादो के 80-100 गांव होते थे। दुर्गम और पहाड़ो इलाकों के मामले में गांवों और आबादो दोनों की संख्या में कमो की जा सकतो थो। राज्य सरकारें खंडों को सोमा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रम चौथी योजना से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है और यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे भविष्य में खंडों का कोई नया आबंटन करने के बारे में विचार करें।

विदेशों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सम्बन्धित स्थानों पर पट्टिकाएं लगाना

4633. श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में हुए आजाद हिन्दी स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बद्ध स्थानों अथवा सामग्री को सुरक्षित रखने या उन्हें प्राप्त करने अथवा वहां पट्टिकाएं लगाने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार, पहले प्रयत्न कर चुकने के बाद भो, अब फिर से उन स्थानों पर पट्टे लगाने के लिए नए प्रयत्न करने का है जहां कि नेताजो अफगानिस्तान, मलाया, बर्मा, थाईलैण्ड तथा पूर्वी एशिया तथा जापान के स्थानों में ठहरे थे और अथवा जहां उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के सम्बन्ध में ऐतिहासिक घोषणाएं की थीं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाहो क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा विदेशों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को, देश के स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के रूप में समझा जाता है। यदि उक्त देशों में इन स्थानों को स्मारकों के रूप में संरक्षित करने हेतु वहां पर पट्टिकाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएं तो भारत सरकार सहर्ष अपना सहयोग प्रदान करेगी। भारत सरकार का यह विचार है कि विदेशों में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर स्मारक स्थापित करने के बारे में कदम उठाना उचित नहीं होगा।

कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत सरकारी मुद्रणालय

4634. **श्री भोला मांझी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मुद्रणालयों की संख्या और नाम क्या हैं जो कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं ; और

(ख) प्रत्येक मुद्रणालय में, प्रत्येक श्रेणी के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के कार्य का हस्तांतरण

4635. **श्री भोला मांझी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व रामकृष्णपुरम क्षेत्र, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ सिविल और बागवानी के काम इलैक्ट्रिकल डिवीजन नं० IV को हस्तांतरित कर दिए गए थे ;

(ख) क्या उसी क्षेत्र में बिजली और बागवानी के कुछ काम सिविल "एम" डिविजन में स्थानान्तरित किए गए थे ;

(ग) क्या बिजली, सिविल और बागवानी के ये काम अब अपने अपने बिजली, सिविल और बागवानी डिवीजनों को पुनः सौंप दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) एक मण्डल के अधिन सभी सिविल, बिजली तथा उद्यान कार्यों के एकीकृत अनुरक्षण का तरीका, रामकृष्णपुरम के एक छोटे से क्षेत्र में प्रयोगात्मक आधार पर मई, 1972 को आरंभ किया गया था। इस तरीके के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में सभी सिविल, बिजली तथा उद्यान संबंधी कार्यों का अनुरक्षण, एक सिविल मण्डल (एम मण्डल) तथा एक बिजली मण्डल (मण्डल नं० IX) को सौंपा गया था। प्रयोग करने के बाद, यह देखा गया कि पहला तरीका अधिक सुविधाजनक तथा उपयुक्त था।

गोआ को समाज कल्याण अनुदान

4636. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में गोआ को समाज कल्याण के लिये कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान किस प्रकार का है और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम को जारी रखने के लिए समाज कल्याण विभाग ने गोआ, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र को 1.40 लाख रुपए का सहायक अनुदान दिया है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने भी उस संघ शासित क्षेत्र में स्वयंसेवी समाज कल्याण संस्थाओं को स्त्रियों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुल 7,86,000 रुपए का अनुदान दिया है ।

गोआ में खाद्यानों पर 'लेवी' में वृद्धि किया जाना

4637. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार के विचार में वर्तमान और नई प्रणाली के अन्तर्गत अधिकतम वसूली के लिए, गोआ में खाद्यान्न पर लगाई गई 'लेवी' की वर्तमान प्रतिशतता को बढ़ाना आवश्यक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गोआ में अप्रयुक्त पड़े ट्रैक्टर

4638. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ राज्य में गत तिमाही से ट्रैक्टर अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण डीज़ल की कमी है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में खाद्यान्न पर 'लेवी' में वृद्धि किया जाना

4639. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार में वर्तमान अथवा नई प्रणाली के अन्तर्गत अधिकतम वसूली के लिए उड़ीसा में खाद्यान्न पर लगाई गई 'लेवी' की वर्तमान प्रतिशतता को बढ़ाना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) राज्य सरकारें भारत सरकार की सहमति से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए लेवी की मात्रा निश्चित करती हैं । चालू खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के लिए उड़ीसा सरकार ने अपनी मौजूदा एकाधिकार क्रय प्रणाली के स्थान पर उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाई है, साथ में मिल मालिकों और सेलीकरण तथा सुखाने की सुविधाओं से युक्त हुलरों पर 75 प्रतिशत और अन्य हुलरों पर स्थायी लेवी लगाई है । राज्य सरकार से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इस समय कोई विचाराधीन ही है ।

उड़ीसा में अप्रयुक्त पड़े ट्रैक्टर

4640. श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में गत तिमाही से ट्रैक्टर अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण डीज़ल की कमी है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में खाद्यान्न की वसूली का तरीका

4641. श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय खाद्यान्न की वसूली के विभिन्न तरीके क्या हैं ;

(ख) वसूली करने वाली सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उड़ीसा में गत वर्ष प्रत्येक एजेंसी द्वारा कितना खाद्यान्न वसूल किया गया और चालू वर्ष में प्रत्येक एजेंसी का लक्ष्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार के अधिप्राप्ति कार्यक्रम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के दौरान केवल चावल और धान को शामिल किया गया है । इस प्रयोजन हेतु अपनाया गया तरीका प्रमुखतः इस प्रकार है :—

1. उन हलरों सहित, जिनके पास उबालने और सुखाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; चावल मिलों पर 75 प्रतिशत लेवी ।

2. 10 हा० पा० और उससे अधिक के अन्य सभी हलरों पर प्रति वर्ष कमी टन चावल की निर्धारित मात्रा पर लेवी ।

3. धान के बारे में उत्पादकों पर क्रमिक लेवी ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के सिविल सप्लाइज़ विभाग प्रमुख सरकारी एजेंसियां हैं जोकि राज्य में प्रत्येक के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्रों में अधिप्राप्ति का कार्य करती हैं । राज्य सर्वोच्च सहकारी समिति को भी राज्य भर में अधिप्राप्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ग) उड़ीसा में खरीफ मौसम 1973-74 में विभिन्न एर्जेंसियों द्वारा अधिप्राप्त की गई चावल/धान की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार मी० टन में)

एजेन्सी का नाम	चावल के हिसाब से अधिप्राप्त की गई मात्रा
भारतीय खाद्य निगम	141.8
राज्य सरकार	52.7
एपेक्स (सहकारी)	19.7
जोड़ .	214.2

खरीफ मौसम 1974-75 के लिए अधिप्राप्ति के कोई लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

पंजाब वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आरोप

4642. **श्री झारखण्डे राय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अप्रैल, 1974 में वक्फ बोर्ड के सचिव से पंजाब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा की गई अनियमितताओं के उदाहरणों तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों से सम्बद्ध कोई पत्र प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सचिव से प्राप्त पत्र पंजाब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को टिप्पणी के लिये भेजा गया था जो अब प्राप्त हो गया है। इस मामले की जांच की जा रही है, अतः इसे इस स्थिति में सभा-पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

Demand and Supply of Breads in the Country

4643. **Shri R. V. Bade :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the position in respect of demand and supply of bread in the country during the last three years, year-wise;

(b) the total production capacity of the country in this regard and the percentage of it being utilised ; and

(c) the steps taken by Government to increase its production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Bread manufacturing is a non-scheduled industry. Precise information in regard to demand and supply of bread in the country during the last three years is not available. The estimated production of bread in the organised sector during this period was as follows :—

1971 — 54,931 tonnes
1972 — 69,187 tonnes
1973 — 81,227 tonnes

Information regarding the unorganised sector is not available.

(b) The estimated production capacity for manufacture of bread in the organised sector is about 1 lakh tonnes per year and percentage utilisation has been of the order of 80%.

(c) Government have set up a public sector undertaking to produce and market nutritious bread at reasonable prices. This Company has already set up nine units in different States with a production capacity of 1236 lakh standard loaves of 400 grams per annum. The Company is expanding the capacities of the existing units and also setting new units to increase production.

Payment of HRA to Officers of Directorate of Education Delhi owning Houses

4644. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Joint Education Director (Budget and Planning) Delhi Administration, Delhi has in his letter No. D-E/Acctts. II/ HRA/74 dated 31st August, 1974 sought to collect information in respect of officers whose houses are not subject to property tax or House Tax;

(b) whether payment of H.R.A. to the said house owners has been stopped as per letter and the details of the amount of H.R.A. paid to them upto 31st August, 1974 have also been asked for;

(c) if so, the names and designation of these officers indicating the name of the schools and the amount of H.R.A. paid to them upto 31st August, 1974;

(d) the names and addresses of the officers whose H..R.A. has been stopped since September 1974; and

(e) if H.R.A. has not been stopped the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shi D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The circular letter dated 31-8-74 sought to collect information called for by Delhi Administration (Finance Department) regarding payment of HRA in contravention of the instructions regulating the grant of HRA. A clarification was issued by Delhi Administration *vide* their circular letter N. F. 14(24)/72 Fin. (B) dated 29-9-72 that a Government servant residing in a house situated at a place where no house tax/property tax is levied, is not entitled to HRA as such a Government servant has no liability towards house/property tax. Copy of this circular was forwarded to all Government Schools on 13-10-1972.

(c) and (d) Information is being collected from Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

(e) The Drawing and Disbursing Officers were asked in the circular dated 31-8-1974 to ensure that payment of HRA is not made to any Government servant who is not entitled to draw HRA in the light of instructions of the Government of India.

विदेशों से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सम्बन्धित दस्तावेज़ तथा अन्य सामग्री प्राप्त किया जाना

4645. श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द स्वाधीनता संग्राम से सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अन्य सामग्री यूरोपीय तथा पूर्व एशियाई देशों से प्राप्त करने के लिए कोई समेकित प्रयास नहीं किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, इटली, चेकोस्लोवाकिया, रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों एवं बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, वियतनाम, फिलिपाइन्स, ताइवान और विशेषकर जापान, के अभिलेखागारों से उक्त सामग्री प्राप्त करने के लिए विशेष समिति गठित करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन तथा अमरीका की सरकारों के अधिलेखागारों से ऐसी सामग्री एकत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कदम क्या हैं और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ) ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है जिसका उद्देश्य आजाद हिन्दी स्वाधीनता संग्राम से सम्बन्धित कागजात का पता लगाना और उन्हें मौलिक रूप से अथवा उनकी प्रतियां प्राप्त करना हो । तथापि, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सिंगापुर, मलेशिया, ऐरे, आस्ट्रिया और चीन जनवादी गणतंत्र से इस विषय पर कुछ कागजात प्राप्त कर लिये हैं । विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत , भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए भारतीय हित के उन अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियां भी प्राप्त करना सम्भव है जो विदेश के संग्रहालयों में हों ।

महानिर्वाण समारोह के लिए दानस्वरूप दी गई राशि

4646. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानिर्वाण समारोह के लिए दानस्वरूप कुछ राशि दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इससे पहले भी ऐसे समारोहों के लिए दानस्वरूप धनराशि दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभागों में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (घ) जी, नहीं । तथापि, सरकार, सिद्धान्त रूप से, भगवान महावीर निर्वाण की 2500 वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों हेतु कुल 50 लाख रुपए के आबंटन के लिए सहमत हो गई है ;

(ग) और (घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मनाई गई ऐसी ही वर्षगांठों के मोटे ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	वित्तीय आबंटन
1971–72	
श्री अरविन्द जन्म शताब्दी . . .	50 लाख रुपए
1972–73	
राय राजा राममोहनराय द्वि-जन्म शताब्दी .	50 लाख रुपए
1973–74	
रामचरित मानस चतुश्शती . . .	30 लाख रुपए

Increase in Consumption of Foreign Liquor

4647. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether incidence of consumption of foreign liquor has increased in the country during the last three years; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvinda Netam) : (a) Yes Sir, there has been an increase in the consumption of Indian made foreign liquor

(b) The main reasons which could be attributed to the increase in consumption are :

(i) Increase in population,

(ii) ineffectiveness of social sanctions against the drink habit;

(iii) prosperity of big farmers;

(iv) establishment of tourists resorts;

(v) increase in the strength of armed forces and para-military forces;

(vi) growth of industrial complexes involving concentration of labour; and

(vii) publicity through the liquor trade.

Export of Vegetable Oil

4648. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of vegetable oil exported so far during the current financial year; and

(b) whether the producers of vegetable oil in the country have been allowed to increase the price of vegetable oil as a result of an increase in the export thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) 33,974 tonnes of vegetable oils were exported during April, 1974 to July 1974 —the period for which Statistics are available.

(b) There is no statutory control on the prices of vegetable oils in the country and as such the question of allowing an increase in the prices does not arise.

रोजनल इंजीनियरिंग कालेजों के कर्मचारियों के वेतनमानों में असंगतियां

4659. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों के उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को राज्यों वाले वेतनमान दिए जाते है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन असंगतियों को दूर करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया गया है ;

(ग) इन कालेज को चलाने वाले कौन कौन से स्वायत्तशासी निकाय इन असंगतियों को दूर करने के लिए सहमत हो गए है तथा उन्होंने सरकार को अपेक्षित अभ्यावेदन दे दिया है; और

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई आपत्ति व्यक्त की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) क्षेत्री इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना योजना में यह बात परिकल्पित थी कि अध्यापन और कुछ गैर-अध्यापन स्टाफ़ को केन्द्रीय वेतनमान और शेष गैर-अध्यापन स्टाफ को उसी श्रेणी में राज्य सरकार के अभिभावी वेतनमान दिए जाएं।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सुरातकल और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज राउरकेला के शासी निकायों ने स्टाफ की सभी श्रेणियों को केन्द्रीय वेतनमान देने की सिफारिश करते हुए संकल्प पारित किए है।

(घ) क्यों कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज अखिल भारतीय संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे है और अध्यापन तथा कुछ अन्य पदों के लिए भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इस लिए मूल योजना में इन पदों के लिए केन्द्रीय वेतनमान निर्धारित किए गए है। उन पदों के लिए जिनके लिए भर्ती स्थानी आधार पर की जाती है, उसी श्रेणी के पदों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वेतनमान दिए जाते है। क्यों कि यह स्थिति सभी 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में है : अतः केवल उपरोक्त दोनों क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के मामले पर अपवाद रूप से विचार करना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य की निजी भूमि अधिग्रहण की कीमत तथा पूर्ण सहायता अनुदान मंजूर करना

4650. श्री नाथराम अहिरवार : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा कब तक मध्य प्रदेश राज्य को निजी भूमि अधिग्रहण की कीमत के लिये पूर्ण सहायता अनुदान दे दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : स्पष्टतः इस प्रश्न में, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के बारे में सूचना मांगी गई है। यह योजना अक्तूबर 1971 में एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आरम्भ की गई थी तथा इसे 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है। जब यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थी, उस समय 1,34,496 आवास स्थल देने की 199.63 लाख रुपये की अनुमानित लागत की मध्य प्रदेश सरकार की 73 परियोजनाए अनुमोदित की गई थीं तथा राज्य सरकार को 49.91 लाख रुपये की राशि दी गई थी। चूंकि यह योजना अब राज्य क्षेत्र में है, अतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं पर व्यय राज्य सरकार अपने वार्षिक प्लान के नियतनों में से करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1974-75 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से 50 लाख रुपये की राशि नियत की है।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी

4651. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में पर्याप्त कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में आंकड़ें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) किसी विशेष वर्ष में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उत्पादन, निवल आयात स्टाक परिवर्तन और जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। 1972 और 1973 में मानव उपभोग के लिए खाद्यान्नों को प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति वर्ष क्रमशः 171.1 किलो और 154.9 किलो थी। प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, भीषण सूखा पड़ने और प्रतिकूल मौसमी स्थिति होने के कारण 1972-73 में उत्पादन में गिरावट आने से हुई थी। आयात और स्टाक में हुए परिवर्तन से संबंधित पूरे आंकड़े न होने से 1974 के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में हिसाब लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, 1973-74 में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि और 1974 में आयात की मात्रा में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आशा है कि 1974 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1973 की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होगी।

उर्वरकों के मूल्य तथा सिंचाई की दरों के बारे में समान नीति अपनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय निदेश

4652. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, राज्य सरकारों को उर्वरकों के मूल्यों तथा सिंचाई की दरों के बारे में समान नीति अपनाने के बारे में कोई निदेश जारी करने का है क्योंकि गेहूं के आगामी मूल्य सब जगह समान होंगे ;

(ख) क्या उर्वरकों के मूल्यों में हुई शत प्रतिशत वृद्धि और कुछ राज्यों में बिजली की दर में वृद्धि करने के कारण सरकार इस प्रकार के मामलों में कुछ राजकीय सहायता देने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ग) सिंचाई की दरों को निर्धारित करने का अधिकार पूर्णतः राज्य सरकारों का है। सिंचाई की दरें समाजार्थिक तथा तकनीकी बातों को दृष्टिगत रखत हुए निर्धारित की जाती है तथापि 1972 के सिंचाई आयोग अन्य बातों के साथ साथ सिंचाई के कानूनों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सिंचाई की व्यवस्था तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में राज्यों में कई कानून है और उसकी सिफारिशों के अनुसार "माडल कैनाल इरीगेशन तथा ड्रेनेज बिल" तयार किया गया था, जिसमें पानी की दरों तथा कुछ राज्यों में खुशहाली टैक्स लगाने के सम्बन्ध में समेकित कानून बनाने की व्यवस्था है। इस मर्यादा मसौदा बिल को पास करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध करने से पहले एक समिति इस बिल की जांच कर रही है जिसमें भाखडा प्रबन्ध बोर्ड के अध्यक्ष श्री जे० पी० नेममवला की अध्यक्षता में विभिन्न संस्थाओं क प्रतिनिधि शामिल है। जहां तक आयातित उर्वरकों का सम्बन्ध है, ये

सारे देश में केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये समान खुदरा मूल्यों पर बेचे जाते है । देश में तैयार होने वाले उर्वरकों के मूल्य विनिर्माता स्वयं निर्धारित करते हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने तीन प्रमुख नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों, अर्थात यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किये है । इस से अधिक मूल्य पर उर्वरकों को बेचना कानूनी तौर पर अपराध है । राज्य सरकारें उर्वरकों का कोई मूल्य निर्धारित नहीं करती । अतः उर्वरकों के मूल्य के सम्बन्ध में समान नीति अपनाने के लिये राज्य सरकारों को निदेश देने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) कठिन वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह उर्वरकों के विक्रय के लिए आर्थिक सहायता दे। जहां तक जल तथा बिजली की दरों का सम्बन्ध है प्रचलित टैरिफ में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था मौजूद है और योजना आयोग का विचार है कि विकास व्यय के लिये वित्तीय संसाधन बढाने तथा गैर-योजना के क्षेत्र में वित्तीय भार को कम करने के लिये टैरिफ में वृद्धि की जा सकती है।

शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों की संयुक्त वरीयता सूची

4653. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों की संयुक्त वरीयता सूची तैयार की गई है;

(ख) क्या संयुक्त वरीयता सूची के कारण काफी असंतोष फैला हुआ है; और

(ग) संयुक्त वरीयता सूची के स्थान पर पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन, शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपलों की संयुक्त वरीयता सूची नहीं रखता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पहले भी प्रशासन शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपलों की पृथक वरीयता सूची रखा करता था ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों का अभ्यावेदन

4654. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गलत पदोन्नतियों/वरीयता निर्धारण के विरुद्ध अपनी शिकायतों के बारे में शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यों द्वारा कितने अभ्यावेदन/अपीलें दिल्ली प्रशासन को तथा कितने ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजे गए;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनों का निपटान कर दिया गया है तथा कितने अभी अनिर्णित पड़े है; और

(ग) अनिर्णित पड़े मामलों के निपटान में और कितना समय लगेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन को अभी तक 17 अभ्यावेदन तथा भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुए है। इनमें से एक का निपटान पहले ही से किया जा चुका है तथा शेष पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा शेष अभ्यावेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

Opening of Public Schools in each District

4655. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a public school in each district;

(b) If so, by what time; and

(c) what will be the medium of instructions there in different States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) Public Schools are taken to be those schools which are members of the Indian Public Schools Conference. There is no proposal to open such schools in each district by the Government. However, the Government have set up through the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Central Schools in different parts of the country primarily for the benefit of the children of transferable Central Government employees. These Schools follow a common syllabus and a common media of instruction.

टोकियों में खाद्य तथा कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत का भाग लेना

4656. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 सितम्बर, 1974 को टोकियों में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने धनी देशों से भूखमरी दूर करने के लिए सहायता देने को कहा था;

(ग) यदि हां, तो अन्य देशों के इस पर क्या विचार थे; और

(घ) क्या सरकार ने कोई और सुझाव भी दिये थे, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां, उस समय के कृषि मंत्री श्री सी० सुब्रमणियम ने 23 से 27 सितम्बर, 1974 तक टोकियों में खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रादेशिक सम्मेलन में भाग लिया था।

(ख) तथा (ग) विश्व खाद्य सम्मेलन के सम्बन्ध में कृषि मंत्री ने कहा था कि "विश्व खाद्य सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि विकसित तथा तेल उत्पादक राष्ट्र भुखमरी दूर करने और कृषि उत्पादन बढाने के लिए खाद्यान्न, तेल उर्वरक तथा अन्य आदान काफी माता में देने का वचन दें। इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।

(घ) कृषि मंत्री द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित थे :—

(1) उत्पादन में गम्भीर रूप से रुकावटे पैदा करने वाले कारणों को दूर करने के लिए हमारे क्षेत्र में तकनीकों के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(2) खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रादेशिक संगठन को क्षेत्र की फसलों तथा फार्म के पशुओं के प्रजनन सम्बन्धी सुधार को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए।

(3) हमें केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण उद्योगों के आयोजन के लिए भी अपेक्षित बिजली तथा तेल आदि उपलब्ध करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिए। विकासशील देश जिनके पास ईंधन की कमी है ईंधन के संरक्षण के सिद्धान्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और कार्यक्रम तैयार करके ही अपने कृषि सम्बन्धी उद्देशों को पूर्ति कर सकते हैं।

(4) खाद्य तथा कृषि संगठन प्रादेशिक कार्यालय निकटवर्ती कीटनाशी संकट की बाधाओं पर और एक समेकित कीटप्रबन्ध प्रणाली के विभिन्न परिस्थितियों की प्रदेशों में, जो कृषि सम्बन्धी, उत्पत्ति विषयक, जीव विज्ञान सम्बन्धी तथा नियंत्रण की रासायनिक पद्धतियों के सम्बन्ध है, विकास करने और उन्हें अपनाने को प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

(5) हमें इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि चावल की अधिक उत्पादनशील किस्मों का मुख्य मानसुन मौसम में उपयुक्त प्रभाव क्यों नहीं पड सका। इस बात की जरूरत है कि विशिष्ट स्थानों तथा परिस्थितियों के अनुकूल ठोस कार्यक्रम तैयार किए जाए। विज्ञान तथा समाज के विकास में उपयुक्त अनुरुपता लाने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों कृषि वैज्ञानिकों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा।

(6) इस क्षत्र को अंतर्देशीय तथा तटीय इकुआ कल्चर संबंधी एक मुख्य कार्यक्रम की जरूरत है। हमें फिर फिन्गरीलिंगज के प्रजनन तथा वितरण के लिए सामुहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रबंध की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की गतिविधियों, जिनमें केवल मछली पकडना ही नहीं, बल्कि पशुपालन, फार्मिग तथा बागवानी भी आती है, के लिए किसानों हेतु आदानों की समेकित सप्लाई का और सर्विसिज का आयोजन करना जरूरी है।

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने कार्यसूची (जिसमें कुछ तकनीकी विषय भी सम्मिलित है) की कुछ मदों के विषय में भी अपने विचार व्यक्त किए थे।

Press Conference held by Indian Council of Agricultural Research

4657. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Press Conferences held by the Indian Council of Agricultural Research during the last year and the names of journalists participated therein; and

(b) whether representatives of the two news agencies of Indian languages were also invited therein and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No Press Conference was organised by the Indian Council of Agricultural Research during the last year, Sir.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

Cost of Handling Milk in Delhi Milk Scheme

4658. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the per litre cost of handling milk in the Delhi Milk Scheme; and

(b) the elements of administrative expenses involved therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b) The handling cost per litre of milk exdistribution point, has been estimated at 27.85 paise per litre.

Administrative expeuses include expenditure on salaries, stationery, printing, postage, telephone, audit charges, electricity, insurance and miscellaneous expenses. These account for 4.97 paise per litre out of the total handling cost of 27.85 paise per litre.

Nehru Museum

4659 Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) how many visitors visited Nehru Museum during the last three years ; and

(b) the strength as also the pay scales of the staff working in this Museum?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The number of visitors to the Nehru Memorial Museum during the last three years was a s under :—

1971-72	8,77,577
1972-73	10,53,530
1973-74	9,28,029

(b) A statement of the staff and their pay scales, which is exclusively looking after the Museum is attached.

Statement of staff

Sl. No.	Designation	No. of posts	Pay Scale
1	Assistant Curator . .	1	Rs. 400-40-800-50-950(Pre-revised).
2	Senior Technical Assistant .	2	Rs. 550-25-750-EB-20-900.
3	Guide Lecturer . .	2	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.
4	Guide	5	Rs. 150-10-250-EB-10-290-15-320 (Pre-revised).
5	Sales Assistant . . .	1	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.
6	Gallery Attendant . . .	20	Rs. 196-3-220-EB-3-232.

शिक्षा निदेशालय दिल्ली में संयुक्त निदेशक के पद के लिये पदोन्नति

4660. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शिक्षा निदेशालय दिल्ली में वायस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और उच्च शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में 12 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72 में सहायक निदेशकों तथा उप निदेशकों के सम्वर्ग की वरीयता सूची में कोई भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व्यक्ति नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो फिर किस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति (डी०पी०सी०) द्वारा वर्ष 1971–72 में किसी व्यक्ति को शिक्षा के उपनिदेशक पद से पदोन्नत किया जा सकता था; और

(ग) यदि नहीं, तो जिस उपनिदेशक को 1971–72 में शिक्षा संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नत किया जा सकता था, वह किस जाति का था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1971–72 में, सहायक शिक्षा निदेशक/शिक्षा अधिकारी की वरीयता सूची में अनुसूचित जाति के दो अधिकारी और उप शिक्षा निदेशक की वरीयता सूची में अनुसूचित जाति का एक अधिकारी था ।

(ख) क्यों कि शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत संयुक्त शिक्षा निदेशक (बजट तथा आयोजना) का केवल एक पद था, इस लिए वरीष्ठतम उप शिक्षा निदेशक को 1971–72 में तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया था । उस समय क्यों कि केवल एक पद भरा जाना था, इस लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता था ।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

दादरा और नागर हवेली के लिए वनस्पति घी

4661. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली की वनस्पति घी की सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रित नियंत्रण नहीं है। पड़ोसी राज्यों से तत्संबंधी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्थानीय व्यापारी अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन स्वतंत्र है।

उर्वरकों का आयात कार्यक्रम

4662. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के आयात के अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के उर्वरक कितनी मात्रा में आयात किए जाने का सम्भव है; और

(ग) उनके लिए सरकार को कितना अनुमानित मूल्य देना पड़ेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने खरीफ 75 और रबी 1975-76 के लिए उर्वरकों के आयात कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार यथासम्भव अधिकतम मात्रा में परिशुद्ध और अमिश्रित (हाई एनालिसिस एंड स्ट्रट) उर्वरकोंका आयात करना चाहेगा। आम मुद्रा स्फतिक और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की उपलब्ध की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय इस बात का सही अनुमान लगा सकना संभव नहीं है कि किस किस्म के उर्वरक किस कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे।

महिला समिति

4663. **श्री मधु लिमये** :
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संकल्प के अन्तर्गत गठित महिला समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) सरकारी संकल्प / अधिसूचना में समिति द्वारा अपना काय पूरा करने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई थी; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तत किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बन्ध समिती का गठन 22 सितम्बर 1971 को किया गया था और इस के लिए दो वर्ष की अवधी अनुबंधित थी। कार्यक्षेत्र के विस्तार और विविधता के कारण यह समिति अपनी रिपोर्ट दो वर्ष के भीतर पूरी नही कर सकी। सरकारने समिति की अवधि को 31 दिसम्बर, 1974 तक बढ़ाना स्वीकार कर लिया था। समिति इस समत अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रुप दे रही है और आशा है कि दिसम्बर, 1974 के अन्त तक वह इसे पेश कर देगी।

गेहूं का आयात तथा उत्पादन

4664. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गेहूं के उत्पादन के बारे में अन्तिम प्राक्कलन लगाये गए उत्पादन अब तक उत्पादन के अधिकतम आंकड़े की तुलना में 40 लाख टन कम है;

(ख) क्या सूखे तथा बाढ़ के कारण खरीफ की फसल की हानी हुई है;

(ग) क्या सरकार का खाद्यान्न भंडार गत वर्ष में कम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई व्यापार खाद्यान्न आयात कार्यक्रम बनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी॰ शिन्दे) : (क) जी हां। 1973-74 के दौरान गेहूं का उत्पादन 220.7 लाख मीटरी टन हुआ था जबकि 1971-72 में व्यस्तम स्तर पर 264.1 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) खरीफ मौसम 1974-75 के दौरान विशेषतया गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में सुखा पड़ने से फसल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। असम, बिहार और केरल के कुछ भागों में बाढ़ों के कारण कुछ फसल क्षतिग्रस्त हुई बताई जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) आयात करने की आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा की जाती है और विदेशों से यथा आवश्यक और यथा व्यवहार्य मात्रा में खाद्यान्नों की खरीदारी की जाती है। इस वर्ष के दौरान अबतक विदेशों से लगभग 47.66 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की खरीदारी की गई है।

Alternative to Cement being used in Construction

4665. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the alternative to cement Government suggest to people for being used in the construction of houses in view of shortage of cement; and

(b) the steps taken by Government in this regard and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) The following are alternatives to cement :—

(i) Lime pozzolana mixtures for mortars and plasters;

(ii) High strength bricks as substitute for RCC structures in 4 storeyed and taller buildings with 9" load bearing brick walls ;

(iii) Flyash as a partial replacement of cement in mortars and concrete ;

(iv) Cellular concrete products.

(b) The steps taken in this regard and the results thereof are given below :—

(i) National Buildings Organisation has brought to the notice of various construction agencies the various measures to effect economy in the construction and reduction in the use of cement and steel.

(ii) National Buildings Organisation nas been assisting the construction agencies in public and private Sectors for setting up new and substitute building material plants by preparing feasibility reports. In response to the circulars issued by the N. B. C., a number of Housing Boards and other Public Sector Construction agencies have shown interest in setting up plants for production of dry-hydrated lime, clay pozzolana, high-strength bricks, cellular concrete, etc.

In addition to the above promotional activities undertaken by the National Buildings Organisation, the State gorvernments have also been addressed to use other local materials and to adopt economic specifications for buildings which would result in saving in cement and steel.

Expenditure on Government Offices and Residential Houses in New Delhi

4666. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The total number of Government office buildings and Government residential house in New Delhi and the total annual expenditure incurred on repairs, white-washing and maintenance thereof as also the expenditure incurred during 1973 ; and

(b) the amount of rent received by the Central Government during 1973 indicating the total number of Central Government houses in New Delhi in respect of which the rent was received ?

The Minister of State In the Ministry of Works and Housing (Mohan Dharia) : (a) & (b) : Ministry of Works and Housing is concerned only with General Pool accommodation. The required information for the financial year 1973-74 is being collected and will be laid on the table of the House.

Functioning of State Branches of Moral and Social Hygiene Association

4667. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the States where States Branches of Moral and Social Hygiene Associations are functioning and the annual expenditure involved in each of them indicating Central and State shares thereof; and

(b) the total and State-wise number of females in these Branches ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) A statement is placed on the Table of the Sabha [Placed in Library. See No. L.T. 8772/74]

Village Cooperative Socieites during Fifth Plan

4668. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) number of Village Cooperative Societies functioning in each State as also the State-wise number of small farmers receiving benefits from them; and

(b) whether besides Village Cooperative Societies, Government propose to make some other arrangements in the Fifth Five Year Plan to ensure that credit is available to small farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A statement showing the number of Primary Agricultural Credit Societies functioning at the end of June, 1972 in each State/Union Territory is attached. The amount of loans advanced by these Societies during the year 1971-72 to owner cultivators up to 1 hectare and 1 to 2 hectares (State-wise) is also indicated in the statement. [Placed in Library. See No. L.T. 8773/74]

(b) Besides cooperative institutions, public sector commercial banks are also expected to finance the requirements of small farmers. The scheme of setting up of Farmers' Service Societies started on the recommendation of the National Commission on Agriculture, is also intended to provide credit, supplies of inputs and services in an integrated manner to them.

पश्चिम बंगाल में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापना करने हेतु केन्द्रीय खाद्य तथा टैक्नोलाजीकल अनुसंधान संस्थान का तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन

4669. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु केन्द्रीय खाद्य तथा टैक्नोलोजिकल अनुसन्धान संस्थान द्वारा तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है और इस प्रकार की एककों को स्थापना करने के लिए कौन कौन से क्षेत्र चुने गए हैं ;

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(घ) परियोजणा को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख बातें ये हैं कि पश्चिमी बंगाल में विधायन उद्योग के विकास के लिए गुंजाईश है; और इस प्रयोजन हेतु निम्न क्षेत्रों को चुना गया है:-

(क) सिलीगुड़ी (उत्तरी बंगाल)	अनमास का विधायन
(ख) 24 परगना	टमाटर का विधायन
(ग) माल्दा	आम का विधायन

(ग) और (घ) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने सूचित किया है कि परियोजना रिपोर्ट पश्चिमी बंगाल-एग्रो-इन्डस्ट्रीज निगम, जिसमें भारत सरकार भी शेयरधारी है, के विचाराधीन है।

राजस्थान और गुजरात के लिए अतिरिक्त गेहूं

4670. **श्री प्रियरंजनदास मुंशी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के कोटे से इस वर्ष राजस्थान और गुजरात को गेहूं के अतिरिक्त कोटे को मंजूरी को गई है या यह कोटा अभी दिया जाना बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक गुजरात और राजस्थान को की गई गेहूं की सप्लाई और अक्तूबर, 1974 से दिसम्बर, 1974 के दौरान गुजरात और राजस्थान को गेहुं की सप्लाई तथा आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(हजार मी० टन में)

राज्य का नाम	अक्तूबर, 73 से दिसम्बर, 73 तक की गई सप्लाई।	अक्तूबर, 74 से दिसम्बर, 74 के दौरान सप्लाई आबंटन
गुजरात	84.0	135.6
राजस्थान	54.0	43.9

तथापि, दोनों राज्यों के बारे में मोटे अनाजों सहित खाद्यान्नों का कुल आवंटन/सप्लाई इस वर्ष की अन्तिम तिमाही में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। यह इसलिए किया गया है ताकि राज्य सरकारें असंतोषजनक खरीफ फसलों के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला कर सकें।

सोवियत संघ से गेहूं का आयात

4671. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ इस वर्ष भारत को 500 लाख टन गेहूं उधार देने के लिए राजी हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गत वर्ष के बकाया चले आ रहे 200 लाख टन के गेहूं के आधार को लौटाने का क्या होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उधार पर गेहूं की सप्लाई प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ के साथ हुए जिस करार पर 12 अक्तूबर, 1973 को हस्ताक्षर हुए थे वह 20 लाख मीटरी टन के लिए था, न कि 200 लाख मीटरी टन के लिए था। करार के अधीन, समूची मात्रा पांच वर्षों के दौरान जिन्स के रूप में वापस करनी होगी जोकि उनकी सुपुर्दगी का कार्य पूरा हो जाने के दो वर्ष बाद से शुरू होगा। 20 लाख मीटरी टन गेहूं की समूची मात्रा अक्तूबर, 1974 तक प्राप्त हो गई थी।

रबी की फसल के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लक्ष्य में वृद्धि करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय निदेश

4672. श्री सरजू पांडे :
श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को रबी फसल के सिंचाई लक्ष्यों में वृद्धि करने के लिए कोई निदेश जारी किये हैं ताकि रबी फसल के लिए अधिक खाद्यान्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह निदेश किन किन राज्यों को जारी किये गये हैं तथा उन का स्वरूप क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। नबी के मौसम के दौरान, खाद्यान्नों में अधिक लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में कोई निदेश, नहीं भेजे गये हैं। परन्तु अतिरिक्त सिंचाई सुविधाये प्रदान करने और मौजूदा सिंचाई संसाधनों का शीघ्र और उचित ढ़ंग से उपयोग करने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया जा रहा है।

पी० सी० एस० अधिकारी का शिक्षा अधिकारियों के रूप में तैनात किया जाना

4673. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के पदों पर पत्रकारों की नियुक्ति न करने के बारे में भारत सरकार के आश्वासनों और घोषित नीति के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन उन शिक्षाविदों के बजाय, जो शिक्षा निदेशालय की स्थापना के समय से ही अपने पदों पर काम कर रहे हैं, पी० सी० एस० अधिकारियों को शिक्षा अधिकारियों/सहायक शिक्षा अधिकारियों (प्रशासन) के रूप में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पी० सी० एस० अधिकारियों की नियुक्ति से दिल्ली प्रशासन के अधीन काम कर रहे 300 प्रिंसिपलों में असन्तोष और आक्रोश की भावना पैदा नहीं होगी, क्योंकि इन व्यक्तियों की नियुक्ति से उन के पदोन्नति के अवसर रूक जायेंगे; और

(ग) इन पदों पर पी० सी० एस० अधिकारियों की नियुक्ति को रोकने और प्रिंसिपलों के अधिकारों और दावों की सुरक्षा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है और यथाशीघ्र विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तम्बुओं में चल रहे स्कूल

4674. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री वरके जार्ज :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने मिडल, हाई **और** हायर सेकेन्डरी स्कूल तम्बुओं में चल रहे है;

(ख) ये स्कूल कब से तम्बुओं में चल रहे हैं;

(ग) इन में से कितने स्कूल सरकारी है और कितने प्राइवेट परन्तु मान्यता प्राप्त है; और

(घ) विद्यार्थियों का गर्मी और सर्दी से बचाव करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन के अधीन 47 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्रात स्कूल तम्बुओं में चल रहे हैं।

चालू सत्र के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा खोले गये एक मिडिल स्कूल को अस्थायी तौर पर तम्बुओं में रखा गया है ।

(ख) 1963 से 3
1965 से 2
1970 से 7
1971 से 4
1972 से 4
1973 से 5
1974 से 23

कुल 48 स्कूल

(ग) 43 सरकारी स्कूल, 4 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल तथा एक नई दिल्ली नगर पालिका स्कूल है ।

(घ) पूरी तरह से तम्बुओं में चल रहे तीन सरकारी स्कूलों के लिए तीन सरकारी भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है ।

आठ नये सरकारी भवनों का, जिनके लिये सरकार द्वारा मितव्ययता में छूट दे दी गई है, निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ हो जायेगा । इनके पूरा हो जाने पर, उन ग्यारह सरकारी स्कूलों के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा, जो पूर्णतः तम्बुओं में चल रहे हैं। तम्बुओं में चल रहे शेष सरकारी स्कूलों के लिए स्थान प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है तथा सभी नये भवनों के लिए सरकार द्वारा लगाये गये मितव्ययता के प्रतिबन्ध के उठाये जाने के पश्चात 1975-76 के दौरान नये सरकारी भवन संबंधी निर्माण कार्य को आरंभ किया जायेगा। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को तम्बुओं के स्थान पर नये पक्के भवन निर्माण करने के लिए सलाह दी जा रही है ।

राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उन पर व्यय

4675. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन पर राज्यवार तथा वर्ष वार कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर केन्द्र सरकार ने वर्ष वार प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की और वस्तुतः कितनी राशि वितरित की;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष वार प्रत्येक राज्य ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कितनी राशि वास्तव में व्यय की; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य वार कितने हैक्टर भूमि सिंचित हुई?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान सरकारी क्षेत्र में (स्वीकृत परिव्यय) को राज्यवार और वर्षवार आधार पर हुए व्यय को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध ।) **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8774/74]**

(ख) और (ग) राज्य प्लान योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण व अनुदान के रूप में दी जाती है और इसका विकास या योजना किसी विशिष्ट शीर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वर्ष 1971–72 से 1973–74 तक के वर्षों के लिये राज्यों की वार्षिक योजना के लिये कुल केन्द्रीय सहायता के आवंटन और वितरण को संलग्न विवरण में दिखाया गया है (अनुबन्ध 2)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8774/74]** इसके अतिरिक्त, 1972–73 और 1973–74 के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य योजना के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी। राज्य योजना से बाहर केन्द्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण अनुबन्ध 3 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8774/74]**

(घ) 1973–74 के अंत तक लघु सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8774/74]** 1971–72 और 1972–73 की अवधि में लघु सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र के विषय में राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं है।

आवास हेतु राज्यों द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय राशि

4676 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के प्रशासनीय नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक एजेंसी द्वारा आवास के लिए ऋण या राजकीय सहायता के रूप में वर्ष 1970–71 से 1973–74 तक राज्यवार कुल कितनी केन्द्रीय धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अभिकरण अथवा अभिकरणों के राज्यवार नाम क्या है; और

(ग) वर्ष 1970–71 से 1973–74 तक निर्माण कार्यों के लिये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन, रिहायशी भवन, सडकों, पूलों, और ऐसे अन्य मदों पर राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्र वार तथा श्रेणी वार कितनी धन राशि खर्च की गई?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन

4677. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के लिए वर्षवार 1971–72 से 1974–75 तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितना धन आबंटित किया गया; और

(ख) उक्त अवधियों के दौरान यह कार्यक्रम जिन स्कूल बच्चों पर लागू किया गया है उनकी राज्यवार, और वर्षवार संख्या और अनुपात क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में केन्द्रीय सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को कोई राशि आबंटित नहीं की थी क्यों कि अमरीकी संगठन केयर ने खाद्य सामग्री मुहैय्या की थी और राज्य सरकारों ने उसका प्रशासनिक खर्चा वहन किया था । तथापि, वर्ष 1974-75 के दौरान योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए, राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं में कुल 4.943 करोड रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है । उक्त राशि के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण I में दिये गये है । [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 8775/74**]

(ख) विवरण ii संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 8775/74**]

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपूर में न भरे गए पद

4678. श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्रबोध चंद्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान कानपुर में उच्च पद काफी समय से नहीं भरें। गए है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उपनिदेशक का एक पद 1970 से तथा अधीक्षक इंजीनियर का एक पद 1971 से खाली रहा।

(ख) जहां तक उप निदेशक के पद का संबंध है, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान कानपुर ने प्रशासनिक एककों को डीनों की एक परिषद के नीति निर्देशों के अधीन कर दिया, जिसमें (1) संकाय का डीन, (2) अनुसंधान, डिजाईन तथा विकास का डीन (3) विद्यार्थियों के मामलों के डीन और प्रशासन के डीन शामिल थ, और इस परिषद के होने से संस्थान ने उपनिदेशक के पद को भरने की जरूरत महसूस नही की। संस्थान का निर्माण कार्य 1971 में समाप्त हो जाने के कारण केवल भवनों के अनुरक्षण के लिये, एक अधीक्षक इंजीनियर की आवश्यकता नहीं समझी गयी और इस लिये बचत के एक उपाय के रूप में अधीक्षक इंजीनियर के पद पर भर्ती स्थगित कर दी गई थी।

केरल में आदर्श अग्नि रक्षा सेवा (माडल फायर प्रोटेक्शन)

4679. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पल्प तथा सैललोज उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये शीघ्र उगने वाले पोधों को बडे पैमाने पर उगाने हेतु पर्याप्त अग्नि रक्षा सेवा को प्रारंभ करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे बनों में बागानी पर किये गये पूंजी निवेश को अभिरक्षित किया जा सके;

(ख) क्या दूर संचार संबंधी सुविधायें तथा केरल के चार प्रादेशिक वन सर्किलों में से प्रत्येक सर्किल में अग्नि रक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिये सडके बिछाने हेतु आधुनिक मशीनरी जुटाने सहित एक आदर्श अग्नि-रक्षा सेवा प्रारंभ करना भी आवश्यक है;

(ग) क्या ऐसी स्थापना एक माडल (आदर्श) के रूप में होगी जिससे अन्य राज्य भी अग्नि-रक्षा सेवा प्रारम्भ कर सकें; और

(घ) क्या भारत सरकार केरल राज्य के लिये एफ० ए० ओ० / एस० आई० डी० ए० से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मांगने पर विचार कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सिमित आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखे जाने के कारण केरल में एक 'आदर्श वन अग्निशामन सेवा' की स्थापना करने के लिए खाद्य तथा कृषिसंगठन/स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकर के वानिकी परियोजना अभिज्ञान मिशन की सिफारिशोंपर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी । स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त सहायता मिलाने पर खाद्य तथा कृषि संगठन/स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सुझाई हुई अन्य परियोजनओं के साथ इसे हाथ में ले लिया जाएगा ।

बंसधारा नदी (कोरापुट) के बारे में उडीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बातचीत

4680. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंसधारा नदी (कोरापुट) के बारे में बातचीत करने के लिए उडीसा सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच अभी हाल में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और इस मामले में उक्त राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामले पर पुनर्विचार करने के क्या कारण है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा बंसधारा बेसिन में बाढ समस्या का विस्तृत अध्ययन करने और बाढ नियंत्रण उपायों की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सदस्य (बाढ) और आंध्र तथा उड़ीसा राज्यों के बाढ नियंत्रण के कार्यभारी मुख्य इंजीनियर की एक तकनीकी समिति अक्तूबर 1972 में गठित की गई थी । इस समिति की दुसरी बैठक 3 से 5 अक्तूबर 1972 तक हुई थी और इसमें आंध्र प्रदेश

और उड़ीसा राज्यों के मुख्य इंजीनियरों ने भाग लिया था चूंकि जब बैठक हुई थी तो उस समय तक समस्या का मूल्यांकन करने और प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आंकडों का सकलन पूरा नहीं हुआ था और क्षेत्र के अगम्य होने के नाते स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया था, समिति अपने निर्णयों और सुझावों को अन्तिम रूप नहीं दे सकी । समिति ने आंध्र प्रदेश और उडीसा के राज्यों द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले और आंकडे बताए और दिसंबर 1974 के अंत में अथवा जनवरी 1975 के आरंभ में सुझावों को अन्तिम रूप देने के लिए अगली बैठक करने का प्रस्ताव किया ।

विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में नियुक्त किये गये प्रोफेसर

4681. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के एक विशेष विभाग में कितने प्रोफेसर नियुक्त करने की अनुमति है;

(ख) क्या इस नियम में कोई विभिन्नता रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभागों के लिए प्रोफसरों के पदों की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किए है । आयोग द्वारा ऐसे पद की स्वीकृति विभाग के विकास की अवस्था तथा किसी निर्धारित समय पर उसके द्वारा जिस विशेषज्ञता की व्यवस्था की जाती है तथा उन विशेष योजनाओं और कोटि कार्यक्रमों पर निर्भर करती है, जो वे प्रारंभ करें।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और वितरण

4682. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति वितरण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता के बराबर नहीं है; और

(ख) खाद्यान्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्यानों के उत्पादन अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों आदि के संचलन और उपलब्धता पर निर्भर करत हुए खाद्यानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है । समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, अधिशेष राज्यों में यथा संभव अधिकतम मात्रा में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जाती है और फालतू स्टाक को केन्द्रीय पूल के लिए ले लिया जाता है और उसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए कमी वाले राज्यों को दे दिया जाता है । तथापि, राज्यों के अन्दर विभिन्न क्षत्रों में स्थानीय परिस्थितियों और खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को ध्यान म रखकर सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा का अन्दाजा राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है ।

खाद्यानों का राज्यों में समान रूप से वितरण

4683. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्यान्नो उत्पादक राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक खाद्यान्नों की खपत की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके समान वितरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खादयानों का उत्पादन सभी राज्यों में होता है । तथापि, किसी राज्य में खाद्यान्नों की खपत कई तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे कि खाद्यानों का उत्पादन बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थ, उनके तुलनात्मक मूल्य, आय स्तर, शहरीकरण की रफतार, आदि । खाद्यान्नों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिशेष क्षेत्रों से केन्द्रीय खाते में अधिप्राप्त खाद्यान्नों का राज्यों को उचित मूल्य की दुकानो से वितरण करने के लिए आबंटन किया जाता है । तथापि, सरकारी वितरण प्रणाली से वितरण की मात्रा का निर्धारण राज्य सरकारें ,स्थानीय परिस्थितियों और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों की प्रतिवादी उपलब्धता में घट बांढ़ को ध्यान में रखकर करती है ।

राज्यों की गेहूं और चावल की सप्लाई

4684. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जून से नवम्बर, 1974 तक माह-वार विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितना गेहूं तथा कितना चावल सप्लाई किया गया ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : एक विवरण संलग्न है; **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8776/74]**

दिल्ली में राशन कार्डधारियों को सप्लाई किये जा रहे गेहूं की घटिया किस्म

4685. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में अनेक शिकायतें इस आशय की मिली हैं कि दिल्ली में उचित दर दुकानों के माध्यम से राशनकार्ड धारियों को बेचा गया गेहूं घटिया किस्म का है, और उसमें दुर्गन्ध आती है; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन को जनकपुरी के एक उचित मूल्य की दुकान के मालिक के बारे में अक्तूबर 1974 में केवल एक गुमनाम शिकायत मिली थी जो कि घटिया किस्म की गेहूं बेचता था और नार्थ और साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से घटिया गेहूं के दिए जाने के बारे में भी भारतीय खाद्य निगम को कुछ शिकयतें मिली थीं ।

जांच करने पर यह विदित हुआ कि भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त शिकायत मेक्सिकन लाल किस्म की गेहूं की बिक्री के बारे में थी। यह गेहूं दिल्ली के उपभोक्ताओ द्वारा पसन्द नहीं की जाती है ।

दिल्ली प्रशासन ने इस शिकायत की जांच करवाई और यह मालूम हुआ कि उचित मूल्य की दुकानों के पास गेहूं का स्टाक उचित औसत किस्म का था।

भारतीय खाद्य निगम के डिपों से स्टाक देते समय केवल स्वीकार्य किस्म का अनाज ही दिया जाता है। संयुक्त रूप से दिए गए और सील-बंद नमूने की उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते है ताकि उपभोक्ता उस नमूने के साथ दिए जा रहे स्ताक का मिलान कर सकें।

दाल, ज्वार, मटर और चने की उत्पादन लागत और उनका उत्पादन बढाने के लिए कार्यवाही

4686. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार दालो, ज्वार, मटर और चने की प्रति क्विटल उत्पादन लागत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले और इस बारे में भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिये, इस मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई व्यापक योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिये वर्ष 1970-71 के लिये बाजर और महाराष्ट्र के लिये वर्ष 1971-72 के लिये ज्वार के उत्पादन की लागत के राज्य-स्तरीय अनुमान उपलब्ध हो गये हैं। ये अनुमान नीचे दे दिये गये हैं।

फसल	राज्य	वर्ष	प्रति हैक्टर खेती की लागत (रु०)	प्रति हैक्टर उपज (क्विटल)	प्रति हैक्टर उत्पादन लागत (रुपये)
बाजरा	राजस्थान	1970-71	310	6.46	36.82
		1971-72*	290	4.22	54.70
ज्वार . .	महाराष्ट्र*	1971-72	471	5.73	57.03

*अस्थायी।

टिप्पणी :—1. खेती की लागत में निम्न शामिल हैं :—

(क) इसमें भाड़े पर लगाये गये मजदूरों, बैलों और मशीनों का व्यय, बीज उर्वरक, खाद, सिंचाई, कीटनाशी दवाइयों, भू राजस्व, उपकर और कर और पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में अदा किये गए किराये पर व्यय हुआ आदि शामिल है और (ख) पूंजी पर आने वाले ब्याज का मूल्य अपनी भूमि का किराया मूल्य और काश्तकार का पारिवारिक श्रम शामिल है।

2. प्रति क्विटल उत्पादन लागत निकालने के लिए प्रति हैक्टर खेती की लागत को प्रति हैक्टर उपज से भाग दिया जाता है।

3. अच्छी मौसमी परिस्थितियां मौजूद होने के कारण 1970-71 उपज की दृष्टि से सर्वोत्तम वर्ष था।

उपर्यक्त राज्यों के लिये क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़े, राजस्थान के लिये उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर और महाराष्ट्र के लिये महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुडी द्वारा एकत्रित गये थे। बाजरे, ज्वार और मका की उत्पादन लागत के सम्बद्ध में इसी प्रकार के आकड़े अनेक राज्यों के सम्बंध मे एकत्रित किये गये थे। कुछ मामलों में, आंकड़े अभी भी क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा एकत्रित/ संकलित किये जा रहे हैं; कुछ ऐसे मामले हैं जिनके सम्बन्ध में आंकड़े कृषि मंत्रालय में प्राप्त हुये हैं, उनका विश्लेषण या छान-बीन करके संकलन किया जा रहा है।

जहां तक दालों, मटर और चने का सम्बन्ध है, योजना के अन्तर्गत इनके उत्पादन की लागत के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुय हैं।

(ख) तथा (ग) दालों के उत्पादन को इनकी उत्पादकता और इनकी फसलों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करके बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये खरीफ 1972 से दालों के विकास के बारे में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई थी जिसे 1972-73 और 1973-74 की अवधि में क्रियान्विति किया गया। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को प्रदर्शन करने, केन्द्रक और आधारी बीज तैयार करने, वनस्पति रक्षण उपाय करने, किसानों को बीज सप्लाई करने, रिजोबियम की खेती करने के लिये सूक्ष्म विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाएं लगाने के लिये वित्तीय सहायता दी गई थी। इन प्रयासों के फलस्वरुप 1973-74 के दौरान 9.30 लाख हैक्टर क्षेत्र में पैकेज प्रणालियां अपनाई गई थी और दालों के अन्तर्गत 1.50 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र लिया गया था। पांचवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय प्रयोजित योजना को जारी रखा जा रहा है। आशा है पांचवीं योजना के अंत तक 70 लाख हैक्टर क्षेत्र में पैकेज प्रणालियों को अपनाया जायेगा और दालों के अंतर्गत 15 लाख हैक्टर क्षेत्र शामिल किया जायेगा।

इसी प्रकार से, पांचवी योजना के दौरान बाजरे, ज्वार और मक्का को अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करने पर जोर किया जा रहा है। पांचवी योजना के अंत तक इन फसलों के अन्तर्गत, 85 लाख हैक्टर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है। जबकि आधार वर्ष (1973-74) में केवल 47 लाख हैक्टार क्षेत्र में इनकी फुवाई की गई थी। चालू वर्ष (1974-75) से मोटे अनाज के विषय में मिनीकिट कार्यक्रम की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्रारम्भ की गई है। संकर चरी की अनेक नई किस्मो और नई रोग निरोधी किस्मों को विकसित किया गया है। ये किस्में 1974-75 के दौरान मिनीकिट कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई है। इससे किसानों को अच्छी किस्में चुनने में सुविधा होगी और अधिक से अधिक क्षेत्रो में खेती के लिये बीज उपलब्ध हो सकेंगे।

गुजरात में राशन कार्ड धारियों को दी जाने वाली चीनी के कोटे में कटौती

4687. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राशन कार्ड-धारियों को सप्लाई की जाने वाली चीनी के कोटे में हाल में सरकार द्वारा कटौती की गयी;

(ख) यदि हां, तो कोटे में कितनी कटौती की गयी; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में इस कटौती को हटाने और यदि सम्भव हो सके तो प्रति व्यक्ति चीनी के कोटे में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो कब और कैसे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार नियंत्रित माध्यमों से घरेलू उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्यों को लेवी चीनी के मासिक कोटे आवंटित करती है और जुलाई, 1974 से आवंटनों में कोई

कमी नहीं की गई है। तथापि राज्य के अन्दर लेवी चीनी के वितरण की मात्रा तथा उसके तरीके के बारे में यह बात राज्य सरकार पर छोड़ दी जाती है कि वह स्थानीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उसके बारे में निर्णय करें।

गुजरात में आवासीय एककों के निर्माण के लिये सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सहायता

4688. श्री पी० जी मावलंकर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजारत में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने आवासीय मकानों के निर्माण हेतु ऋण के रूप में केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई प्रतीत हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने का है; और यदि हां, तो कैसे और कब; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम देने पर अगस्त, 1973 में रोक लगाई गई थी। सरकार ने यह अग्रिम देने के लिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कतिपय निर्दिष्ट वर्गों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने का अब निर्णय कर लिया है।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपूर के छात्रों द्वारा हड़ताल

4689. श्री पी० जी० मावलंकर :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के लगभग 2000 छात्रों ने हाल में अनिश्चित काल के लिये हड़ताल की थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या हड़ताली छात्रों ने निदेशक तथा अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन को वहां से हटा दिया गया था; और

(घ) इस शिक्षा संस्थान में स्थिति को ठीक करने तथा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (घ) एक उत्तर-स्नातक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद, भारतीय प्रौद्योगिकि संस्थान, कानपुर के छात्रों ने तथा-कथित कुप्रशासन के विरोध में भा० प्रो० संस्थान के कैम्पस में 1 नवम्बर से 9 नवम्बर, 1974 तक हड़ताल कर दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कुप्रशासन, शासीमंडल के अध्यक्ष तथा निदेशक के बीच सतत मतभेद के कारण पैदा हुआ है। हड़ताली छात्रों ने अध्यक्ष तथा निदेशक, दोनों के त्यागपत्र की मांग की। अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र भेज दिया है तथा निदेशक ने देय छुटी मंजूर करने तथा संस्थान से शीघ्र ही कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है। जिससे स्पष्ट है कि इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने

संस्थान में सेवा करने का अनुबंध किया हुआ है, छुटी समाप्त होने के बाद वे संस्थान में फिर से कार्य करना नहीं चाहते। सरकार, भा० प्रौ० संस्थान, कानपुर में एक कार्यकारी निदेशक तथा शासी मंडल के एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं।

हरियाणा में बिजली की सप्लाई बन्द करने का रबी की फसल पर प्रभाव

4690. श्री इसहाक सम्भली : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में बिजली की सप्लाई पूर्णतः बन्द करने का रबी-उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक समन्वय समिति में उर्वरक एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व

4691. श्री बनमाली पटनायक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक व्यापार की दिन प्रति-दिन की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए राज्य स्तर पर उर्वरक समन्वय समिति में उर्वरक एसोसियेशनों को प्रतिनिधित्व देने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राज्यों को उर्वरक की सप्लाई करने वाले अधिकांश विनिर्माताओं को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की हुई समन्वय/स्थायी समितियों में पहले ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये विनिर्माता उर्वरक एसोसियेशनों के सदस्य हैं। अतः इन समन्वय/स्थायी समितियों में उर्वरक एसोसियेशनों को सीधा प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर भारत सरकार ने विचार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक व्यापार में क्रय कर को फिर से लागू करना

4692. श्री बनमाली पटनायक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक व्यापार में अधिक से अधिक खुदरा व्यापारियों के प्रवेश हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु बिक्री कर के स्थान पर क्रय कर को फिर से लागू करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अनुसार (समाचार-पत्रों के अलावा) अन्य माल पर क्रय तथा विक्री कर लगाना राज्य का विषय है। अतः राज्य सरकारों को स्वतंत्रता है कि वे अपने अपने राज्यों में उर्वरकों के क्रय तथा विक्रय या विक्री कर लगाना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार का क्रय कर लगाने की वांछनीयता पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मृत सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री को सरकारी आवास का आबंटन

4693. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत सरकारी कर्मचारी के कब्जे में सरकारी आवास को दयाभूत आधार पर सरकारी सेवा में रत उसके पुत्र/पुत्री को आबंटित किया जाता है;

(ख) क्या वही आवास मृत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को आवंटित किया जाता है अथवा जिस टाइप के वे हकदार होते हैं वैसा आवास उन्हें दिया जाता है; और

(ग) क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें वही आवास आबंटीत किया गया है जब कि पुत्र/पुत्री अपने पिता की मृत्यु के समय छोटे टाइप के आवास के हकदार थे; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, एक मृत सरकारी कर्मचारी जिसके दखल में सामन्य पूल वास हो, के पुत्र/पुत्री, पत्नी अथवा पति, यथास्थिति अथवा उसके पिता को, इस शर्त पर तदर्थ आबंटन मंजूर किया जाता है कि उक्त रिश्तेदार सरकारी कर्मचारी हो जो सामान्य पूल से वास का पात्र हो तथा वह मृत सरकारी कर्मचारी के साथ, उसकी मृत्यु से कम से कम 6 मास पहिले से, रह रहा हो। मृत कर्मचारी के दखल में जो मकान हो वह पात्र सम्बन्धी के नाम नियमित किया जाता है यदि वह उसी टाइप अथवा उससे ऊपर के टाइप के मकान का पात्र हो। यदि मृत कर्मचारी के दखल में टाइप I का मकान हो और उस का आश्रित सम्बन्धी टाइप II के वास का पात्र हो तो उस आश्रित को टाइप II का मकान दिया जाता है। अन्य मामलों में, सम्बन्धी को उसके पात्र टाइप का वास यदि उस समय उपलब्ध हो, दिया जाता है। अथवा उपलब्ध न होने पर, यदि आबंटी को स्विकार्य हो तो अगले नीचे टाइप का वास दिया जाता है। कुछेक अत्यधिक कठिनाई के अपवाद स्वरुप मामलों में, मृत कर्मचारी के दखल के वास को उसके आश्रित सम्बन्धी के पास रखे रहने की अनुमति दी गई है यद्यपि उक्त सम्बन्धी उस टाइप के वास का पात्र नहीं था ।

पंजाब वक्फ बोर्ड की कार का दुर्घटनाग्रस्त होना

4694. श्री झारखण्डे राय : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 में पंजाब वक्फ बोर्ड की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणामस्वरुप एक व्यक्ति की दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वक्फ बोर्ड की कार में यात्रा कर रहे कुछ व्यक्ति घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो कार-दुर्घटना में मरे और घायल हुए व्यक्तियों के नाम, और पते क्या हैं;

(ग) उस दिन किस सरकारी काम के लिए कार का उपयोग किया जा रहा था; और

(घ) क्या घायलों में से कोई व्यक्ति उस दिन अम्बाला में निर्णयाधीन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 या अन्य किसी धारा के किसी मामले में पंजाब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ सह-अभियुक्त था ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) तथा **(ग)** पंजाब वक्फ बोर्ड के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब वक्फ-बोर्ड के अध्यक्ष दरगाह जलालुदीन का निरीक्षण करने के लिए थानेसर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार की दूसरी ओर से आने वाली एक अन्य कार से टक्कर हो गई थी। दूसरी कार में सवार प्यारे लाल, ड्राइवर तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, करनाल में कार्य करने वाले श्री मयत राम, सहायक को चोट आई और श्री प्यारे लाल, ड्राइवर की अस्पताल में जा कर मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री तय्याव हुसैन को भी मामूली चोटें आई थी।

(घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद तत्वाधान के मुस्लिम उलेमाओं की बैठक

4695. श्री झारखण्डे राय : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कि क्या मस्जिद या मस्जिद के स्थान को पट्टे पर दिया जा सकता है और अन्य कार्यों के लिये उस का उपयोग किया जा सकता है, 22 जुलाई को केन्द्रीय वक्फ परिषद के तत्वाधान में मुस्लिम उलेमाओं की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वक्फ के लिये उप मन्त्री और विशेष कार्य आधिकारी (वक्फ) द्वारा इन उलेमाओं के समक्ष दिए गए वक्तव्य की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उलेमाओं ने क्या निर्णय दिया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) **तथा** **(ग)** प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज द्वारा कथित कदाचार

4696. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल मजदूर यूनियन हरदुआ गोपालगंज के सचिव ने दिनांक 17, अगस्त 1974 और 2 सितम्बर, 1974 के पत्रों द्वारा तत्कालीन कृषि मंत्री का ध्यान मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड हरसुआ गोपालगंज (बिहार) द्वारा चीनी के नमूनों की सप्लाई में किये गये कदाचारों की ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आरोपों की कोई जांच की है और उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय के उप-निदेशक (शर्करा तकनीकी) ने न कि निरीक्षक ने निर्धारित कार्य विधि के अनुसार चीनी के 5 नमूने लिए थे। उन्होंने **अगस्त**, 1974 के प्रथम सप्ताह में निरीक्षण किया था। इन मामलों में से दो मामलों में अधिग्रेडिंग पाई जाने के कारण फैक्ट्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चीनी के नमूने प्राप्त करने के लिए कोई कदाचार नहीं किए गए हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन विष्णु शुगर मिल्स गोपालगंज के विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने के लिए बिहार सरकार को अनुदेश

4697. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार सरकार को विष्णु शुगर मिल्स गोपालगंज, (बिहार) के प्रबन्धकों के विरुद्ध 27 सितम्बर, 1972 और 11 जुलाई, 1973 को घटिया किस्म की चीनी सप्लाई करने के दोष के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमे दायर करने का निर्देश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, राज्य सरकार को 17-10-1973 को यह सलाह दी गई कि वे चीनी की उचित ग्रेडिंग करने में लापरवाही जिसका 27-9-1972 को पता चला था, बरतने के बारे में मै० विष्णु शुगर मिल लि०, गोपालगंज (बिहार) के प्रबंध के विरुद्ध मुकदमा चलाएं। दूसरे मामले में, फैक्ट्री से कारण बताओ नोटिस के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है और इसकी पैरवी की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस संबंध में अद्यतन स्थिति बताएं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

हरखुआ, बिहार की बी० एस० मिल्स लिमिटेड, के "प्रैसमड" की बिक्री

4698. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बी० एस० मिल्स हरखुआ एम्प्लाईज को आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, गोपालगंज (बिहार) के सचिव द्वारा बी० एस० मिल्स लिमिटेड हरखुआ, गोपालगंज (बिहार) के प्रबन्धकों को सम्बोधित दिनांक 8 अक्तूबर, 1974 के पत्र की प्रति प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया है कि "प्रैसमड" जो चीनी कारखाने का एक उत्पादन है, की बिक्री के लिए सोसाइटी के साथ समझौता किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में बिहार सरकार को लिखा गया है।

गुजरात में पशु शिविर

4699. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अरविन्द एम पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में जिलावार, कमी वाले क्षेत्रों में कितने पशु शिविर खोले गये;

(ख) प्रत्येक शिबिर को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) चारा कहां से उपलब्ध किया गया था; और

(घ) क्या यह चारा सरकारी एजेंसियों से प्राप्त किया गया था; अथवा प्राइवेट ठेकेदारों से ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम के एजेंटों के न होने से धनी किसानों द्वारा घोषित मूल्य से कम मूल्य पर धान की वसूली

4700. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अरविन्द एम पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय खाद्य निगम के एजेंटों के न होने से बडी संख्या में जोतदार और धनी किसान निर्धन किसानों द्वारा मजबूरी में धान की बिक्री का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) क्या गरीब किसान सरकार द्वारा घोषित मूल्य 75 रुपये क्विंटल से कम पर धान को बेच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने पश्चिमी बंगाल के बारे में ऐसी प्रेस रिपोर्ट देखी है। राज्य सरकारों से सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का अधिग्रहण

4701. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री बेकारिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया आफिस लाइब्रेरी के अधिग्रहण की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) अधिग्रहणकार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) इंडिया आफिस लाइब्रेरी स्वामित्व के प्रश्न मे संबंधित विभिन्न निहितार्थों के विषय में संबंधित सरकारों द्वारा 1947 से ही विचार किया जा रहा है। इंग्लैड की सरकार से मध्यस्थिता करार का एक मसौदा 1968 में प्राप्त हुआ था तथा उसी पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है।

विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप

4702. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेडियम का निर्माण, दर्शकों के लिए स्थान, टिकटों के मूल्य, प्रेस सम्बन्धी सुविधायें, टेलीविजन और रेडियो प्रसारण पर दिये जाने वाले समय आदि का विशेष उल्लेख करते हुए कलकत्ता में विश्व टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप आयोजित करने हेतु तकनीकी तैयारियों पर अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय टेबिल टेनिस एसोसियेशन प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने सम्बन्धी तैयारियां कब पूरी हो जायेंगी ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) भारतीय टेबल टेनिस संघ ने, जो फरवरी, 1975 में कलकत्ता में 33 वे विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहा है, निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(i) अंतरंग स्टेडियम का निर्माण कार्य, कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है तथा चैम्पियनशिप के लिये स्थान समय पर तैयार हो जायेंगे ।

(ii) उक्त अंतरंग स्टेडियम में 12,000 दर्शकों के बैठने के लिये स्थान की व्यवस्था है; अतिथि टीमों, अधिकारियों तथा अन्यों के लिये आवास की व्यवस्था कलकत्ता के विभिन्न होटलों में की गई है ।

(iii) 40 रुपये से 540 रुपये तक मूल्य वाले सीजन टिकट (मनोरंजन कर सहित) बेचे जायेंगे । ऐसा बताया गया है कि 40 रुपये व 80 रुपये वाले अर्थात दो किस्मों के टिकटों को केवल पंजीकृत खिलाडियों तथा छात्रों के लिये सुरक्षित रखा गया है, जिन्हें 50% रियायत दी जाएगी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

(iv) ऐसा बताया गया है कि भारतीय प्रेस तथा अतिथि प्रेस/रेडियों/टी० वी० कोर के लिये रेडियों सहित पर्याप्त प्रेस संबंधी सुविधाएं उपलब्ध की गई है ।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय टेबल टनिस प्राधिकारियों द्वारा उक्त चैम्पियनशिप के लिये व्यवस्थाओं का कोई विशिष्ट निरीक्षण करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ के कुछ अधिकारी जनवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह में भारत आएंगे तथा चैम्पियनशिप के लिये किये गये प्रबन्धों को देखने के वास्ते उन्हें कलकत्ता ले जाया जायेगा ।

राज्यों में धान के बाजार मूल्यों में वृद्धि करने वालों के संबंध में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम लागू करना

4703. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान के बाजार मूल्य में वृद्धि करने वालों के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम लागू करने की घोषणा कितने राज्यों ने की है; और

(ख) धान के बाजार मूल्यों में वृद्धि करने के लिए अब तक कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

9—44 LSS(ND)/74

"घोस्ट ओनर्स बाई डी० पी० ए० फ्लैटस" नामक शीर्षक से समाचार

4704. **श्री वसन्त साठे :**
श्री धामनकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1974 के अंग्रेजी स्थानीय दैनिक में पृष्ठ 3 पर "घोस्ट ओनर्स बाई डी० डी० ए० फ्लैटस" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) समाचार में किराया खरीद आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटियों द्वारा मुख्तियार नामें से फ्लैटों को बेचने का उल्लेख है । क्योंकि रिपोर्ट में ऐसी बिक्री के किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं है, अतः सरकार की प्रतिक्रिया या मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Poisonous Matter in Imported Fertilizer and its Effect on Crop

4705. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that the imported fertilizer contains some poisonous content that causes damage to the crop;

(b) whether farmers are not accepting this fertilizer for the fear of damage to their crops; and

(c) if so, the name of the country from which this fertilizer was imported and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The Government have not received any complaints that the imported fertilizer contains any poisonous contents that causes damage to the crops.

(b) & (c) Do not arise.

Allocations for Pisciculture during Fifth Plan

4706. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 150 crores has been allocated for pisciculture during the Fifth Five Year Plan; and

(b) the total expenditure being incurred on pisciculture at present and quantity of fish caught?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) An outlay of Rs. 37 crores has been tentatively allocated for Inland fisheries development including pisciculture in both Centre and State Plans during the Fifth Five Year Plan.

(b) The total expenditure incurred on Inland fisheries development including pisciculture is expected to be about 80% of the Annual Plan 1974-75 outlay Rs. 6.14 crores. The fish Production is expected to be 7.60 lakh tonnes.

Expenditure in Import of Breed of Cattle

4707. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on improvement of cow progency and the success achieved in regard to milk production and availability of bullocks; and

(b) the total expenditure incurred on cow improvement centre during 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b) It is not possible to indicate separately the expenditure incurred on the improvement of cow progency alone as several scheme for animal husbandry and dairying also serve other livestock. The production of milk has increased from a level of 21.2 million tonnes per annum in 1968-69 to a level of 23.2 million tonnes in 1973-74. The number of male cattle over 3 years used for work only, has increased from 69.176 million in 1966 to 70.656 in 1972.

1971–74 के दौरान कृषि सेवा केन्द्र

4708. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले 2500 केन्द्रों में से कितने कृषि सेवा केन्द्र इस समय हमारे देश में कार्यरत है;

(ख) उनमें से उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कौन-कौन से केन्द्र हैं; और

(ग) कितने केन्द्र ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) अप्रैल, 1974 से देश में 532 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

(ख) उड़ीसा में केवल 7 केन्द्र स्थापित किये गये हैं। देश में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के विषय में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पता चला है कि स्थापित किये हुए सभी कृषि सेवा केंन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं इन केन्द्रों में शुरू में "कस्टम हाइरिंग" सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया था अब ये अपने क्रिया कलापों का अन्य सेवाओं और सप्लाई के लिये विस्तार कर रहे है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्थापित हुए कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या
1	पंजाब	18
2	पश्चिम बंगाल	68
3	तमिलनाडू	42
4	कर्नाटक	31
5	असम	..
6	महाराष्ट्र	66
7	उत्तर प्रदेश	76
8	हरियाना	22
9	बिहार	59
10	राजस्थान	43
11	मध्य प्रदेश	56
12	गुजरात	17
13	जम्मू और कश्मीर	..
14	उड़ीसा	7
15	केरल	3
16	आन्ध्र प्रदेश	24
	योग	532

1973-74 के मोसम के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य की क्रियान्विति

4709. **श्री एम आर० लक्ष्मीनारायण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने अनेक त्रिपक्षीय बैठकों के बाद 1973-74 के औसत के लिये चीनी के कारखानों द्वारा गन्ने के लिये अदा किये जाने वाले अन्तिम मूल्य की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडू में प्रत्येक कारखाने के लिये क्या मूल्य हैं;

(ग) क्या सभी कारखानों ने तमिलनाडू सरकार द्वारा घोषित मूल्य लागू कर दिये हैं;

(घ) क्या कारखानों द्वारा गन्ने का मूल्य लागू न किये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को गन्ना उत्पादन संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तमिलनाडू सरकार के आदेश न लागू कर सकने वाले कारखानों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार का विचार क्या प्रभावी कार्यवाही या दंडात्मक उपाय करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1973-74 मौसम के दौरान राज्य की प्रत्यक फैक्ट्री को दिए जाने वाले उपयुक्त और अन्तिम गन्ना मूल्य, जिनका निर्णय तमिलनाडू की राज्य सरकार द्वारा किया गया है, को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस सम्बन्ध में तमिलनाडू सरकार से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी हां। शुगरकेन ग्रोअरज् एसोसिएशन आफ साऊथ इंडिया स्टील एण्ड शुगर लि०, मुडियामाक्कम, विल्लूपुरम तालुक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य का चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भुगतान किया जाता है तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी फैक्ट्री के विरुद्ध कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तथापि, राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके द्वारा जिन मूल्यों का निर्णय किया गया है, वे गन्ने के उन ऊंचे मूल्यों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

विवरण

1973–74 के दौरान राज्य में प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा दिया जाने वाले तमिलनाडु सरकार द्वारा निश्चित गन्ने का उचित तथा अन्तिम मूल्य संबंधी विवरण

	क्रमांक	फैक्ट्री का नाम	1973-74 मौसम के लिए देय मूल्य (रुपये प्रति मी० टन)
सहकारी	1	अम्बूर	137.00
	2	मदुरान्ताकम	135.00
	3	अमरावथी	118.00
	4	सालेम	118.00
	5	कल्लाकुरिची	113.00
	6	नैशनल	102.50
	7	धर्मपुरी	106.00
ज्वाइंट स्टाक	8	नेल्लीकुप्पम	101.12
	9	काचेरी शूगर्स	100.12
	10	दक्कन शूगर्स	100.00
	11	साऊथ इंडिया स्टील और शूगर्स	104.75
	12	अरुना शुगर्स	102.37
	13	साथी शुगर्स	110.62
	14	मदुरा शुगर्स	101.12
	15	कोठारी शुगर्स	107.00
	16	थिरू अरोरान शुगर्स	100.00

तमिलनाडु में गन्ने का निर्धारित मूल्य अदा करने में संयुक्त क्षेत्र के चीनी कारखानों की असफलता

4710. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू में संयुक्त क्षेत्र के बहुत से चीनी कारखाने 1971-72 के मौसम के बाद त्रिपक्षीय हुई बैठकों के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य अदा करने में असफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कौन से कारखाने 1971-72 के बाद, वर्गवार निर्धारित मूल्य अदा करने में असफल रहे हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम या अन्य किसी कानून के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य की अदायगी सुनिश्चित करने के अधिकार है; और

(घ) यदि नहीं तो ऐसे दोषी कारखानों को निर्धारित मूल्य अदा करने के निदेश देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा उनके विरुद्ध क्या दंडात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) तमिलनाडुसरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत चीनी फैक्ट्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य दें। इस मूल्य का भुगतान न करना इस अधिनियम के अधीन जुर्म माना जाएगा। लेकिन जब तक फैक्ट्री सांविधिक न्यूनतम मूल्य देती रहती है, तब तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तथापि, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके द्वारा जिन मूल्यों को निर्धारित किया गया है, गन्ने के उन ऊंचे मूल्यों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

विश्वविद्यालय सेनटों, कार्यकारी परिषदों और शिक्षा परिषदों का गठन

4711. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय सेनेटों, या कोर्टों, सीडीकेटों या कार्यभारी परिषदों और शिक्षा परिषदों के गठन के प्रश्न की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे इन निकायों में रीडरों और प्रोफेसरों की तुलना में लेक्चररों को, इस तथ्य के बावजूद कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में लगभग 70 प्रतिशत लेक्चरर शिक्षक कर्मचारी होते हैं, अत्याधिक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का शिक्षक कर्मचारियों में लेक्चररों की अधिक संख्या की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अधिक लोकतांत्रिक नीति अपनाने और लेक्चररों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालयों के अभिशासन से संबंधित गजन्द्रगडकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन निकायों के गठन के संबंध में जिसमें अध्यापकों, लेक्चररों, रीडरों और प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व भी शामिल

है, कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को संशोधित करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है। समिति की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों के भी ध्यान में लाया गया है।

राज्यों में खरीफ के धान के उत्पादन में कमी

4712. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बिहार में खरीफ के धान के उत्पादन में 15 लाख टन की कमी होने का नवीनतम अनुमान है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी खरीफ के धान के उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार चावल खाने वाले राज्यों में चावल की मांग को किस प्रकार पूरी करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) अभी वर्ष 1974-75 में चावल की बुआई के क्षेत्र और उसके उत्पादन के सम्बंध में पक्के अनुमान राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: बिहार और अन्य राज्यों में उत्पादन में कमी होने के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण पद्धति हेतु चावलों की जरूरत को केन्द्रीय सरकार के लिए खरीदे हुए स्टाक से पूरा किया जाता रहेगा।

आदिवासियों की मांगे

4713. श्री सी० के० चन्द्रपन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि, नौकरियों, और खाद्यान्न के संबंध में आदिवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ स्थानों पर आदिवासियों ने विधायकों का घेराव किया था और खाद्यान्न की मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भूमि नौकरियों और खाद्यान्नों के बारे में आदिवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्योंकि वे लोग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर हैं।

भूमि : भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत फालतू भूमि का वितरण करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को तरजीह दी जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये भूमि आबंटन नियमों में भी भूमिहीन किसानों जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल हैं, को तरजीह दी जाती है।

नौकरियां : अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियां प्राप्त करने के लिए सुविधा देने हेतु उनके लिए भर्ती के सामान्य मानदंड में कुछ ढील देने और रिक्तियों का कुछ प्रतिशत आरक्षित करने की नीति अपनाई जा रही है।

आदिवासी आमतौर पर कृषि सम्बन्धी कार्यों पर निर्भर करते हैं। आदिवासी भूमिहीन मजदूरों के बारे में सिंचाई परियोजनाओं, सम्पर्क और मुख्य सड़कों आदि जैसे निर्माण कार्यों के माध्यम से कृषि और अप्रधान वन उपज पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दे कर; और डेरी, कुक्कुटपालन; सूअरपालन, भेड़/बकरी पालन आदि जैसे सहायक धंधों को बढावा देकर आदिवासी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है।

खाद्यान्न : राज्यों में खाद्यान्नों का वितरण करने का उत्तरदायित्व उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों का है। तथापि, समय-समय पर इस बात के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें ग्रामीण तथा अगम्य इलाकों में उचित मूल्य की दुकानें खोलना भी शामिल है, में वृद्धि की जाए और उसे मजबूत बनाया जाए। जिन ग्रामीण तथा अगम्य इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का पर्याप्त वितरण नहीं होता है, वहां राज्य सरकारो को कहा गया है कि वे साप्ताहिक हाटों/मंडियों के माध्यम से वितरण करने की व्यवहार्यता के बारे में विचार करें।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। तथापि, हाल ही में दिल्ली के एक दैनिक समाचारपत्र में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि त्रिपुरा में कुछ आदिवासियों ने विधान सभा के कुछ सदस्यों का उस समय घेराव किया जब वे एक परियोजना की जांच करने जा रहे थे। इस मामले में राज्य सरकार को लिखा गया है।

दिल्ली में कुछ कालेजों को अल्पसंख्यांक संस्थाओं में बदला जाना

4714. **श्री नरेंद्र कुमार सोंधी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ कालेजों द्वारा उन्हें "अल्पसंख्यक संस्थाओं" में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है;

(ग) इन कालेजों के शिक्षक कर्मचारियों की इस समय की स्थिति की तुलना में उस समय क्या स्थिति होगी जब इन्हें अल्पसंख्यांक संस्थाओं में बदल दिया जायेगा; और

(घ) क्या उक्त परिवर्तन होने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की अनुमति लेना आवश्यक है और यदि हां, तो क्या ऐसी कोई अनुमति दी गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधिओं तथा अध्यादेशों के क्रमशः संविधि 30 और अध्यादेश XVIII को संशोधित करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रस्ताव के संबंध में, जो सम्बन्ध कालेजों के अभिशासी निकायों के गठन तथा शिक्षण स्टाफ आदि की नियुक्ति के लिए चयन समिति के बारे में हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड ने अप्रैल 1973 में भारत के राष्ट्रपति के पास अभ्यावेदन भेजे थे। एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज तथा माता सुन्दरी महिला कालेज का संचालन करनेवाले इस बोर्ड ने यह प्रार्थना की थी कि अल्पसंख्याकों द्वारा स्थापित तथा चलाए जा रहे कालेजों को प्रस्तापित संशोधनों की सीमा से बाहर रहने दिया जाये क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30(1) के विरुद्ध है। सेंट स्टीफेंस कालेज के प्रधानाचार्य ने भी मेरे पास अगस्त, 1973 में एक अभ्यावेदन भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि 92 वर्षों की अपनी अवधि के दौरान इस कालेज ने इसाई संख्या के रूप में अपना एक विशेष स्वरुप तथा परम्परा का विकास किया है और प्रस्तावित संशोधनों से उसके वास्तविक स्वरुप में आमूल अन्तर आएगा और

यहां तक की कालेज की सम्पति के स्वामित्व के संबन्ध में भी जटिल कानूनी प्रश्न उठ सकते हैं इसलिए प्रस्तावित संशोधन कालेज को मान्य नहीं हो सकते। जैसस एण्ड मेरी कालेज के प्रबन्धकों की ओर से भी मुझे अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के शिक्षकों की सेवा संबंधी शर्तें तथा कालेजों का सम्बन्ध, विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों द्वारा अभिशासित होता है।

आयातित उर्वरक की ऊंचे मूल्य पर बिक्री

4715. श्री नरेंद्र कुमार सांधी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों को एक विशेष किस्म का आयातित उर्वरक 95 रु० से 105 रु० प्रति क्विंटल तक बेचा जा रहा है जब कि उसी किस्म का उर्वरक नेपाल के किसानों को उससे बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस किस्म के आयातित उर्वरक की लागत और भारतीय किसानों को बेचने के लिए इसके प्रति क्विंटल मूल्य का पता लगाया है और मूल्य में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) भारत में बेचे जाने वाले समस्त आयातित उर्वरकों के मूल्य केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सभी उर्वरकों का बिक्री मूल्य देशभर में समान होता है। प्रश्न में किसी विशेष उर्वरक का नाम नहीं दिया गया है अत: बिक्री मूल्य के विषय में छानबीन करना और नेपाल में उसी किस्म के उर्वरक के बिक्री मूल्य से तुलना करना सम्भव नहीं है।

विदेशों से आयात किए गए पशुओं के वंशावली इतिहास

4716. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निर्यातकों ने आयातित पशुओं के वंशावली इतिहास कभी नहीं सप्लाई किए; और

(ख) क्या इन पशुओं में एक गंभीर प्रजनन रोग "बुलडागिजम" पाया गया है और इससे देशी पशुओं की उत्पादिता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। निर्यातकों ने आयातित पशुओं के वंशावली इतिहास सप्लाई किए हैं।

(ख) जी नहीं। भारत सरकार को "बुलडागिज्म" रोग होने संबंधी कोई सूचना नहीं मिली है।

बीजों की कम सप्लाई का खाद्य उत्पादन पर प्रभाव

4717. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम कृषकों को बीज की आवश्यकताएं पूरी करने में पूर्णत: असफल रहा है;

(ख) क्या देश के खाद्य उत्पादन में कमी के लिए बीजों की अनुपलब्धता उत्तरदायी रही हैं; और

(ग) बीज उत्पादन में इस अवरोध के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) (क) उन्नत बीजों के उत्पादन और उन्हें किसानों में वितरित करने के लिए प्रबंध करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय वीज निगम अखिल भारतीय महत्व की किस्मों के आधारी तथा प्रभावित वीज सप्लाई करके राज्य सरकारों के प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। निगम ने प्राय: उन सभी मांगों को पूरा कर दिया है जो राज्य सरकारों ने समय पर उसके पास रजिस्टर करा दी थी।

(ख) खाद्य उत्पादन में कमी जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियों, आदानों की अपर्याप्त उपलब्धि या सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की कमी आदि अनेक कारणों से हुई है।

(ग) वीज उत्पादन एजेन्सियां अधिक माता में वीज उपलब्ध करने के लिए अपने वीज उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ा रही हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कूच बिहार सहकारी चावल मिल पश्चिम बंगाल को सप्लाई किया गया धान

4718. श्री बी०के० दास चौधरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल को कूच-बिहार सहकारी चावल मिल द्वारा ठेका भंग किए जाने और उससे सप्लाई किए गए धान के बदले अपेक्षित मात्रा में चावल सप्लाई में किए जाने के लिए इस सहकारी चावल मिल से काफी धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो कूच-बिहार सहकारी चावल मिल को भिन्न-भिन्न वर्षों में वर्ष-वार कुल कितना धान सप्लाई किया गया और भिन्न-भिन्न वर्षों में वर्ष-वार उक्त सहकारी चावल मिल से कुल कितना चावल प्राप्त किया गया तथा प्रत्येक वर्ष में विशुद्ध शेष कितना रहा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम दवारा कूच-बिहार सहकारी चावल मिल पश्चिम बंगाल के विरुद्ध दावा

4719. श्री बी० के० दास चौधरी: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की कूच-बिहार सहकारी चावल मिल के विरुद्ध रुपये-पैसे का दावा दायर किया है और यदि हां, तो कितनी राशि की मांग और दावा क्या है तथा इस समय दावे की क्या स्थिति है ;

(ख) किन व्यक्तियों के विरुद्ध दावा दायर किया गया है ; और

(ग) उक्त चावल मिल से अपनी बकाया राशि वसूल करने के लिए भारतीय खाद्य निगम क्या अन्य कदम उठाने पर विचार कर रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने फसल वर्ष 1969–70 से संबंधित 1,66,205·85 रुपये के दावे के लिए कूचबिहार सहकारी चावल मिल लिमिटेड कालीघाट, कूचबिहार शहर के विरुद्ध मुकदमा चलाया है और यह मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यायालय से बाहर राशि को वसूल करने की कोशिश की जा रही है।

चिड़िया घरों के प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

4720. **श्री सुखदेव प्रसाद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिड़िया-घर परियोजना के विकास हेतु चिड़िया-घरों के प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों के बारे में सरकार का क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) चिड़ियाघरों के प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भारतीय वन्य-प्राणि मण्डल की कार्यकारिणी समिति को दिनांक 20-11-1974 को प्रस्तुत की गई थी। सरकार ने अभी इस रिपोर्ट पर विचार करके निर्णय लेना है।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति

4721. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात की जांच करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि जिन व्यक्तियों ने दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों के रूप में दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास शपथ-पत्र दायर किए हैं उनका वास्तव में अपने नाम या अपने पति/पत्नी के नाम या अपने पर आश्रितों के नाम संघ/राज्य क्षेत्र दिल्ली में कोई रिहायशी प्लाट मकान नहीं है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जांच अधिकारी की जांच पर विचार करने के पश्चात, कानून के अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

कुपोषण की समस्या

4722. **श्री शशि भूषण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में 'एक्सपर्ट सीज नो अरली एंड टु मालन्यूट्रिशन' विशेषज्ञ को कुपोषण जल्दी समाप्त होता नहीं दिखता शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाव मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार देश में खाद्य और पोषाहार सम्बन्धी समस्या से परिचित है। पोषाहार में सुधार करने के लिए सभी प्रयत्न करने के आधार के रूप में पशु पालन और मछली पालन के साथ साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के अलावा, सरकार द्वारा परिरक्षण, पोषाहार सम्बन्धी शिक्षा, खाद्य पदार्थों के प्रबलीकरण, अनुपूरक भोजन और तिहलनों जैसे कच्चे माल से नये आहारों का विकास करने जैसे संयुक्त प्रयास भी किए जा रहे हैं।

शिक्षा व्यय और रोजगार की संभावनाए

4724. श्री वी० वी० नायक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतया शिक्षा व्यय में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी किसी योजना पर विचार किया है जिससे प्रत्याशित छात्र को भविष्य में रोजगार क लिये स्पष्ट रिक्त स्थान के लिए ही हो, प्रविष्ट किया जाय ; और

(ग) क्या सरकार शिक्षा पुरी किये जाने के बाद होने वाली बेरोजगारी की कठिनाइयों को दूर करने हेतु किन्हीं अन्य उपायों पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधकों द्वारा, सभी स्रोतों से किया जाने वाला व्यय, 1960-61 में 344 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1973-74 में अनुमानत: 1477 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) सरकार ने ऐसी किसी योजना का प्रस्ताव नहीं किया है जिसके अन्तर्गत किसी स्पष्ट रिक्त स्थान के लिए सम्भावी छात्र को प्रवेश दिया जा सके।

(ग) आशा है कि योजना आयोग तथा आर्थिक मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप शिक्षा के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्रालय भी माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को जनशक्ति की मांग के साथ अधिकाधिक संबद्ध करने के लिए एक योजना शुरू करने का विचार कर रहा है।

लाखों के लिए दूध परियोजना

4725. श्री अनादि चरण दास :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोविन्द बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विचार विश्व बैंक और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से 'लाखों के लिए दूध परियोजना' प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना में अधिकतम दुग्ध उत्पादन होने की आशा है ;

(ग) क्या इस परियोजना में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रथमबार 'सोयापिचु' को शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) दूध का उत्पादन बढाने के लिए सोया के दूध का उपयोग और दूध के एवज में एक अधिक सस्ते पेय के विकास में सहायता करना इस प्रायोजना का लक्ष्य है। सोया के दूध को अकेले या साधारण दूध में 15 से 50 प्रतिशत या इससे अधिक मात्रा में मिलाकर बेचा जा सकता है। विश्वविद्यालय के अनुसार, उपभोक्ता इस पोषक सोया-दुग्ध को साधारण दूध से तिहाई या चौथाई मूल्य पर प्राप्त करेंगे।

उड़ीसा में 1972-73 के लिए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम

4726. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी का उत्पादन बढ़ाने के लिये उड़ीसा सरकार को 1972-73 में ऋण के रुप में 8.6 करोड़ रुपये दिये गए थे, और यह धन किस प्रकार व्यय किया गया ;

(ख) इस आपात कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972-73 में उड़ीसा में रबी के अतिरिक्त उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया और किस सीमा तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां । उड़ीसा सरकार को 1972-73 के संकटकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 8.6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी । इसमें से 6.6 करोड़ रुपये की रकम मध्यावधि ऋण के लिए तथा 2 करोड़ रुपये की रकम अल्पावधि ऋण के लिए थी । 6.6 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण का उपयोग उठाऊ सिंचाई योजनाओं व जलाशयों, तालावों का नवीकरण आदि करने की विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के लिये किया गया था । 2 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण में से 1 करोड़ रुपये की राशि रबी के उत्पादन के लिये कृषि आदानों की खरीद और उनके वितरण के लिये उपयोग की गई थी ।

(ख) संकटकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, उड़ीसा में रबी/ग्रीष्म कालीन मौसम के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में 5.35 लाख मीटरी टन वृद्धि करने की योजना बनाई गई थी ।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 1972-73 की अवधि में रबी/ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में वस्तुतः 1.53 लाख मीटरी टन वृद्धि हुई थी, जबकि लक्ष्य 5.35 लाख मीटरी टन का रखा गया था । निर्धारित लक्ष्य से वृद्धि कम रहने का मुख्य कारण यह था कि शुरू किये गये और पूरे हुए कार्यों से उक्त मौसम के दौरान उगाई गई फसलों को पूरा लाभ नहीं पहुंच सका ।

पश्चिम बंगाल में हस्किंग मिलों पर लैवी

4727. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने हस्किंग मिलों पर लैवी लगाने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अधिक प्रभावशाली ढंग से अधिप्राप्ति करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने हस्किंग मिलों पर लेवी लगाने के लिए भारत सरकार की सहमति से राइस मिलींग इंडस्ट्रीज (रेग्युलेशन) (पश्चिमी बंगाल) दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 लागू किया है । संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस देने के लिए यह शर्त भी सम्मिलित है कि नई हस्किंग मिल का मालिक प्रत्यक ग्राहक से धान की कुटाई का प्रभार 60 प्रतिशत तक जिन्स रूप में वसूल करेगा और राज्य सरकार को 2 नवम्बर के हुलर काली हस्किंग मिलों को सात मी० टन चावल और अन्य मामलों में पांच मी० टन चावल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर देना होगा ।

बाढ़ों की सीमा और उनकी अवधि तथा बिहार में हुई क्षति

4728. **श्री मधु लिमये :**
श्री रामदेव सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ों की सीमा और उसकी अवधि और उन से बिहार, आसाम और अन्य राज्यों में हुई क्षति के बारे में अन्तिम रूप से अनुमान लगा लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मोटरगाडियों के लिए सड़कों, रेल लाइनों, नहरों, पुलों, बाधों, बंधों संबंधी आयोजन के बिना असमेंकित ढंग से बनाई गई योजनाओं तथा मुख्यत: अंधाधुन्ध बन काटने से उत्तर भारत में पानी के प्राकृतिक बहाव में पड़ी बाधा के कारण बिहार और अन्य राज्यों में प्रति वर्ष बाढ की भयंकरता बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो गंगाबेसिन में जल निकासी की स्थिति में सुधार करने तथा प्रतिवर्ष आने वाली बाढों के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) बाढों को अवधि और व्यापकता हुई क्षति, बाढ़ सुरक्षात्मक उपायो के कार्य-निष्पादन और प्रत्येक वर्ष बाढों के अनुभवों पर आधारित आवश्यक समझे गए नए कार्यों की विस्तृत सूचना देने वाली बाढ़रिपोर्टों का संकलन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 1974 वर्ष की बाढो से संबंधित ये रिपोर्टें अभी तक राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, 1974 की बाढों से हुई क्षति के संबंध में रिपोर्टें राज्यों से प्राप्त हो गई हैं जिनके अनुसार, देश में बाढ़ों से हुई कुल हानि लगभग 559 करोड़ रुपये है। सूचना के अनुसार सर्वाधिक कुप्रभावित राज्यों में हानियां निम्न प्रकार से है :—

	करोड़ रुपयों में
असम	19.2
बिहार	381.8
केरल	21.8
उत्तर प्रदेश	105.3
पश्चिम बंगाल	26.8

(ख) और (ग) बाढ़े नदियों के ऊपरी बाह् क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हुए उच्च बाढ़ निस्सरण को उनके तटों के अन्दर बहन करने की अपर्याप्त क्षमता के कारण तटों से उमड कर जल के बाहर फैल जाने तथा ऐसे क्षेत्रों में भारी वर्षापात हो जाने के परिणाम स्वरूप भी आती है जहां पर जल विकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होती। बाढ़ों को गंभीरता में योगदान करने वाले अनेक तथ्य है। कछारी मैदानों में, कटाव और गादीकरण की प्रक्रिया के कारण नदियां टेढी-मेढी बहती है और नदी के जलमार्गों की बाहन क्षमता में कमी आ जाती है। पहाडी-वाह क्षेत्रों में भू-स्खलनों, नदी मार्गों में परिवर्तन मुख्य तथा सहायक नदियों में बाढ जल बहावों का समकालिक होना, थोडी-थोडी अवधियों में अधिक वर्षापात होना, लगातार वर्षा होना, विकासात्मक कार्यों जैसे सड़कें, नहरें, रेलें आदि के कारण प्राकृतिक जल-निकास में रुकावट तथा जल के विस्तृत बहाव का केन्द्रीय बहावों में परिवर्तन से भी बाढ़े और अधिक गंभीर हो जाती हैं। नदियों के बाह क्षेत्र में बन-कटाव और भूमि के अनुचित प्रयोग के कारण तलछट बहाव में बढोत्तरी हो जाती है जिससे नदियों में गाद़ भर जाती है। उपलब्ध आकड़ों के विश्लेषण से ऐसा संकेत नहीं मिलता कि बिहार और अन्य राज्यों में बाढ़ों की सीमा बढ़ रही है। बहरहाल आर्थिक दृष्टिकोण से बाढ़ों से क्षतियों में बढ़ोत्तरी के कारण क्षतिग्रस्त फसलों और सम्पत्ति के मूल्यों में सामान्य बृद्धि जनसंख्या के बढ़ने के कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आबादी का बढ़ना आदि है।

गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने और राज्य सरकारों के अधिकरणों द्वारा समन्वित ढंग से इसके कार्यान्वयन को व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई है। व्यापक योजना के तैयार करने में आयोग सड़कों रेल और नहर प्रणालियों के लिए व्यवस्थित जलमार्गों को पर्याप्तता तथा बाढ़ समस्या पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। आयोग ने 1043 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक योजना की रुप रेखा तैयार की है और इस समय विस्तृत बेसिन-बार योजनाएं तैयार करने में व्यस्त है। व्यापक योजना के तैयार होने तक, राज्य सरकारें, जो बाढ़ा नियंत्रण उपायों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, बाढ़ों और जल-निकास अवरोधन द्वारा होने वाली क्षति को कम करने के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास कार्यों को क्रियान्वित कर रही हैं।

सड़कों, रेलों, और नहरों आदि के आयोजन में इन संरचनाओं के कारण प्राकृतिक जल-निकास के अवरोधन द्वारा जल-जमाव को कम करने के लिए पर्याप्त जल मार्गों को व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त प्रबंध किए गए है। इन पर लगातार संबोधा की जाती है और जैसे-जैसे आवश्यक होता है, अतिरिक्त जलमार्गों को व्यवस्था की जाती है :

भूमि के वितरण के लिये समय बद्ध कार्यक्रम

4729. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री फालतू भूमि के वितरण के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम सीमा से अधिक उपलब्ध होने वाली अनुमानित 40,61,000 एकड़ भूमि को ध्यान में रखते हुए, केवल 17520 एकड़ भूमि ही अब तक वितरित की गई है ; और

(ख) यदि हां तो किसी निर्धारित समय के अन्दर तथा जनता की सांविधिक समितियों के पर्यवेक्षण में अनुमानित समूची फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण कार्य को तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई नवीनतम जानकारी के अनुसार जोत की अधिक तम सीमा के संशोधित कानूनों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अब तक कुल 18,969 एकड़ फालतू भूमि बाँटी गई है। अधिकांश राज्यों में, जिन्होंने उपलब्ध होने वाली फालतू भूमि के अस्थायी अनुमान तैयार किये है जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये कानून के अनुसार विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि फालतू भूमि का वितरण किया जा सके। इनके अंतर्गत बनाये गये इन कानूनों तथा नियमों में भू-स्वामीयों द्वारा विवरणिका प्रस्तुत करने, इन विवरणिकाओं की जांच करने, फालतू भूमि की घोषणा करने, भूस्वामि द्वारा जोत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत जो भूमि रखी जानी है उसका चयन करने, समुचित प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत करने, आपत्तियों का निपटारा करनें, अपील करने, संशोधन करने, उन पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करने जिन्हें फालतू भूमि वितरित की जानी है, आदि की व्यवस्था है। प्रभावित पार्टियों को विभिन्न स्तरों पर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया जाता है, अत: इन कानूनों को निश्चित समय के अंतर्गत क्रियान्वित करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में प्रभावित पार्टियों द्वारा न्यायालयों में जाने से भी क्रियान्वयन की गति रुकि है या धीमी पड़ी है। केरल के कानून में जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों के क्रियान्वयन के कार्य के लिए ग्राम स्तर की सलाहकार समितियों का सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था मौजूद है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE ADJOURNMENT MOTIONS

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में मतदाता सूचियों में संशोधन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किये बिना चुनाव कराये जाने की आशंका के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ है । मैंने उस के आधार पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह एक बहुत ही गंभीर मामला है । प्रधान मंत्री विधि मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने इस बारे में आश्वासन भी दिये हैं । परंतु मैं चाहता हूं कि सरकार स्थिति को स्पष्ट करें । (**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुये –

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगुसराय) : मैंने आकाशवाणी के कार्यकरण के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । आकाशवाणी द्वारा पक्षपातपूर्ण प्रचार में बहुत वृद्धि हो रही है । (**व्यवधान**) इसके प्रसारणों से पता चलता हैं कि यह सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता है । सदन को कार्यवाही को भी तोड़मरोड़ करके पेश किया जा रहा है । यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । अतः इसे उठाने को अनुमति दी जाये (**व्यवधान**) । यह राष्ट्र की सम्पत्ति है, सत्तारूढ़ दल की अपनी सम्पत्ति नहीं है ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : हमारी शिकायत यह है कि आकाशवाणी का नाम व्यर्थ ही बार-बार घसीटा जा रहा है । आकाशवाणी द्वारा विपक्ष को अधिक समय दिया जाता है ।

प्रो मधु दण्डवते (राजापुर) : दोनों पक्षों को ही आकाशवाणी के पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत है । अतः आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें (**व्यवधान**)

मैंने भी आकाशवाणी के पक्षपात पूर्ण रवैये के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । मेरी सूचना का आधार यह है कि मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले में विपक्षी नेताओं के भाषणों को उतना समय नहीं दिया गया जितना श्री आर० एन० गोयनका के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले में कांग्रेस सदस्यों के भाषणों को दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उस दिन शिक्षा मंत्री की प्रताड़ना की गई । आपने मारूति के मामले में श्री मधु लिमये के प्रश्नों के मामले में जांच की बात की । इन बातों का आकाशवाणी ने अपने समाचारों में उल्लेख नहीं किया ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आकाशवाणी के पक्षपातपूर्ण रवैये और सदन की कार्यवाही को तोड-मरोड कर के पेश करने के बारे मे अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं । इस बारे में सदन में चर्चा के लिए पर्याप्त औचित्य है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir I want your guidance should we move Adjourment motion or raise a question of privilage against the All India Radio on account of its Shamelessly partisan broadeasts

अध्यक्ष महोदय : इसे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता । जहां तक आप का उचित व बिना तोड़े-मरोड़े समाचार देने का संबंध है...

श्री शाम नन्दन मिश्र : मेरी शिकायत यह है कि हर रोज हमारी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से पेश नहीं किया गया तो आप बतायें और मैं मंत्री महोदय से रिपोर्ट मांग कर इस बात की जांच करूंगा कि क्या इसे विशेषाधिकार के रूप में व किसी अन्य रूप में उठाया जा सकता है ।

जहां तक आप की चुनाव संबंधी बात है, मैं स्पष्टीकरण प्राप्त करूंगा। हम सब इस बारे में चिंतित हैं। मैं आप की बात मंत्री महोदय को भेजूंगा और उनसे रिपोर्ट मांगूंगा।

श्री शाम नन्दन मिश्र: समस्या तो कुछ भिन्न है। यदि सभा यह अनुभव करती है कि इसकी कार्यवाही को गलत ढंग से पेश किया गया है और सरकार इसका उपयोग सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के रूप में कर रही है तो क्या सदन के सामने विशेषाधिकार प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई अन्य रस्ता नहीं है? **(व्यवधान)**

आयात लाइसेंस के मामले के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न।

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI L. N. MISHRA RE : IMPORT LICENCE CASE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में अपना विनिर्णय देना है। सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, ज्योतिर्मय बसु और श्यामनन्दन मिश्र ने रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्होंने अपनी सूचनाओं की ग्राह्यता के बारे में 4, 5, 11 और 12 दिसम्बर, 1974 को अनुरोध भी किया था।

इस बारे में तथ्य निम्न प्रकार हैं: (i) 28 अगस्त, 1974 को श्री एल० एन० मिश्र ने सभा में निम्न वक्तव्य दिया :

"मुझे याद पड़ता है कि जब तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय मेरे अधीन था, उस समय मुझे अनेक संसदसदस्यों द्वारा कथित हस्ताक्षरकृत एक पत्र प्राप्त हुआ था। जहां तक मुझे याद है मैंने सामान्य कार्यालय-प्रक्रिया के अनुसार वह पत्र संबंधित अधिकारी को दे दिया था। मैंने उस पर कोई आदेश अंकित नहीं किया था और न ही मेरे उस मंत्रालय में रहते हुए कोई लाइसेंस जारी किया गया था। मैं इस आरोप का दृढ़ता से खण्डन करता हूं कि उस आवेदन पर हस्ताक्षर प्राप्त करने अथवा उक्त लायसेंस को स्वीकृत कराने में मेरा कोई हाथ रहा है। श्रीमन्, मैं फिर दोहराता हूं कि विदेश व्यापार मंत्रालय के मेरे अधीनस्थ रहते इनमें से कोई लायसेंस जारी नहीं किया गया था।"

(ii) 9 सितम्बर, 1974 को जब श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा (मूल हिन्दी में) कि श्री तुलमोहन राम अपने गांव में श्री ललित नारायण मिश्र के पिता पंडित रविन्द्र नाथ मिश्र के नाम पर एक स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं और उसके लिए चन्दा इकट्ठा किया गया था, तो चर्चा के बीच में बोलते हुए श्री एल० एन० मिश्र, रेल मंत्री ने कहा कि 'हमको ज्ञात नहीं है'।

सदस्यों का मत है कि श्री एल० एन० मिश्र ने अपने उपरोक्त वक्तव्यों से जानबूझ करके सदन को गुमराह किया है। अपने इस मत के समर्थन में इन सदस्यों ने न्यायालय में श्री तुलमोहन राम तथा अन्यों के विरुद्ध दायर किए गए आरोप-पत्र से निम्नलिखित पैरों की ओर निर्देश किया है :—

(1) "श्री तुलमोहन राम ने 23-11-1972 को श्री एल० एन० मिश्र को उनके कार्यालय में मिलने के पश्चात् सर्वश्री के० पी० नायर और एस० एम० पिल्लै को यह बताया कि मँत्री महोदय ने आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंन्त्रक को स्थिति की जांच करने और मामले को शीघ्र पेश करने को कहा है"।

(2) 5-2-1973 को श्री के० एन० आर० पिल्ले ने श्री एन० के० सिंह को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन भेज कर बताया कि पांडिचेरी के नियन्त्रक की इस बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और यदि आवश्यक हो तो मंत्री महोदय को इससे अवगत करा दिया जाये। 5-2-73 को श्री एल० एन० मिश्र ने रेल मंत्री के पद का कार्यभार संभाला। सम्बद्ध फाईल पर श्री एन० के० सिंह की एक टिप्पणी है जो 5-2-73 की मानी जाती है, जो इस प्रकार है :

10—44 LSS(ND)/74

"मंत्री महोदय चाहते हैं कि इस मामले को शीघ्रता से निपटाया जाये, क्योंकि यह मामला काफी समय से लम्बित है। उनको समज के अनुसार सार्वजनिक सूचनाएं उचित प्रकार से नहीं लिखो गई अथवा उनका गलत अर्थ निर्धारण किया गया है। विदेश व्यापार मंत्री यह भो अनुभव करते हैं कि यदि आवेदक के साथ अन्याय किया गया है तो उपचारात्मक कार्यवाहो को जाये और उन्हें, आयात नियंत्रण विनियमों के अधोन यथासंभव राहत दी जाय"।

श्री शामनन्दन मिश्र ने फाइल में लिखो निम्नलिखित टिप्पणो का भी उल्लेख किया जिसका कि आरोप-पत्र में उल्लेख नहीं है :—

"पृष्ठ 11/एन० पर लिखो मेरो टिप्पणो को देखा जाये। मामले में अनुचित विलम्ब किया गया है। मैं चाहता हूं कि पृष्ठ 12/एन० पर लिखो मेरो टिप्पणो में उठाई गई बातों की शीघ्रता से जांच को जाये और फाइल 30 तारोख को मुझे भेजी जाये"।

उन्होंने श्री एन० के० सिंह की 5 फरवरी, 1975 की टिप्पणी का भी उल्लेख किया।

श्री शामनन्दन मिश्र : यह 23-8-72 की है। उस दिन भी मैंने यह बताया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह तर्क दिया कि मंत्रित्व के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार श्री एल० एन० मिश्र को अपने अधिकारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायो ठहराया जाना चाहिये।

श्री तुलमोहन राय, संसद सेदस्य के गांव में स्कूल के कथित निर्माण के बारे में श्रो वाजपेयो ने एक समिति के कार्यवाहो वृत्तान्त का हवाला दिया जिस में श्रो तुलमोहन राम ने सुझाव दिया था कि स्कूल का नामकरण श्री एल० एन० मिश्र के पिता के नाम पर किया जाये।

रेल मंत्री, श्रो एल० एन० मिश्र ने 9 दिसम्बर, 1974 को सभापटल पर एक वक्तव्य रखा जिसमें स्थिति को स्पष्ट किया। अपने वक्तव्य में अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने यह कहा कि :

"28 अगस्त, 1974 का मेरा उपरोक्त वक्तव्य तथ्यों पर आधारित है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आरोप-पत्र से इसकी पुष्टि होती है...

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने श्रो के० एन० सिंह, ओ० एस० डो० द्वारा सम्बधित फाइल पर लिखे गए नोट का बहुत उल्लेख किया है। (उस नोट का उल्लेख आरोप-पत्र में है)। इस नोट को तारोख 5-2-1973 है अर्थात् वह तारोख जिससे मैं विदेश व्यापार मंत्रो नहीं रहा। चूंकि यह कहा गया है कि मेरे अगस्त, 1974 के सभा में दिये गये बयान के यह विपरीत है, मैं यह कहना चाहता कि यह धारणा निराधार है। इस नोट के होते हुए भो मैं पूरे जोर से यह कहना चाहता हूं कि इस नोट को किसो भो रूप में लाइसेंस देने का आदेश नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इस नोट के सात महीने तक लाइसेंस देने का कोई आदेश नहीं दिया गया था...

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मेरा 28 अगस्त, 1974 का वक्तव्य पूर्णतः ठीक है और किसी भी रूप में आरोप-पत्र के विपरीत नहीं है...

4 दिसम्बर, 1974 को श्रो वाजपेयी ने एक दस्तावेज से उद्धरण पेश किया जिसे उन्होंने 22 फरवरी 1973 को स्कूल प्रबंध समिति को बैठक को कार्यवाही से संबंधित बताया। इस दस्तावेज के अनुसार बैठक में श्रो तुलमोहन राम ने सुझाव दिया कि स्कूल का नाम रेल मंत्री के स्वर्गीय पिता श्रो रविन्द्र नाथ मिश्र के नाम पर रखा जाये। मेरे पिताजो का नाम पंडित रविनन्दन मिश्र है न कि रवीन्द्र नाथ मिश्र।

जिस दस्तावेज से श्री वाजपेयी ने उद्धरण दिया है उसके अनुसार श्री तुलमोहन राम ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ इस विषय पर बात की है। श्रीमान्, श्री तुलमोहन राम के वक्तव्यों के बारे में बताना मेरा काम नहीं है। मैं यह बात दोहराता हूं कि 9 सितम्बर, 1974 को मैंने जो कुछ कहा वह तथ्यों पर आधारित है। श्री तुलमोहन राम ने कभी भी मेरे साथ इस संबंध में बातचीत नहीं की......

मुझे याद है कि मैंने तीन महीने पहले अर्थात् अगस्त में एक टिप्पणी दी थी जिसका संबंध कानूनी मुद्दों के बारे में विधि मंत्रालय में मामले की जांच करने से था। यह वह मामला था जिसमें कि न्यायालय में मुकदमा लड़ना था, न कि किसी को सहायता देने के संबंध में। यह विचाराधीन ज्ञापन को प्राप्त होने व आप कह सकते हैं कि ज्ञापन के जन्म से तीन मास पूर्व की बात है।"

श्री एल० एन० मिश्र ने 12 दिसम्बर, 1974 को अपने अगले वक्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि :—

(क) "23 अगस्त, 1972 को मेरे द्वारा लिखा गया नोट तथा 11 तथा 12 पृष्ठों पर लिखे गये नोट जिन्हें अब फाइल में 11/एन० तथा 12/एन० कहते हैं और जिनका श्री वाजपेयी ने उल्लेख किया है, वह न्यायालय में मामला लड़ने तथा उसके विधि पक्षों पर जिसमें भेदभाव भी शामिल है, विधि मंत्रालय को राय लेने के संबंध में निर्णय के बारे में हैं। 23 अगस्त, 1972 को लिखे गये मेरे नोट में न्यायालय में मामला लड़ने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है न कि जैसा आरोप लगाया गया है, लाइसेंस जारी करने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के बारे में है।"

"पांच तारीख को मैं रेल मंत्री बना। अतः मंत्रालय छोड़ने के पश्चात् की बातों के लिये मैं उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता"।

भाषणों के दौरान सदस्यों ने बहुत से मामले उठाये हैं। उन में से कुछ तो स्पष्टरूप से चर्चा और सदन के निर्णय के लिए हैं अतः उन पर मेरे विनिर्णय की अपेक्षा नहीं है।

जहां तक अपनी कार्यविधि में अपने अधिकारियों के लिए मंत्री के सभा के प्रति उत्तरदायी होने का प्रश्न है, इस बात को श्री एल० एन० मिश्र ने स्वीकार किया है। 5 फरवरी, 1973 को विदेश व्यापार मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा लिखे गये नोट के बारे में श्री मिश्र ने ठीक ही कहा है कि वह उसी दिन रेल मंत्री बने थे, अतः यह उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता। अगस्त, 1972 में एक फाइल पर नोटिंग के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि उसका लाइसेंस के लिए संसद सदस्यों के आवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मेरे लिये अब विचार का प्रश्न यह है कि क्या मंत्री द्वारा 28 अगस्त तथा 9 सितम्बर को सदन में जो दोनों वक्तव्य दिये गये और जो सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्नों का आधार बनाये गये हैं, गलत बताये गये हैं और सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए दिये गये हैं।

28 अगस्त को मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने कुछ संसद सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र की प्राप्ति स्वीकार की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने यह पत्र सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भेजा और कि उन्होंने कोई आदेश नहीं जारी किया और उस अवधि में, जिसमें वह उस मंत्रालय में रहे, कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। सदस्यों एवं मंत्री द्वारा प्रकट किये विचारों से स्पष्ट है कि मंत्री के उक्त वक्तव्य तथ्यों पर आधारित हैं और उनमें से कोई भी गलत सिद्ध नहीं किया गया है।

जहां तक श्री वाजपेयी के आरोप का संबंध है, मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। श्री वाजपेयी ने अपने वक्तव्य में श्री तुलमोहन राम के वक्तव्य और समिति के कार्यवाही वृत्तान्त का उद्धरण दिया है। उन्होंने यह कहीं नहीं दिया दिखाया कि श्री तुलमोहन राम द्वारा समिति

में दिये गये वक्तव्य श्री एल० एम० मिश्र की जानकारी से दिये गये। विशेषाधिकार के प्रश्न में उत्तर-दायित्व और काम करने व भूल चूक होने की बात प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिये। मैं इस मामले को ऐसा नहीं समझता जिसमें श्री एल० एन० मिश्र ने सदन को गुमराह किया हो।

अतः मैं विशेषाधिकार के प्रश्नों की इन सूचनाओं को अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं किसी बात को अनुमति नहीं दे रहा। मैंने पूर्ण जागरूकता से यह विनिर्णय दिया है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा। विनिर्णय पर कोई व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाये जा सकते। **(व्यवधान)**

श्री शामनन्दन मिश्र : आप के विनिर्णय के विरोध में हम सदन त्याग करते हैं।

तत्पश्चात श्री शामानन्दन मिश्र तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Shyamnandan Mishra and some other hon. members then left the house.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैंने आपसे अनुमति मांगी है। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है...

अध्यक्ष महोदय : आप को अवसर दिया जा चुका है। दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री आर० एन० गोयन्का के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI R. N. GOENKA

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The motion against Shri Goenka has been brought in order to uphold the dignity of the house. By indulging in acts of cheating forgery etc., Shri Goenka has brought this house in to contempt.

Shri Goenka withdrew large amounts from the Punjab National Bank in the name of a firm which did not exist. This fraud has got to be exposed. For this, it is necessary that charge-sheet filed by C.B.I. against Shri Goenka is placed in the Library so that we could know his misleads (*Interruptions*). We want to expose his real face. It is, therefore necessary, that the results of investigations carried out against him are made known to us.

The matter may be referred to the Privelege Committee., where it could be scrutinised (*Interruptions*), so that the whole forgery is exposed. It will also become clear that even after indulging in such forgery and fraudulent acts, Shri Goenka continues to sit in the House and bringing it in disrepute.

Shri Shashi Bhaskar (South Delhi) : According to newspaper reports, the C.B.I. has filed a case against Shri Goenka and five others for acts of cheatig, forgery and criminal conspiracy. It has been stated in the charge-sheet that these persons cheated the Punjab National Bank by submitting false stock statements of newsprint in the name of a firm which did not exist. This is very serious. The matter shoud be referred to the privilege committee (*Interruption*).

A sum of Rupees 50 thousand is involved in the case of Shri Tul Mohan Ram while i.. the present case Mr. Goenka is involved in a fraud of crores of rupees. Through you, I would request the hon. Minister to place a copy of the charge-sheet in the Library so that every Member may go through it. I am sure you will be kind enough to give ruling on my request.

अध्यक्ष महोदय : तुलमोहन राम का मामला पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए ।

Shri Shashi Bhushan : Goenka's case should not be compared with that of Shri Tu Mohan Ram. He is a small man while Shri Goenka is a multi-millionaire, who has been indulging in acts of cheating for years.

अध्यक्ष महोदय : श्री वयालार रवि

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं एक संगत बात कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले ही अवसर मिल चुका है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह उन बातों से सम्बन्धित है जिन के लिए आपने विशेषाधिकार के प्रश्न के सिलसिले में अनुमति दी है । 'पेट्रियॉट' में गोयन्का के विरुद्ध मद्रास के महानगरीय न्यायालय में दायर किए गए मामले से सम्बन्धित खबर छपी है । कई माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का हवाला दिया और उन्हें आदतन अपराधी कहा गया है । माननीय सदस्यों ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिनका सदन में न तो नोटिस ही दिया गया और न ही कोई जानकारी दी गई । क्या आप मंत्री महोदय को कहेंगे कि इससे पूर्व कि सदस्य अपने विचार व्यक्त करें वह सभा पटल पर सम्बन्धित कागजात रख दें अन्यथा हम तथ्यों से अनभिज्ञ रहेंगे ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का संगत प्रश्न उठाना चाहता हूँ । आपको इस बात पर निर्णय करना है कि क्या संसद सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के आधार पर उन के आचरण पर चर्चा की जा सकती है । मामला निर्णयाधीन है । उस पर सदन में चर्चा कैसे की जा सकती है ? यदि आप सदस्यों को इस प्रकार आरोप लगाने की अनुमति देते रहे तो सदन में केवल पांच या छः सदस्य रह जाएंगे । अतः हमें मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए ।

श्री वसंत साठे : मैं नियम 222 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जहाँ तक मेरी समझ में आया है, आपने सदस्यों के विचार इसलिए जानने चाहे थे कि आप यह निर्णय कर सकें कि आप को अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं । श्री तुलमोहन राम के मामले में आपने कहा था कि आप सरकार को निदेश नहीं देंगे लेकिन यदि गृह मंत्री आरोप-पत्र को रिकार्ड में रखने के लिए इच्छुक हों, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है । इस मामले में भी आपको यही कहना चाहिए । इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमें सही दिशा अपनानी है । सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सम्बन्धित मंत्रालयों विवरण प्रस्तुत करें कि क्या संसद सदस्य रामनाथ गोयन्का द्वारा उन पर दबाव डाला गया था । दूसरी मांग हमारी यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाए । हम चाहते हैं कि ये दोनों कागजात सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम उन सदस्यों के बारे में कार्यवाही कर सकें जो अवांछनीय कार्यों में लगे हुए हैं ।

श्री सयैद अहमद आगा (बारामूला) : गत 4-5 वर्षों से मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहा हूं लेकिन मेरी सदैव उपेक्षा की गई है । इसलिए मैं सदन छोड़कर जा रहा हूं ।

तत्पश्चात श्री सैयद अहमद आगा सभा भवन से बाहर चले गए।

Shri Syed Ahmed Aga then left the House.

अध्यक्ष महोदय : : अब इस मामले पर कल चर्चा की जाएगी।

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। हम कल चर्चा जारी रखेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwaliar) : You have decided to resume discussion tomorrow. But in the Buletin, dated 7th December, it is written that a *prima facie* case is there against Shri Tayyeb Hussain and the case is *sub-judice.* No Member of either side has moved Privilege Motion against him because his personal conduct outside has nothing to do with the conduct of a Member of Parliament. What Goenka does as an industrialist is a separate question.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1974 का प्रतिवेदन–संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग I

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग I–प्रस्तावना, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए। संख्या एल०टी०—8757/74]**

फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1974

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 3044 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—8758/74]**

भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसकृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं श्री डो० पो० यादव की ओर से भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—8759/74]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : इस सप्ताह सदन मध्याह्न भोजन के लिए नहीं उठेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अगले सप्ताह की कार्य-सूची से प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 11 अगस्त, 1971 को पेश किया गया था । उस पर कब विचार किया जाएगा और पारित किया जाएगा ? इससे पता चलता है कि सरकार भ्रष्ट तरीके अपना रही है ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 वर्ष पूर्व किया गया था परन्तु अभी तक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पेश नहीं किया गया । यही बात श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) विधेयक पर भी लागू होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने गत शुक्रवार की कार्य-सूची घोषित की थी । प्रक्रिया यह है कि कार्य-सूची की घोषणा के बाद सदस्यों को अपने सुझाव देने का अवसर दिया जाता है । वे अनुरोध कर सकते हैं कि अमुक विषय को कार्य-सूची में शामिल कर लिया जाए । लेकिन दुर्भाग्यवश सदस्यों को अवसर नहीं दिया जा सका । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदस्यों को बाद में अवसर दिया जाएगा । आज मध्याह्न पश्चात् फिर यही प्रश्न उठा । संसदीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं । क्या वह कुछ कहना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह सत्र का अन्तिम सप्ताह है और कार्य मंत्रणा समिति चर्चा हेतु विधेयकों पर निर्णय ले चुकी है । सरकार बुधवार और गुरुवार को भी चर्चा के लिए सहमत हो गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सदन से मेरी अपील है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या किया जा सकता है । मेरे विचार में और विषयों पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We know that new subjects cannot be covered but you should allow us to make our submissions. We want a statement from the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य कुछ कहना चाहते हैं वे अपने नाम पहले ही भेज चुके हैं । अतः वे बारी बारी से बोलें ।

श्री मधु लिमये : जिन सदस्यों ने नियम संख्या 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है, उनको भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे मेरा अनुरोध है कि समय के अभाव को ध्यान में रखें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तम्बाकू बोर्ड विधेयक कई वर्षों से विचाराधीन है । संघशासित प्रदेश अरुणचल प्रदेश के लिए विधान सभा तथा मंत्रि-परिषद् की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार नहीं किया गया । इसी प्रकार एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक, समाचार-पत्रों के स्वामित्व को समाप्त करने वाले विधेयक पर भी विचार नहीं किया गया । 'मारुति' के सम्बन्ध में मैंने नोटिस दिया है लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई ।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

13 मास पूर्व मैंने श्री डो० पी० धर के सम्बन्ध में कुछ मूल कागज दिए थे। श्री डी० पी० धर फ्रांस जाना चाहते थे और फ्रांस की कम्पनी के खर्चे पर गुप्त व्यापार के सम्बन्ध में बातचीत करना चाहते थे। मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। जानबूझकर मामलें को दबाया जा रहा है। सत्र की समाप्ति से पूव इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे बताया है कि यदि प्रतिपक्ष के सदस्य सहमत हों, तो श्रमजोवी पत्रकार विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया जाएगा। मैंने प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कराके मंत्री महोदय को पत्र भेज दिया है।

सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियो को महंगाई भत्ते की चार किस्ते न देने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार को स्थिति भांपनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी आशंकित हैं कि संसद् के अधिवेशन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सरकार निर्णय की घोषणा नहों करेगी और सम्पूर्ण राशि को अनिवार्य जमा कोष में डाल दिया जाएगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सरकारी कर्मचारियों की वैध मांग को मान ले।

गत 27 वर्षों से सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में असमर्थ रही है। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही मान चुकी है। अतः सरकार को शीघ्र ही घोषणा कर देनी चाहिए। आप वित्त मंत्री से कहे कि वह कल या परसों सदन में वक्तव्य दें, नहीं तो हमें सदन में धरना देने पर विवश होना पड़ेगा।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो गम्भीर है एवं राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित है। 1 दिसम्बर, 1974 के 'हिन्दुस्थान टाइम्स' में छपा है कि द्र०मु०क० 25 दिसम्बर को रावणलीला मनाएगा और राम आदि के पुतले जलाए जाएंगे। सरकार को इस सप्ताह वक्तव्य देना चाहिए ताकि भ्रान्ति को समाप्त किया जा सके।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : मैं सदन तथा प्रधान मंत्री का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान परमाणु, ऊर्जा विभाग, मद्रास परमाणु, ऊर्जा परियोजना, भारी जल परियोजना, कोटा, रिएक्टर रिसर्च सेन्टर, मद्रास, सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, तमिलनाडु के कर्मचारियों को दिया जा रहा परियोजना भत्ता 1 नवम्बर, 1974 से बन्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को 40 रुपये से 100 रुपये तक प्रति मास घाटा हो रहा है।

परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधान मंत्री के नियन्त्रण में है। प्रधान मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : आज फिर यह प्रश्न उठा है और मंत्री महोदय उत्तर देने से कतरा रहे हैं। आज मैं फिर तमिलनाडु में अकाल और सूखे की स्थिति की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं। मंत्री महोदय वक्तव्य दें कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

अतारांकित प्रश्न 3656 के उत्तर में यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने सूखे की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ नहीं बताया है। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि विधान सभा में मुख्य मंत्री करुणानिधि ने...

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदनों की कार्यवाही का उल्लेख करने की हमारी प्रक्रिया नहीं है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : आज सुबह मंत्री महोदय ने कुछ बातों का खण्डन किया है। मैं 13 दिसम्बर, 1974 के 'हिन्दू' में प्रमाणित उस समाचार को पढ़ रही हूं :

"श्री करुणानिधि ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून में विलम्ब होने के कारण रामनाथपुरम, पुदुकौटे, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, मदुर, तिरुचि और सलेम जिलों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 'साम्बा' फसल जो सामान्यतया 37 लाख एकड़ में उगाई जाती है वह केवल 27 लाख एकड़ में उगाई जा सकी..."।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में माननीय सदस्य क्या चाहती हैं ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : हम इस बारे में वक्तव्य चाहते हैं। तमिलनाडु में लोग विषाक्त जड़ें खा रहे हैं। बच्चे इन्हें खा कर मर रहे हैं...

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : और प्रधान मंत्री ने हमें लखनऊ में आश्वासन दिया है कि खाद्य स्थिति बहुत संतोषजनक है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : तमिलनाडु में एक भी ऐसा जिला नहीं है जो सूखा, अकाल और अभाव से ग्रस्त न हो। केन्द्र से पांच करोड़ रुपये की मांग की गई है। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय यह वक्तव्य दें कि वह इस बारे में क्या कर रहे हैं।

Shri Jagannath Mishra (Madhupani) : I want to draw the attention of the Government to a news-item published in a weekly of Bombay in which it is stated that the foreign Christian Missionaries working in tribal areas are instigating the people to press a demand for independent Jharkhand. Not only this, it is also their plan to prepare for a struggle in 1975. Since, tribal areas have not been fully developed, the tribals co-operate the foreign Missionaries. The Government should look into it and either allow a debate in this House or make a statement in this regard.

My second question is that the public is very annoyed at the sale of spurious drugs. The Government should look into it and make a statement in this regard.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : I made a submission two weeks ago about bungling of rupees one crore in sale-tax done by a vegetable company of Sitapur. It is reported in the newspapers. The daughter of the Managing Director of this company is the daughter-in-law of a Union Minister and Shri Dixit is trying to hush-up the action in this matter. I demanded a statement in this regard by Shri Dixit here. It is the last week of this session and we want that whatever is published in the newspapers should be clarified.

My second submission is that when rally of the Congress Party was held at Lucknow the collectors of all the districts were ordered in that rally to collect money from the Government dealers in foodgrains and send that money to Lucknow. The collectors have given about Rs. 25 crores. The Government should make a statement in this regard.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस सभा में दिया गया था कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की सूची के पुनरीक्षण में जुलाई तक का समय लग जायेगा। उस वक्तव्य के बाद से काफी सूचनाएं आ रही हैं। मैं "सूचना" शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में कलकत्ता में वक्तव्य दिया जो समाचार पत्रों में बड़े शीर्षकों 'बी प्रिपेयर्ड फोर ए स्नैप पोल इमिडियेटली'... में प्रकाशित हुआ। वह राज्य सभा के सदस्य हैं और कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इसलिये यह मामला उठाया जा सकता है।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि वे वास्तव में आकस्मिक चुनाव (स्नैप पोल) करवाने का विचार कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री भी आकस्मिक चुनाव कराने के परोक्ष संकेत दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय संविधान के उपबन्धों को स्पष्ट करते हुए इस बात को इस सभा में स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा मत कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री समर गुह : मैंने अपनी बात नहीं कही है।

मैं यह कह रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि वह प्रत्यक जनगणना के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे और निर्वाचन क्षत्रों का नये सिरे से परिसीमन करे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या संविधान में संशोधन किये बिना या अध्यादेश के द्वारा, यदि सभा भंग कर दी जाये तो क्या व चुनाव करवा सकते हैं ?

सरकार यह भी वक्तव्य दे कि क्या वह इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करना चाहती है या अन्य कोई मूर्ति स्थापित करना चाहती है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Hundreds of millions of sugar-cane growers of North Bihar and Eastern U.P. demand that the sugar mills should be nationalised as sugar is exported and its production is to be boosted. The Government should make it clear. At the same time, there should be a discussion on the Bhargava Commission's report. Similarly jute producers of North Bihar should be given remunerative prices for their produce.

श्री एच० के० एल० भगत (पू० दिल्ली) : दिल्ली किराया नियन्त्रण विधेयक काफी समय से आवास मंत्रालय के विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा वर्तमान कानून की गलत व्याख्या के कारण मृतक किरायेदारों के हजारों उत्तराधिकारियों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उनमें से बहुत से व्यक्तियों को निकाल दिया गया है। कुछ समय पूर्व आवास मंत्री ने कहा था कि वह इसी सत्र में यह विधेयक लायेंगे अतः मेरा आवास मंत्री से अनुरोध है कि वह यह विधेयक इसी सत्र में लायें।

इस महीने की 13 तारीख की रात्रि को बिजवासन गांव में डकैती हुई जिसमें नगर निगम के डाक्टर की हत्या की गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती के अनेक मामले होते हैं। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह हमें बतायें कि इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है।

Shri Aatal Bihari Vajpayee (Gwalior) : First of all, I want to know from the Minister of Parliamentary Affairs whether he is contemeplating to extend the duration of this Session? If so, let him tell us just now so that he can fix our business.

Secondly, a notice was served on the recognised Federation of the employees of office of the Comptroller and Auditor General as to why their recognition should not be withdrawn because the employees went on a one day strike in sympathy with the Railwaymen's strike. That notice has not yet been withdrawn. The Minister of Parliamentary Affairs agreed to have a short duration discussion but there is no time for it. I submit that this matter can be raised if half-an-hour is allowed for it. It should be decided immediately.

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (औसग्राम) : बिहार में शीत लहर के कारण 45 से अधिक व्यक्ति मर गये हैं। जब तक सरकार वहां कम्बल, खाना आदि मुफ्त में नहीं देगी तब तक और भी मृत्यु हो सकती है। अतः मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह बिहार के गरीब लोगों को नि.शुल्क भोजन और कम्बल सप्लाई करे।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : This news that the Government plan to dodge payment of dearness allowance was published in Saturday's "Financial Express" in which there was a mention of impounding 50 per cent of the dearness allowance. But now it seems that the whole dearness allowance is being impounded. Shri Banerjee told that if the decision regarding grant of dearness allowance was not taken, we would be blocking the proceedings of the House from 18th. But I am not prepared to wait for 18th. I warn that as soon as the reply to Shri Shyamnandan Mishra's question is over, we shall begin blocking the proceedings.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं रेल कर्मचारियों के उन मामलों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें गत रेलवे हड़ताल के दौरान परेशान किया गया। सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद कर्मचारियों के मामले अभी भी विचाराधीन हैं और जिन कर्मचारियों को परेशान किया गया है उनके अभी भी स्थानान्तरण हो रहे हैं। कलकत्ता और गुजरात उच्च न्यायालयों में हम जीत चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रही है।

रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभा स्थगित किये जाने से पूर्व वक्तव्य दिया जाना चाहिये ताकि लोग जान सकें कि उनकी क्या स्थिति है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने नियम 193 के अधीन रूई की खरीद के बारे में महाराष्ट्र में उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिये नोटिस दिया है। मैं कल ही अपने क्षेत्र से आया हूं। सरकार महाराष्ट्र सरकार को न्यूनतम ऋण नहीं दे रही है जिसे एकाधिकार खरीद योजना के अन्तर्गत किसानों से रूई खरीदनी है। रिजर्व बैंक ने भी किसी प्रकार का ऋण देने से इन्कार कर दिया है। बाजार में रूई से भरी गाड़ी आई परन्तु उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। निजी व्यापार किसानों के लिये बाधक बना हुआ है। वित्त मंत्री कम से कम 100 करोड़ रुपये देने को तैयार होंगे। इसमें से 50 करोड़ रूपये महाराष्ट्र को और 50 करोड़ रूपये भारतीय रुई निगम को मिलेंगे। इस वर्ष रूई के व्यापार में गंभीर संकट उत्पन्न होने वाला है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं। वित्त मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि मेरे उन अनुरोधों का क्या हुआ जो मैंने गत दो सप्ताहों में विभिन्न सार्वजनिक मामलों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये जाने के लिये किये थे ?

गुजरात के बारे में कल मामला आ रहा है इसलिये में सभा का समय नहीं लूंगा। गुजरात के सम्बन्ध में मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सात शाखाओं के लगभग 3,500 अधिकारी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे है परन्तु उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है इसलिये प्रबन्धक उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिये भी तैयार नहीं है। इसलिये मैं इन मामलों का उल्लेख कर रहा हूं।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : There are reports of starvation deaths due to drought in Chatisgarh and Vindhya Pradesh areas in Madhya Pradesh. The State Government has failed to control the situation. Nor the Central Government has taken right action in this direction. The situation has reached a serious stage that people are constrained to sell their children. I request the Minister of Parliamentary Affairs to ask the Minister concerned to make a statement in this regard.

A news item captioned "One lakh Birla shares in Maruti" appears in to-day's Motherland. The Minister concerned had denied the allegation that there were no shares of Birla company in Maruti. According to this news, there are Birla's shares in Maruti. It should be clarified.

[Dr. Laxminarain Pandeya]

The sugarcane growers in Madhya Pradesh are launching agitation on the demand of an increase in price of sugarcane. The sugar mill owners have threatened that if the growers continue their demand they will close the mills. The Minister concerned should make a statement.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं। लगभग 10,000 गरीब किसानों की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में किसी कम्पनी का पूरा मामला विधि मंत्री के निर्णय के लिये पड़ा हुआ है। लगभग 500 मुकद्दमें चलाये गये हैं। यद्यपि कास्टिक सोडा संयंत्र के लिये मैसर्ज बल्लारपुर स्ट्रॉ बोर्ड एन्ड पेपर मिल्ज लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस के पूरे मामले पर निर्णय देने का मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था तथापि इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे जिले में गरीब किसानों पर चलाये जा रहे मुकद्दमें को अब समाप्त किया जाये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री वाजपेयी के प्रश्न के उत्तर में यह कहता हूं कि संसद की अवधि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। कार्य यंत्रणा समिति इस बात पर सहमत हुई थी कि कुछ विधेयकों को आज पारित किया जाये तथा कल कुछ विधेयक लिये जायें और पारित किये जायें। इस बीच विरोधी पक्ष के अधिकांश नेताओं ने मुझ से गैर-श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बंधित विधेयक लेने के लिये अनुरोध किया है। मैं उसे भी सूची में शामिल करूंगा। मैं पंजाब चंडीगढ़ म्युनिसिपल एमेंडमेंट बिल को भी सूची में शामिल करूंगा। मैं इस बात पर सहमत हूं कि श्री बाजपेयी ने जो मामला उठाया है वह महत्वपूर्ण है और साथ बैठकर इसे कार्यक्रम में ही व्यवस्थित करने की कोशीश करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने तम्बाकू विधेयक का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्य से अधिक उत्सुक हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये परन्तु मैं नहीं कह सकता कि इसके लिये समय मिलेगा नहीं।

श्री मावलंकर द्वारा उठाये गये मामलों के बारे में मैं सम्बन्धित मंत्रियों को उनकी चिंता से अवगत करा दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्यों ने दो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में अनुरोध किया है। एक रेल कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य है और दूसरा सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के बारे में है। इस बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिये नहीं तो हम चुनाव कानून को पारित नहीं होने देंगे। वह वित्त मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहें।

श्री था किरुतिनन (शिवगंज) : क्या मैं श्री मूर्ति की ओर से इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप समिति के सदस्य हैं?

श्री था किरुतिनन : जी, हां।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

श्री था किरुतिनन (शिवगंज) : मैं "वर्ष 1975-76 के लिये लाभांश की दर तथा अन्य सम्बन्धित विषयों" पर रेल अभिसमय समिति, 1973 का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा लोकप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE AND REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMNEVDMENT) BIIL

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा 12 दिसम्बर, 1974 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करते हैं, अर्थात् :--

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर,1974 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 13) का निरनुमोदन करती है और श्री एच० आर० गोखले द्वारा 12, दिसम्बर, 1974 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करते है," अर्थात् :--

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

इससे पहले कि हम चर्चा पुन: आरंभ करें, मैं समझता हूँ कि मैं माननीय सदस्यों को भूमि के 'ले' के बारे में अवगत कराऊं क्योंकि पिछली बार इस पर काफी भ्रांति हो गई थी। जब कुछ बातें उठाई गई तो विधि मंत्री ने सोचा कि ये बातें विचार के लिये प्रस्ताव में बाधा डालने के लिये है परन्तु ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी लिये मैंने उन्हें विचार के लिये प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद 6 म० प० बजने में कुछ मिनट थे तो मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु को बोलने की अनुमति दी और मैंने कहा था कि मैं अपना निर्णय आरक्षित रखूंगा।

गत गुरुवार को सत्तारुढ़ दल के श्री साल्वे ने "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट" के पृष्ठ 901 से कुछ पढ़ कर सुनाया और उसके आधार पर उन्होंने चाहा कि मैं यह निर्णय दूं कि न्यायालय के समक्ष पड़े मामलों के उलेख की अनुमति न दी जाय। तब मैंने कहा था कि यदि इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण है तो मुझे उस विशेष मामले का अध्ययन करना पड़ेगा और मेरा काम और आसान हो जायेगा।

मैं सभा को इस बात से अवगत करा दूं कि वह पूर्वोदाहरण क्या है। 1955 में तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पन्त ने "प्राइज कॉम्पीटिशन्ज बिल आफ 1955" प्रस्तुत किया था। एक माननीय सदस्य डा० कृष्णास्वामी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उस विषय से सम्बन्धित कुछ कानून बम्बई राज्य विधान मंडल ने बनाये थे जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और बम्बई उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। इस पर बम्बई सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। डा० कृष्णास्वामी ने चाहा कि चुंकि मामला न्यायनिर्णयाधीन है इसलिये विधेयक पर आगे चर्चा न की जाय। अध्यक्ष मद यि ने इस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दिया और इस आधार पर आगे चर्चा करने पर अनुमति दे दी क संसद को कानून बनाने की शक्ति है। परन्तु उन्होंने माननीय सदस्यों से अपील की :

"वे न केवल कानून अपितु अपील वाले किसी मामले के तथ्यों का उल्लेख नहीं करेंगे।"

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि वह विधेयक और यह विधेयक एक दूसरे के अनुरूप नहीं है "प्राइज काम्पीटेशन्स बिल" उस समय की सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए पेश किया गया था। यद्यपि मुझे इस बारे में अध्ययन करने का समय नहीं मिला तथापि मैं बहुत ही कठिन स्थिति में हूँ।

जो जटिल व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये उनके सम्बन्ध में मैंने विधि मंत्री की मदद चाही। उन्होंने गुरुवार को कहा :

"मैं कह चुका हूं कि किसी विशेष मामले के तथ्यों, गुणों का उल्लेख अवांछनीय है क्योंकि जो मुकदमा चल रहा है उस पर इसका निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।"

यदि इस मामले में कोई पूर्वोदाहरण दिया जाय जहां मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विधेयक को विचाराधीन रखा गया हो। यदि अध्यक्षपीठ का कोई पूर्व निर्णय उधृत किया जाये कि ऐसा नहीं किया जा सकता तो यह मेरे लिये बहुत सहायक सिद्ध होगा।

मैं इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता। कल मैंने इस विषय में बहुत सोचा है। मेरा कर्तव्य संतुलन बनाये रखना है तथा सदन को स्वतंत्र तथा निपक्ष वाद-विवाद का पूरा अवसर प्रदान करना है। बिना निर्णय दिये यह मामला आगे नहीं चलाया जा सकती। निर्णय मुझे देना है परन्तु यदि इस प्रकार के निर्णय का यदि कोई पूर्व-उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो यह मेरे लिये सहायक सिद्ध होगा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

श्री जगन्नाथराव (छतापुर) : इस सम्बन्ध में मैं अत्यावश्यक सेवायें अध्यादेश जो 11 दिसम्बर 1968 को पारित किया, गया था संदर्भ देना चाहता हूँ। श्री एस० एम० बनर्जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था इस पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि अध्यादेश न्यायनिर्णय के लिये बहुत से न्यायालयों में विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था की थी कि विधेयक पर चर्चा हो सकती है बशर्ते कि माननीय सदस्य न्यायालय में विचाराधीन मामले से सम्बन्धित तथ्यों को यहाँ उल्लेख न करें। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में मामले सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। अतः माननीय सदस्य उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकते। वे नाम ले सकते है संसद की विधायी शक्ति न्यायालय में विचाराधीन मामले के सिद्धांत को लेकर प्रतिबन्धित नहीं की जा सकती। हमें कानून बनाने का अधिकार है। कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है क्या इस बात को देखते हुये संसद कानून नहीं बना सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय : अत्यावश्यक वस्तु अध्यादेश के मामले में क्या कोई मामला विधेयक का आधार स्तम्भ था ?

श्री जगन्नाथराव : क्या आप यह निर्णय देंगे कि क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इस लिये संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः यहां यह प्रश्न नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझे हैं। अभी मुझे अपनी व्यवस्था देनी है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा कोई पूर्व उदाहरण न होने के कारण आपकी समस्या और भी दुरूह हो गई है।

न्याय निर्णयाधीन का सिद्धांत सर्वविदित है। न्यायनिर्णयाधीन के कारण कठिनाई नहीं हुई वरन इस बात के कारण कठिनाई हुई है कि यह विधेयक श्री कंवरलाल गुप्ता के मामले के सम्बन्ध में हुये फैसले के कारण प्रकाश में आयी कमी को दूर करने के लिये लाया गया है। धारा 77 को 123 के साथ पढ़ने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या से एक कठिनाई उठ खड़ी हुई है।

यदि यह विधेयक न लाया जाये तो विचाराधीन सभी मामले प्रभावित होंगे चाहे वे किसी भी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के हों। मुझे विश्वास है श्री गोखले मेरे तर्क की सराहना करेंगे।

यदि न्यायनिर्णयाधीन के सिद्धांत से सहमति प्रकट की जाये, और मैं तो सहमत हूं तो भी कानून बनाये जा सकते हैं। यह विधेयक इस कार्य में बाधक सिद्ध नहीं होता। इस मामले में अन्य मामलों के तथ्यों का संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। हमें अपने को नियंत्रण में रखना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह यह है कि इस विधेयक पर किस रुप में चर्चा हो और क्या इस चर्चा के दौरान क्या किसी विचाराधीन मामले का संदर्भ दिया जा सकता है अथवा नहीं। कानून किसी अप्रत्यक्ष रुप में नहीं हो सकता। इससे कुछ सामाजिक आवश्यकतायें पूरी होती हैं और देश के राजनैतिक, सामाजिक ढ़ांचे में कुछ परिवर्तन लाय जाते हैं। जहाँ तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, यह विचाराधीन मामलों को संरक्षण प्रदान करने के लिये लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही हैं।

अध्यादेश के स्थान पर यह विधयक लाया गया है। यह अध्यादेश उस समय लाया गया था जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। उस समय इसे लाने की इसकी क्या आवश्यकता थी? स्पष्ट है, कि यह विचाराधीन मामलों को संरक्षण प्रदान करने के लिये लाया गया। इसके पीछे देश के लिये कोई कानून बनाने की बात नहीं अपितु विचाराधीन मामलों को संरक्षण प्रदान करना ही है।

यदि इसके पीछे निर्वाचन नियमों के संशोधन करने की भावना है तो जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक जैसे और भी विधेयक विचाराधीन पड़े है। विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बेकार सिद्ध करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। क्या हम विचाराधीन मामलों के तथ्यों पर विचार नहीं करेंगे? क्या मामलों को संरक्षण की आवश्यकता है इस बात को हम नहीं देख सकते? हम केवल मामलों के तथ्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केवल तथ्यों को बताना सम्बद्ध मामलों पर टिप्पणी नहीं कही जा सकती।

निर्णयाधीन न्याय का सिद्धांत स्पष्ट है। हमें मामले को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिये। यदि यह कहा जाये कि मामलों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो कानून बनाना आवश्यक नहीं है। हमें यह पता लगाना ही चाहिये कि निर्णयाधीन मामलों के तथ्य क्या हैं। उद्देश्य और कारणों का विवरण पढ़ने से यही ज्ञात होता है कि यह विधेयक केवल विचाराधीन मामलों को संरक्षण देने के लिये लाया गया है।

श्री मधु लिमये (बांका) : विधि मंत्री से क्या प्रश्न पूछा गया है?]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे ऐसा ही एक पूर्व-उदाहरण बताने के लिये कहा है जहाँ विचाराधीन मामला विधेयक का मूलाधार हो और जिनमें अध्यक्ष पीठ ने यह निर्णय दिया हो उन मामलों का संदर्भ नहीं दिया जा सकता।

Shri Madhu Limaye : Sir, you give me a chance after the law Minister speaks.

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

Shri Madhu Limaye : You, kindly see May's Parliamentary Practice 15th edition Page 380.

I wanted to give a precedent but you are in haste, therefore, I can not give the correct page No. Shri Jawaharlal Nehru had introduced constitution (first amendment) Bill during the provisional Parliament. There was a case pending in the Supreme Court

regarding the land reforms at that time. Shri Jawaharlal Nehru discussed the merits and demerits on the facts regarding the ruling of the high court. I am quoting an specific instance.

We have been guarantted freedom of speech under the constitution, therefore, we have a right to refer the cases pending in the Court.

I agree that the freedom of speech is subject to the rules of procedure which have been framed under Article 118 of the Constitution therefore, we have got a constitutional right to refer to the relevant subject matter relating to the cases pending in the Courts.

This Bill has been brought to multify the effect of a recent Judgement of the Supreme Court. The object of this Bill is to protect 180 cases pending in various courts of the country. Therefore, Members are entitled to refer to the grounds of those pending cases.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह बात सभी ने स्वीकार की है कि निर्णयाधीन न्याय किसी विधेयक पर लागू नहीं होता है। इसका तात्पर्य क्या है। मेरा विचार यह है कि अमुक विधेयक पर निर्बोध चर्चा होनी चाहिये। यह बात इस विधेयक के सम्बन्ध में भी लागू होती है।

आपने कहा है कि जो उदाहरण दिये गये है वे इस विधेयक के अनुरुप नहीं हैं। सरकार न्यायालयों में निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। इस विधेयक का उद्देश्य बताया गया है कि विचाराधीन मामलों पर प्रतिकूल निर्णय नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार निर्णयों पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में सभा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि उनकी कार्यवाही से न्यायालयों में मामलों की सुनवाई पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।

विधिमंत्री महोदय ने जब विधेयक पुर.स्थापित किया जब उनके भाषण में विचाराधीन मामलों के अनेक संदर्भ थे। उनका समस्त भाषण ही विचाराधीन मामलों पर आधारित था। सभा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन मामलों के तथ्यों की जांच करे जो न्यायालयों में विचाराधीन हैं और जो इस विधेयक का आधार हैं।

कुछ माननीय सदस्य खडे हुये :

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही चलाना मेरे लिये बड़ा कठिन कार्य हो गया है। एक और संसदीय कार्य मंत्री शीघ्रता से कार्यवाही पूरी करने के लिये कहते हैं दूसरी और मुझपर उचित रूप से वाद-विवाद कराने की दबाब डाला जा रहा है ताकि कोई अति जल्दबाजी में न हो। यदि मामला विधिमंत्री पर छोड़ दिया जाये तो समय की बचत हो सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस मामले में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि मामले का मूलाधार क्या है ? यह विधेयक मूलतः विचाराधीन 180 निर्वाचन याचिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये लाया गया है।

अब मामले के दो पहलू हैं। यदि विचाराधीन याचिकाओं पर चर्चा करने की अनुमति दे दी जाती है तो यह उनके प्रति अन्याय होगा जिनकी याचिकायें विचाराधीन हैं। क्योंकि यहाँ व्यक्त किये गये विचार उनके हितों के विरुद्ध जा सकते हैं यदि उन मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती तो यहाँ चर्चा ही क्या होगी। यदि विधेयक पर अप्रत्यक्षरूप में ही चर्चा होनी है तो उन्हें यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये और नियम 184 अथवा 193 के अधीन प्रस्ताव लाना चाहिये।

श्री बी० बी० नायक खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक मैंने अनुरोध किया था कि . . .

श्री बी० बी० नायक : उद्देश्य और कारणों के विवरण में 180 विचाराधीन मामलों का संदर्भ नहीं दिया गया है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आपने विधेयक का अध्ययन नहीं किया है। आपने चर्चा ध्यान से नहीं सुनी है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, न्यायनिर्णयाधीन का नियम विधान बनाने की शक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है। अतः यह तो सरकार और संसद के विचार के लिये है कि कौन सा कानून वांछनीय है। जब संसद का सत्र आरंभ होने वाला था तो अध्यादेश लाया गया। इस बारे में संसद को स्वयं को संतुष्ट करना होगा। इस कानून की विषय-वस्तु के अतिरिक्त मैं महसूस करता हूँ यदि सरकार बहुत से चुनाव सम्बन्धी मामलों की विचाराधीनता पर निर्भर रही है तो उसे संसद को यह बताते रहना चाहिये कि उन मामलों का विषय क्या है, उनमें किस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं और देश को संसद के माध्यम से उन समस्याओं का किस प्रकार का समाधान निकालना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हम न केवल इस विधेयक पर ही अपितु अध्यादेश पर भी चर्चा कर रहे हैं। कोई विधेयक को कुटिल नहीं बता सकता परन्तु अध्यादेश भी कुटील और अनुचित बता सकता है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : हम विधेयक के विचार के लिये प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यादेश और विधेयक एक ही बात है। जहां तक विधायी उपबंधों का सम्बन्ध है, अध्यादेश और विधेयक का अर्थ एक ही है, केवल अन्तर इतना है कि एक विधेयक है जो अध्यादेश को कानून में बदल रहा है और दूसरा अध्यादेश है।

यह विधेयक उस स्थिति में सुधार करने के लिय है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है। यह विधेयक कानूनी स्थिति को ठीक करने के लिये है; इसका उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में संशोधन करना है क्योंकि जिस बात पर विचार किया गया वह यह थी कि इस धारा का वास्तव में यह अर्थ होना चाहिये परन्तु उच्चतम न्यायालय की व्याख्या यह है कि इसका अर्थ भिन्न है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं यह कानून इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ठीक किया जाये और जिससे संसद का इरादा स्पष्ट हो सके। अतः यह कहना सही नहीं है कि यह कानून किसी विशेष विचाराधीन मामले के सम्बन्ध में बनाया जा रहा है। वास्तव में जिस मामले में यह प्रस्ताव रखा गया था उसे अध्यादेश और विधेयक के क्षेत्र से निकाल दिया गया है क्योंकि उपबन्धों से पता चलेगा कि यह उन निर्णयों पर लागू नहीं होगा जो उच्चन्यायालयों और/या उच्चतम न्यायालय में अंतिम हो गये है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : यह अध्यादेश लाने में इतनी जल्दी क्यों की गई?

श्री एच० आर० गोखले : मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : यह भेदभाव क्यों? श्री अमरनाथ चावला को सभा में बैठने क्यों न दिया जाये!

श्री एच० आर० गोखले : यह कहा गया है कि जब कोई मवक्किल अदालत में जाता है और फैसला उसके हक में होता है, उस पर वह काफी पैसा खर्च करता है, अतः उसे लाभ से वंचित करना उचित नहीं है और इस मामले में श्री गुप्ता को लाभ मिला है। न्यायालयों ने इसी बात को ध्यान में रखा है अतः इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

जब आप पूर्वोदाहरण की बात करते हैं तो आप पूर्वोदाहरणों के लिये तथ्यों की बात नहीं करते हैं। पहले के किसी मामले में न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन था और यह तर्क दिया गया कि मामले के तथ्यों का उल्लेख किये बिना हम विधेयक पर विचार के लिये आगे नहीं बढ़ सकते। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विधेयक पर विचार को नहीं रोका जा सकता परन्तु मामले के तथ्यों का उल्लेख न किया जाये। आज केवल कानून के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री चावला के मामले का उल्लेख होगा क्योंकि यही स्थिति है जिसमें संशोधन किया जाना है। अतः हम केवल पूर्वोदाहरणों को सामने रखते हैं, न कि पहले के मामलों के तथ्यों को। अतः हम उन कुछ मूल सिद्धांतों को सामने रखते हैं जो न्यायनिर्णयाधीन के नियम के मामले में मार्गदर्शक रहे हैं।

आप कह सकते हैं कि यह कानून उचित नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह किसी प्रेरणा से किया गया है और ऐसा कानून बनाने में सरकार का इरादा गलत है। जब किसी विधान पर चर्चा की जाती है तो उसके गुणावगुणों पर चर्चा की जा सकती है। ये की "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" में अनेक उल्लेख हैं। पृष्ठ 228 पर न्यायनिर्णयाधीन मामलों के बारे में यह लिखा हुआ है कि :

> "सभा के संकल्प के द्वारा आपराधिक या सिविल न्यायालयों में चल रहे मामलों . . . किसी वाद-विवाद या प्रश्न में उल्लेख नहीं किया जा सकता।"

इसके पिछे क्या सिद्धांत है। यह ए० एन० चावला का मामला नहीं है। सबके समक्ष फैसला पहले ही आ चुका है। मैं चावला के मामले के तथ्यों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। परन्तु क्या हम अन्य मामलों का उल्लेख कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उस विशेष मामले में कोई आरोप लगाया गया है? यदि कोई कहे कि हम ऐसे अन्य मामलों का उल्लेख कर सकते हैं जो विचाराधीन है और जो सीमा से अधिक चुनाव खर्च के बारे मे है तो ऐसा करना भविष्य के लिये अवांछनीय पूर्वोदाहरण रखना होगा।

कानून में वह स्थिति कौन सी है जिसे इस विधेयक के द्वारा ठीक किया जाना है? निश्चय ही उपबन्ध (अर्थात धारा 77) को ऐसे समझा गया है कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। इस कानून के उद्देश्यों का यह सारांश है। इसके दो उद्देश्य है। एक, संसद द्वारा वर्तमान और भविष्य के लिये कानून बनाया जाना और दो, उन सभी मामलों को लाभ पहुंचाना जिनमें कानून की ऐसी ही स्थिति है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : यदि 26 सितम्बर, 1955 के वाद-विवाद के पृष्ठ संख्या 15253 के साथ पृष्ठ 15250, 15251 और 15252 पढ़े जायें तो विधि मंत्री ने जो कुछ कहा है वह स्पष्ट हो जाता है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Now we are at consideration stage. Let met quote Shri Jawaharlal, he has referred to specific instances. When he placed the constitution (First Amendment) Bill, he referred to a judgement given by a particular High Court. He also mentioned the ground. That was in appeal before the Supreme Court.

On page 8828, Vol. XII-XIII, Part II dated 16-5-1951 he said :

"It is clear that the original clause, as interpreted by the superior courts in this country has put this Government . . . . into a very difficult situation . . . ." Apart from this other matters relating to Land Reforms Act were pending in High Courts. They have been mentioned in the schedule and all the facts have been discussed.

Shri Madhu Limaye (Banka) : There was a case in the High Court. What were the facts about that?

श्री एच० आर० गोखले : हम बृहस्पतिवार को तथा आज विचार-विमर्श कर चुके हैं। अब हम आप के विनिर्णय का पालन करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to seek only one clarification. It has been said that reference should not be made to the facts. But facts means reality. May I know whether it is not a fact that Shrimati Indira Gandhi, the Prime Minister, contested election from Rae Barreily.

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य मामलों को बीच में क्यों लाते हैं ?

श्री मधु लिमये (बांका) : जब श्री नेहरू उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामले का संदर्भ दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम किसी अन्य मामले या विशेष बात का जिक्र किये बिना सिद्धान्तों पर चर्चा का हवाला दे रहे हैं ।

Shri Atal Bihari Vajapayee : Facts are not being allowed to be referred. But the expenditure account of a contestant in the election is a public documents, that may be liable to be challenged in a court of law. Can't we refer to a public documents?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात श्री मिश्र भी कह चुके हैं आप यह भी याद रखिये की यह चर्चा पुनः किस प्रकार शुरू हुई है। मैंने अपने विभाग में कोई विचारधारा तैयार करके फिर से चर्चा आरंभ कराई थी ।

श्री मधु लिमये : क्या आप कोई प्राइवेट विनिर्णय भी देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ प्राइवेट नहीं। मेरी कोई बात प्राईवेट नहीं है। कुछ छिपा नहीं है। मेरा सारा जीवन एक खुली किताब के समान है। इस संबंध में अपनी धारणा बनाते समय मैंने विधि मंत्री से कहा था कि वह मुझे कोई ऐसी ही पूर्व घटना बतायें जिसमें इस प्रकार का कोई विधेयक सभा के समक्ष आया हो। परन्तु उनसे मुझे यह सहायता नहीं मिल सकी। श्री मधु लिमये ने जितने संदर्भों का जिक्र किया है उनको एकत्रित करने के लिये तो मुझे उन पुस्तकों को उठाने हेतु एक आदमी किराय पर करना पड़ेगा। उन्होंने जो मत रखा है वह प्राथमिकता के अनुसार यह है कि सर्वप्रथम तो अदालतों के विचाराधीन मामलों का संदर्भ दिया ही नहीं जाना चाहिये । दूसरे, विनिर्णय के अनुपात के अन्तर्गत वह कहते है कि अधिकांश विनिर्णयों में न्यायाधीन मुकदमों संबंधी तथ्य देने की मनाही की गई है ।

अब इस विधेयक का कारण ही उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जो उसने अपने पहले निर्णयों की तुलना में कुछ भिन्न रूप में दिया है। यह तो व्याख्या की बात है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उच्चतम न्यायालय का तो यह कहना है कि उसने पहले हुए निणयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया है। पीठासीन अधिकारी को वह कहना चाहिये जो न्यायालय का मत है न कि जो विधि मंत्री कहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र का कथन रिकार्ड में आ गया है। हमें बोलते समय बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग करना चाहिये । हमारे यहां के प्रक्रिया-नियमों की व्याख्या भी हमें ही करनी होती है। हमारे प्रक्रिया नियम 41(2) (सत्रह)-(बाईस), 58, 59, 173 (6), 175, 186 (आठ), 188,

210 (आठ) तथा (बारह) और 352(एक) में इन बातों का वर्णन है। इनमें बार बार कहा गया है कि न्यायालयों में निर्णयाधीन मामलों संबंधी तथ्यों का हवाला नहीं दिया जा सकता। जहां नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि इन नियमों में कोई बात स्पष्ट तथा विशिष्ट रूप से प्रकट नहीं की गई हो तो पीठासीन अधिकारी स्थिति का मूल्यांकन करके चर्चा को नियमित करेगा।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक अत्यन्त असामान्य मामला है, अत्यन्त असामान्य स्थिति है तथा यह अत्यन्त असामान्य विधेयक है। और मुझे इस बारे में एक ऐसा विनिर्णय देना है जिसको कोई परम्परा नहीं माना जाना चाहिये। यह विनिर्णय केवल इसी मामले के लिये विशेष रूप से होगा।

मुझे आशा है कि ऐसा विधेयक फिर कभी सभा के सामने नहीं आयेगा (करतल-ध्वनि) कृपया मुझे गलत न समझें। आप यह समझकर गलती कर रहे हैं कि सरकार ने एक गलत विधेयक पेश किया है और कि मैं यह कह कर सरकार की आलोचना कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं (करतल ध्वनि) मैं यह कह रहा हूं कि इस विधेयक ने पीठासीन अधिकारी के लिये फिर से भारी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। मैं तो भविष्य में ऐसी कठिनाईयों का सामना नहीं करना चाहूंगा। यही मेरे कहने का अभिप्राय है। कृपया गलत अर्थ न लगायें।

श्री मधु लिमये तथा विधि मंत्री ने 'मेरा पार्लियामेन्टेरी प्रैक्टिसिज' नामक पुस्तक में कतिपय निर्णयों तथा विनिर्णयों के उद्धरण देकर मेरी सहायता की है।

विधि मंत्री ने इस पुस्तक के 18 वें संस्करण के पृष्ठ 328 से उद्धरण दिया है। प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद विवाद में न्याय निर्णयाधीन मामलों को लाया जा सकता है या नहीं। मेरे विचार में 'मे' की पुस्तक में इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था स्पष्ट है कि उन्हें नहीं लाया जाना चाहिये, यह इसपर लागू नहीं होती। कम से कम यह इसकी व्याख्या है।

श्री मधु लिमये (बांका) : आपने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा आप इसलिये कह रहे हैं क्योंकि इस से आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इस सभा में एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त भी है और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे उसपर भी विचार करें। यह प्रमुख सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद 105 में लिखा है---वाक-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। मेरे विचार में यह प्रमुख सिद्धान्त है। हमारे नियम भी इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं। यदि आप नियम पढ़ें तो उसमें वाद-विवाद की समाप्ति का उपबन्ध है कि यदि वाद-विवाद अत्यधिक समय तक चले तो कोई माननीय सदस्य वाद-विवाद समाप्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। उस मामले में अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना पड़ता है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये या नहीं। हम सब मिलकर ही इस सभा की कार्यवाही को चला सकते हैं। केवल बहुमत अथवा अध्यक्षपीठ के आदेश पर ही मामलों को तय नहीं किया जाना चाहिये। हमें यथासम्भव एक मत हो कर चलने का प्रयत्न करना चाहिये। यही संसदीय लोकतंत्र है। सरकार को अपनी नीतियां और निर्णय सामने लाने हैं और उनका समर्थन करना है और विरोधी पक्ष का काम उनमें त्रुटियां बताना है और हमारा काम दोनों पक्षों में संतुलन रखना और निर्णय करना है जिनसे कभी कोई प्रसन्न होता है और कभी अप्रसन्न।

श्री मधु लिमये ने दो मामले उठाये थे। जिनमें एक यह था कि क्या किसी अधिनियम में स्पष्टीकरण जोड़ कर संशोधन किया जा सकता है? क्या अधिनियम में संशोधन नकारात्मक रूप का होना चाहिये और मूल अधिनियम का प्रभाव समाप्त करने वाला होना चाहिये? उन्होंने नियम 344 का उल्लेख किया था जिसमें यह कहा गया है कि संशोधन नकारात्मक नहीं होना चाहिये। यदि कोई संशोधन नकारात्मक

किस्म का हो तो वह स्वीकार नहीं किया जाता। यह बात उन्होंने कही है। अब, संशोधन विधेयक किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस विधेयक में स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम इसको अधिक स्पष्ट रूप में नहीं ला पाये इसीलिये हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न इस कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है और इसलिय हम इस उपबन्ध विशेष का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं और हम यह काम एक स्पष्टोकरण के रूप में करना चाहते हैं। अतः मैं इस आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता कि स्पष्टीकरण के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत किया गया है। नकारात्मक संशोधन होने का तर्क नियमों के अधीन प्रस्तावों और खण्डों के संशोधनों पर लागू होंगे। उदाहरणार्थ विधि मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि विधेयक पर विचार किया जाये। यदि इसपर यह संशोधन दिया जाये कि विधेयक पर विचार नहीं किया जाना चाहिये तो वह नकारात्मक संशोधन होगा और वह स्वीकार्य नहीं होगा।

श्री मावलंकर ने एक और पेचीदा मामला उठाया है जिसको श्री बनर्जी ने दोहराया है। उन्होंने कहा कि श्री ए० एन० चावला के मामले पर चर्चा करने पर कोई रोक नहीं क्योंकि उसका उल्लेख अनेक बार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि श्री ए० एन० चावला ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी है। विधि मंत्री ने बताया था कि एक उक्त याचिका दायर कर दी गई है परन्तु उन्हें यह पता नहीं कि वह स्वीकार की गई है या नहीं। मेरे विचार में वह याचिका अभी स्वीकृत नहीं हुई और इसलिये, उस सीमा तक, वह न्याय-निर्णयाधीन नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वह अभी स्वीकार नहीं की गई। मैं बता रहा था कि मंत्री महोदय ने कहा था कि वह दायर की गई है परन्तु उनको उसके स्वीकार होने या न होने की जानकारी नहीं है। अतः जब तक याचिका स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक उसे न्याय-निर्णयाधीन नहीं माना जा सकता।

फिर श्री एच० के० एल० भगत और श्री स्टीफन ने कहा था कि यह कहना ग़लत है कि इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन 180 मामलों को संरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा था कि यह कानून स्थायी होगा और भविष्य की किसी भी स्थिति में उपयोग किया जा सकता है और इसलिये हम बिना उन मामलों का हवाला दिये इसके गुण-दोष के आधार पर चर्चा कर सकते हैं। शायद श्री भगत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इन निर्णयाधीन मामलों का हवाला दिया जाना केवल प्रासंगिक बात है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। विधि मंत्री ने अपने भाषण में श्री भगत और श्री स्टीफन के विचार का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में व्यापक रूप से संशोधन करने वाला विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया है और वह लोक सभा में लम्बित है। सभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सुझाव देने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। मंत्री महोदय की इस बात से पता लगता है कि यह विधेयक अस्थायी किस्म का है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैंने कहा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 में संशोधन करने वाला विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया गया है। इसलिये उस समय यदि चाहेंगे तो संसद इस विधेयक में भी परिवर्तन कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, एक व्यापक विधेयक आने वाला है और मेरे विचार में यह विधेयक एक स्थिति विशेष के लिये ही लाया गया है जैसे विधि मंत्री ने स्वयं अपने भाषण में, अध्यादेश के कारणों में, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में और बाहर प्रैस में तथा टेलीवीजन पर तथा गुरुवार को अपने भाषण में भी कहा है कि इसकी अनिवार्यता यह है कि विभिन्न न्यायालयों में लगभग 180 मामले विचारा-

धीन पड़े हैं। अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं। सर्वप्रथम मैं इस मामले का सीमांकन करूंगा और सीमांकन में यदि कोई गलती मेरे से हुई तो आप मुझे बता देना क्योंकि आप की इच्छानुसार काम करना चाहता हूं, मनमर्जी से नहीं चलना चाहता।

हम सामान्यत: इस सभा में किसी ऐसे मामले के तथ्यों और गुणदोष पर चर्चा नहीं करते, जो न्यायालय में निर्णयाधीन हों। इसका कारण यह है कि हम न्यायालयों के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यह एक बात है। हम राष्ट्रपति को कोई शिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिय किसी प्रस्ताव की स्थिति को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय या उनके न्यायाधीशों के आचरण अथवा कार्यकरण की चर्चा नहीं करते। यह बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी ओर न्यायालय में विचाराधीन मामला इस सभा द्वारा विधान बनाये जाने में बाधक नहीं बन सकता। और श्री मधु लिमये ने अभी पढा है कि न्याय निर्णयाधीन वाली बात विधेयकों पर लागू नहीं होती। जो कुछ भी हो, हम कानून बना सकते हैं और उसके बाद न्यायालय उस कानून की व्याख्या करेगा, जैसा हमने उसे बनाया है। यहां पर विचार स्वातंत्र्य है और उचित वादविवाद का अधिकार भी है। ये सीमाएं हैं। हमारे संविधान के इन विभिन्न उपबन्धों और इस सभा की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में संतुलन लाने का प्रश्न काफी समय से हमारी सभा सहित देश के विधानमंडलों के समक्ष है और यह संसदीय लोकतंत्र का सार है।

पीठासीन अधिकारियों की समिति ने सितम्बर, 1968 के अपने प्रतिवेदन में कहा था कि वे महसूस करते हैं कि न्याय-निर्णयाधीन के नियम के बारे में रोक लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विधानमंडल के पक्ष में बोलते समय वाक स्वातंत्र्य के मुख्य अधिकार को आंच न आये।

> "...इस विधेयक में यह मुख्य प्रश्न पूछा गया है: यदि उच्चतम न्यायालय के आचरण पर अथवा विभिन्न न्यायालयों में बकाया 180 के लगभग मामलों का उल्लेख होता है..."

प्रश्न यह है।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय: "...सिद्धान्तत: उत्तर स्पष्ट है, परन्तु सभा के समक्ष विधेयक के सम्बन्ध में सीधे उत्तर देना कठिन है।"

इस बारे में श्री साल्वे ने कहा था:

"अध्यादेश प्रस्थापित करने के लिये परिस्थिति की आवश्यकता की व्याख्या करने वाले विवरण को पिछले गुरूवार को काफी हद तक उद्धृत किया जा चुका है, और मैं उसे यहां दुबारा नहीं देना चाहता।"

लेकिन विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय विधि मंत्री ने ऐसी बातों पर प्रकाश डाला था जब कि उन्होंने कहा:

> "फिर भी उच्चतम न्यायालय ने कंवर लाल गुप्त के विरुद्ध अमर नाथ चावला के मामले में 72 की सिविल अपील 1549 के द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 77 में अब तक स्वीकृत तथा भली प्रकार समझे जाने वाले सिद्धान्तों में सन्देह पैदा कर दिया है।"

इस निर्णय से गम्भीर समस्याएं पैदा हो गई है, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें उम्मीदवारों के विरुद्ध मामले बकाया पड़े हैं। उनके चुनाव रद्द किये जा सकते हैं।

इस परिस्थिति का सामना करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1974 को अध्यादेश लागू किया गया था ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके जिसमें लम्बित चुनाव याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यापक व्याख्या को लागू करना आवश्यक हो। मैं समझता हूं कि सदस्य उस अध्यादेश का तथा उसके स्थान पर लाये जा रहे विधेयक का समर्थन करेंगें।

विधि मंत्री के वक्तव्य से मेरे लिए अधिक समस्याएं पैदा हो गई हैं।

Shri Madhu Limaye : He says that matter of 180 cases can come up here.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : किसी भी उप चुनाव में कोई मामला हो सकता है; लेकिन विधि मंत्री के अनुसार यह उस पर लागू नहीं होगा; यह केवल इन्हीं मामलों के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कठिनाई का समाधान करने के लिए मैं विधि मंत्री तथा सदस्यों से साहायता चाहता हूं। विधि मंत्री द्वारा प्रयुक्त भली प्रकार स्वीकृत एवं अच्छी तरह समझे-बुझे सिद्धान्तों को 'सहसा बदल' दिया गया है। क्या हम उच्चतम न्यायालय के आचरण को चर्चा का विषय नहीं बना रहे हैं ?

विधि मंत्री तथा कुछ अन्य सदस्यों ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को उसका अंग नहीं माना है और इसलिये उस पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है।

प्रस्तुत विधेयक में यह व्यवस्था है कि किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर किसी राजनीतिक संस्था अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा किये गये व्यय को उम्मीदवार द्वारा किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया था कि किसी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार उक्त राजनीतिक दल से पृथक नहीं है और यदि उक्त दल अपने उम्मीदवार को अपात्र नहीं बनाना चाहता तो इसे उम्मीदवार के निर्वाचन पर किये जाने वाले अपने व्ययों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

विधि मंत्री उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से सहमत नहीं हैं और वह चाहते हैं कि सभा उनकी बात से सहमत हो। उनके लिये यह कहना ठीक है लेकिन उचित यह है कि वह इस असहमति के कारण स्पष्ट करें। इंगलैंड में, जिनके लोकतंत्र का हम अनुसरण कर रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी को भी अपने उम्मीदवार के निर्वाचन-क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय के बारे में उम्मीदवार से अधिकार लेना पड़ता है।

विधि मंत्री ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे उम्मीदवारों को, जिन्होंने चुनाव लड़ा हो और जिनके मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में अनिर्णित पड़े हुए हैं; उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की अचानक परे हट कर व्याख्या कर निर्णय देने के कारण अनुचित रूप से कठिनाई न हो। यह भी कहा गया है कि इस सभा में उन मामलों के उल्लेख से न्यायालय में ऊनपर प्रभाव पड़ सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है और अब कहा जा रहा है कि इसके गलत अर्थ लगाये गये हैं। इस विधेयक को पारित करके क्या हम सम्मिलित रूप से उच्चतम न्यायालय को विशेष निर्देश नहीं दे रहे हैं।

हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन क्या सभा को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलानी चाहिये ताकि हम यह महसूस कर सकें कि हमने वह कुछ किया है जो हम अधिक से अधिक कर सकते थे। विधि मंत्री ने कहा था, "प्रश्न यह है कि कुछ मामले विचाराधीन हैं. . .कई मामले हैं जिन्हें मैं वाद-विवाद का उत्तर

देता हुआ पुष्ट करूंगा।" यह एक स्पष्ट वक्तव्य है। मेरे विचार से पुष्टि आरम्भ में ही की जानी चाहिए थी ताकि सभा उन पर पूर्ण रूप से विचार कर सकती। यदि बाद में ऐसा किया जायेगा तो उन पर चर्चा पुन: शुरू हो जायेगी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मांग की कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में ऐसा वक्तव्य देने मात्र से काम नहीं चलता। श्री मावलंकर ने भी ऐसी ही मांग करते हुए कहा कि कुछ ऐसे मामलों का सारांश उपलब्ध होना चाहिए। श्री एस० एन० मिश्र ने कहा कि याचिकाओं के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये शपथपत्र और वक्तव्य प्रकाशित दस्तावेज हैं और उनकी प्रतियां निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है।

अत: यह एक असाधारण विधेयक है और हमारे सामने एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। गत गुरूवार को श्री साल्वे ने मेरे से अनुरोध किया था कि आप उनका उल्लेख किये जाने पर विनिर्णय दें। मैं अब भी विधि मंत्री से आशा करता हूं कि वह कुछ ऐसी बात बताये जिससे मुझे विनिर्णय देने में मदद मिले। यदि उनके पास कुछ और कहने के लिए नहीं है, तो मैं यह विनिर्णय देना चाहूंगा कि विद्यमान परिस्थितियों में सदस्यों को इन मामलों का उल्लेख करने से रोकना मेरे लिए कठिन है। किन्तु साथ ही मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसा करते समय सीमा का उल्लंघन न करें और संसद और न्यायपालिका के बीच नाजुक सम्बन्ध को अस्त-व्यस्त न करें। वे विभिन्न आरोपों और वक्तव्यों के गुण-दोषों की चर्चा न करें। उन्हें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि तथ्य क्या हैं क्योंकि तथ्यों का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है। हमें तथ्य निर्धारित नहीं करने हैं। प्रत्येक याचिका के गुण-दोषों का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है संसद द्वारा नहीं। इस विधेयक के पारित हो जाने पर न्यायालय इस अधिनियम के संदर्भ में तथ्यों का निर्धारण करेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा यह निवेदन है कि 12 दिसम्बर, 1974 को एक सांविधिक संकल्प पेश किया गया था किन्तु 'संसद में आज' (टू डे इन पार्लियामेंट) प्रसारण में उसका उल्लेख नहीं किया गया। यह एक गम्भीर मामला है। सरकारी विभाग ने उसका उल्लेख करना क्यों उचित नहीं समझा ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है।

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए।
SHRI VASANT SATHE *in the Chair.*]

अध्यादेश जारी किये जाने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिका के बारे में एक अन्य याचिका दायर की गई थी जिसमें विरोधी दलों तथा अनेक समाचारपत्रों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध विचाराधीन चुनाव याचिका के बारे में खुले रूप से टिप्पणी करने का अवसर बना लिया है। वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और गलत एवं काल्पनिक तथ्य पेश कर रहे हैं। इससे जनता के मन में गलत धारणा पदा हो रही है। इस दरखास्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा कि कंवरलाल गुप्त के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह मामला प्रभावित नहीं होता और न्यायालय किसी भी पार्टी को गलत काम करने की अनुमति नहीं दे सकती।

एक ओर तो सरकार अध्यादेश जारी करती है, दूसरी ओर वे हमारा मुंह बंद करने के लिए न्यायालय में जाते हैं। सरकार प्रतिपक्ष को यह अवसर भी नहीं देना चाहती कि वे अत्याचारों अथवा ऐसे अध्यादेशों या कानूनों की आलोचना कर सकें। अध्यादेश में उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि अधिनियम

को यह व्यापक व्याख्या अन्य चुनाव याचिकाओं में भी स्वीकार की जायेगी। हम कई बार यह चर्चा कर चुके है कि किस का चुनाव खतरे में हैं या किसके बारे में चिन्ता अधिक है। चुनाव याचिकाओं में इस प्रश्न पर विचार होना है कि कितनी राशि खर्च की गई और चुनाव दौरों पर कितना खर्च किया गया। उड़ीसा में शासक दल के एक विशिष्ट व्यक्ति के दौरे पर 16 लाख रुपये खर्च किये गये। एक समाचार पत्र के अनुसार बिहार में प्रधान मंत्री के चुनाव दौरे पर 35 लाख रुपये खर्च हुए। अब मैं इस पत्र को सभा पटल पर रखना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है कि...

सभापति महोदय : नियम तो यह है कि यदि आप सभा पटल पर कोई पत्र रखना चाहते हैं तो आप उसकी प्रति मुझे दें और वह अध्यक्ष महोदय को इस निर्णय के लिए भेजी जायेगी कि उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं। इस बीच आप उससे उद्धरण न दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यह एक नयी बात बता रहे हैं। मैं उससे उद्धरण तो दे सकता हूं। उसे सभा पटल पर रख जाने के बारे में नियम भी हैं।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : Sir, my point of order is that the document, which cannot be laid on the Table without the Speaker's permission, cannot be quoted.

सभापति महोदय : निदेश 117 के अनुसार एक गैरसरकारी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ही पत्र सभा पटल पर रख सकता है। निदेश 118 के अनुसार उसे उस पत्र की प्रति जिसे वह सभा पटल पर रखना चाहता है, अध्यक्ष को पहले ही देनी होगी, जिससे अध्यक्ष उस पर निर्णय ले सके। नियम 368, मंत्री द्वारा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बारे में है। नियम 369 ऐसे पत्र या दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जाने के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है। यदि नियम के अनुसार मैं इसे सभा पटल पर नहीं रख सकता तो मैं इसे पढ़ तो सकता हूं।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : नियम 352 और अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत रहते हुए मैं अपने भाषण में किसी भी पत्र या दस्तावेज से उद्धरण दे सकता हूं। अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता तब होती है जबकि उसे सभा पटल पर रखना है। अतः संसद में भाषण की स्वतंत्रता सर्वोच्च है और संसद सदस्य को यह निदेश नहीं दिया जा सकता कि वह कहां से उद्धरण दे और कहां से नहीं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों के विचार इस बारे में सुनना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : 'ब्लू बुक' के बारे में मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी बात यह है कि यह विधेयक से सम्बधित है और संगत भी नहीं है। अतः ऐसा करने की अनुमति उन्हें न दी जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत मुझे बोलने और उपलब्ध किसी भी दस्तावेज से उद्धरण देने की मुझे स्वतंत्रता है। 'ब्लू बुक' से सम्बन्धित मामला न्यायालय के सामने है और न्यायालय पूरी पुस्तक को चाहता है। यह मामला न्यायाधीन है। अतः मुझे इससे उद्धरण देने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : क्या यह दस्तावेज जनता के लिए है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सरकारी प्रकाशन है और इससे राज्य की सुरक्षा का खतरा भी पैदा नहीं होता है।

सभापति महोदय : यह सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, यह विशिष्ट है। जब तक यह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता और इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में स्विकार किया नहीं जाता तब तक उसे सार्वजनिक नहीं माना जा सकता। अतः इस विशिष्ट दस्तावेज के बारे में निदेश 117 के अनुसार अध्यक्ष की अनुमति लेना ही उचित होगा। अन्यथा, यह एक अस्वस्थ उदाहरण बन जायेगा। मान लीजिये कल आपके हाथ में सेना सम्बन्धी कोई दस्तावेज आ जाता है और आप उसके बारे में अध्यक्ष की अनुमति लिये बिना सभा में पढ़ जाते हैं, तो वह सभा की कार्यवाही में आयेगा, समाचारपत्रों में प्रकाशित होगा और सार्वजनिक दस्तावेज बन जायेगा। ऐसा होने पर क्या परिणाम हो सकते हैं, यह आप जानते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया है कि अध्यक्ष को इस बारे में पहले बताया जाये। यदि आपको अध्यक्ष अनुमति दे देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब तक आप उसे सभा में न पेश कर सकते हैं और न उसे उद्धृत कर सकते हैं। यदि इसमें से कुछ उद्धृत किया जायगा तो उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह मेरा विनिर्णय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपके विनिर्णय का अर्थ यह है कि जिस दस्तावेज से उद्धृत किया जाये उसे पहले अध्यक्ष को भेजा जाये ?

सभापति महोदय : यदि यह दस्तावेज सार्वजनिक है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु संदर्भाधीन दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है। यह विशिष्ट दस्तावेज है और जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं इसके बारे में विनिर्णय दे चुका हूं कि यह सभा में पेश नहीं किया जा सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार (ओसग्राम) : गत गुरूवार को श्री ज्योतिर्मय बसु ने सी० बी० आई० की रिपोर्ट से उस समय उद्धरण दिये थे जबकि अध्यक्ष महोदय पीठासन थे।

सभापति महोदय : मैंने आपके विचार सुनने के बाद नियमों के अनुसार अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम क्या है, वह मुझे दिखाया जाये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वह नियम पत्रों के सभा पटल पर रखे जाने के बारे में है। उन्हें उदधरण देने से मना नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : आखिर उद्धरण देने का मतलब क्या है, यह हमें समझना चाहिए। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, परन्तु विनिर्णय देने का अवसर तो आप मुझे देंगे ही और मैं वह विनिर्णय दूंगा जो नियमों के अन्तर्गत मुझे उचित प्रतीत होगा।

श्री समर मुखर्जी : जिस नियम का आपने उल्लेख किया है, वह पत्रों सभा पटल पर रखे जाने के बारे में है। लेकिन उद्धरण देने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता किस नियम के अन्तर्गत आती है, वह केवल उद्धरण देना चाहते हैं और आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति इसलिये नहीं दे रहे हैं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। आपने इस बारे में किसी नियम का उल्लेख नहीं किया है। अतः आपका विनिर्णय नियमानुसार नहीं है। अपने मत की पुष्टि के लिए हमें संगत दस्तावेजों को उद्धृत करने का अधिकार है। यदि हमें ऐसा करने से रोका जाता है तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि

आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र चर्चा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यदि कोई दस्तावेज संगत संदर्भ के अन्तर्गत है, तो उसे उद्धृत करने को अनुमति दो जानी चाहिये। आप यह टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या संगत है और क्या संगत नहीं है। परन्तु आप उन्हें उद्धृत करने से मना नहीं कर सकते।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Sir, you will remember that last time Shri Jyotirmoy Bosu quoted from C.B.I. reports and that came in the record. At that time hon. Speaker was in the chair. According to the ruling of the Speaker that was not regarded as the C.B.I. report but what was quoted by him was included in the record. It will be difficult for us if you adopt different line of thinking while sitting in the house as a Member and as a Presiding Officer.

Mr. Chairman : Now, you should address me as the Speaker.

Shri Janeshwar Mishra : We respect you as much as we respect the Speaker, so we request you to kindly adjust us and allow him to quote.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नियमों और निदेशों के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य उद्धरण दे सकता है और अन्य सदस्य यह मांग कर सकते हैं कि वह दस्तावेज सभापटल पर रखा जाये, जिससे उद्धरण दिया जा रहा है, परन्तु इस मामले में यह जाने बिना कि दस्तावेज क्या है, सदस्य विरोध कैसे कर सकते हैं ? मैंने पहले भी यह विचार व्यक्त किया था कि इस विधयक पर चर्चा के दौरान ऐसी बातों का उल्लेख हमें करना पड़ेगा जिनका उल्लेख हमें नहीं करना चाहिए। यदि इस बारे में कोई अपमानजनक या असंसदीय बात कही गई है, तो आप उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। माननीय सदस्य उस दस्तावेज पर श्री ज्योतिर्मय बसु के हस्ताक्षर की मांग करने से भी डरते हैं कि कहीं उलटे वे ही न फंस जाये। शासक दल ही इस मामले के प्रति इतना भावुक क्यों है ? कुल 180 चुनाव याचिकाएं न्यायाधीन हैं जिनमें शासक दल की केवल 70 याचिकाएं हैं। सभा में आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। अतः आप से अनुरोध है कि इस मामले पर आप निष्पक्ष रूप से विचार करें और अपना विनिर्णय दें। हमें आपका विनिर्णय स्वीकार्य होगा।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस बारे में, मैं कौल और शकधर द्वारा लिखित 'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीज्योर इन पार्लियामेंट' नामक पुस्तक के पृष्ठ 829 पर की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि सामान्यतः सदस्य को ऐसे दस्तावेज से, जो सार्वजनिक नहीं है, उद्धरण देकर अध्यक्ष, सभा और सरकार को चकित नहीं करना चाहिए। संसदीय परम्परा के अनुसार उसे उसके बारे में अध्यक्ष और सरकार को सूचना पहले ही देनी चाहिए ताकि सभा में उठाये गये मामले से वे ठीक प्रकार से निपट सकें। यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तो अध्यक्ष सदस्य को ऐसा करने से रोक सकता है और पीठासन अधिकारी को उसकी प्रति देने के लिए उससे कह सकता है। अतः यह उचित है कि सदस्य को ऐसे दस्तावेज को उद्धृत करने की अनुमति न दी जाये जिसके लिए अध्यक्ष की अनुमति पहले से नहीं ली गई है। चूंकि इस मामले में अध्यक्ष की अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए यदि उससे उद्धरण देने की अनुमति दे दी गई, तो इससे गलत धारणा बनेगी कि जिस दस्तावेज से वह उद्धरण दे रहे हैं, वह प्रमाणित है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य को उस दस्तावेज से उद्धरण देने की अनुमति न दी जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री डी० के० बरूआ ने उस समय सभा को चकित किया था जबकि वह एक गुप्त विधेयक लाये थे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, अब यह परम्परा बन गई है कि 'मे' को 'पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' या शकधर की पुस्तक से उद्धरण दे दिये जाते हैं। परन्तु ये पुस्तकें स्पष्टीकरण के लिए हैं और नियमों और प्रक्रियाओं पर ये मार्गदर्शन करती हैं। किन्तु इस सभा की परम्परा क्या है, यह भी देखना चाहिए। उसके अनुसार उठाई गई आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। दो-तीन दिन पूर्व ही श्री गोयनका के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले पर बोलते हुए सदस्यों ने किसी गुप्त दस्तावेज और सी० बी० आई० रिपोर्ट से उद्धरण दिये थे और अध्यक्ष ने उस पर आपत्ति नहीं की थी। विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदनों से उद्धरण दिये गये। अध्यक्ष महोदय ने एक बार भी यह नहीं कहा कि उद्धृत दस्तावेज प्रमाणित हैं अथवा नहीं या उसे रखा जाना चाहिए या वह समाचारपत्रों में नहीं छपा है। अतः यदि आप परम्परा और पूर्व उदाहरण की बात करते हैं, तो सभा ने उक्त रिपोर्टों से उद्धरण देने की अनुमति दी है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जब श्री एच० वी० कामत संसद सदस्य थे, तो वह सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा में लाये थे, जिसके आधार पर श्री मालवीय को निकाल दिया गया था। श्री कामत को चुनौती दी गई कि क्या वह रिपोर्ट सी० बी० आई० की असली रिपोर्ट है।

श्री कामत ने उसे प्रमाणित किया और पीठासिन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया था। वह रिपोर्ट न सभा पटल पर रखी गई थी और न वह प्रकाशित थी। उन्होंने उसे उद्धृत किया था। यदि सदस्य द्वारा कोई दस्तावेज उद्धृत किया जाता है और उसके आधार पर सदस्य पर कोई आरोप लगाया जाता है या उसका अपमान होता है अथवा उसका अधिकार या विशेषाधिकार प्रभावित होता है, तो प्रभावित सदस्य को उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का हक होता है।

अतः मेरा सुझाव है कि किसी दस्तावेज में से उद्धरण देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये किन्तु यदि बाद में यह सिद्ध होता है कि वह दस्तावेज गलत है या किसी सदस्य ने गलत उद्धरण दिया है तो उस के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरे विचार से श्री बसु ने जिस पुस्तक का हवाला दिया है उसमें यह भी कहा गया है कि सदस्य सामान्यतः उस दस्तावेज से उद्धरण दे सकते हैं जिसे सरकार गोपनीय मानती है। उसमें यह भी कहा गया है कि 'ऐसे दस्तावेज से उद्धरण देने के लिये सदस्य को अध्यक्ष तथा सरकार को पूर्व सूचना देनी चाहिये अन्यथा अध्यक्ष सदस्य को उद्धरण देने से रोक सकता है'। इस मामले में माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को पहले-सूचना दे दी है।

इस पुस्तक में यह भी कहा गया है कि सरकार को ऐसे दस्तावेज की कथित प्रति की सत्यता स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में सदस्य को उक्त प्रति को सत्यापित करना होगा तथा इस बात की जिम्मेदारी सदस्य की होगी कि वास्तव में वह प्रति सरकारी दस्तावेज की सही प्रतिलिपि है या नहीं। यदि सदस्य उस दस्तावेज को सत्यापित करने को तैयार नहीं है तो यह अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह क्या तरीका निकाले। संविधान के अनुच्छेद 121 के द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के न्यायिक कार्यों के बारे में संसद में चर्चा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस पुस्तक के अनुसार यदि सदस्य प्रति को सत्यापित करने को तैयार नहीं है तो अध्यक्ष सरकार से सम्बधित दस्तावेज की प्रामाणिकता ज्ञात करेगा तथा अध्यक्षपीठ का, उसके बाद यह विनिर्णय अंतिम होगा कि उक्त दस्तावेज वास्तविक है अथवा नहीं। इस मामले में माननीय सदस्य ने अध्यक्ष को पूर्वी सूचना दे दी है अतः मेरे विचार से माननीय सदस्य को उसमें से उद्धरण देने तथा प्रति को सत्यापित करने का अधिकार है। प्रमाणपत्र देने के बाद अब सरकार का दायित्व है कि वह उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

Shri Madhu Limaye : Sir, I would like to submit my personal experience about the matter of quoting from the documents. In 1966 I raised a matter regarding Ardignam solicitor firm and quoted certain sentences from a secret document of Enforcement Directorate. At that occasion the Chair asked to lay the copy of the document on the Table of the House. Similarly, on the 5th September of this year I gave certain quotations from the four secret documents prepared by the Ministry of Commerce. At the instance of certain hon. members, I wanted to place the documents on the Table but the hon. Minister objected to it. Then the Chair directed me to authenticate the documents and to make them available to the Chair. Those documents were then checked up by the Chair and were allowed to be placed on the Table afterwards. They were also published in the Bulletin. Likewise, the documents pertaining to Modi Rubbers were looked into by the Chair and were allowed to be placed on the Table. (*Interruption*). Thus, there is no restriction or obstruction in quoting from the documents. But the hon. member who wants to place a document on the Table should first make them available to this Chair for check up.

In this context I would like to suggest that the objection raised by certain hon. members regarding the quotations sought to be given by hon. member Shri Jyotirmoy Bosu from the said Blue book dealing with the expense on the election tours of the Prime Minister should be ruled out by the chair. In my opinion the matter raised by Shri Jyotirmoy Bosu in quite relevant and he should be allowed to quote from the said document. The party in power is adopting obstructional tactics. The hon. members from that side are raising points of orders unnecessarily.

श्री जगन्नाथ राव : महोदय ! जैसा कि मैंने पहले कहा था 'ब्लू बुक' का मामला उच्चतम न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है। दूसरे सरकार इस बारे में विशेषाधिकार प्रश्न की मांग कर रही है। माननीय सदस्य ने उस दस्तावेज को अवैध रूप से प्राप्त किया है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय सदस्य जो उद्धरण दे रहे हैं वे वास्तव में ब्लू बुक में हैं भी या नहीं। यह मामला ऐसा है जिसका निर्णय न्यायालय करेगा चूंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय ने भी आज स्पष्ट विनिर्णय दे दिया है। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि इस मामले का हवाला दिया जा सकता है किन्तु उससे सम्बन्धित तथ्यों की पुष्टि न्यायालय ने नहीं की है उनको उद्धृत नहीं किया जा सकता। यदि उक्त दस्तावेज को सभापटल पर रखने की अनुमति दी गई तो उस पर आम चर्चा हो सकती है जो अवैध होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय ! उस सम्बन्ध में केवल दो ही शर्तें हैं। पहली यह कि सदस्य को चाहिये कि मामला उठाने से पहले अध्यक्षपीठ को उसकी पूर्व सूचना दे तथा उसका कार्य राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल न हो।

सभापति महोदय : क्या अध्यक्ष को उसकी प्रति नहीं दी जानी चाहिये ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नहीं।

सभापति महोदय : मैं इस से सहमत नहीं हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस दिन अध्यक्ष महोदय ने तब आपत्ति उठाई थी जब मैं सी० बी० आई० की रिपोर्ट की प्रति को सभा-पटल पर रखना चाहता था। उनका विनिर्णय था कि चूंकि मैंने सूचना नहीं दी इस लिये दस्तावेज को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने उद्धरण देने पर कोई आपत्ति नहीं की थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नियम यह है कि माननीय सदस्य अचानक ही कोई उद्धरण सभा में नहीं देंगे, उन्हें इसकी अध्यक्ष महोदय को पूर्व जानकारी देनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि उद्धरण देश की सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। सदस्य को उस सम्बन्ध में विवश भी नहीं किया जा सकता कि वह दस्तावज को स्थापित करे। यदि सदस्य दस्तावेज को सत्यापित नहीं करता तो उस स्थिति में भी उसे उद्धरण देने से नहीं रोका जा सकता। किन्तु सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उक्त दस्तावेज का खण्डन कर सके।

श्री भोगेन्द्र झा : गत दो महीनों से संसद में तथा बाहर भी इस बात पर आशंका की जा रही है कि देश में प्रजातंत्र है। इससे सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि सामान्य बातों पर भी सभा में चर्चा नहीं होने देती। यह मामला ऐसा नहीं है कि जिससे प्रधान मंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो फिर भी सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रही है। उसमें कोई गोपनीय बात नहीं है यह मामला प्रधान मंत्री के दौरों पर हुये खर्च के बारे में है। इस सम्बन्ध में यदि किसी विशेष मामले का हवाला नहीं दिया जाता तो न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर यहाँ की चर्चा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता को वास्तविकता का पता लगना ही चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि सरकार हमारे साथ सहयोग करे तथा जनता में व्याप्त इस धारणा को निर्मूल सिद्ध करने में सहायता दे कि देश में प्रजा तंत्र प्रणाली नहीं रही है। अत: महोदय! मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने विनिर्णय पर पुन: विचार करें तथा माननीय सदस्य को उक्त दस्तावेज से उदाहरण देने की अनुमति दें।

Shri Satpal Kapur: Sir, The Government are claiming in High Court and in Supreme Court that this document is privileged document. The Supreme Court has not given its decision so far.

Secondly, any document easily available to the individuals can be placed on the Table and no body will object to it. But it is a privileged document which has not been submitted before the court so far and its source of information is not known. It can be placed on the Table only when the hon. Member has been allowed to do so by the chair. In this situation the hon. Member cannot be allowed to quote from it as you have correctly given your ruling.

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने 12 दिसम्बर, 1974 को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री के दौरे पर सरकारी खर्च के बारे में एक सत्यापित अंग सभापटल पर रखना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि मैंने उनके उद्धरण देने पर आपत्ति नहीं की थी। मेरी यह आपत्ति थी कि उन्होंने मुझ वह दस्तावेज नहीं दिखाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं वह अभी आपको दे दूंगा।

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। जब तक यह सार्वजनिक दस्तावेज न हो...निदेश संख्या 118 में कहा गया है कि यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा-पटल पर कोई दस्तावेज रखना चाहे तो उसे वह पहले उसकी प्रति अध्यक्ष को देगा जिससे अध्यक्ष यह निर्णय कर सके उक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये या नहीं। अत: दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिये उसकी अग्रिम प्रति देना अनिवार्य है। यदि माननीय सदस्य उसमें से उद्धरण देना चाहें तो वह भिन्न बात है किन्तु उसे सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! मैं ब्लू बुक से उद्धरण दे रहा हूं । इसमें प्रधानमंत्री की यात्रा या दौरे पर किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में निदेश हैं । उसने पैरा 71.6 में 19 नवम्बर, 1969 को कुछ संशोधन किया गया है जिसके अनुसार प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर सरकारी व्यय की व्यवस्था के लिये प्रधान मंत्री चुनाव दौरों को भी सम्मिलित किया गया है । इससे पूर्व पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी । यह भी कहा गया है कि न मदों पर पहले राज्य सरकार खर्च करेंगी तथा बाद में उन खर्च को वसूल कर लिया जाएगा । ऐसे अद्भूत व्यवस्था पहले कभी नहीं थी । यह सरकारी खजाने के साथ लूटमार है ।

राजनारायण बनाम श्रीमती इन्दिरा गांधी याचिका के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । इसमें कहा गया है कि श्री यशपाल कपूर ने **(व्यवधान)** धारा 123(1क) के अन्तर्गत अपराध किया था । 'शराब भी मुक्त बांटी गई थीं'।

कुछ माननीय सदस्य : यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है ।

व्यवधान

सभापति महोदय : यह आप याचिका में लगाये गये आरोपों का हवाला दे रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुये हैं उनका हवाला नहीं दिया जा सकता । ये आरोप हैं तथा नहीं हैं ।

व्यवधान

श्री ज्योतिर्मय बसु : *

श्री सभापति महोदय : मेरी अनुमति के बिना वह जो कुछ उद्धरण देते हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री गोयंका और श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाये गये किन्तु आपने किसी को नहीं रोका ।

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के अनुसार माननीय सदस्य ऐसा नहीं कर सकते । ये आरोप हैं तथ्य नहीं हैं ।

व्यवधान

सभापति महोदय : यदि 180 याचिकाओं में से प्रत्येक याचिका को पढ़ा जाये, तो हम अपना काम कभी भी समाप्त नहीं कर पायेंगे । क्या उपाध्यक्ष महोदय से विनिर्णय का यही सार है ? मेरे विचार में ऐसा नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या आपका तात्पर्य यही है कि यदि शिकायत करने वाला स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो हो तो शिकायत में दर्ज सारे तथ्य ....

सभापति महोदय : मैं उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर न तो कोई टिप्पणी कर सकता हूं और न ही इसमें कोई सुधार कर सकता हूं ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया ।
Not Recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मेरी बात सुनें। यदि कल आपकी बात गलत सिद्ध हो जाती, तो फिर क्या होगा ?

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को ध्यान मे रखते हुये मैं आपको ऐसी बात कहने की अनुमति नहीं दे सकता जिससे कि इस मामले पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इसे आज पारित किया जाना है। यह सभा का निर्णय है। **(व्यवधान)**

श्री एच० आर० गोखले : आपके लिये इसे स्थगित करना जरूरी नहीं है। आप इस पर निर्णय ले सकते है।

श्री के० रघुरामैया : यदि जरूरी हो तो देर तक बैठ कर भी इसे आज समाप्त किया जायेगा। कल भी सभा द्वारा पारित किये जाने के लिये कुछ अन्य जरूरी विषय हैं। इसे आज ही पारित किया जाना है और राज्य सभा को भेजा जाना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 12 बजे रात तक बैठने की हम सब से आशा रखना अनुचित है। क्या यह सम्मत है ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरे विचार में यह हमारा कानूनी तथा नैतिक कर्तव्य है कि इस चर्चा को आज समाप्त करें।

संसदीय कार्य मंत्री ने पेशकश की है कि कांग्रेस दल की ओर से कोई नहीं बोलेंगा जिसका अर्थ यही है कि विधि मंत्री ही कांग्रेस दल की ओर से बोलेंगे।

श्री बसु अपना भाषण दस्तावेज का हवाला दिये बिना जारी रखें। इनका भाषण सुनने के बाद यदि आप विनिर्णय दें तो हमें इसे अंतिम रूप से स्वीकार करना होगा।

श्री समर गुह : श्री बसु न्यायालय के सामने पेश किये गये दस्तावेज में से किसी उद्धरण को पढ़ रहे थे। ये दस्तावेज जो भी चाहे उसे मिल सकते हैं और समाचार पत्रों को भी मिल सकते हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह इसका हवाला नहीं दे सकते ? मेरे विचार में तो दस्तावेजों से बिना टिप्पणी किये कोई भी उद्धरण दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उस स्थिति में माननीय सदस्यों को इन मामलों का हवाला देने की अनुमति न देना कठिन है और माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करते समय सीमा से आगे बढ़ते हुये संसद और न्यायपालिका के संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिये।

अतः आप को यहां कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो कि न्यायालय के निर्णयाधीन हो। श्री बसु द्वारा दिये गये उद्धरण का क्या उद्देश्य है ? मैं इस विनिर्णय का यही अर्थ समझा हूं कि आरोपों का उद्धरण नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो केवल याचिका से बिना टिप्पणी किये आरोप पढ़ रहा हूं। इसके गुण-दोष के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। इस विधेयक के संदर्भ में, मैं तो केवल उद्धरण ही दे रहा हूं।

गाडियों, पैट्रोल, डिज़ल, चुनाव में लगाये गये कार्यकर्ताओं के व्यय आदि सम्बन्धी व्यय का कुल जोड़ 15,86,030 लाख रुपये बनता है ।

मैं यह नहीं जानता कि चुनाव व्यय सम्बन्धी व्यय सच है या झूठ **(व्यवधान)** ।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी लगाये गये हैं, जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता । देश को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिये कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं और चुनाव याचिका पर 1971 से 1974 तक क्यों कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

चुनाव आयोग के कार्यकरण की देश भर में निंदा की गयी है ।

सभापति महोदय : चुनाव आयोग के विरुद्ध आरोप लगाना, इस चर्चा के दौरान, कहां तक प्रासंगिक है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रासंगिक है ।

सभापति महोदय : लेकिन यह चर्चा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में है, चुनाव आयोग के बारे में नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चुनाव कानून सम्बन्धी संयुक्त समिति ने कहा है कि चुनाव आयोग के संविधान की धारा 324(2) के अन्तर्गत अनेक सदस्य होने चाहिये ।

लेकिन इसके अध्यक्ष एक कांग्रेसी हैं जो केवल प्रधान मंत्री के हितों की रक्षा करते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि उम्मीदवार के चुनाव व्यय ही नहीं बल्की इस्तहार, गाड़ियों और प्रचार सामग्री की भी सीमा बांधी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और टेलिविज़न पर भी चुनाव के दौरान सभी दलों का नियंत्रण होना चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इस विधेयक को अध्यादेश का स्थान लेने के लिये पेश किया गया है । श्री अमरनाथ चावला के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के बाद ही अध्यादेश को जारी करने और इस विधेयक को पेश करने की आवश्यकता अनुभव हुई ।

हमारे देश में वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाने अथवा चुनने का अधिकार है । चाहे उम्मीदवार के पास कितना ही धन हो और उस की स्थिति कुछ भी हो । एक ओर तो स्थिति यह है और दूसरी ओर कुछ ही लोगों के पास बिना अर्जित धन इकट्ठा होता जा रहा है । इस प्रकार के कुछ लोग हो, जिन्हें समाज घृणा करता है, चुनाव और सरकार को प्रभावित कर रहे हैं । यही लोग संसदीय लोकतंत्र को खुली चुनौती दे रहे हैं । दलहीन लोकतंत्र का एकाधिकार प्राप्त समाचार पत्र खुले रूप से समर्थन कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में बड़े-बड़े पुंजीपतियों को शक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिये । हमारी चुनाव पद्धति और चुनाव कानून में संशोधन किया जाना चाहिये और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाये ।

मेरे विचार में इस विधेयक के द्वारा बड़े व्यापारियों, चोरबाजारियों और भ्रष्ट लोगों को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है । वे धन की शक्ति पर पूरी चुनाव पद्धति पर अधिकार कर लेंगे । अब तक वे झूठ बोलते रहे हैं और गलत ब्यौरा अपनी आमदनी का देते रहे हैं । अब वे खुले रूप में कहेंगे कि उनके मित्रों, संस्थाओं, संगठनों आदि ने उनके चुनाव पर रुपया खर्च किया है । इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह बड़ी ही गम्भीर बात है ।

12—44 LSS(ND)/74

यह एक विचित्र बात है कि जब संसदीय लोकतंत्र पर एक ओर से सीधा आक्रमण किया जाता है तो सत्ताधारी दल की ओर से उसके विरुद्ध आक्रमण होता है। जिसका परिणाम यही होगा कि पुंजीपतियों, चोर बाजारियों और तस्करों को खुली छूट मिलेगी। अतः मैं चेतावनी देता हूं कि इससे संसदीय लोकतंत्र के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : क्या आप समझते हैं कि मतदाताओं को खरीदा जा सकता है ?

सभापति महोदय : किसी को नहीं खरीदा जाता।

श्री भोगेन्द्र झा : सत्ताधारी दल को स्थिति की गम्भीरता को समझना चाहिये। इस प्रकार तो सरकार चुनाव में अमरीका की प्रणाली को ला रही है। प्रतीत होता है कि सरकार इस विधेयक द्वारा जल्दबाजी से काम ले रही है। इस स्थिति में मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मेरे उस संशोधन को स्वीकार करे जिसमें मैंने कुछ शब्दों को निकालने का अनुरोध किया है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : If it is the intention of this legislation that real representatives of the people get elected and a common man is not deprived of exercising his rights of being elected as a people's representative for want of money, this ordinance and this Bill are against their intentions. The Bill is against our assumptions and, therefore, we are opposing it. It is also against the concept of equality.

The Supreme Court has not imposed any restrictions on the expenditure by a party. It has simply said that that expenditure should also be included in the expenditure of the candidate. The influence of money power has to be prevented. It is necessary to check the decline of society. But whether the Bill takes us towards that directions? If there is any law or any decision of the Supreme Court that envisaged the implementation of the Directive Principles of the constitution, we must accept that. In fact the Government should itself have accepted the verdict of the Supreme Court, if they themselves were unable to do it. If you are going to protect 180 people by way of this measure, it is not proper. It will open the floodgates for election expenditure. As a matter of fact the efforts should be made to minimize the election expenditure and Government should bear the whole of expenditure incurred during elections. According to an estimate made by Shri Advani, the total expenditure on elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies would come round about Rs. 11 crores or 11.5 crores. I mean to say that the election expenditure should be reduced to the minimum. Ceiling should also be fixed on the expenditure incurred by political party and political parties should be asked to file the return of the expenditure incurred by them on elections. The expenditure done by other persons should also be controlled. Measures should be taken to miminize the expenditure and serious thought should be given to this suggestion. It would be better even at this late stage, if it is withdrawn. Otherwise, we will have to oppose it tooth and nail.

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : 19-10-1974 को राष्ट्रपतिजी ने अध्यादेश स्थापित करके कहा कि राजनीतिक दल द्वारा किसी उम्मीदवार पर किया गया व्यय उस उम्मीदवार के चुनाव व्यय में सम्मिलित नहीं होगा। उस अध्यादेश को सांविधिक रूप देने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translation based on English translation of the speech delivered in Tamil.

उच्चतम न्यायालय ने सत्तारूढ़ दल के सदस्य के चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उसके चुनाव में जो व्यय किया गया उसको व्यय में सम्मिलित करके व्यय सीमा से अधिक हो जाता था। केन्द्रीय सरकार का यह तर्क है कि देश के न्यायालयों में लम्बित 180 चुनाव याचिकाओं को संरक्षण देने के लिये यह आवश्यक है। यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दो दिन के पश्चात प्रख्यापित किया गया है। क्या यह विधेयक सत्तारूढ़ दल के सदस्य को अपदस्थ करने के कारण उच्चतम न्यायालय के मुंह पर चपत नहीं है? क्या प्रधान मंत्री के विरुद्ध चुनाव याचिका से उन्हें संरक्षण देने के लिये यह आवश्यक नहीं हो गया था? विधि मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक से विपक्षी दलों को भी राहत मिलेगी। क्या विपक्षी दलों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उच्चतम न्यायालय की लागत पर नहीं ?

[**श्री जगन्नाथराव जोशी** पीठासीन हुए।
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*]

उच्चतम न्यायालय ने जब प्रिवी पर्स समाप्त करने तथा बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में अपना निर्णय दिया तो केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के तीन प्रवर न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अवहेलना करके अवर न्यायाधीश को नियुक्त किया जो कि सरकार की अच्छी नजरों में था। परंतु अब उसी मुख्य न्यायाधीश ने सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करके एवं इस संशोधन विधेयक को पुरः स्थापित करके उच्चतम न्यायालय का अपमान किया गया है।

प्रधान मंत्री तथा विधि मंत्री द्वारा बार बार कहा गया है कि चुनाव में सुधारों की आवश्यकता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा भी इस बात पर बल दिया गया कि विशेष रूप से चुनाव व्ययों संबंधी कानून का संशोधन किया जाये। पांचवें आम चुनाव के पश्चात् मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जानी चाहियें। सत्तारूढ़ दल ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। जब तक इसे स्वीकार नहीं किया जाता तब तक देश में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आशा नहीं की जा सकती। पिछले पांच आम चुनावों अर्थात् 1952 से 1971 के दौरान न्यायालयों में लोक सभा चुनावों एवं राज्य विधान सभा चुनावों के बारे में क्रमशः 253 तथा 1680 चुनाव याचिकाएं दायर हुई। इन में से अधिकतर याचिकाएं कांग्रेसी सदस्यों द्वारा सीमा से अधिक व्यय के आधार पर थीं।

लोक सभा चुनाव के लिए 35,000 रु० के व्यय की सीमा है। आज की मुद्रास्फीति तथा रु० की गिरती हुई कीमत को देखते हुए इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है? कांग्रेस दल द्वारा अपने आय तथा व्यय के वार्षिक लेखे मुख्य चुनाव आयुक्त को पेश कर के अन्य सभी राजनैतिक दलों को रास्ता दिखाना चाहिये।

देश के लोगों के मन में यह विश्वास बैठा है कि देश में चुनाव क्षेत्रों का पुनःसीमांकन इस प्रकार से किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को इस का अधिक लाभ प्राप्त हो। इस बात को लोगों के मनों से निकालने के लिए विधि मंत्री को कोई कानून बनाना चाहिये। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल द्वारा चुनावों के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। आकाशवाणी इस बारे में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार चुनावों के कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी इसी कोटि में आता है। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पूर्व श्री कमलापति त्रिपाठी को वहां से हटाकर श्री बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया। क्या यह सब चुनाव जीतने की दृष्टि से नहीं हुआ है?

[श्री ई० आर० कृष्णन]

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने श्री तरकुंडे की अध्यक्षता में गठित एक समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय 24 नवम्बर, 1974 को कहा कि "जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं तो उनमें और कांग्रेस हाई कमांड में झगड़ा था जिसका कारण यह था कि उन्होंने चुनावों के लिए चन्दा इकट्ठा करने से इन्कार कर दिया था। इसके साथ ही हाई कमांड चाहता था कि चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाये। परंतु उन्होंने इसका विरोध किया।

मैंने इसका उल्लेख इस कारण किया है कि चुनावों के दौरान भ्रष्ट तरीकों को रोकने के लिए चुनाव नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। हाल ही में कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर से प्रतिबन्ध हटाया गया है। क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि यह सत्तारूढ़ दल के हित को देखकर किया गया है ?

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने में अनुचित शीघ्रता दिखाई है। चुनाव नियमों में इस प्रकार के संशोधन किये जाएं कि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकें। मैं यह भी मांग करता हूं कि उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का वहन सरकार को करना चाहिये। इस प्रकार से भ्रष्ट तरीके समाप्त हो सकते हैं। इससे इस कारण होने वाली चुनाव याचिकाएं भी नहीं सकेंगी। आम चुनावों की घोषणा के 24 घंटों के भीतर राज्यों में तथा केन्द्र में मंत्रीमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया जाना चाहिये। ऐसा करने से सरकारी मशीनरी का उपयोग रुक सकेगा। लोग सरकारी दबाव से भी मुक्त होंगे। चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निपटान का भी कोई तरीका निकाला जाना चाहिये। इस बारे में सरकार को विधायी और कार्यकारी उपाय करने चाहियें।

Mr. Chairman : It is a very controversial matter. The members should, therefore, speak with restraint and relevantly. Shri Janeshwar Misra.

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : It appears that Congress Party is moving towards dictatorship. Parliamentary Affairs Minister has said that Congress Members would not take part in the discussion on this Bill. This is dictatorship.

In our country there has been a dispute between democratic system and money power since long. Such complaints are often made that elected representatives become corrupt. Political leaders are commented upon as fraudulent persons or cheats. The reason for it, is that the influence of money has corrupted the political life. The ruling party has been advocating since long that they will change the mode of election but they could not do so. Now the Supreme Court have brought in the electoral reforms, which the ruling party wanted to do; through their recent judgement. The judgement gave a hope that politics of this country would be free from the evil of money influence but the Ordinance promulgated by the President had extinguished that ray of hope. The ruling party misused its power to influence the election in its favour. Another way of exercising the influence was to invite Prime Minister to lay foundation stones of various projects to various places. During the recent election in U.P. the Prime Minister laid foundation stones of number of projects. About 60 such stones were laid. In last Lok Sabha elections a signboard of a tractor factory was installed in the constituency of Raja Saheb Dinesh Sing but that factory has not come up so far. All these are alluring tactics to be fool the public.

While bringing this measure Government advanced an argument that it was brought to protect 180 candidates against whom election petitions were pending. But the fact is that this Bill had been brought to provide protection to the Prime Minister against whom election petition had been pending. The Prime Minister had given her election expenditure as Rs. 12892.97 But according to State Bank the election office of the Prime Minister had drawn over Rs. 1 lakh through cheques.

After the promulgation of the Ordinance by the President the Prime Minister filed an application in the Allahabad High Court stating that the opposition parties were propagating against her. She has also stated therein that the Ordinance would have no effect on her election petition. It was prayed in the said application that "the respondents may be permitted to correct the distorted facts being propagated by opposition leaders and opposition press by issuing public statements". The Allahabad High Court has rightly rejected the application by saying that "The relief asked for is not at all under standable to me". If High Court had accepted this application, they would have asked the Members not to refer to the election petition pending against the Prime Minister. It is a contempt of court to bring such a Bill which overrides the Supreme Court decision.

The ruling party people often say that they want to bring comprehensive electoral reforms. But who will believe them now? The Supreme Court gave a judgement and brought about a reform in the law pertaining to election expenses. But the ruling party could not bear it because it went against them. If they really want electoral reforms they can demonstrate their sincerity during coming elections to Lok Sabha by giving up the office as soon as the notification for election is issued. They can further show their sincerity by accepting the proposal to make Election Commission a body consisting of four or five members. But I know Government will never accept such proposals and as a matter of fact they do not want to bring reforms to election laws and they do not want fair elections.

In the end, I would like to request the Law Minister Shri Gokhale to honour the judgement of the Supreme Court to withdraw such a black Bill. The President should also withdraw the Ordinance.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह विधेयक हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र पर एक कलंक है और विधि मंत्री का नाम उसके साथ सदा के लिए जुड़ा जायेगा। आज शासक दल को अपने अत्यधिक बहुमत पर बहुत अधिक घमंड है और वह गुणदोष पर विचार किये बिना ही तथा तर्क और सिद्धान्तों को ताक पर रखकर विधेयक लायी है और उसे पास भी करा लेगी। यह उनकी फासिस्टवादी प्रवृत्ति का परिचायक है। यह विधेयक सदाशय से नहीं लाया गया है। यह कपटपूर्ण है तथा संसदीय लोकतंत्र के लिए कलंक है। विधि मंत्री उच्चतम न्यायालय के निर्णय को एक नया कानून बता रहे हैं। ऐसा कहकर वह न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना और यह देखना है कि क्या कार्यपालिका ने कानूनों का पालन ठीक ढंग से किया है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि चुनाव में धन के प्रभाव को जारी रहने दिया गया तो देश में लोकतंत्र ही समाप्त हो जायेगा। वस्तुत: सरकार को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए था। किन्तु इसके बजाय सरकार एक विधेयक लायी है जिससे न्यायालय का निर्णय निष्प्रभावी हो जाता है। इससे साधारण से साधारण व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि यह विधेयक प्रधान मंत्री को बचाने के लिए लाया गया है।

शासक दल में यह साहस नहीं है कि वह चुनाव खर्च में कमी को स्वीकार कर सके, कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगा सके। वर्तमान व्यवस्था यह है कि उम्मीदवार लोक सभा के चुनाव पर 35,000 रुपये खर्च कर सकता है और विधान सभा के चुनाव पर 10,000 रुपये खर्च कर सकता है। अब आप कह रहे हैं कि जो राशि दल द्वारा या किसी अन्य संगठन द्वारा चुनाव पर खर्च की जायगी वह उम्मीदवार द्वारा किये गये खर्च में शामिल नहीं की जायेगी। इसके अनुसार जो उम्मीदवार जितना अधिक जातिगत प्रचार कर सकेगा, वह चुनाव पर उतना ही अधिक खर्च कर सकेगा और खर्च लाखों में चला जायेगा। फिर चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा रखने का क्या लाभ। इस विधेयक के पारित होने पर उम्मीदवार को खर्च की खली छूट मिल जायेगी और लोकतंत्र पर धन, प्रचार और प्रशासनिक शक्ति का साम्राज्य छा जायेगा। इसी संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि क्या मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक कोरा धोखा है और इसके द्वारा जनतंत्र के स्थान पर धनतंत्र आ जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमान, मैं श्री श्यामनन्दन मिश्र के इन विचारों से सहमत हूं कि इस विधेयक के पीछे अच्छी भावना नहीं है और यह छदमपूर्ण है। यदि कांग्रेसी सदस्य भी इस पर बोलते तो वाद-विवाद अधिक लाभप्रद होता किन्तु वे संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर इस पर वाद-विवाद में भाग नहीं ले रहे हैं। यह सरकार अपने आपको प्रगतिशील सरकार कहती है। परन्तु सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा चावला बनाम कंवरलाल गुप्ता में दिये गये निर्णय को स्वीकार नहीं किया है जो उच्चतम न्यायालय ने मामले पर सर्वांगीण विचार करने के पश्चात दिया था और जो एक प्रगतिशील निर्णय है। न्यायमूर्ति भगवती ने एक ऐसा निर्णय दिया जो चुनाव खर्च सम्बन्धी अधिकतम सीमा के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है तथा जो समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक है। इसने चुनाव में धन के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। न्यायपालिका को जो कर्त्तव्य एक गणराज्य में करना चाहिए उसने वही किया है। इस रूप में इस ऐतिहासिक निर्णय का विधि मंत्री को स्वागत करना चाहिए था। किन्तु केवल शुद्ध राजनीतिक कारणों से सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और विधि मंत्री यह विधेयक ले आये हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा उदघोषित अध्यादेश को पुष्ट करने के लिए लाया गया है। इससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की भावना ही समाप्त हो जाती है।

सरकार का यह तर्क है कि 180 उम्मीदवारों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि 180 चुनाव याचिकाएं न्यायालयों में निर्णयाधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी चुनाव याचिकाएं न्यायालयों में निर्णयाधीन है जिनमें निर्धारित से अधिक खर्च का प्रश्न विचाराधीन है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विधेयक, जो शासक दल के बहुमत के आधार पर शीघ्र ही अधिनियम बन जायेगा, के आधार पर क्या उच्चतम न्यायालय श्री चावला की अपील याचिका को स्वीकार करेगा अथवा उसे रद्द करेगा। मेरे विचार से अध्यादेश और यह विधेयक कुछ बड़े नेताओं की रक्षा के लिए लाया गया है, अन्यथा ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः मैं आरोप लगाता हूं कि यह विधेयक श्री भगवती के ऐतिहासिक निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है।

मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में जो उल्लेख किया है, उसे विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह ठीक है कि राजनीतिक दल को प्रचार करने और अपनी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का अधिकार है। किन्तु यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार की जानकारी से कोई राजनीतिक दल उसी के लिए खर्च करता है तो वह राशि उस उम्मीदवार के खर्च में शामिल होनी चाहिए। जहां तक श्री भगत के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या चुनाव के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण की सभा का खर्च भी उम्मीदवार के खर्च में शामिल होगा, मेरा उत्तर यह है कि यदि जयप्रकाश नारायण की सभा उम्मीदवार विशेष की सहमति से आयोजित की गई है तो वह खर्च उम्मीदवार के खर्च में शामिल होगा। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या चुनाव में किसी विशेष उम्मीदवार के लिये दल का अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला खर्च मान्य समझा जाना चाहिये? 'भगवती निर्णय' में लिखा है कि ऐसे खर्च को मान्य नहीं समझा जा सकता। न्यायालय का यह निर्णय कोई नया नहीं है। इस निर्णय में लिखा है कि किसी उम्मीदवार की सहमति से उसके नाम के लिये दल द्वारा किया गया व्यय उस दल द्वारा किया गया व्यय नहीं माना जा सकता। कानून की दृष्टि से यह नहीं कहा गया है कि राजनीतिक दल अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय किसी उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले 'खर्च किये गये अथवा अधिकृत' अभिव्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। इतना समय नहीं है कि मैं भगवती निर्णय से व्यापक रूप में उदधृत करूं। न्यायालय ने कानून के पहलू पर निर्णय नहीं दिया। यह निर्णय नैतिकता पर आधारित लगता है जैसा कि आपने पहले कहा था। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि धारा 77 का आशय स्पष्ट करने की फिर क्या आवश्यकता थी? इस विधेयक में अब पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि कोई पार्टी या संस्था किसी उम्मीदवार को अनगिनत धनराशि भेज सकती है। क्या यह ईमानदारी की बात है? सरकार काले धन का इतना अधिक उपयोग करने के बाद भी मतदाताओं के समक्ष ईमानदारी से नहीं जाना चाहती। इसीलिये वे सर्वग्राही शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप छोटे दलों की बात कर रहे हैं परन्तु उन छोटे

व्यक्तियों का क्या होगा जिन्हें लोक सभा या विधान सभा के लिये उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का अधिकार है। इस विधेयक के पास होने पर चुनाव में खर्च पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार उन धनी उम्मीदवारों को लाइसेंस देती है जो चुनाव में अन्धाधुन्ध पैसा खर्च करेंगे। हम सब चुनाव में धनशक्ति के उपयोग की निन्दा करते रहे हैं। शासक दल जितना भी धन खर्च करे फिर भी चुनाव लोकतंत्रीय, निष्पक्ष और न्यायसंगत समझे जायेंगे। न्यायाधीश भगवती के निर्णय के एक पैरे में लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को विधानमंडलों की राजनीतिक व्यवस्था में पूरा और प्रभावी रूप में भाग लेने का अधिकार है और इसके लिये विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रस्तुत करने का समान अधिकार है। यह संविधान की मूल अपेक्षा है। यदि धन के प्रयोग से किसी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति का पक्ष दूसरे के मुकाबले में मजबूत होता है तो चुनाव प्रक्रिया में समान अवसर की बात समाप्त हो जाती है। लोकतंत्रीय प्रक्रिया जनसाधारण के लाभ के लिये तभी दक्षतापूर्वक और कारगर ढंग से काम कर सकती है यदि उसमें प्रतिव्यक्ति भागीदार हो। चाहे समाज में उसका दर्जा कितना ही निचला हो इसे अन्य व्यक्तियों के साथ समान स्तर पर भागीदार होने के योग्य होना चाहिये।

इस निर्णय के एक दूसरे पैरे में लिखा है कि चुनाव अभियान के लिये खर्च की जाने वाली राशि का मतदाताओं के निर्णय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि उम्मीदवारों का चुनाव और निर्वाचन की चर्चा करके जनता द्वारा निर्णय लिया जाये और वह राजनीतिक दलों की पसंद न हो।

सरकार इस निर्णय का स्वागत करने के बजाय इस विधेयक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे चुनाव में बेईमानी, अनौचित्य और अन्याय का बोलबाला होगा जो वास्तव में निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिये। मैं शासक दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के पास होने के बाद भारत की जनता का इस सभा द्वारा पारित होने वाले इस कानून के परिणामस्वरूप निर्वाचित सदस्यों की वैधता पर विश्वास होगा? इस विधेयक में इस देश में चुनाव प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार की व्यवस्था के सिवाय कुछ नहीं है। जिन लोगों का लोकतंत्र से प्रेम है और जिनमें नैतिकता है उन्हें इस काले विधेयक की निन्दा करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, the hon'ble Minister should have taken into account some basic principles, while drafting this Bill. But I am sorry to state that he has not given any thought to the speech and principles propounded by the late Law Minister and his colleague Shri Kumarmanglam at the time of appointment of Chief Justice of Supreme Court last year. At that time we were told that Shri A. N. Ray was appointed in supersession of three Judges because the judgements given by those judges in constitutional cases were vague and not clear as was expected of them. It was emphasized that the Judges should be committed to the social philosophy of the constitution. But when they gave their judgement in the case of Kanwar Lal Gupta *Versus* A. N. Chawla and in other cases also, the Law Minister got an ordinance issued and introduced a Bill so that the progressive judgement given by the Superme Court which was in accordance with the basic principles could be nullified.

I would like to draw your attention towards the judgement given by Mr. Justice Bhagwati. It has been stated therein that now, if a candidate were to be subject to the limitation of the ceiling, but the political parties sponsoring him or his friends and supporters were to be free to spend as much as they like in accordance with his election, the object of imposing the ceiling would be completely frustated and the beneficient provision enacted in the interest of purity and genuineness of democratic processes would be wholly emasculated "...The great ideal of social, economic and political justice and equality of status and opportunity enshrined in the preamble of the Constitution would remain only a distant dream, eluding our group. The legislators could never have intended that what the individual candidate cannot do, the politiel parties sponsoring him or his friends

[Shri Madhu Limaye]

and supporters should be free to do. That is why the legislators wisely interdicted not only the incurring but also the authorising of excessive expenditure by a candidate...." This is the pivot of this judgement. I do not know the opinion of the Law Minister about Justice Bhagwati but I am sure that he will agree that Shri Krishna Iyer is a man of progressive views. There is a judgement in case of Wataala Nagraj given by three Judges including Shri Krishna Iyer which is unanimous. Shri Iyer wrote this judgement in which he has stated :

> "To give all candidates a fair chance an operationally fair, perhaps even radical plan to finance our elections, particularly the compaigning process, may have to be devised. Money power casts a sinister shadow on our elections ..... Moreover, there is a built-in inequity in the scheme because an independent candidate who exceeds the ceiling prescribed under the Law legally indulges in corruption. His rival set up by political parties wish considerable potential for fund raising and urging, many lay out a hundred times more in each constituency cn their candidates and yet they escape the penalty under section 77........... It may be apt to draw attention to a recent ruling of this court in Kanwarlal Gupta *Vs.* Amar Nath Chawla on election expenses. It may be proper to infuse into the election Law the cleansing spirit which was emphasised may back in 1920 by the select committee on the Indian Election Offience and Enquiries Act (XXX IV of 1920). He has not only confirmed the view expressed in Bhagwati judgement but he has appreciated this interpretation so that pollution of Indian political process could be reduced. I feel that Bhagwati and Krishna Iyyer have the same opinion about social philosophy. In these circumstances I am of the opinion that this Bill is against the social philosophy of the constitution.

Now Shrimati Indira Gandhi has stated in her application, which has been quoted by Shri Janeshwar Mishra, that the judgement of Supreme Court would not affect her. I would not like to comment on the application itself but the court has framed 12 issues and majority of them concern the use of money *e.g.*, (i) use of Air Force Planes and helicopters and payment therefor; (ii) Rostrums, barricades, loudspeakers' use and expenditure thereon, (iii) distribution of axilts, blankets, dhoties and liquor, (iv) use of vehicles to convey voters to the polling stations. I do not want to comment on the Affidavit filed by Shrimati Indira Gandhi but I would say that subject matter of this Bill and ordinance is directly connected with it. In view of this, she cannot see that judgement of the Supreme Court will not affect her case. This is one of the 180 cases and I would like you to satisfy us about the rest of 179 cases. This Bill has been brought to give protection to these 180 cases pending in courts. I had suggested that they may supply us a summary of grounds of these cases but it has not been done. Therefore, I have reached the conclusion that this Bill is against the social philosophy of the constitution and the judgement of Justice Bhagwati and Krishna Iyyer are in conformity with the social philosophy. Therefore, the step taken by Government will strike at this roots of that philosophy. I appeal to the Law Minister and all the members of the House, more particularly Congress Members that they should think over this measure independently and not under the pressure of the whip issued by the party and then decide whether they want to abide by the contitution or this Bill which is against it. We shall vote against this provision and appeal to all the members of the House to reject this Bill and the ordinanc.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में अनेक बाते कही है। वे सभी इस विषय से सम्बन्धित नहीं है। मैं केवल उन्हीं बातों का उत्तर दूंगा जो इस विधेयक को विषय-वस्तु से सम्बन्धित हैं। जैसा कि सभा को पता है इस विधेयक और अध्यादेश का प्रयोजन धारा 77 (1) में संशोधन करना है। धारा 77 काफी समय से संविधान में है और जैसाकि मैंने पहले बताया है उच्चतम न्यायालय द्वारा कंवरलाल गुप्ता और चावला के मामले में हाल ही में को गई व्याख्या के कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। मैंने उच्चतम न्यायालय के निणय को ध्यान पूर्वक

पढ़ा है और मैं सर्वप्रथम विरोधी पक्ष के इस तर्क का उत्तर दूंगा कि इस प्रकार का कानून बनाया जाना सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करना है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार उचित समझा, इस धारा की व्याख्या करके अपना काम किया और जब संसद उस व्याख्या पर पुर्नविचार करना चाहती है तो संसद भी उस सीमा तक ईमानदार है। इससे देश को पता चलेगा कि वास्तव में संसद का आशय क्या था। अतः मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस प्रकार का कानून बनाना देश के उच्चतम न्यायालय पर निर्णय करना है। हमारे मन में न्यायालयों के प्रति पूरा सम्मान है। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है और निःसंदेह हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। यह तर्क दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छद 141 के अधीन कानून को लागू किया है इसलिये संसद को उस कानून को हटाने के लिये विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च प्राधिकरण के नाते किसी कानून आशय स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है। इसी भावना से यह कानून संसद में लाया गया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले भाग में चुनाव प्रक्रिया के सैद्धान्तिक पक्ष का उल्लेख किया गया है। मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि जब न्यायालय किसी उपबन्ध की व्याख्या करता है तो वह उस उपबन्ध की शब्दावली पर ध्यान देता है। वह इस पर ध्यान नहीं देता कि उसका दर्शन ठीक है या नहीं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने पहले राजनीति सिद्धान्त का विवेचन किया है। एक जगह पर वे कहते हैं कि इस दृष्टि से हमें उन धाराओं की व्याख्या करनी चाहिये जिनकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से इसकी आशा नहीं करता। मैं यह नहीं चाहता कि वे संविधान की व्याख्या करने के लिये किस अन्य दर्शन का अनुसरण करें। मैं इस बात से सहमत हूं कि व्याख्या में अन्तर हो सकता है। न्यायालय किस धारा की खींच-तान करके व्याख्या कर सकता है। मेरा विचार अब भी यही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या संगत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय स्वयं वर्ष 1955 से ले कर और शायद उससे भी पहले से इससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाता रहा है। उच्च न्यायालय ने चार मामलों का उल्लेख किया है और मैं ने उनको ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर भी ध्यान दिया है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसको समझने के लिये इनमें से कुछ मामलों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक होगा। मेरे विचार में इन मामलों में यही दृष्टिकोण अपनाया गया है कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा किया गया खर्च ही धारा 77,(1) के प्रयोजन के लिये अधिकृत खर्च समझा जायेगा।

सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने रणंजय सिंह और बैजनाथ सिंह के मामले का हवाला दिया था। इस मामले के तथ्य यह हैं कि सफल उम्मीदवार रणंजय सिंह एक सम्पदा का उत्तराधिकारी था जो उसके पिता की थी और वास्तविकता यह पता चली कि यद्यपि वह सम्पदा उसके पिता की थी तथापि वह उसका प्रबन्ध चला रहा था क्योंकि उसके पिता अशक्त और विकलांग थे। तकनीकी रूप से उसके पिता ने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त किया था क्योंकि वह उस सम्पदा के मालिक थे। न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके पिता द्वारा नियुक्त अनेक कर्मचारी रणंजय सिंह के चुनाव के लिये काम करते रहे थे। उस समय खर्च पर सीमा के अतिरिक्त उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या पर भी रोक थी अब यह तर्क दोतर्फा था क्योंकि इन कर्मचारियों को किया गया भुगतान उम्मीदवार के खर्च में गिना चाहिये क्योंकि वे न्यायालय के निर्णय के अनुसार सफल उम्मीदवार के लिये काम करते रहे थे और दूसरे यदि इन कर्मचारियों की संख्या को जोड़ा जाये तो वह उस संख्या से अधिक थी जितनी की अनुमति थी और इसलिये वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन भ्रष्टाचार था। उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में कहा कि उम्मीदवार के पिता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर किये गये खर्च को उम्मीदवार के खर्च में नहीं गिना जा सकता क्योंकि यह खर्च उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा नहीं किया गया। उस समय निहित स्वीकृति का सिद्धान्त कहां था? इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता

[श्री एच० आर० गोखले]

है कि जब किसी तीसरे व्यक्ति के नहीं, उम्मीदवार के पिता के कर्मचारियों ने उसके बेटे के चुनाव के लिये काम किया और धन का खर्च स्वीकार किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस खर्च को शामिल नहीं किया है। कुल कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जायेगा क्योंकि उन्होंने चुनाव में सहायता की होगी, वास्तव में निष्कर्ष यह था कि उन्होंने चुनाव में कार्य किया परन्तु इस खर्च को उम्मीदवार या उसके एजेंट ने नहीं किया। उसके पिता चुनाव एजेंट नहीं थे। इसलिये इसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत नहीं लिया जा सका। मैं इस आधार पर इसका औचित्य बता रहा हूं कि वर्ष 1955 से हाल ही में दिये गये निर्णय तक सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह कानून था।

यदि कानून बदलना है तो उसका यह तरीका नहीं है। हम सब को बैठ कर विचार करना चाहिये कि क्या चुनाव कानून में परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता है? हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि चुनाव लड़ने वाले विभिन्न उम्मीदवारों में कुछ हद तक समानता होनी चाहिये——चाहे वे किसी दल के उम्मीदवार हों या न हों। इसका तरीका किसी एक धारा की व्याख्या करना नहीं है। इसकी अपील न्यायालय को नहीं बल्कि संसद में करनी चाहिये जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने रणंजय सिंह के मामले में स्वीकार किया है। इसलिये संसद ही इस विधि में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर सकती है। श्री चावला के मामले में दिया गया निर्णय अलग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस निर्णय के बाद इस निर्णय का हवाला दिया गया है और उस निर्णय के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उस खर्च को शामिल नहीं किया जायेगा। इस बैंच में पांच न्यायाधीश थे। मैं वर्तमान कानून के तकनीकी पक्ष पर कुछ नहीं कहता। हम यह मामला पांच न्यायाधीशों के बैंच को भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर उनके इस विचार का समर्थन हो सके कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च जो उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट नहीं है, खर्च में शामिल नहीं किया जायगा। उच्चतम न्यायालय ने चावला के मामले में राम दयाल और गुजराज सिंह के मामले का हवाला भी दिया था। इसमें ब्रज राज सिंह निर्वाचित उम्मीदवार थे। उसके चुनाव को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चनौती दी गई थी कि उसने सीमासे अधिक खर्च किया था। यह कहा गया था कि ग्वालियर के महाराजा और राजमाता नें उसके समर्थन के खर्च किया था। वे हलिकोप्टर से गये थे और इस उम्मीदवार के चुनाव पर अत्यधिक धनराशि खर्च की थी।

इसमें सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं किया कि महाराजा और राजमाता ने चुनाव अभियान में भाग नहीं लिया था। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि महाराजा और राजमाता ने निर्वाचित उम्मीदवार की ओर से धनराशि खर्च की थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि जबतक यह सिद्ध न हो जाये कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव में खर्च किया गया है या उसने उसकी स्वीकृति दी थी ... **(व्यवधान)** माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि 'स्वीकृति' शब्द उच्चतम न्यायालय ने प्रयोग किया बल्कि यह शब्द धारा में उल्लिखित है। प्रश्न यह है कि इस शब्द की क्या व्याख्या की जाती है, क्या उच्चतम न्यायालय ने पहले मामलो में जिन तथ्यों पर विचार किया था उसमें निहित स्वीकृति नहीं थी।

श्री मधु लिमये : यहां तो तथ्य की बात है।

श्री एच० आर० गोखले : यह तथ्य की नहीं कानून की बात है। उन्होंने इसे कानून के रूप में लिया है बाद में ऐसे सभी मामलों में इस पर निर्भर किया गया। बाद के मामलों में भी वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे अतः हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिये। सर्वप्रथम यह पाया गया कि महाराजा और राजमाता ने खर्च किया था, कि वे ब्रिजराज सिंह के चुनाव अभियान में समर्थन करने के लिये हेलिकाप्टर पर गये थे। जब न्यायालय में इस बात पर अभी विवाद था तब न्यायालय ने यह सोच कर आगे कार्यवाही जारी रखी कि उन्होंने इस उम्मीदवार के चुनाव के लिये काम किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस कल्पना पर भी वे ब्रिजराज सिंह के चुनाव एजंट नहीं थे और उनके खर्च को उम्मीदवार के खर्च में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मधु लिमये : स्वीकृति सिद्ध नहीं हुई। इसीलिये उच्चतम न्यायालय ने कहा था।

श्री एच० आर० गोखले : ऐसा बिलकुल नहीं। महाराजा ने स्वीकार किया था कि उन्होंने चुनाव में भाग लिया था। यदि यह स्वीकृति नही तो और क्या है? पिता द्वारा पुत्र के चुनाव पर खर्च करना निहित स्वोकृति नहीं थी तो और स्वीकृति क्या हो सकती है? उस मामले में कोई और विशेष बात नहीं हुई थी जो चावला के मामले में नहीं हुई है। और फिर भी यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि इस खर्च को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को धारा 77 के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। फिर एक तीसरा मामला है--पटौदिया और आर० के० बिड़ला। श्री आर० के० बिड़ला सफल उम्मीदवार था। उसके चुनाव को चुनौती दी गई। यह बताया गया था कि उसके चुनाव में बहुत अधिक धनराशि खर्च की गई थी। अब यह कहा गया कि यह खर्च उस पार्टी ने किया था जिसने उसके नाम को सिफारिश की थी और बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के अनेक कर्मचारी नियुक्त किये थ। मैं बाद में पढ़कर बताऊंगा कि यद्यपि इस बारे में कुछ विवाद था, अन्ततोगत्वा यह पता चला कि वह स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार था--उस समय एसा ही था..इसलिये बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के अनेक कर्मचारियों ने काम किया था। यह निष्कर्ष था। यह बात स्वीकार की गई थी जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही चलाई और उसे पता चला, कि वह बात सिद्ध ही गई है ओर इस बात से इन्कार नहीं किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार था। मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता। वर्ष 1955 के पहले के मामले का भी उल्लेख किया गया है।

जहां तक निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च करने के भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, अंतिम निर्णयों में न्यायालय ने कहा है कि याचिकादाता द्वारा केवल इतना ही सिद्ध करना पर्याप्त नहीं है कि चुनाव के सम्बन्ध में किया गया खर्च निर्धारित सीमा से अधिक था। "उसे यह सिद्ध करना होगा कि अधिक खर्च निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके चुनाव एजेंट की सहमति से या उसकी स्वीकृति से किया गया।" इसलिये इस मामले में खर्च के बारे में कोई विवाद नहीं था। इसमें कोई विवाद नहीं था कि वह पार्टी के उम्मीदवार थे। यह सिद्ध हो गया था कि खर्च सोमा से अधिक था और फिर भी उन्होंने कहा कि यह खर्च उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा नहीं किया गया अतः उसको शामिल नहीं किया जा सकता।

इस मामले में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया था जहां स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के चुनाव को चुनौती दी गई। थी--वह मुबारक मंसूर और लाल बहादुर शास्त्री का मामला है। इस मामले में यह स्वीकार किया गया था कि निर्वाचित उम्मीदवार के मित्रों और समर्थकों द्वारा स्वेच्छा से खर्च किया गया धन धारा 123 में के अन्तर्गत नहीं आता यद्यपि निर्वाचित उम्मीदवार चुनाव के समय इस बात की जानकारी थी कि उसके मित्र और समर्थक उसके चुनाव के सम्बन्ध में खर्च कर रहे हैं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाण सहित कही गई थी। इस बात को स्वीकार किया गया था कि यद्यपि उम्मीदवार को जानकारी से खर्च किया गया था और शायद मित्रों और प्रशंसकों द्वारा हो खर्च किया गया हो, फिर भी वह उम्मीदवार द्वारा खर्च नहीं किया गया था और इसलिये उसको शामिल नहीं किया जा सकता।

अन्तिम उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे मित्र इन शब्दों पर निर्भर करते रहे हैं--'अधिक क्या है'। वह भी निर्णय में नहीं है। मैं इन शब्दों को समझने का प्रयत्न करता रहा हूं। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इन शब्द की कहीं व्याख्या नहीं की है, हर मामले में श्री चावला के मामले में दिये गये निर्णय से स्थिति बहुत खराब थी परन्तु कुछ अधिक वाली बात कही नहीं आई। यह कहा गया था कि यहां पर कुछ अधिक वाली बात नहीं आती क्योंकि उम्मीदवार अथवा उसके चुनाव एजेंट द्वारा खर्च नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अन्त में जिस मामले का उल्लेख किया था वह श्री एन० जी० रंगा के चुनाव को चुनौती दी गई थी वह राज गोपाल राव और एन० जी० रंगा का मामला था। इस में भी अन्य कारणों

[श्री एच० आर० गोखले]

के साथ साथ खर्च का भी कारण था। न्यायालय के निर्णय में 'कुछ अधिक' का उल्लेख नहीं है। इसमें लिखा है : यदि दल द्वारा, जिस ने उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव भेजा है, कुछ धनराशि खर्च की गई है तो उसके धारा 123(6) के अन्तर्गत उम्मीदवार द्वारा भ्रष्टाचार को काम सिद्ध करने के लिये नहीं गिना जा सकता। वह 'कुछ अधिक' इसमें भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें स्पष्ट है कि यदि वह उम्मीदवार किसी दल का है तो राजनीतिक दल द्वारा किये गए खर्च को शामिल नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने रणंजय सिंह के मामले तथा रामदयाल बनाम ब्रजराज सिंह के मामले में कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य खर्च को हिसाब में शामिल नहीं किया जा सकता।

मैं उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा आदर रखते हुए यह निवेदन करता हूं कि न्यायालय का निर्णय सदा उचित टिप्पणी के लिये खुला है। मैंने चावला के मामले में जो निर्णय है उसके सिद्धान्त वाले अंश को पढ़ा है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि इनमें से कुछ टिप्पणियों पर गंभीर विचार की आवश्यकता है और ऐसा हो सकता है कि हम सभा को साथ बैठकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिये मूल कानून पर विचार करना पड़े।

मैं ईमानदारी से यह विश्वास करता हूं कि निर्णय सही नहीं है क्योंकि पहले जो दृष्टिकोण अपनाया गया था वह स्पष्टतः भिन्न था।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस निर्णय में कोई अस्पष्ट बात रह गई है। उन्होंने एक वाक्यांश कहा, "...विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर..." जो मेरी समझ में नहीं आया। इस तर्क से सब कुछ संदेहास्पद हो गया है।

यह बार-बार कहा गया है कि एक ही याचिका थी जो चुनाव खर्च के बारे में थी। सभी वकील और राजनीतिज्ञ यह भी जानते हैं कि अधिकांश याचिकाओं में अत्यधिक चुनाव खर्च का प्रश्न उठाया गया है। अधिकांश याचिकाओं में यह महत्वपूर्ण आरोप लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय में ऐसी तेरह अपीलें विचाराधीन हैं जिनमें चुनाव खर्च का प्रश्न उठाया गया है। इन तेरह अपीलों में से अन्य दलों को छोड़-कर कांग्रेस के प्रत्याशियों की केवल तीन ऐसी अपीलें हैं जो चुनाव खर्च से सम्बन्धित हैं।

मैंने अक्तूबर में प्रेस सम्मेलन में यह संख्या 180 बताई थी। इस बीच न्यायालयों ने बीस मामलों पर फैसला दे दिया। 1 नवम्बर को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 160 याचिकायें विचाराधीन थीं। उनमें से बहुत सी याचिकाएं अत्यधिक चुनाव खर्च के बारे में है।

श्री मधु लिमये ने अनुच्छेद 14 का उल्लेख किया। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के बारे में है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यदि कोई कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है तो वह संविधान के विरुद्ध है। इसमें स्पष्ट वर्गीकरण है। इसमें उन सभी प्रत्याशियों के बारे में कहा गया है...
(व्यवधान)

विरोधी दलों के लिये यह कहना पूर्णतया वैध है कि इस कानून को अमुक बात से प्रेरणा मिली है परन्तु उस समय मैंने दृढ़तापूर्वक आग्रह कर दिया था कि हमारी चर्चा के दौरान वर्तमान मामलों के तथ्यों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये। प्रधान मंत्री के मंच के बारे में भी उल्लेख किया गया...

श्री मधु लिमये (बांका) : मैंने शपथ-पत्र में से पढ़ कर सुनाया था।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया और श्री बसु ने भी 1969 में वह वक्तव्य पढ़ कर सुनाया। जब न्यायालय में यह चुनौती विचार के लिये गई तो वहां इसे खारिज कर दिया गया। चुनाव में प्रधान मंत्री की सुरक्षा कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। अतः, यह तर्क पूर्णतया असंगत है।

यह कहा गया है कि सरकार भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे रही है। यह भी कहा गया है कि संयुक्त समिति की सिफारिशों को प्रभावी रूप नहीं दिया जा रहा है। हम बहुमत से की गई सिफारिश के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इस मामले में ऐसा नहीं है। अतः दूसरा तर्क ठीक नहीं है कि हमने धारा 77 का स्वरूप बदल दिया है।

श्री जगन्नाथराव जोशी ने कहा कि कुछ खर्च सरकार को वहन करना चाहिये। हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। यह विचार के लिये एक सुझाव है।

श्री मावलंकर ने श्री चावला द्वारा दायर की गई निगरानी याचिका का उल्लेख किया। मेरा विश्वास है कि अनुच्छेद 137 के अधीन निर्णय की निगरानी कराने का श्री चावला का अधिकार इस अध्यादेश के प्रभाव से रहित है।

मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का स्वीकार करेगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विधि मंत्री का उत्तर टालने वाला उत्तर है।

कानून का मूल प्रश्न यह है कि धारा 77 में यदि "अधिकृत" शब्द विद्यमान है तो क्या इसे इस शब्द के वास्तविक अर्थ में रहने दिया जायेगा या क्या स्वीकृति की व्याख्या कार्यकारिणी या सत्तारूढ़ दल की मर्ज़ी के मुताबिक करने दी जायेगी। यदि "अधिकृत" शब्द विद्यमान है तो क्या विधि मंत्री निहित स्वीकृति के प्रश्न को जाच करने से किसी न्यायालय को रोकेंगे ?

विधि मंत्री ने जिन मामलों का उदाहरण दिया है उन सभी में "अधिकृत" शब्द विद्यमान है। विधी मंत्री अपने किसी भी प्रयास से कानून की मूल धारा से यह शब्द मिटा नहीं सके। वह अप्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं कि स्वीकृति जैसा कोई शब्द न रहे, इसका कोई अर्थ न रहे। जब तक यह शब्द मूल खंड में रहेगा, न्यायालय इसकी व्याख्या करता रहेगा।

विधि मंत्री ने अभी-अभी रणंजय सिंह बनाम बैजनाथ सिंह मामले का हवाला दिया है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि "इसलिये यह निर्णय उस बात के विपरीत नहीं है जो हमने कही है"। उस मामले में इस प्रकार के तर्क का आधार नहीं लिया गया है।

रामदयाल सिंह बनाम बृजराज सिंह के मामले में निर्णय में कहा गया है :

> "परन्तु बृजराज सिंह की उम्मीदवारी के साथ महाराजा और राजमाता द्वारा किये गए प्रचार पर हुए व्यय के बीच किसी ऐसे सम्बन्ध की अनुपस्थिति में यह कहना असंभव है कि बृजराजसिंह द्वारा कोई खर्च किया गया था।"

यदि दोनों के बीच कोई सम्बन्ध होता तो उच्चतम न्यायालय यह कहता कि व्यय को उम्मीदवार के हिसाब में रखा जाये।

यहां यह हो रहा है कि विधि मंत्री उच्चतम न्यायालय की इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों की अवहेलना कर रहे हैं।

[श्री श्याम नंदन मिश्रा]

उन्होंने वी० राजगोपाला राव बनाम एन० जो० रंगा के मामले में जो निर्णय है उसका बहुत सम्मान किया है। क्या मैं बता सकता हूं कि उसी सम्बन्ध में न्यायालय का क्या कहना है? न्यायालय का कहना है :

"स्पष्ट स्वीकृति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।"

यह मामला भी निहित स्वीकृति का है।

जब प्रकाशन के मामले में स्वीकृति निहित हो सकती है तो अन्य प्रकार के खर्च के मामले में स्वीकृति निहित कैसे नहीं हो सकती है? इसी मामले में एक प्रश्न और उठा और न्यायालय ने टिप्पणी की :

"...यह गवाही से साबित हो गया कि पार्टी का कार्यालय सिम्हा जगन्नाथन के घर में था...।" न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि जिला स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष के घर में कार्यकर्ताओं पर खर्च किया गया परन्तु यदि यह साबित हो जाता तो वह सारा खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल किया जाता। अत: विधि मंत्री ने जिस किसी मामले का भी उल्लेख किया है उसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अर्थ को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की है।

अब तक यह दल यह कहता रहा है कि न्यायालय को कानून की व्याख्या सामाजिक भावना के संदर्भ में करनी होती है, परन्तु इस मामले में इसने अपना भिन्न मत रखना चाहा है। यह भ्रष्टाचार का दर्शन है जो सत्तारूढ़ दल इस मामले में रखना चाहता है। भ्रष्टाचार के अतिरिक्त मैं और क्या कहूं?

अब यह होगा कि खर्च के मामले में दल उम्मीदवार का स्थान ले लेगा और दल का क्या अर्थ होगा? दल का अर्थ होगा--पैसे वालों और पूंजीपतियों का एजेंट। सरकार दल को ऐसी स्थिति में रख रही है जहां दल अपने उम्मीदवार पर असीमित पैसा खर्च कर सके। मंत्री महोदय ने कहा है कि चुनाव याचिकाएं विरोधी पक्ष के सदस्यों की भी हैं। क्या किसी विरोधी दल ने मंत्री महोदय को यह संशोधन करने को कहा था?

मैं सभी विरोधी दलों की ओर से यह स्पष्ट करता हूं कि किसी भी विरोधी दल ने इस संशोधन के लिये अनुरोध नहीं किया। यदि विरोधी दलों के सदस्यों को चुनाव याचिकाएं विचाराधीन हैं तो यह अध्यादेश लागू करने से पूर्व उनसे परामर्श क्यों नहीं किया गया।

विधि मंत्री हमसे यह विश्वास करने को कहते हैं कि सरकार चुनाव प्रणाली में सुधार लाने की इच्छुक है। यदि उसकी उत्सुकता का यही प्रमाण है तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है।

कम्पनी दान पर से रोक हटाने के सत्तारूढ़ दल के निर्णय से यह संकेत मिलता है कि वह अधिकाधिक धन इकट्ठा करना चाहती है।

यदि विधि मंत्री और उनका दल वाकई चुनाव प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं तो वह दल द्वारा किये जाने वाले चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा निश्चित करने के सुझाव का समर्थन क्यों नहीं करते?

यदि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार वास्तव में भ्रष्ट तरीकों की रोकथाम करना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग ऐसे सौ निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक और प्रभावी रोकथाम करे जिनमें समृद्ध लोग रहते हैं। सरकार ऐसा विधेयक क्यों नहीं लाती जिससे निर्वाचन आयोग का विस्तार किया जाये? इस प्रश्न का विधि मंत्री ने उत्तर नहीं दिया है। हम अपनी पूरी शक्ति से इस विधेयक का विरोध करते हैं। हम इस विधेयक के अन्य प्रश्नों में भी अपना सहयोग नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत संकल्प सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1974 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 13) का निरनुमोदन करती है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एच० आर० गोखले द्वारा प्रस्तूत प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करते हैं। विभिन्न सदस्यों द्वारा दिये गए बहुत से संशोधन हैं। अनेक माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तूत नहीं कर रहे हैं। श्री गुह, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेन्द्र महंती (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं अपना संशोधन संख्या 28 तथा 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री भोगेंद्र झा (जयनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं।

***श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** मैं खंड 2 के बारे में कुछ संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं। संशोधन संख्या 28 में मैंने यह सुझाव भी दिया है कि किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में किया जाने वाला व्यय एक राज्य में संसदीय चुनाव क्षेत्र में और उसी राज्य में विधान सभा के चुनाव क्षेत्र में क्रमश: 35,000 रुपये और 10,000 रुपये तथा संघ राज्य क्षेत्र में के संसदीय चुनाव क्षेत्र में 15,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये।

विरोधी दलों के नेताओं ने अपने तर्कों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि इस विधेयक के पास होने के बाद सम्पूर्ण चुनाव प्रणाली पर धन शक्ति का पूर्ण अधिकार हो जायेगा। इसके बाद प्रजातंत्र की बुनियादें खोखली हो जायेंगी क्योंकि केवल पैसे वाले लोग ही चुनाव में जीत सकेंगे। हमारे प्रजातंत्र में सरकार लोगों की नहीं बल्कि पैसे वालों की ही बनकर रह जायेगी। इस विधेयक द्वारा काला धन हमारी राजनीति में घुसा जायेगा। अत: चुनाव के खर्चों की कुछ सांविधिक सीमा निर्धारित करना अनिवार्य है।

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

श्री श्यामानन्दन मिश्र : हम इसके लिये अपना सहयोग नहीं दे सकते। हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं ।

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)

(At this stage some hon. members left the House).

श्री भोगेन्द्र झा : आशा है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधन संख्या 30 को स्वीकार करेंगे। यदि यह संशोधन स्वीकार न किया गया तो भ्रष्टाचार, काले धन आदि का खर्च कानून सम्मत हो जायेगा। मैं अनु ोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। जब चुनाव विधान का संशोधन किया जा गा तो इसे ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं भी सभा भवन से बाहर जा रहा हूं ।

(तत्पश्चात् श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर सभा भवन से बाहर चले गये)।

(Shri Krishna Chandra Halder then left the House).

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड 2 के सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

All the amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3, 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : विधि मंत्री ने दूसरे वाचन के दौरान कहा है कि संसद चुनावों को अधिकाधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिये बहुत कुछ कर सकती है। मुझे आशा है कि व विपक्ष के नेताओं और कुछ नि ीय सदस्यों को एकत्र करने का प्रयास करेंगे ताकि चुनावों को निष्पक्ष और कम खर्चीला बनाने की दृष्टि से कोई सार्थक चर्चा की जा सके। शीघ्र ही एक बैठक बनायी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 17 दिसम्बर, 1974/26 अग्रहायण 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 17, 1974 *Agrahayana* 26, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि० 2—44 लोक सभा/74—5-4-75—200